Tuesday, 09 December, 1969

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

Preservation
Fumigated
Parliament Library

[खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXIV contains Nos. 11 to 20]

लोक–सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 17, मंगलवार, 9 दिसम्बर, 1969/18 अग्रहायण, 1891 (शक)

No. 17, Tuesday, December 9, 1969/Agrahayana 18, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

481. दिल्ली में एक नए सीमान्त (टर्मिनल) के निर्माण सम्बन्धी सर्वेक्षण दल की सिफारिशें	Recommendations of Survey Team for Development of a New Terminal at Delhi ..	1—2
482. दिल्ली प्रशासन के अधीन निराश्रित गृहों/बाल गृहों/सेवा किचनों में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्ध	Corruption and Mismanagement in Poor Houses/Children's Homes/Seva Kitchens under Delhi Administration ..	2—4
483. अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ द्वारा पारित संकल्प	Resolutions passed by All India Station Masters' Association ..	4—7
484. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कृषि पर आधारित उद्योग	Agro-Based Industries in Andaman and Nicobar Islands ..	8—14
485. भारतीय रेलों के लिये पुर्जों का आयात	Import of Components for Indian Railways..	15—17
486. बम्बई सेंट्रल तथा अहमदाबाद स्टेशनों पर मुख्य बुकिंग क्लर्क तथा मुख्य आरक्षण निरीक्षक के वेतनमान	Pay Scales of Chief Booking Clerk and Chief Reservation Inspector at Bombay Central and Ahmedabad Stations ..	17—19

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

487. केरल में कागज लुगदी कारखाना	Paper Pulp Factory in Kerala ...	19

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
488. लघु उद्योगों के बारे में लोकनाथन समिति का प्रतिवेदन	Lokanathan Committee Report on Small Scale Industries ..	19—20
489. छोटे पैमाने के उद्योगों को बी० पी० चादरों का कोटा	Quota of B. P. Sheets to Small Scale Industries ..	20—21
490. कोका कोला का मूल्य	Price of Coca Cola ..	21
491. संजय गांधी द्वारा छोटी कारों का निर्माण	Manufacture of Small Cars by Sanjay Gandhi ..	21—22
492. सीमेंट का फालतू उत्पादन	Surplus Production of Cement	22—23
493. ट्रैक्टरों की पुनः बिक्री के बारे में प्रतिबन्ध	Restriction regarding Resale of Tractors ..	23
494. पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विनियोजन में कमी	Decline in Industrial Investment in West Bengal ..	23
495. सरकारी भूमि पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की परेड करने पर प्रतिबन्ध	Ban on holding of Parade by Rashtriya Swayam Sewak Sangh on Government Land ..	23—24
496. मोदीपान लिमिटेड	Modipon Ltd. ..	24—25
497. तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों में भर्ती पर प्रतिबन्ध	Ban on Recruitment to Class III and Class IV Posts ..	25
498. पश्चिम रेलवे (पश्चिम खण्ड) के कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Employees of Western Railway (Western Zone) ..	25—26
499. कारों के निर्माण की लागत के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	Tariff Commission Reports on Cost of manufacture of Motor Cars ..	26
500. इस्पात की निर्माण-लागत	Cost of Production of Steel ..	26
501. मतदाता सूचियों में संशोधन	Revision of Electoral Rolls ..	27
502. गैर-सरकारी क्षेत्र में केबलों का निर्माण	Manufacture of Cables in Private Sector ..	27—28
503. हिन्द 'स्वीपर' सेवक समाज	Hind 'Sweeper' Sewak Samaj	28
504. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और इस्पात कारखानों के प्रबन्धकों के बीच मतभेद	Differences between Hindustan Steel Ltd. and Managements of Steel Plants ..	29
505. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एक दूसरे के उत्पादों के खरीदने के बारे में समझौता	Agreement between Public Sector Undertakings to purchase products of eachother	29

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
506. लखनऊ और गोरखपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच दोहरी रेलवे लाइन	Doubling of Railway Line between Lucknow and Gorakhpur (North Eastern Railway) ..	30
507. चौथी पंचवर्षीय योजना में रेलवे के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Railway during Fourth Five Year Plan ..	30—31
508. बिड़ला उद्योगों के विस्तार के लिये अनुमति	Permission for Expansion of Birla Industries ..	31—32
509. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा अधिक शक्ति शाली मोटरों का निर्माण	Manufacture of High powered Motors by Bharat Heavy Electricals Ltd. ..	32
510. संघ राज्यक्षेत्रों में मद्यनिषेध	Prohibition in Union Territories ..	32
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
3201. रेल की पटरियों की आवश्यकता	Requirement of Rails	33
3202. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा इस्पात पिण्डों का निर्यात	Export of Steel ingots by Hindustan Steel Limited ..	33—34
3203. पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of Steel Plants during Fifth Plan period ..	34
3204. कुमाऊं डिवीजन (उत्तर रेलवे) में कुटीर उद्योग	Cottage Industries in Kumaun Division (Uttar Pradesh) ..	34
3205. बीकानेर तथा जयपुर के बीच शयन-यान	Sleeping Coaches between Bikaner and Jaipur ..	35
3206. बीकानेर नगर में रेल फाटकों पर 'यू' आकार के पुल	'U' Shape Bridge on Corssings in Bikaner City ..	35—36
3207. विशेष रेल गाड़ियों का देरी से चलना	Late Running of Special Trains	36
3208. दिल्ली से मद्रास तक तमिलनाडु एक्सप्रेस रेलगाड़ी	Tamilnadu Express from Delhi to Madras ..	36—37
3209. रेलगाड़ियों में भीड़	Over crowding in Trains ..	37
3210. बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों पर रेल दुर्घटनायें	Railway Accidents of Unmanned Level Crossings ..	37—38

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3211. स्कूटरों तथा मोटरकारों के मूल्य में कर का अंश	Tax content in the prices of Scooters and Motor Cars ..	38
3212. औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम 1951 के अधीन फर्मों को लाइसेंस	Licensing of Firms under Industries (Development and Regulation) Act 1951..	38—39
3213. तकनीकी विकास महानिदेशक के विरुद्ध जांच	Enquiry against Director-General of Technical Development	39—40
3214. इस्पात के लिये दिल्ली प्रशासन की मांग	Delhi Administration's Request for supply of Steel ..	40
3215. उत्तर बिहार में आदिवासियों की समस्यायें	Problems of Adivasis in North Bihar ..	40
3216. मधुमक्खी पालन के लिये सहायता	Assistance for Bee Keeping	40—41
3217. कृषि-उद्योग समूह की स्थापना के लिये उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to U. P. for Setting up Agro-Industrial Complex ..	41
3218. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा रेलवे को ऋण	Loans to Railways by International Development Association	41—42
3219. सुहागे के मूल्य	Price of Borax Chemical ..	42
3220. मध्य प्रदेश राज्य-आदिवासी विकास निगम	Madhya Pradesh State Adivasi Development Corporation ..	42—43
3221. सिगरेट और सिगार बनाने के उद्योग का विकास	Development of Cigarette and Cigar Manufacturing Industry ..	43
3222. अनुसूचित आदिम जाति अनुसंधान संस्थान की उपलब्धियां	Achievements of Scheduled Tribes Research Institutes	43—44
3223. कलकत्ता नगर का विकास	Development of Calcutta	44
3224. फोटो बनाने के काम आने वाले ब्रोमाइड कागज की मांग और उसका उत्पादन	Demand and Production of Bromide Photographic Paper	44—45
3225. होशंगाबाद जिले में लकड़ी लादने के लिये माल डिब्बों का नियतन	Allotment of Wagons for Loading of wood in Hoshangabad District ..	45
3226. दिल्ली में भिक्षा-वृत्ति को समाप्त किया जाना	End of Beggary in Delhi ..	46

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
3227. नेत्रहीनों के लिये वृहद योजना	Master Plan for the Blind	46
3228. गोरखपुर के उप-मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के विरुद्ध आरोप	Charges against Deputy Chief Commercial Superintendent, Gorakhpur ..	46—47
3229. आनन्द पर्वत (नई दिल्ली) पर 'सुधार गृह' (आफ्टर केयर होम)	After Care Home at Anand Parbat, New Delhi ..	47
3230. एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग द्वारा रेलवे पर चर्चा	ECAFE Discussion on Railways ..	47—48
3231. धर्मनगर रेलवे स्टेशन के गोदाम से खोई गई वस्तुएं	Commodities lost from godown of Dharmanagar Railway Station ..	48
3232. हावड़ा में कालका मेल गाड़ी का देरी से आना	Late arrival of Kalka Mail at Howrah	48—49
3233. शिव सेना द्वारा रेलवे को क्षति	Damage done by Shiv Sena to Railways ..	49
3234. अचाल्दा से चावल के माल डिब्बों का गलती से मथुरा भेजा जाना	Wrong Despatch of rice wagon from Achalda to Mathura ..	49—50
3235. इत्तर रेलवे यातायात लेखा कार्यालय (पश्चिम रेलवे) दिल्ली तथा यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर में मौन धारण रखना	Observance of silence hours in Foreign Traffic Accounts Office (Western Railway) at Delhi and in Traffic Accounts Office at Ajmer ..	50
3236. बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) के तृतीय श्रेणी के लिपिकों का स्थानान्तरण	Transfer of Third Division Clerks in Bikaner Division (Northern Railway)	50—51
3237. बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में श्रेणी तीन और श्रेणी चार के पदों पर नियुक्तियां	Appointment to Class III and IV Posts in Bikaner Division (Northern Railway)..	51
3238. बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) के इस्टैब्लिशमेंट अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Establishment Officers of Bikaner Division (Northern Railway) ..	51

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

3239. स्वास्थ्य के आधार पर पश्चिम रेलवे में टिकट कलेक्टरों और संगचल टिकट परीक्षकों के रूप में रेल कर्मचारियों की नियुक्ति	Posting of Railway Employees as Ticket Collectors and Travelling Ticket Examiners on Western Railway on Medical Grounds ..	51—52
3240. पश्चिम रेलवे में टिकट कलेक्टरों और संगचल टिकट परीक्षकों के लिये क्वार्टर	Quarters for Ticket Collectors and Travelling Ticket Examiners on Western Railway	52
3241. गुरसहाय गंज और खुदागंज रेलवे स्टेशनों के बीच कानपुर फरुखाबाद यात्री गाड़ी का लूटा जाना	Looting of Kanpur Farrukhabad Passenger Train between Gursahaiganj and Khudaganj Railway Stations ..	53
3242. रेलवे के 'कमर्शल लिपिकों' की 'कमर्शल निरीक्षकों' के पदों पर पदोन्नति	Promotion of Commercial Clerks as Commercial Inspectors on Railway	53
3243. अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के वाणिज्यिक क्लर्कों के पदों के ग्रेड बढ़ाया जाना	Upgrading of Posts of Commercial Clerks in Ajmer Division (Western Railway) ..	54—55
3244. संसद सदस्यों के परिचारकों के लिये तृतीय श्रेणी के रेलवे पास	III Class Railway pass for Attendants of M.Ps. ..	55
3245. लोको वर्कशाप कालोनी कोटा (राजस्थान) में मच्छरों का उत्पात	Mosquito Menace in Loco Workshop Colony Kota (Rajasthan) ..	55
3246. माल गाड़ी से सैनिक भंडारों तथा नमक का लूटा जाना	Looting of Military Stores and Salt from Goods Train ..	56
3247. दक्षिण-मध्य रेलवे में सिकन्दराबाद द्रोणाचलम सेक्शन पर वनपरती रोड और गुरु मूर्ति स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी का पटरी से उतरना	Derailment of Train on Wanparti Road and Gurumurthi Stations on Secundrabad Dronachellam Section (South Central Railway)	56
3248. रेलवे स्टेशनों पर प्राकृतिक सौन्दर्य स्थलों और राष्ट्रीय उत्सवों को दर्शाने वाले पर्यटक मानचित्र	Tourist Maps Depicting Natural Beauty and National Festivals at Railway Stations	57
3249. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक का पूर्वी देशों का दौरा	Visit by Chairman and Managing Director of H. M. T. to Eastern Countries ..	57

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

3250. समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travelling in Samastipur Division (N. E. Railway)	58
3251. मंदरहिल स्टेशन (पूर्वी रेलवे) से रेलगाड़ी का छूटना	Departure of Train from Mandar Hill Station (Eastern Railway)	58—59
3252. समस्तीपुर के मंडल अधीक्षक के कार्यालय में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पद	Class III and IV posts in Divisional Superintendent's Office, Samastipur ..	59
3253. समस्तीपुर के मंडल कार्यालय के कर्मचारियों को भुगतान	Payment to Employees of Divisional Office, Samastipur ..	59
3254. समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के मंडल अधीक्षक के कार्यालय के लिये भवन	Building for Office of Divisional Superintendent, Samastipur (North Eastern Railway)	60
3255. समस्तीपुर के डिवीजन सुपरिनटेंडेंट के क्षेत्राधिकार का विभाजन	Bifurcation of Jurisdiction of Divisional Suptrintendent, Samastipur	60
3256. कम्पनियों को लाइसेंस तथा उनके द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाना	Licences to Companies and Donations to Political Parties by Companies ..	61
3257. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की वस्तु सूचियां	Inventories of Hindustan Steel Limited ..	61—62
3258. भूमि सुधार कानून	Land Reforms Legislation	62—63
3259. राज्यों में निर्यात संवर्द्धन विभाग	Export Promotion Cells in States	63
3260. प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा रेलवे भूमि के किराये का भुगतान न किया जाना	Non-Payment of rentals for Railway Land by Defence Ministry	63—64
3261. ट्रैक्टरों का निर्माण	Production of Tractors ..	64—65
3262. सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों की बैठक	Meeting of Heads of public sector undertakings ..	65—56
3263. मिकिर पहाड़ियों में लुगदी कारखाने की स्थापना	Setting up of Pulp Factory at Mikir Hills ..	66
3264. पांडेचेरी में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं	Public sector projects in Pondicherry ..	67
3265. सरकारी क्षेत्र में नये उद्योग	New Industries in Public Sector	68

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3266. चित्रकूट स्टेशन (मध्य रेलवे) पर यात्रियों के लिये शेडों का निर्माण	Construction of Sheds for Passengers at Chitrakot Station (Central Railway)	68
3267. चित्रकूट मेले के लिये विशेष गाड़ियां	Special Trains for Chitrakot Fair	69
3268. बांदा जंकशन (मध्य रेलवे) के ट्रेन क्लर्कों के काम के घण्टे	Duty Hours of Train Clerks of Banda Junction (Central Railway) ..	69
3269. ग्रामीण क्षेत्रों में समाज-कल्याण कार्य	Social Welfare work in Rural Areas	70
3270. लघु उद्योगों में उत्पादन	Production in Small Scale Industries	70—71
3271. लोको शेड, टूंडला के हरिजन कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger strike by Harijan Railway Employees of Loco Shed, Tundla	71
3272. लोको शेड, टूंडला (उत्तर रेलवे) के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against officers of Loco Shed, Tundla (Northern Railway) ..	71—72
3273. सयालदाह डिवीजन (पूर्व रेलवे) में क्लर्कों की तरक्की न होना	Stagnation of clerks in Sealdah Division (Eastern Railway) ..	72
3274. तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को दिये गये क्वार्टरों के लिये बढ़ा हुआ किराया लेना	Charging of enhanced house rent for quarters provided to class III Employees ..	73
3275. पूर्वोत्तर रेलवे में गरहारा (बारौनी) तथा समस्तीपुर में काम करने वाले रेलवे कर्मचारी	Railway Employees working in Garhara (Barauni) and Samastipur on North Eastern Railway ..	73—74
3276. अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिये मोदी पोन लिमिटेड द्वारा मांगी गई अनुमति	Permission sought by Modipon Ltd. for Raising of additional capacity ..	74
3277. ट्रकों के टायरों की चोर बाजारी	Black marketing in truck tyres ..	74—75
3278. सीमेंट की कीमत पर आंशिक नियंत्रण हटाने के बाद सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Cement prices after its partial decontrol ..	75—76

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
3279. रेलवे कर्मचारियों को वर्दी की सप्लाई	Suply of uniforms to Railway Staff ..	76
3280. कांग्रेस दल का चुनाव चिह्न	Election Symbol of Congress Party ..	76—77
3281. पिछड़ेपन का निश्चय करने के लिये मापदंड	Criteria for determining Backwardness ..	77
3282. रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes class I and II Officers in Railways ..	77
3283. राज्य बिजली बोर्डों को पुरानी रेल पटरियों की बिक्री	Sale of old Rails to State Electricity Boards ..	77—78
3284. राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना	Setting up of industries in Backward Areas of Rajasthan ..	78
3285. वकीलों द्वारा काला गाउन पहनना	Wearing of Black Gown by Advocates	79
3286. हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड भोपाल द्वारा न्युक्लियर टर्बाइनों का निर्माण	Manufacture of nuclear turbines by Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal ..	79
3287. चौथी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिये पूंजी परिव्यय	Capital outlay for Industries in Fourth Plan	80
3288. चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में उत्पादन लक्ष्य	Target of Production in First Year of Fourth Plan	80—81
3289. निर्वाचन कानून संशोधन	Amendment in Electoral Law	81
3290. अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिये आवास	Accommodation for Non-Gazetted Railway Employees ..	81
3291. उत्तर रेलवे में इंजीनियरिंग सबार्डिनेटों की पदोन्नति	Promotion of Engineering Subordinates in Northern Railway ..	81—82
3292. अन्य रेलवे यातायात कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम रेलवे) के कर्मचारियों को मानदेय भत्ता	Honorarium to Employees of Foreign Traffic Accounts Office, Delhi (Western Railway) ..	82
3293. नांगल भाखड़ा लाइन (उत्तर रेलवे) को अपने हाथ में लेना	Take over of Nangal Bhakra Line (Northern Railway)	83
3294. रेलवे उपमंत्री की कांगड़ा घाटी की यात्रा पर हुआ खर्च	Expenditure incurred on tour of Kangra Valley by Deputy Minister of Railways ..	83

विषय	. Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3295. मिश्रित इस्पात की मांग तथा उत्पादन	Requirement and production of Alloy Steel	83—85
3296. धारित्र (कैपेसिटर) उद्योग की फालतू क्षमता का उपयोग	Utilisation of Surplus Capacity of Capacitor Industry	85—86
3297. कालोल तथा दानगरवा स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के बीच रेलगाड़ी पर हमला	Attack on Train between Kalol and Dangarwa Station (Western Railway)	86
3298. दुर्गापुर इस्पात कारखाने के उपोत्पादन एककों में हुई हानि	Loss incurred in By-product units of Durgapur Steel Plant	86—87
3299. इस्पात कारखानों का कार्य संचालन	Working of Steel Plants	87
3300. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की इस्पात पिण्डों को तैयार करने की क्षमता	Capacity of Heavy Engineering Corporation to produce Steel Ingots	88
3301. राजभाषा आयोग और विधि कार्य विभाग में हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था	Arrangements for Hindi Translation Work in official language Commission and Department of Legal Affair ..	88—89
3302. हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा परमाणु टर्बाइन का निर्माण	Manufacture of Nuclear Turbine by Heavy Electricals, Ltd., Bhopal ..	89
3303. नई रेलगाड़ियों तथा अतिरिक्त यात्रा सुविधाएं	New Trains and Additional Travelling Facilities ..	89—90
3304. रेलवे अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	Training Centres for Railway Officers	90—91
3305. मध्य प्रदेश के आदिम जातीय क्षेत्रों में अतिरिक्त विकास खंड खोलना	Opening of additional Development Works in Tribal areas in Madhya Pradesh ..	91
3306. हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड भोपाल के कर्मचारियों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of amenities to workers of Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal ..	91
3307. चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उपक्रमों का विकास	Development of Industrial Undertakings in Fourth Plan ..	92

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3308.	औद्योगिक विकास कार्यक्रम	Industrial Development Programme	92
3309.	उड़ीसा में फेरो वैनेडियम कारखाना स्थापित करना	Setting up of Ferro Vanadium Plant in Orissa ..	93
3310.	भारतीय इस्पात की क़िस्म	Quality of Indian Steel	93
3311.	चौथी पंचवर्षीय योजना में और अधिक जनता रेल-गाड़ियों का चालू करना	Introduction of more Janta Trains during the Fourth Five Year Plan ..	93—94
3312.	हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड भोपाल में बर्खास्त किये गये कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर रखना	Re: employment of Discharged Employees of Heavy Electricals (India) Ltd. Bhopal ..	94
3313.	पश्चिम बंगाल में चलती रेलगाड़ियों में छापे तथा डकैतियां	Raids and dacoities in running trains in West Bengal	94—95
3314.	साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में संवैधानिक पेचीदगियां	Constitutional implications regarding ban on communal parties ..	95
3315.	इटारसी रेलवे स्टेशन पर जलपान गृहों में सुविधायें	Amenities in Refreshment Rooms at Itarsi Railway Station	96
3316.	मध्य रेलवे में उपकरणों की चोरी	Equipment Stolen in Central Railway ..	96
3317.	नेपा मिल्स के कार्य का परिणाम	Working Results of Nepa Mills	97
3318.	मध्य प्रदेश में औद्योगिक वातावरण	Industrial Atmosphere in Madhya Pradesh	97
3319.	भिलाई इस्पात कारखाने में घाटा	Loss incurred in Bhilai Steel Plant	97—98
3320.	मैसूर में कम आय वालों को छात्रवृत्तियां	Low Income Group Scholarships in Mysore ..	98
3321.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को विधि मंत्रालय की सलाह	Advise of Law Ministry to Employees Provident Fund Organisation	98—99
3322.	साहूजैन उद्योग समूह के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही	Legal Action against Sahu Jain Group of concerns ..	99

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3323. दूसरे औजार कारखाने की स्थापना	Setting up of Second Instruments Factory ..	99
3324. उद्योगों की क्षमता बढ़ाने के लिये लाइसेंस देना	Grant of Licences to Industries for Expansion of Capacities	100
3325. भारी इंजीनियरिंग निगम	Heavy Engineering Corporation	100—101
3326. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के उत्पादों का स्तर	Quality of products of Heavy Engineering Corporation ..	101
3327. शकूरबस्ती (उत्तर रेलवे) डिपो के गैर अनुसचिवीय कर्मचारी	Non-Ministerial Staff of Depot at Shakurbasti (N. Rly).	102
3328. भारी इंजीनियरिंग निगम रांची में खराब मशीनरी के प्रयोग, घेराव तथा तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों से हानि	Loss due to use of defective Machinery, Gherao and Sabotages in Heavy Engineering Corporation, Ranchi	102
3329. मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम्स एण्ड बैरल मैंयुफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई	M/s Standard Drums and Barrel Manufacturing Company, Bombay ..	102—103
3330. दिल्ली में महिलाओं का अनैतिक पण्य	Immoral Traffic in Women in Delhi	103
3331. स्कूटरों तथा कारों के लिये संसद सदस्यों / सरकारी कर्मचारियों से आवेदन पत्र	Applications from M. Ps/Government Employees for allotment of scooters and cars ..	103—104
3332. भारतीय रेलों के ईंधन पर व्यय में बचत	Economy in Fuel Bill of Indian Railways ..	104—105
3333. भारतीय रेलवे में आशुलिपिकों को वेतन वृद्धि देना	Increments to Stenographers on Indian Railways ..	105
3334. भारतीय रेलवे में सीनियर स्केल अधिकारियों के साथ कार्य कर रहे आशुलिपिक	Stenographers working with Senior scale officers on Indian Railways	105
3335. वाराणसी डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) में कोच अटेंडेंट्स	Coach Attendants in Varanasi Division (N. E. Rly.)	106
3336. पूर्वोत्तर रेलवे के टेलीग्राफ रेलवे (एस० टी० आर०) में अधीक्षक का पद	Post of Superintendent, Telegraph, Railway (STR) on North Eastern Rly. ..	106

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

3337.	पूर्वोत्तर रेलवे में सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को वेतन की बकाया राशि का भुगतान न किया जाना	Non-Payment of Arrears of Pay to Employees of North Eastern Railway who participated in strike of September, 1968 ..	106—107
3338.	भटनी (पूर्वोत्तर रेलवे) पर मजिस्ट्रेट युक्त जांच दल	Magisterial Checking Party at Bhatni (N. E. Railway)	107
3340.	संसद तथा राज्य विधान सभाओं के उप चुनावों को स्थागित किया जाना	Postponement of Bye-Elections to Parliament and State Assemblies ..	107—108
3341.	उत्तर रेलवे यातायात लेख वरिष्ठता यूनिट में ग्रेड एक कलर्क तथा सब हैड	Clerks Grade I and Sub-Heads in Northern Railway Traffic Accounts Seniority Unit	108
3342.	तीसरी तथा चौथी श्रेणी में रेलवे कर्मचारियों को मानार्थ पास	Complementary Passes to Class III and Class IV Railway Staff ..	108—109
3343.	उत्तर रेलवे में विभिन्न डाक्टरों द्वारा किये गये रोग निदान की सत्यता	Correctness of Diagnosis of different Doctors on Northern Railway ..	109
3344.	यातायात लेखा कार्यालय दिल्ली (उत्तर रेलवे) में ग्रेड एक के क्लर्कों की पदोन्नति	Promotion of Clerks Grade I in Traffic Accounts Office, Delhi (Northern Railway) ..	109—110
3345.	दिल्ली और नई दिल्ली के स्टेशनों (उत्तर रेलवे) पर खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं की डाक्टरी जांच	Medical Examination of Vendors Selling Edibles at Delhi and New Delhi Stations (Northern Railway) ..	110
3346.	उत्तर रेलवे में औषधालय तथा प्रयोगशाला	Dispensaries and Laboratories on Northern Railway ..	110—111
3347.	दिल्ली स्थित अन्य रेलवे यातायात खाता कार्यालय (पश्चिम रेलवे) के कर्मचारियों को क्वार्टर	Quarters for Staff of Foreign Traffic Accounts Office (Western Railway), Delhi ..	111—112
3348.	उत्तर रेलवे के अस्पतालों में कान, नाक तथा गले के विशेषज्ञ	ENT Specialists in Northern Railway Hospitals ..	112

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
3349. उत्तर रेलवे में अस्पतालों में रोगियों के लिये स्थान	Accommodation for patients in Hospitals on Northern Railway ..	112—113
3350. दिल्ली स्थित अन्य रेलवे यातायात खाता कार्यालय (पश्चिमी रेलवे) के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा रिकार्ड खलासियों की वरिष्ठता	Seniority of Class IV Staff and Record Khalasi in Foreign Accounts Officc (Western Railway) Delhi	113
3351. पूर्वोत्तर रेलवे के नरकटियागंज, रक्सौल और सगौली आदि स्टेशनों पर खोमचे वालों का ठेका	Contract to Vendors at Narkatiaganj, Raxaul, Sagauli, Laheria, Serial and Sakri Railway Stations on North Eastern Railway ..	113—114
3352. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता से समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित शिविर	Camps Organised by Social Welfare Department with UNICEF Aid	114
3353. प्राइवेट कम्पनियों के कर्मचारियों के वेतनमान	Pay Scales of Employees of Private Companies ..	114—115
3354. सोनाई हाल्ट स्टेशन का निर्माण	Construction of Sonai Halt Station	115
3355. हल्द्वानी टनकपुर बागेश्वर (अल्मोड़ा) रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Haldwani Tanakpur Bageshwar (Almora) Railway Line ..	115—116
3356. उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करना	Termination of Services of Class IV Employees of Ferozepur Division Northern Railway	116
3357. इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों को समयोपरि भत्ते का आंशिक भुगतान	Part-Payment of Overtime Allowance to Assistant Station Masters of Allahabad Division (Northern Railway) ..	116
3358. इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों को स्थानापन्न भत्ता	Officiating Allowance to Assistant Station Masters of Allahabad Division (Northern Railway) ..	117

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3359. दक्षिण रेलवे श्रम कल्याण निरीक्षकों और पर्सनल इन्सपैक्टरों के पद	Posts of Labour Welfare Inspector and Personal Inspectors on Southern Railway	117
3360. दक्षिण रेलवे में काम के घण्टे सम्बन्धी विनियम के अन्तर्गत अनियमितताएं	Irregularities under Hours of Employment Regulations on Southern Railway ..	117
3361. ट्रैक्टरों का आयात स्थानापन्न कार्यक्रम	Import Substitution Programme of Tractors ..	117—119
3362. दरभंगा जिले में सकरी से कुशेषवर होकर हसनपुर नई रेलवे लाइन	New Railway Line from Sakari to Hasanpur Via Kusheshwar in Darbhanga District ..	119
3363. उत्तर रेलवे में मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक तथा मुख्य आरक्षण लिपिक के आरक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Sheduled Caste Employees Against Reserved Posts of Cheif Reservation Supervisor and Chief Reservation Clerk on Northern Railway ..	119
3364. कानपुर सेन्ट्रल स्टेशन (उत्तर रेलवे) में अनुसूचित जातियों के पूछताछ और आरक्षण क्लर्कों की पदोन्नति	Promotion of Scheduled Caste Employees as Enquiry and Reservation clerks of Kanpur Central Station (Northern Railway) ..	120
3365. सीमेंट की कमी	Shortage of Cement ..	120
3366. उत्तर रेलवे के मुख्य पूछताछ एवं आरक्षण क्लर्कों के आरक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाना	Promotion of Scheduled Caste Employees against Reserved Posts of Chief Enquiry and Reservation Clerks on Northern Railway ..	120—121
3367. रेलवे की भूमि को पट्टे पर देने की नीति में परिवर्तन	Change in Policy for Allotment of Railway Land on Lease ..	121
3368. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता	National Instruments Ltd., Calcutta ..	121—122
3369. अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ की खरदा रोड में सामान्य सभा तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकें करने की अनुमति देने से इन्कार किया जाना	Refusal to Permit holding of General Body and Central Executive Committee Meetings of All India Station Masters' Association at Khurda Road	122

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3370. स्टेशन मास्टर तथा सहायक स्टेशन मास्टर के प्रवर पदों को भरने का तरीका	Method to fill up selection posts of Station Masters and Assistant Station Masters ..	122—123
3371. मैसर्स आइडियल जावा, मैसूर और एसकार्ट्स लिमिटेड, नई दिल्ली को स्कूटर बनाने के लिये लाइसेंस	Licences to M/s Ideal Jawa, Mysore and Escorts Ltd., New Delhi to Manufacture Scooters ..	123—124
3372. यवतमाल जिले में चानका को मिलाने वाली नई रेलवे लाइन	New Railway Line connecting Chanaka in District Yeotmal ..	124
3373. नागपुर होकर बम्बई तथा हावड़ा के बीच जनता एक्सप्रेस गाड़ी चलाना	Running of Janta Express Train between Bombay and Howrah Via Nagpur ..	124
3374. ब रास्ता नागपुर बम्बई हावड़ा मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों को डीजल इंजनों से चलाना	Running of Bombay Howrah Mail and Express Train Via Nagpur by Diesel Engines ..	124—125
3375. जी० टी० और सदर्न एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का वर्धा में न रोका जाना	Non-stoppage of GT and Southern Express Trains at Wardha	125
3376. सी० पी० रेलवे कम्पनी द्वारा यात्रियों को अपर्याप्त सुविधायें तथा सरकार द्वारा इस कम्पनी को खरीदा जाना	Inadequate facilities to Passengers by C.P Railway Company and its purchase by Government ..	125
3377. मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिये समाज कल्याण योजनाएं	Social Welfare Schemes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Madhya Pradesh ..	125—127
3378. ओलावाकोट डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में पारली उपरिपुल का निर्माण कार्य पूरा किया जाना	Completion of Parli Over Bridge, Olavakot Division (Southern Railway) ..	127
3379. बोकारो इस्पात परियोजना में निर्माण कार्य का ऊपरी ढांचा गिर जाना	Collapse of Super Structure of a Construction Work at Bokaro Steel Project ..	127—128
3380. तीसरी योजना के दौरान केरल में औद्योगिक विकास योजनाएं	Industrial Development Schemes during Third Plan in Kerala ..	128

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

3381. स्विटजरलैंड द्वारा विद्युत चालित कलाई घड़ियों का निर्माण	Manufacture of Electronic Wrist Watches by Swiss ..	128
3382. मोटर गाड़ियों के पुर्जे बनाने के नये कारखानों की स्थापना पर से प्रतिबन्ध समाप्त करना	Removal of Ban of Establishment of New Automobile Ancillary Units ..	129
3383. ढांचा निर्माण उद्योग में संकट	Crisis in Structural Fabrication Industry ..	129—130
3384. रेलवे के पुस्तकालयों के लिये विदेशी तकनीकी पत्र पत्रिकायें	Technical Magazines and Periodical of Foreign Countries for Railway Library ..	130
3385. रेलवे स्टाफ एक्सपोर्ट एसोसिएशन का कार्यक्रम	Programme of Railway Stock Export Association	131
3386. रेलवे डिजाइन तथा मानक संगठन द्वारा तैयार किये गये डिजाइनों के लिये माल डिब्बे निर्माताओं द्वारा दी गई अधिक धन राशि	Excess Amount paid by Wagon-Builders for Designs prepared by RDSO Lucknow ..	131
3387. मैसर्स लीवर ब्रादर्स	M/s. Lever Brothers ..	131—132
3388. जमालपुर वर्कशाप (पूर्व रेलवे) में स्थानीय रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्धियों के लिये रोजगार	Employment for Relatives of Local Railway Employees in Jamalpur Workshop (Eastern Railway)	133
3389. केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद	Translation of Central Acts ..	133—134
3390. कांगडा घाटी रेलवे लाइन पर रेलवे पुलों और उपरि पुलों का निर्माण	Construction of Railway Bridges and over bridges on Kangra Valley Railway Line ..	134
3391. इस्पात के उत्पादन लक्ष्यों का पुनर्विलोकन	Review of Steel Production Targets ..	134
3392. प्राकृतिक गैस से चलने वाली कार	Natural Gas operated Car ..	134—135
3393. हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा ढली वस्तुओं की सप्लाई में कमी	Shortfall in Supply of Castings by HEC ..	135—136
3394. राजस्थान में सीमेंट कारखाना	Cement Factory in Rajasthan ..	136

विषय	Subject	पृष्ठ/Pagess
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3395. आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में जनजातियों में असन्तोष	Tribal unrest in Srikakulam District of Andhra Pradesh	136—137
3396. मध्य प्रदेश के बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में अनुसूचित आदिम जातियां	Scheduled Tribes of Betul and Chhindwara Districts in Madhya Pradesh ..	137
3397. आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के आदिवासी क्षेत्र में विद्रोह की घटनायें	Uprising in Tribal Area of Srikakulam District of Andhra Pradesh ..	137—138
3398. समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) में नई गाड़ियां चलाना और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था	Introduction of new Trains and facilities in Samastipur Division (North Eastern Railway) ..	138
3899. मैसर्स फास्फेट (इण्डिया) लिमिटेड	M/s Phosphate (India) Ltd. ..	138—139
3400. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड विशाखापत्तनम	Bharat Heavy Plates and Vessels Ltd. Visakhapatnam ..	139—140
दिनांक 18 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3526 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Statement Correcting Answer to USQ No. 3526 dated 18.7.1969 ..	140
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
मलयेशिया से भारत मूलक व्यक्तियों के बड़े पैमाने पर मलयेशिया छोड़कर के भारत आने का समाचार	Reported exodus of people of Indian Origin from Malaysia ..	141—144
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	144
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report	145
उपाध्यक्ष का निर्वाचन	Election of Deputy Speaker ...	145—148
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	145
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	145—446
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee ..	146

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti		146
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee		146
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony		146
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Muhammad Ismail	..	146—147
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham		147
अध्यक्ष महोदय	Mr. Speaker		147
श्री स्वैल	Shri Swell		148
जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल के बारे वक्तव्य	Statement Re. proposed strike by Development Officers of LIC		148
श्री र० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	..	148
संविधान (तेइसवां संशोधन) विधेयक	Constitution (Twenty-Third Amendment) Bill	..	149—174
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider		149
श्री बि० प्र० मंडल	Shri B. P. Mandal		149
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	..	149—150
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma		150
श्रीमती सुधा वी० रेड्डी	Shrimati Sudha V. Reddy	..	150—151
श्री सी० के० चक्रपाणि	Shri C. K. Chakrapani	..	151—152
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	..	152
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendra Nath Dwivedy	..	152—153
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	..	153—154
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	..	154, 155
श्री राम चरन	Shri Ram Charan	..	155—156
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh		156
श्री आर० एस० अरुमुगम	Shri R. S. Arumugam	..	156—157
श्री रामानन्द शास्त्री	Shri Ramanand Shastri		157
श्री मीठा लाल मीना	Shri Meetha Lal Meena	..	157—158
श्री सोनावने	Shri Sonavane		158
श्री जी० कुचेलर	Shri G. Kuchelar		159
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	..	159—161
खंड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1	..	162—171

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	..	172
श्री रंगा	Shri Ranga		172
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	..	172
श्री राम सिंह अयरवाल	Shri Ram Singh Ayarwal		172
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain		173
श्री के० अनिरुद्धन	Shri K. Anirudhan	..	173
श्री प० ला० बारुपाल	Shri P. L. Barupal		173
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad		173
श्री स० कुन्दू	Shri S. Kundu		173
श्री भोगेन्द्र झा	Shei Bhogendra Jha	..	173—174
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan		174
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	..	174

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 9 दिसम्बर, 1969/18 अग्रहायण, 1891 (शक)
Tuesday, December 9, 1969/Agrahayana 18, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में एक नये सीमान्त (टर्मिनल) के निर्माण सम्बन्धी सर्वेक्षण दल की सिफारिशें

*481. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सीताराम केसरी :
श्री बलराज मधोक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली में छोटी (मीटर गेज) लाइन के एक नये सीमान्त (टर्मिनल) के निर्माण के बारे में विचार करने के लिए एक सर्वेक्षण दल नियुक्त किया है ;

(ख) क्या इस सर्वेक्षण दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठते।

Shri Sita Ram Kesri : The Railway Minister called a meeting on the 23rd October in which it was decided that, as there is traffic congestion at Delhi and New Delhi Railway Stations, a Survey Committee be constituted in connection with the construction of a new metre gauge terminal there. This news has also been published in the press. I would like to know whether the said committee has been set up and if not, whether such a proposal is under consideration.

Shri Rohan Lal Chaturvedi : This is true that a meeting was called by Dr. Ram Subhag Singh in which the above mentioned subject was discussed. The Railways also offered certain suggestions in this regard. It was decided to examine the following proposals :

एक अतिरिक्त मीटर गेज प्लेटफार्म बनाकर दिल्ली जंक्शन के वर्तमान यात्री स्टेशन का विस्तार करना जिससे कि तीन और मीटर गेज गाड़ियां वहां आ-जा सकें ।

यह मानकर कि मौजूदा माल शैड को स्थानांतरित किया जा सकता है दिल्ली जंक्शन के तीन ब्रोड गेज यात्री प्लेटफार्मों का विस्तार किया जाना ताकि वहां 18 डिब्बों वाली रेल गाड़ी आ सके ।

In addition, the Metropolitan Transport Team has already been examining this question. On receipt of the Report, the proposals of Railways would be implemented or such action would be taken as may be necessary.

Shri Sita Ram Kesri : Delhi is the capital of the country. There is heavy traffic at Delhi and New Delhi Stations. Whether any proposal to construct a separate Railway Station for the passengers coming from the radius of 100 miles is under consideration so as to reduce the traffic congestion.

Shri Rohan Lal Chaturvedi : As I have already said, the Metropolitan Transport Team is studying the proposal and necessary action would be taken on receipt of their report.

Shri Balraj Madhok : Mr. Speaker, before I put my question, I would like to say that in the written reply the Hon. Minister has simply said "No, Sir" and "Do not arise" could he not give the information that he has given while replying the supplementaries in the written reply ? This question had been put in pursuance of the decision taken in the Meeting on 23rd October. I would like you to impress upon the Minister to give replies properly. They should not evade reply. Delhi has expanded rapidly and the New Delhi Railway station has become the centre. Many broad gauge trains are running from there. Delhi has been connected through metre gauge with Kandla, Poona, Bombay and Bangalore. Will the metre gauge line be extended to New Delhi station ? The metre gauge line runs **via** Najafgarh area which is densely populated. Whether Government would construct a railway station at Patel Nagar or Kirti Nagar so that the metre gauge trains could be halted there and the poeple living in that area are benefited ?

Shri Rohan Lal Chaturvedi : As I have already stated, the Metropolitan Transport Team constituted by the Planning Commission is going into the problem and we are awaiting their report. The team is studying the problems of Calcutta, Bombay and Delhi and it has made good progress. We would take necessary action as soon as the said report is received.

Shri Balraj Madhok : Wheher a metre gauge station would be constructed at Patel Nagar or Kirti Nagar ?

Shri Rohan Lal Chaturvedi : No such proposal is under consideration at present.

दिल्ली प्रशासन के अधीन निराश्रित गृहों/बाल गृहों/सेवा किचनों में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्ध

*482. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे निराश्रित गृहों, बाल गृहों तथा सेवा लंगरों (किचनों) में हाल ही में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्ध के कई मामलों का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) अनियमितताओं के कुछ मामलों की सूचना दिल्ली प्रशासन को मिली है।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि कुछ बाल-गृहों तथा निराश्रित गृहों, विशेषकर नरेला सेवा कुटी और किंजस्वे कैम्प के निराश्रित गृह में तथा दिल्ली गेट के बाल-गृह में इन गृहों में रहने वालों के लियें दान स्वरूप दिये गये राशन, कपड़े आदि का दुरुपयोग किया गया और उन लोगों के लिये जो घी था उसको अन्यत्र भेज दिया गया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शीघ्र जांच करने तथा समुचित कार्यवाही करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : ये सभी संस्थाएं दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय के अधीन आवासी संस्थाएं हैं। निराश्रित-गृह के बारे में यह आरोप लगाया गया है कि रोमन कैथोलिक मिशनरी सोसाइटी ने भिखारियों आदि के लिये जो कम्बल, जर्सी आदि दी उनमें कुछ गलती से कुछ कर्मचारियों को दे दिये गये, दिल्ली प्रशासन ने इस सम्बन्ध में जांच करने का आदेश दे दिया है। दूसरे आरोपों के सम्बन्ध में जहां तक मुझे मालूम है वह जांच कर रहा है। हमें अभी रिपोर्ट नहीं मिली है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या सरकार इस छान-बीन से संतुष्ट है कि यह ठीक ढंग तथा निष्पक्षरूप से की जा रही है क्योंकि मुझे ऐसा पता लगा है कि दिल्ली प्रशासन इसी प्रकार की 15 या 20 और संस्थाएं शीघ्र खोलने वाली है। जब तक भ्रष्टाचार और कुप्रबन्ध के आरोपों की छान बीन पूरी नहीं हो जाती तब तक क्या सरकार इन नई संस्थाओं के खोलने के प्रस्ताव को स्थगित करेगी ?

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : यह एक सुझाव है और हम इस पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या सरकार संतुष्ट है कि जांच ठीक ढंग से हो रही है ? जांच कौन कर रहा है ?

डा० श्रीमती फूलरेणु गुह : दिल्ली प्रशासन जांच कर रहा है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी कहना कठिन है।

श्री स० कुण्डू : जब इस प्रकार के गम्भीर आरोप लगाये जाते हैं तो सरकार को अधिक सजग रहना चाहिये। इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है कि वह जानकारी मंगायेंगे। जब वह सदन में प्रश्न का उत्तर देने आयीं थीं तो उनको जानकारी भी अपने साथ लानी चाहिये थी। हमें पता चला है कि वहां काफी गोलमाल होता है और उन निराश्रित गृहों को चलाने के लिये अधिक किराये पर मकान लिये जाते हैं क्या मंत्री महोदया को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है ? हमें यह भी पता चला है कि जब से निराश्रित गृह कोई माल मांगते हैं तो उन्हें इन्कार कर दिया जाता है किन्तु कुछ समय के बाद वही माल उन्हें ऊंचे मूल्यों पर सप्लाई किया जाता है। क्या मंत्री

महोदया को इस विषय में कोई जानकारी है ? यदि हां, तो क्या इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिये सौंपा जायेगा ?

विधि और समाज कल्याण तथा रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : जैसा कि पहले कहा जा चुका है ये संस्थाएं दिल्ली प्रशासन द्वारा चलायी जाती हैं और यही प्रशासन इन आरोपों की छान-बीन कर रहा है। चूंकि सदस्यों का यह विचार है कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही शीघ्रता से नहीं की जा रही है इसलिये हम इस विषय में सम्बद्ध प्राधिकारी को लिखेंगे।

Shri R. S. Vidyarthi: Whether it is not a fact that appointment in these institutions were made years ago and the Congress Government appointed there such persons as have affiliation with Congress Party and even today when Delhi Administration conduct any inquiry in this regard then the Home Minister or the State Minister in that Ministry interfere in the matter ? They are not prepared to take any action against those persons. May I request the Hon. Minister to conduct a judicial inquiry into the matter and ask the Home Minister not to interfere in this case.

An Hon. Member: This question has been put to defend the Delhi Administration.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Yes, certainly. It is our administration.

Shri R. S. Vidyarthi: Mr. Speaker, my question should be replied to. I personally know that State Minister interferes.

Mr. Speaker: Your objections have been recorded, what else do you want ?

Shri Atal Bihari Vajpayee: No, Sir. A question has been put and it should be answered. Whether it is not a fact that appointment of employees in these institutions were made before 1967 ?

Mr. Speaker: If such is the question it must be replied to. The Hon. Minister may answer the question.

श्री गोविन्द मेनन : प्रत्येक संस्था में अनेकों कर्मचारी हैं और मुझे यह नहीं मालूम कि उनमें से प्रत्येक की नियुक्ति कब हुई। हो सकता है कि कुछ 1957 में, कुछ 1967 में और कुछ उसके बाद भर्ती किये गये हों। मुझे क्या कहना है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : उनमें से कुछ लोग अपराधी पाये गये और बाद में उनको फिर से नौकरी पर ले लिया गया।

Resolutions passed by All India Station Masters' Association

+
*483. **Shri Sharda Nand:** **Shri Suraj Bhan:**
Shri Yajna Datt Sharma: **Shri Ram Gopal Shalwale:**
Shri Brij Bhushan Lal:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the resolutions passed by the Executive Committee of the All India Station Masters' Association at its meetings held in Delhi in May, 1969 and at Jaipur Session of the Association in August, 1969 ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Rohan Lal Chaturvedi): (a) Yes Sir. It is understood that this Association passed certain resolutions both at Delhi and at Jaipur in May, 1969 and August, 69 respectively.

(b) The reaction of the Government to the demands of this Association has already been clarified on the floor of the House namely that all these demands have been examined by the Government but could not be acceded to except that the question of laying down a unified channel of promotion for them is under consideration in consultation with the Railway Administrations.

Also the question of providing some relief to staff who may have reached the maximum of their scales of pay is under consideration.

As regards the demands for revision of pay scales, the Government have already accepted, in principle, the recommendations of the National Commission on Labour for the setting up of a Pay Commission and if when a Pay Commission is set up for the Central Government employees, the case of the Station Masters also would receive adequate consideration.

Shri Sharda Nand : Mr. Speaker, today 27 thousand Station Masters are working in the country and they are supposed to supervise the Stations. Whether Government are aware that the pay given to Station Masters on many Stations is less than that being given to goods clerks and the steps proposed to be taken to remove this disparity ? Whether Government would consider the question of appointing a separate commission for Railways and if not, what are the difficulties in this regard ?

विधि और समाज कल्याण तथा रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : चूंकि एक वेतन आयोग नियुक्त किया जा रहा है इसलिये मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि रेलवे के लिये अलग आयोग बनाया जाये क्योंकि रेलवे भी केन्द्रीय सरकार का एक अंग है हां अगर वेतन आयोग के सामने सामान्य कर्मचारियों के बारे में कोई कठिनाइयां आईं तो हम इस सुझाव पर विचार करेंगे ।

Shri Sharda Nand : Whether Government are aware that most of the Station Masters are on hunger strike, and if so, whether Government are prepared to call their representatives for talks ?

श्री गोविन्द मेनन : सरकार स्टेशन मास्टरों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ।

Shri Brij Bhushan Lal : Mr. Speaker, the Station Masters are required to perform heavy duties and their responsibilities are also heavy. The report that has just been received reveals that one of the main causes of accidents is human negligence i.e. these accidents occur because the staff is overworked. The Station Masters, at time, are required to perform the duties of two to three persons because the relieving Station Masters do not reach in time and this leads to accedents. Whether, in order to minimise the accidents, relieving staff would be given at the earliest opportunity ? Whether any special measures are being adopted to meet their demand regarding safety measures and if not, the reasons therefor ?

श्री गोविन्द मेनन : स्टेशन मास्टरों की कार्यदशा को सुधारने सम्बन्धी इन सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

Shri Suraj Bhan : Whether the demands put forth by the Station Masters include the complaint that the Guards can be appointed as higher grade Station Masters and the Station Masters cannot be appointed as higher grade guards ? If so, when these anomalies would be removed ? Secondly the service of the Station Masters is considered as assential service. Whether the question of giving out free accommodation to them as is done in cases of other services categoried as essential services, would be considered ?

श्री गोविन्द मेनन : स्टेशन मास्टरों की एक शिकायत यह है कि गार्डों को स्टेशन मास्टर के पदों पर पदोन्नति दी जाती है और गार्डों की एक शिकायत यह है कि उन्हें केवल इसी तरीके से पदोन्नति मिल सकती है ।

विधि और समाज कल्याण तथा रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : यह सब चीजें वेतन आयोग द्वारा अवश्य देखी जायेंगी तथा हम अपने कर्मचारियों की परेशानियां वेतन आयोग के सम्मुख रखेंगे ।

श्री सूरज भान : बिना किराये के मकानों के बारे में क्या विचार है ?

विधि और समाज कल्याण तथा रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : उसको शामिल करके । वह भी वेतन का ही अंग है ।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, the question of Railway Station Masters is a difficult one, and this bungling is going on for a long time. In their Jaipur session, which was held on 23rd and 24th August and where Shri Atal Bihari Vajpayee and I was also present, they decided that if Government fails to reply satisfactorily to their questions of pay scales and Leave Reserves, they propose to launch an agitation from 1st January. In view of this whether Government would find out some way out in consultation with the members of their association to avert the proposed agitation and to remove their dis-satisfaction ?

श्री गोविन्द मेनन : मेरा विचार है कि संसद के मेरे माननीय साथी श्री अटल बिहारी बाजपेयी इस एशोसिएशन के प्रधान हैं । इन सब प्रश्नों के सम्बन्ध में ऐसे बात-चीत करने में मुझे बहुत हर्ष होगा ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि स्टेशन मास्टरों को बहुत समय से परेशानियां है और उनको दूर करने के लिये वह शोर मचा रहे हैं तथा उनको दूर करने के लिये कोई उपाय नहीं किया गया, तथा जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि वेतन आयोग उनके वेतनमानों तथा दूसरी चीजों पर ध्यान देगा, तो क्या मैं माननीय रेलवे मंत्री महोदय से अनुरोध कर सकता हूं कि वह सदन को इस संबंध में आश्वासन दें कि फिलहाल उन लोगों की कुछ परेशानियों को जो वैध हैं तथा जो शीघ्र समाप्त की जा सकती है, तथा जो उनकी सेवाओं पर प्रभाव डाल रही हैं और जिनके बिना वह प्राधिकारियों के संतोषानुकूल सेवा नहीं कर पा रहे हैं, दूर करने के लिए अन्तरिम उपाय किये जायेंगे ? क्या मंत्री महोदय उस आश्वासन को देंगे ?

श्री गोविन्द मेनन : कुछ सीमित विषयों पर विचार किया जा रहा है तथा उन विषयों पर वेतन आयोग के कार्य आरम्भ करने के पूर्व ही निर्णय लिया जायेगा ।

Shri Ram Charan : The work load supposed to be handled by Station Masters and Assistant Station Masters has been increasing on account of the increase in the number of trains and consequently their responsibrlities are increasing considerably. The work which they were required to handle 10 years ago, are required to handle three fold of that work today in addition to the work they were handling ten years ago. Will Government give them some interim relief prior to the setting up of Interim Pay Commission ?

अध्यक्ष महोदय : यह वही प्रश्न है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : वह सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

श्री जि० मो० बिस्वास : भूतपूर्व रेलवे मंत्री डाक्टर राम सुभग सिंह के जिद्दीपन के कारण रेलवे कर्मचारियों, विशेषकर स्टेशन मास्टरों को जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 के हड़ताल में भाग लिया, बहुत परेशान किया गया । अब भी उनको दण्डित किया जा रहा है । मैं वर्तमान रेलवे मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह उन मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे तथा क्या वह भूतपूर्व रेलवे मंत्री डाक्टर राम सुभग सिंह के अनुदेशों के अन्तर्गत उनको दिये गये दंडों तथा सेवा में व्यवधान को माफ करेंगे ।

श्री गोविन्द मेनन : वह एक अलग प्रश्न है ।

श्री जि० मो० बिस्वास : वह इसका उत्तर दे सकते हैं । यह बहुत संगत प्रश्न है । आप उनको उत्तर देने से क्यों बचाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि वह अपने पूर्वाधिकारी पर टिप्पणी करें ? मैं नहीं समझता कि आप ऐसा चाहते हैं । आप सीधा प्रश्न कीजिये ।

श्री जि० मो० बिस्वास : यह बात तो है ही कि बहुत से रेल कर्मचारियों पर अत्याचार किया गया है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अपने पूर्वाधिकारी के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी किए बिना वर्तमान रेलवे मंत्री कह सकते हैं कि जिन लोगों को सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के फलस्वरूप नौकरी से निकाला गया था उनको फिर नौकरी पर ले लिया जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि प्रश्न को सही करने के लिये आपने अच्छा कार्य किया है ।

श्री गोविन्द मेनन : हो सकता है मैं गलत हूं, परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार वे सभी नौकरी पर वापिस लिये जा चुके हैं ।

श्री जि० मो० बिस्वास : सब नहीं ।

श्री गोविन्द मेनन : इसीलिये मैंने कहा कि 'हो सकता है मैं गलत हूं' । यदि कुछ मामले बच रहे हैं तो उन पर अवश्य विचार किया जायगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, there are different types of problems of Railway employees which can be placed in different categories. Whether Government is prepared to set up a separate wage board for them and whether Government is going to make any provision of bonus for them ?

Shri Rohan Lal Chaturvedi : No, Sir.

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कृषि पर आधारित उद्योग

*484. **श्री भगवान दास : श्री बदरुद्दुजा :**
श्री कं० हाल्दर : श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है; और

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या संसाधन उपलब्ध हैं तथा अब तक कितने संसाधनों का उपयोग किया गया है ; और

(ग) इन द्वीपों में कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण (अंग्रेजी उत्तर के साथ) सभा-पटल पर रखा जाता है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2301/69]**

श्री कं० हाल्दर : हमारे देश में शरणार्थियों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। वास्तव में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का आना धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में इन शरणार्थियों को बसाने की काफी गुंजाइश है। सरकार शरणार्थियों की मांग में बहुत पिछड़ क्यों रही है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : 1966 से एक विस्तृत विवरण तैयार किया गया है तथा पुनर्वास की समस्या के सम्बन्ध में सरकार ने विभिन्न द्वीप समूहों में शरणार्थी परिवारों को बसाया है, जो 646 परिवारों के लगभग हैं, जिसमें बर्मा से लौटे परिवार 37, विस्थापित व्यक्ति 540 तथा भूतपूर्व सैनिक 69 हैं । उनको पहले से ही बसाया जा चुका है ।

श्री कं० हाल्दर : विवरणी से यह स्पष्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इन शरणार्थियों को बसाने की काफी गुंजाइश है। परन्तु द्वीप समूहों में चौपायों की समस्या है। यदि शरणार्थियों को चौपायों की कमी के कारण चौपाये नहीं मिले तो क्या सरकार उनको चौपाये तथा अन्य कृषि के औजार देने के लिये व्यवस्था करेगी ताकि शरणार्थियों को शीघ्र बसाया जा सके ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चौपाये नहीं हैं । हम चौपायों को वहां ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने चौपायों को ले जाने के लिये एक जेटी को पहले से ही प्राप्त कर लिया है । योजना के अन्तर्गत 2861 परिवारों को पहले ही बसाया जा चुका है तथा नये लक्ष्य के अनुसार 646 परिवारों को अब बसाना है ।

श्री गणेश घोष : एक संसदीय पुनर्वास समिति थी जिसके श्री एन० सी० चटर्जी सभापति थे। कुछ समय पूर्व यह समिति अपना प्रतिवेदन दे चुकी है। परन्तु सरकार ने इस संबंध में कोई वक्तव्य जारी नहीं किया है कि वह समिति की किस सिफारिश को स्वीकार करेगी। इसके परिणामस्वरूप पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान में पुनर्वास के कार्य में अवरोध उत्पन्न हो गया है और यह एक चीज है जो मैं सरकार से मालूम करना चाहता हूं। क्या सरकार, यह बताते हुये कि वह समिति की किस सिफारिश को स्वीकार करेगी, एक वक्तव्य जारी करेगी ? दूसरे विवरणी से यह पता चलता है कि चौपायों का यातायात बहुत कठिन है।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जहां तक मेरे मंत्रालय का प्रश्न है, क्या मैं बता सकता हूं कि हमारा सम्बन्ध अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कृषि आधारित उद्योगों से है। तथा यदि माननीय सदस्य पुनर्वास मंत्रालय से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको उस मंत्रालय से करनी चाहिये।

श्री गणेश घोष : विवरणी से यह स्पष्ट है कि चौपायों तथा कृषि के छोटे मोटे औजारों तथा मशीनरी का भी लाना ले जाना कठिन हैं। जेटी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इन परिस्थितियों में मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिये, ताकि कृषि आधारित उद्योग अंडमान में चालू किये जा सके, सरकार क्या विचार रखती है।

श्री भानु प्रकाश सिंह : सरकार का वहां परिवहन सुविधायें सुधारने का बिचार है। सरकार के पास पहले से ही कुछे जेटीयों तथा जालपोत हैं।

श्री गणेश घोष : महोदय, इसमें काफी समय लग गया पता नहीं विचार कब समाप्त हो।

श्री समर गुह उठे।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नेता जी को प्रश्न में न लाये तो मैं आपको बोलने की आज्ञा दे सकता हूं।

श्री एस० कन्डप्पन : लगभग 7 पृष्ठों के लम्बे विवरण में सरकार ने अपने खराब कार्य की सूची दी है। उन्होंने अपने आप को यह बहाना बनाते हुए बचाया है कि इन्फ्रस्ट्रक्चर की तथा वर्षा की कमी के कारण वह अधिक कार्य नहीं कर सके। मैं माननीय मंत्री जी को निम्नलिखित बातें बताना चाहता हूं। जहां तक रबर बागानों का संबंध है अभी तक 600 एकड़ भूमि में ही उनको लगाया गया है तथा जहां तक गहरे समुद्र की मछली पकड़ने का सवाल है, तुना मछली की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है परन्तु उससे लाभ उठाने के लिये तथा वहां नौ केन्द्र स्थापित करने के लिये कार्यवाही नहीं की गई है। नारियल के सम्बन्ध में यह बात है कि वे वहां बहुतायत में होते हैं। उनको मुख्य भूमि को भेज दिया जाता है जहां उनका तेल निकाला जाता है तथा इसके बाद अंडमान को उपभोक्ताओं के उपभोग के लिये वापस कर दिये जाते हैं। इन तीन बातों के लिये जो कार्यक्रम अब तक तैयार किया गया है उसको तथा प्रगति के इतने मंद होने के कारण को जानना चाहूंगा।

श्री भानु प्रकाश सिंह : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पुनर्वास मंत्रालय ने पहले से ही इस क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 4.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हुए हैं, जहां तक मछली पकड़ने का संबंध है इसकी वृद्धि 200 टनों से बढ़कर 2000 टन होगी। इस कार्य के लिए 120 देशी नाव, 160 पावर नावें तथा 2 कारखाने के बने हुए पानी के जहाजों को लगाया गया है।

श्री एस० कन्डप्पन : उन्होंने सात पृष्ठों का विवरण तो दिया है परन्तु उन्होंने कोई ठोस चीज नहीं दिखाई है जो कि वहां की जा रही हो। वास्तव में मेरा प्रश्न विवरण पर आधारित है तथा मंत्रालय के विषय से संबंधित है अर्थात कृषि आधारित उद्योगों से। वहां पर नारियल से तेल निकालने के सिलसिले में क्या किया गया है? क्या यह बहुत कठिन कार्य है?

श्री शिव नारायण : वे तैयार होकर सदन में कभी नहीं आते। प्रत्येक मंत्री पर कई विभागों का भार है यहां तक कि वह प्रश्नों के लिये ठीक से तैयारी भी नहीं कर सकता। मैं आशा करता हूं कि इसके बाद से वे तैयार होकर आयेंगे। उनमें से कुछ कल अहमदाबाद में थे।

श्री भानु प्रकाश सिंह : जहां तक मछली पालन का सम्बन्ध है, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा गहरे समुद्री मछली पकड़ने की संभावनाओं की खोज करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। तटदूर तथा अन्तर्देशीय मत्स्यकी के लिये भी एक कार्यक्रम विचाराधीन है।

रबर के सम्बन्ध में, एक अनुसंधान तथा केन्द्र स्थापित किया जाना है, जो 500 एकड़ में 39.31 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा जो पहले से ही स्वीकृत की जा चुकी है। सम्पूर्ण 500 एकड़ भूमि के क्षेत्र में रबर की पौधें लगाई जा चुकी हैं तथा पौधे बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। इस स्थान पर 37 बर्मा से लौटे हुए परिवार मजदूरों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

श्री भानु प्रकाश सिंह : करचल द्वीप समूह में 6000 एकड़ भूमि पर रबड़ के व्यापारिक बागान लगाने के सिलसिले में 450 लाख रुपये की एक परियोजना स्वीकृत की गई है। 150 एकड़ क्षेत्र पर बागान लगाये जा चुके हैं, तथा 250 एकड़ पर चालू वर्किंग सीजन में बागान लगाये जायेंगे। परियोजना के पूर्ण होने पर वहां पर श्रीलंका से वापस आये हुए 1200 परिवारों को रोजगार मिलने की आशा है।

श्री रंगा : नारियल का तेल निकालने के सम्बन्ध में क्या विचार है?

Shri Yamuna Prasad Mandal : Mr. Speaker, it is a matter of pleasure that the work is running smoothly according to the recommendation of the departmental team formed in the year 1966. Rupees two Crores and 28 lakhs are being invested on break waters and as pointed out in the paragraph 9 of the statement, an aerodrome is also under construction there. But I want to know whether, in view of the natural conditions of that place, Government propose to develop a natural harbour port there?

Shri Bhanu Prakash Singh : The question is related to the Ministry of Shipping and transport.

श्री समर गुह : मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई है कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि :

"प्रधान मंत्री ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को विशेष क्षेत्र घोषित किया है क्योंकि ये साधनों के एक साथ विकास के लिए खासतौर से पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के मुख्य रूप से उपयुक्त हैं।"

हाल में संसद के 12 सदस्य अण्डमान गये और मालूम हुआ है कि 1966 की अन्त-विभागीय दल द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट में यह स्पष्टतया कहा गया है कि 1971 तक पूर्वी-पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को फिर से यहां बसाया जाना चाहिए और 1976 तक पूर्वी-पाकिस्तान के एक लाख और शरणार्थियों को बसाया जाना चाहिए। किन्तु हमें यह देख कर आश्चर्य हुआ है कि अगले पांच वर्षों में पूर्वी-पाकिस्तान के केवल 3000 शरणार्थियों को बसाने का लक्ष्य है। यह भी सिफारिश की गयी थी कि 1.25 लाख एकड़ भूमि को खेती के योग्य बनाया जाय किन्तु यह लक्ष्य भी पूरा नहीं किया गया है।

हमें यह भी पता चला है कि कृषि पर आधारित उद्योगों, मीनक्षेत्रों, रबड़ बागानों, कोको बागानों, नारियल बागानों आदि के बारे में भी सिफारिशें की गयीं थीं। किन्तु हमें आश्चर्य हुआ कि वर्तमान प्रशासन इस लक्ष्य को आंशिक रूप से भी प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वे कौन से कारण हैं जिनसे अध्ययन दल द्वारा की गयी सिफारिशों को पूरा करने में सफलता नहीं मिली है। यदि कोई भारी कमी है तो क्या सरकार कोई दूसरा अध्ययन दल भेजेगी जो अन्तर्विभागीय दल द्वारा की गयी सिफारिशों के कार्यान्वियन की असफलता के प्रश्न के बारे में जांच करेगा।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : दल ने जो सिफारिशें की हैं उनके क्रियान्वयन की असफलता का कोई प्रश्न नहीं है। किन्तु माननीय सदस्य को हमारी उन कठिनाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए जिनमें हमें वहां काम करना है। इन द्वीपसमूहों बड़ी भारी संख्या में लोगों को ले जाना ही काफी नहीं है किन्तु हमें उन्हें जमीन भी उपलब्ध करनी है जिनमें वे बस सकें और रोजी कमा सकें। बड़े-बड़े जंगल हैं और अवस्थापना की कमी के कारण इन भारी जंगलों को गिराना सम्भव नहीं है और इस उद्देश्य के लिए यह प्रबन्ध किया जा रहा है कि यथासम्भव शीघ्र इन क्षेत्रों को कृषि योग्य तथा रबड़ के बागान लगाने के योग्य बनाया जाय और तब ही लोगों को अधिक संख्या में बसाना सम्भव हो सकेगा।

श्री समर गुह : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं सीधा प्रश्न किया था...।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने पहले ही प्रश्न का उत्तर दे दिया है। उत्तर जो कुछ भी हो किन्तु उत्तर दिया गया है।

श्री समर गुह : मुझे आप संरक्षण दें। मेरे प्रश्न को टाल दिया गया है। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। मेरा सीधा प्रश्न यह था कि केन्द्रीय सरकार के उच्चस्तरीय सचिवों द्वारा कुछ सिफारिशें की गयीं थी किन्तु उनके एक भाग को भी क्रियान्वित नहीं किया गया है।

उन्हें क्यों क्रियान्वित नहीं किया गया है? मंत्री महोदय को इसे विस्तार से बताना चाहिए। उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। मैं हर एक समय पराजित नहीं हो सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा यह है कि माननीय सदस्य को न बुलाया जाय। किन्तु जब एकबार मैं उन्हें बुलाता हूं तो उनसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है।

श्री समर गुह : मैंने सीधा प्रश्न पूछा है इसका सीधा विवरण दिये जाने की आवश्यकता है। एक सरकारी दल ने अपनी रिपोर्ट पेश की है और कुछ सिफारिशें की हैं किन्तु इनका एक भाग भी पूरा नहीं किया गया है। क्या मैं मालूम कर सकता हूं कि सिफारिशें क्यों पूरी नहीं की गयी हैं ? मैं मंत्री महोदय से इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैंने पहले ही कहा है कि इस दल ने कुछ सिफारिशें की हैं और इनकी सिफारिशों के अनुसार कुछ परियोजनाओं की रिपोर्टें तैयार की गयीं थीं और इन परियोजनाओं की रिपोर्टों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है और दल की सिफारिशों को यथासम्भव क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

Shri Manaraj Singh Bharati: According to your statement you have admitted that there is scarcity of oxen and buffalos there for ploughing and you have not been able to make arrangement of space in the ships. You have also admitted that you have sent tractors there but there is no arrangement for their repair. You have admitted that there are no entrepreneurs there but you are not settingup industries in public Sector. After having admitted all these things, I want to ask the Government whether they consider Andaman Nicobar so worthless that they do not want to do anything in this connection? After reading that statement of the Hon'ble Minister it seemed to me as if it was circulated by the opposition. Hon'ble Minister may please answer as to why they do not like to solve all these problems.

Shri Bhanu Prakash Singh: Sir, if factual position is given then it is taken to be an inferior statement. Factual position has been given in that statement. For the development of Andaman Nicobar Islands Government propose to form a Corporation and after its formation whatever defficiencies are being experienced today efforts will be made to remove them by this Corporation.

श्री स० कुण्डू : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। मंत्री महोदय ने जो कागज परिचालित किया है उसके पृष्ठ 5 पर "छोटा अण्डमान" नामक शीर्षक के परिच्छेद में यह कहा गया है।

"यह निर्णय किया गया है कि छोटे अण्डमान द्वीपों में बस्तियां बनायी जायं।"

हम यह जानना चाहेंगे कि कौन बस्तियां बसाने जा रहा है। यह किसकी बस्ती बनेगी, महाराजा की बस्ती अथवा श्री फ० अ० अहमद की।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपनी बात कह सकते हैं किन्तु वे इस प्रयोजन के लिये व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। यह व्यवस्था का कैसे प्रश्न है।

श्री स० कुण्डू : मैं आपसे कहूंगा कि यह कैसे है। उपनिवेश बनाने का कोई प्रश्न नहीं है। मंत्री महोदय उपनिवेश की कैसे बात कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : इसमें शब्द का साधारण अर्थ लिया जाना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों की पिछले 20 वर्षों में उपेक्षा की गयी है। क्या मैं मालूम कर सकता हूं कि क्या कृषि तथा सम्बद्ध प्रक्रियाओं से होने वाली पैदावार की क्षमता के मूल्यांकन के बारे में एक परिपूर्ण आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है? यदि हां तो निकट भविष्य में सरकार का खासतौर से नारियल की सम्पति का उपयोग करने के लिये जिसे लोगों द्वारा मुख्य भूमि से वस्तु विनिमय की कम कीमतों पर लिया जाता है, क्या कदम उठाने का विचार है?

श्री भानु प्रकाश सिंह : जहां तक भूमि को खेती योग्य बनाने का सम्बन्ध है दल ने 1,26,000 एकड़ भूमि बतायी है। बेतापुर में अब तक 2050 एकड़ भूमि खेती योग बनायी गयी है। चौथी योजना में (द्वीप वार) भूमि को खेती योग्य बनाने का कार्यक्रम इस प्रकार है।

छोटा अण्डमान 4,000 एकड़, कचल 3,000 एकड़, वृहद् निकोबार 1,500 और नील 2,300 एकड़।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है प्रगति निम्न प्रकार से है :—बेतपुर में साफ की गयी जमीन में बागान खेती, नील और कचल द्वीपों में व्यक्तिगत खेती द्वारा की जा रही है। दूसरे में, विभिन्न द्वीपों में, जहां भूमि को खेती योग्य बनाने का कार्यक्रम शुरू किया जायगा, भूमि की क्षमता के अध्ययन के लिये चार भू-सर्वेक्षण दलों की स्वीकृति दी गयी है।

मनिक्षेत्रों के सम्बन्ध में मैंने एक पहले के प्रश्न के उत्तर में पहले ही जिक्र किया है कि खाद्य और कृषि मंत्रालय गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने की क्षमता का पता लगाने के बारे में आवश्यक कदम उठा रहा है। पोर्ट ब्लेयर में मछली पकड़ने के बन्दरगाह के बारे में जांच पूरी की जा चुकी है और इसके अनुरूप योजना तथा खर्च के अनुमान पर विचार किया जा रहा है। 1970-71 में पोर्ट ब्लेयर में एक समुद्र तट से दूर मछली पकड़ने का एक केन्द्र खोला जायगा। कृषि विभाग द्वारा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में मछली पकड़ने के सभी पहलुओं से युक्त एक संशोधित योजना बनायी गयी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने इन द्वीप समूहों में नारियल के बड़े उत्पादन के बारे में कहा है और मुख्य भूमि के लोग एक गीत के बदले में, एक साइकिल के बदले में 30,000 नारियल एक गज कपड़े के बदले में 100 नारियल आदि ले जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्पति का उपयोग किए जाने और विश्व के विभिन्न भागों में बेचने की कोई तत्काल योजना है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जिस समिति ने सिफारिशें की हैं उनमें इन द्वीप समूहों में उपलब्ध होने वाले नारियलों के बारे में भी सिफारिशें शामिल हैं। मैंने पहले ही कहा है कि कुछ कठिनाइयों के कारण इस क्षेत्र के प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए कार्यवाही नहीं की गयी है। अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के बाद के नारियलों तथा वहां की वन-सम्पत्ति का उपयोग करना हमारे लिए सम्भव होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितना अस्पष्ट उत्तर है ।

श्री हेम बरुआ : मंत्रालय द्वारा परिचालित वक्तव्य के आखिरी भाग में यह कहा गया है कि इन द्वीपों में उद्यम कर्त्ताओं की कमी है और जब परिवहन की व्यवस्था की जाती है तब मुख्य भूमि से वहां उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमकर्ता जायेंगे। क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि जो भी उद्योग लगाया जा रहा है और भविष्य में लगाया जायगा वह केवल गैर-सरकारी क्षेत्र में होगा और सरकारी क्षेत्र में कुछ भी नहीं होगा। यदि सरकारी क्षेत्र में कुछ स्थापित किया जा रहा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने तत्काल प्रक्रिया शुरू की है या नहीं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि उद्यम-कर्त्ताओं की कमी के कारण वहां उद्योगों के विकास करने में कठिनाई रही है। हमारी धारणा यह है कि इन द्वीप समूहों के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाय ताकि वे लघु उद्योग शुरू कर सकें जिससे उन्हें रोजगार मिले और उद्योगों का विकास हो। किन्तु जहां तक बड़े उद्योगों का सम्बन्ध है इस पर विचार किया जाना है यदि इनके लिए साधन मिल जाय तो हम विचार करेंगे कि सरकारी क्षेत्र में कौन से उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं ।

श्री सेझियान : बयान में यह जिक्र किया गया है और मेरा विचार है कि भूमि को खेती योग्य बनाने की तथा रबड़, नारियल और सुपारी जेसी के बागान लगाने की काफी गुंजाइश है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने बर्मा और श्री लंका से वापस आने वाले भारतीयों के पुनर्वास तथा उन्हें बसाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों पर विचार किया है इन लोगों को सुपारी तथा नारियल के बारे में अच्छी जानकारी है। साथ मलयेशिया तथा दक्षिण पूर्ण एशियाई देशों से वापस आने वाले भारतीयों को रबड़ के बागान लगाने में अच्छी जानकारी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वापस आने वाले इन भारतीयों को अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में बसाने के लिए सरकार के कोई विशिष्ट कार्यक्रम हैं ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : जी, हां।

श्री रणजीत सिंह : मंत्री महोदय अपने बयान में कहते हैं कि 69 भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को वहां बसाया गया है और इन्होंने 172 एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाया है। यह प्रति परिवार $2\frac{1}{2}$ एकड़ बैठती है। मैं जानना चाहूंगा कि भूतपूर्व सैनिकों के प्रति परिवार तथा दूसरों को जो वहां जाना चाहते हैं और बसना चाहते हैं, कितनी जमीन दी गई है और इस द्वीप समूहों की कृषि और उद्योग की सारी समस्या पर विचार करते हुए क्यों कृषि और औद्योगिक निगम की सहायक अथवा शाखा अब तक नहीं खोली गयी है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : यह प्रश्न पुनर्वास मंत्रालय को भेजा जा सकता है। भूमि की मात्रा के सम्बन्ध में प्रति परिवार के हिसाब से वितरण है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न ।

Import of Components for Indian Railways

+
*485. **Shri Hukam Chand Kachwai:**
Shri Bansh Narain Singh:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the value in terms of rupees of the components imported for the Indian Railways in the financial years 1967-68 and 1968-69;

(b) the names of countries from where these components were imported;

(c) the value in terms of rupees of the components likely to be imported in 1969-70; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to reduce the said import in future?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) The value of components imported for Indian Railways from the foreign countries during the years 1967-68 and 1968-69 was Rs. 25.32 crores and Rs. 16.87 crores. respectively.

(b) These components were imported from U.S.A., Canada, Federal Republic of Germany, U.K., Japan, France, Switzerland, Hungary, Belgium, Poland etc.

(c) The value of components likely to be imported during 1969-70 is about Rs. 25 crores.

(d) Becoming self-sufficient is a continuous process and the drive which was launched some years back to reduce the imported content of the Railway purchases is being vigorously pursued. With a view to achieve better results within the shortest possible period, the purchase procedure has been further streamlined and new incentives have been introduced in appropriate cases to encourage Indian manufacturers to produce within the country the items previously imported. These incentives are guaranteed off-take; liberalised delivery schedule; waiving of liquidated damages clause for late deliveries; grant of price escalation concession on account of Governmental action viz. Customs Duty, Sales Tax and variations in the prices of basic raw material.

Shri Hukam Chand Kachwai: In 1965 it was said in this House that we will have not to import anything from out side after five years and we will now manufacture the things in the country. How far Government has been able to achieve this and the percentage of import of goods from foreign countries?

Deputy Minister in the Ministry of Railway (Shri Rohan Lal Chaturvedi): During the Second Plan Period total expenditure was Rs. 1044 crores of which foreign exchange was Rs. 319 crores and the percentage was Rs. 30.6. In/Plan 1961-66 total expenditure was Rs. 1686 crores, foreign exchage was Rs. 240 crores percentage was Rs. 14.2. In annual plans 1966-1969 total expenditure was Rs. 794 crores, foreign exhange Rs. 107 crores and the percentage was 13.5. In the Fourth Plan 1969-74 total expenditure will be Rs. 15.25 crores of which the foreign exchange expenditure will be Rs. 180 crores the percentage of which is 11.8. It is also necessary to disclose to the Hon'ble Member that, although there was devaluation on the 6th June, 1968 yet our demand for the foreign exchange continued to decrease.

Shri Hukam Chand Kachwai: I had asked direct question that what percentage of our present demand for the Goods is met by import. The Hon'ble Minister has not

referred to it. I want to know whether the Hon'ble Minister would make any declaration regarding the time in years by which we would not be importing any kind of goods for the Railway and would prepare in our own country ?

Secondly, the Railway Minister is in fact the Law Minister. God only knows how much knowledge he has about the Railways. He reads here what ever is given to him in writing by the big Officers of the Railways. He has also to interrupt in this connection.

श्री गोविन्द मेनन : अभी यह पढ़कर बताया गया है कि चौथी योजना की अवधि में आयात का प्रतिशत 11.8 था। आयात को पूरी तरह से समाप्त किये जाने के प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है यह कठिन है क्योंकि विशेष किस्म का इस्पात विद्युत-विश्लेषिक तांम्बा, टीन, जैसे कुछ ऐसे कच्चे माल भारत में उपलब्ध नहीं हैं। कुछ सबसे उन्नत देशों में भी कुछ हद तक कच्चे माल का निर्यात करना पड़ता है।

श्री जी० विश्वनाथन : मंत्री महोदय ने कहा कि 1969-70 में हम लगभग 25 करोड़ रुपये के मूल्य के पुर्जों का आयात करेंगे। जब हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है तो मैं जानना चाहूंगा कि चौथी योजना के अन्त में हमारी क्या स्थिति होगी। क्या हम सभी पुर्जों का उत्पादन करेंगे अथवा हम फिर भी उनका आयात करेंगे।

श्री गोविन्द मेनन : दुर्गापुर में एक्सल और पहियों, भोपाल में कर्षण उपकरणों तथा इस्पात कारखानों में इस्पात की चादरों की कमी के कारण खासकर इस वर्ष जितना आयात करते हैं उससे हमें थोड़ा अधिक आयात करना है। सम्बद्ध मंत्रालयों से इस मामले में कार्यवाही की गयी है परन्तु दुर्भाग्यवश स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ है। 25 करोड़ रुपये के सम्बन्ध में हम इसमें लगातार कमी करने का प्रयत्न करेंगे। बस मैं यही कह सकता हूं।

श्री नन्दकुमार सोमानी : यह बात स्पष्ट है कि जहां तक इस देश के साधनों का सम्बन्ध है भारत सरकार तथा रेलवे बोर्ड सभी पुर्जों को उपलब्ध करने में गम्भीर नहीं हैं। अभी-अभी कहा गया है कि पुर्जों की हमारी कुल आवश्यकता का 11 प्रतिशत भाग अभी भी आयात किया जायगा। इसके बात के बावजूद कि रांची के भारी इन्जीनियरी के कारखानों के समूह तथा अन्य स्थानों की बड़ी क्षमता है यह एक गम्भीर बात है। हम सरकार से यह आश्वासन चाहते हैं कि वे आवश्यक भिन्न धातु का ही केवल आयात करेंगे जो कि इन पुर्जों में लगता है और विदेशों से पूरा निर्मित सामान आयात नहीं करेंगे।

श्री गोविन्द मेनन : हम केवल वही चीजें आयात करते हैं जो नितांत आवश्यक हैं और देश में उपलब्ध नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि रेल पथ के स्वचालित रखरखाव के लिये संगणक (कम्प्यूटर) मशीनों और फ्लासरमेटिक मशीनों जैसे स्वचालित उपकरणों की खरीद पर इसमें से कितना खर्च किया जा रहा है जिसका परिणाम यह होगा कि हजारों रेल कर्मचारी, विस्थापित और बेरोजगार हो जायेंगे। इसमें से कितना रुपया उसके लिये इस्तेमाल किया जा रहा है ?

श्री गोविन्द मेनन : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : महोदय, मेरे प्रश्न में क्या गलती है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्हें पूर्वसूचना दी जाय ।

श्री नम्बियार : इस तथ्य की दृष्टि से कि रेल सम्बन्धी सामग्री के आयात पर विदेशी मुद्रा की बड़ी रकम खर्च की जा रही है क्या मैं मालूम कर सकता हूं कि सरकार इतनी रकम के माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों के निर्यात की व्यवस्था करने में सफल हुई है जो कम से कम आयात के खर्च की रकम के बराबर हो ।

श्री गोविन्द मेनन : हम डिब्बों का निर्यात कर रहे हैं ।

बम्बई सेन्ट्रल तथा अहमदाबाद स्टेशनों पर मुख्य बुकिंग क्लर्क तथा मुख्य आरक्षण निरीक्षण के वेतनमान

*486. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेलवे** मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में बम्बई सेंट्रल तथा अहमदाबाद स्टेशनोंपर मुख्य बुकिंग क्लर्क और मुख्य आरक्षण निरीक्षण के कर्तव्य और दायित्व क्या है ;

(ख) बम्बई सेंट्रल तथा अहमदाबाद स्टेशनों पर मुख्य बुकिंग क्लर्कों को प्रतिदिन कितनी-कितनी राशि संभालनी पड़ती है ;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित कर्मचारियों के अधिकार में औसतन कितने मूल्य के टिकट रहते हैं ;

(घ) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित कर्मचारियों के वेतनमान क्या हैं ; और

(ङ) यदि वेतनमानों में कोई अन्तर है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) वेतनमान नीचे दिये गये हैं ।

मुख्य बुकिंग क्लर्क	250-380 रुपये
मुख्य आरक्षण निरीक्षण	370-475 रुपये

(ङ) ये दो अलग-अलग कोटि के कर्मचारी हैं जो अलग-अलग किस्म की ड्यूटी करते हैं ।
सर्व श्री ओंकार लाल बेरवा और चन्द्रिका प्रसाद द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न 486 के सम्बन्ध में 9-12-69 को लोक सभा में दिये जाने वाले उत्तर से सम्बन्धित बयान ।

पश्चिम रेलवे के बम्बई सेंट्रल और अहमदाबाद स्टेशनों पर कार्य करने वाले मुख्य बुकिंग क्लर्क और मुख्य आरक्षण निरीक्षणों द्वारा की गई ड्यूटियों और उठायी गई जिम्मेवारियों की सूची ।

(क) **मुख्य बुकिंग क्लर्क (250-380 रु०)**

1. अपने अधीन काम करने वाले सहायक कोचिंग क्लर्कों के काम का सामान्य पर्यवेक्षण और यह सुनिश्चित करना कि जनता के साथ उनका व्यवहार सहयोगपूर्ण, नम्र और शिष्ट है।

2. उसका काम सभी कोचिंग क्लर्कों की ड्यूटी की सूची तैयार करना और यह देखना है कि इन ड्यूटियों का पालन ठीक-ठीक किया जाता है।

3. सभी दर्जे के टिकटों, सीजन टिकटों, यात्रा विस्तार टिकट, सभी दर्जे के ब्लैक पेपर टिकट, सभी दर्जे के सैनिक टिकटों आदि का पर्याप्त स्टाक रखना, और उनकी अभिरक्षा।

4. वह अपनी शाखा से सम्बन्धित पत्र-व्यवहार का काम कारगर ढंग से और शीघ्रता से निबटायेगा।

5. वह टिकटों, सीजन टिकटों आदि के लिये मांग-पत्र पेश करेगा।

6. वह कोचिंग विवरणी का इन्दराज भरेगा। वह संतुलन पत्र भी तैयार करेगा और जो नाम खाते समायोजित न किये गये हों, उनका हिसाब-किताब रखेगा।

7. वह सुनिश्चित करेगा कि सभी विवरणियां, विवरण नियम तारीख पर ठीक-ठीक प्रस्तुत कर दी जाती है।

8. वह कोचिंग क्लर्कों के खिलाफ शिकायतों पर शीघ्र ध्यान देगा और टिकटों की फिर से बिक्री किये जाने के सम्बन्ध में टिकट ट्यूबों पर कड़ी निगरानी रखेगा।

9. वह ड्यूटी के घंटों में रोकड़ के सही प्रेषण के लिए जिम्मेदार होगा और अपने कार्यालय में कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और कार्य संचालन में दक्षता सुनिश्चित करेगा।

(ख) **मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक (370-475 रु०)**

1. कर्मचारियों की ड्यूटी का आवंटन।

2. यात्रियों से मिलना।

3. रेलवे अधिकारियों, सरकारी कार्यालयों के विभिन्न उच्च अधिकारियों तथा जनता द्वारा की गयी विशेष पूछताछ का उत्तर देना।

4. विभिन्न गाड़ियों से जाने वाले सवारी डिब्बे की जांच-पड़ताल करना।

5. मंत्रियों के दौरों और यात्राओं और ड्यूटी पर यात्रा करने वाले सरकारी कर्मचारियों की यात्राओं से सम्बन्धित तार तथा पत्रों और हाई स्कूलों के मांग-पत्रों की जांच-पड़ताल करना और उन पर हस्ताक्षर करना।

6. पूछ-ताछ क्लर्क और पत्राचार क्लर्कों के काम का पर्यवेक्षण ।
7. भीड़-भाड़ के समय अतिरिक्त सवारी-डिब्बे नियत करना ।
8. बुकिंग क्लर्कों के काम का पर्यवेक्षण करना ।
9. कर्मचारियों द्वारा ली गयी नैमित्तिक छुट्टी का रिकार्ड रखना ।
10. आरक्षण सम्बन्धी विषय तथा अन्य पत्र-व्यवहार आदि से सम्बन्धित कागजों पर कार्रवाई करना ।
11. पर्यटकों और एजेन्टों के कोटे को कायम रखना ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केरल में कागज लुगदी कारखाना

*487. **श्री मंगलाथुमाडोम :**
श्री नी० श्रीकान्तन नायर :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में कागज उद्योग के विकास के लिये कितनी अतिरिक्त कागज-लुगदी की आवश्यकता होगी;

(ख) क्या केरल सरकार ने केरल में एक कागज-लुगदी कारखाना लगाने के लिये अतिरिक्त सहायता मांगी है ; और

(ग) क्या इस मामले में निर्णय लेने में कोई विलम्ब होने की सम्भावना है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :
(क) ऐसा अनुमान लगाया गया है कि चतुर्थ योजना में देश की मांग पूरी करने के लिये तथा साथ ही निर्यात का लक्ष्य 60,000 मो० टन प्रतिवर्ष के लिये 2,90,000 मी० टन तक प्रतिवर्ष अतिरिक्त कागज-लुगदी की आवश्यकता होगी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लघु उद्योगों के बारे में लोकनाथन समिति का प्रतिवेदन

*488. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष लघु उद्योग बोर्ड द्वारा एर्णाकुलम में हुई बैठक में पारित किये गये

संकल्प के बाद डा० पी० एस० लोकनाथन की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). औद्योगिक नीति संकल्प, जिनका सम्बन्ध लघु क्षेत्र से है, को उचित रूप से कार्यान्वियन करने के लिये मार्गदर्शी रूपरेखा तैयार करने हेतु डा० पी० एस० लोकनाथन की अध्यक्षता में जून, 1969 की सब समिति नियुक्त की गई थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिन पर लघु उद्योग बोर्ड द्वारा आगामी बैठक में विचार किया जाएगा लघु उद्योग बोर्ड से प्राप्त होने पर सरकार समिति की सिफारिशों पर उचित रूप से विचार करेगी । प्रतिवेदन की प्रति सरकार के विचारों के साथ में सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

छोटे पैमाने के उद्योगों को बी० पी० चादरों का कोटा

*489. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को, जो कण्डयट पाइपों का निर्माण कर रहे हैं, बी० पी० चादरों के लिये परमिट दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन एककों को इस मुख्य आवश्यक सामग्री की सप्लाई नियमित रूप से की जाती है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ एककों को वर्ष 1965 से कोई कोटा नहीं मिल रहा है ; और

(ङ) क्या पंजाब के गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक समवायों को कोई कोटा आवंटित नहीं किया गया है और सारा कोटा 31 मार्च, 1970 को खत्म होने वाली छमाही के लिये केवल विभिन्न नियमों को ही आवंटित कर दिया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). बी० पी० शीटों की सामान्य रूप से कमी रही है । उपलब्ध सम्भरण संयुक्त प्लांट समिति द्वारा बड़े पैमाने तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को आवंटित किया जाता है । सम्पूर्ण देशी उत्पादन का नियतन राज्य के उद्योग निदेशक अपने कार्य क्षेत्र के कण्डूट पाइप बनाने वाले एककों सहित लघु उद्योग एककों में करते हैं । चालू वर्ष (1969-70) की आयात लाइसेंस नीति के संदर्भ में वास्तविक उपभोक्ताओं को भी बी० पी० शीट्स के आयात करने की अनुमति दी जाती है ।

(ङ) चालू वर्ष (अप्रैल 1969 से मार्च, 1970) में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये निर्धारित कोटे की सूचना (पंजाब सहित) सभी राज्य उद्योग निदेशकों को दे दी गई है जिनसे अपनी समेकित फर्माइस संयुक्त प्लांट समिति को देने को कहा गया है।

कोका कोला का मूल्य

*490. **श्री राम सिंह अयरवाल:**

श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन वर्षों में कोका कोला के मूल्य में कई बार वृद्धि की गई ;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्ष पूर्व इसका फुटकर मूल्य क्या था और इस समय इसका मूल्य क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस पेय के मूल्य में वृद्धि का कारण चीनी के मूल्य में वृद्धि का होना था ; और

(घ) यदि हां, तो इस पेय के मूल्य में अब कमी न किये जाने के क्या कारण हैं, जबकि चीनी का मूल्य कम हो गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सन् 1965, 1966 में कोका कोला का मूल्य 25 पैसे प्रति बोतल से बढ़ा कर 30 पैसे तथा 1967 में इसे 40 पैसे प्रति बोतल कर दिया गया था।

(ग) कोका कोला के मूल्य में वृद्धि के कारणों में एक कारण चीनी की कीमत में वृद्धि होता था ; तथा

(घ) कोका कोला बोटलर्स का कहना है कि जबकि चीनी के मूल्य में कमी हुई है फिर भी अन्य प्रमुख मदों तथा अन्य सामानों के मूल्यों में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप वे कोका कोला के मूल्य में कमी नहीं कर सके हैं। कोका कोला पर मूल्य नियंत्रण नहीं है।

संजय गांधी द्वारा छोटी कारों का निर्माण

*491. **श्री पीलु मोडी :** **श्री रा० की० अमीन :**

श्री महेन्द्र माझी : **श्री कृ० मा० कौशिक :**

श्री मीठा लाल मीना :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री संजय गांधी बड़े पैमाने पर छोटी कारों का निर्माण करने

का विचार कर रहे हैं तथा प्रदर्शन हेतु एक नमूना भी अभी हाल ही में तैयार किया गया था और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ख) श्री संजय गांधी ने अभी तक कितनी कारों का निर्माण किया है तथा क्या सरकार छोटी कारों के निर्माण के बारे में उनके आगामी कार्यक्रम का पता है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). श्री संजीव गांधी ने छोटे कार निर्माण की एक योजना प्रस्तुत की है तथा हाल में ही कार के आद्यरूप का प्रदर्शन भी किया है। प्रदर्शित आद्यरूप 24 अश्व शक्ति का है इसके अगले भाग में दो सिलिण्डरों वाला वात शीतत इन्जन लगा है इसमें दो दरवाजे हैं तथा पांच व्यक्तियों के बिठाने की क्षमता है ।

श्री संजय ने अभी तक केवल एक ही आद्यरूप तैयार किया है। इस आद्यरूप पर किये गये परीक्षणों के परिणामस्वरूप वह उत्पादन नमूनों को अन्तिम रूप देने से पूर्व वह इसके इन्जनों के ढांचे में उचित संशोधन करने का विचार कर रहे हैं। योजनाओं में 50,000 कारें प्रति वर्ष उत्पादन का प्रस्ताव है तथा योजना के स्वीकार कर लिये जाने के तीसरे वर्ष से ही उत्पादन आरम्भ कर देने की स्वीकृति है बाद में अगले चार वर्षों में पूर्ण क्षमता प्राप्त कर लेने की योजना है। योजना में न तो पूंजीगत वस्तुओं या पूंजी के आयात की आवश्यकता है और न ही कच्चे माल के आयात की। उक्त आधार पर छोटीकार बनाने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के लिये श्री गांधी का एक आवेदन प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

सीमेंट का फालतू उत्पादन

*492. **श्री लोबो प्रभु : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष के पहले छः महीनों में सीमेंट का कितना फालतू उत्पादन हुआ है ;

(ख) मैसूर, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के नये कारखानों से सीमेंट के फालतू उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ;

(ग) अनुमानतः कितना निर्यात किया जायेगा और कुल कितनी राजसहायता दी जायेगी ;

(घ) यदि फिर भी सीमेंट फालतू रहता है, तो क्या सरकार के पास नये निर्माण करने की कोई योजना है ; और

(ङ) यदि हां, तो मांग के किस पूर्वानुमान के आधार पर ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) 1969 के प्रथम छः महीनों में सीमेंट का फालतू उत्पादन नहीं हुआ था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 1.5 लाख मी० टन जिसमें 58 लाख रु० का उत्पादन किया जायेगा ।

(घ) और (ङ). सीमेंट की बढ़ती हुई वर्तमान मांग को पूरा करने के लिये सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० 2 लाख मी०टन वार्षिक क्षमता वाले सीमेंट के तीन कारखानों मेंढर (मध्य प्रदेश) कुरकुंता (मैसूर तथा बोकाजन (आसाम) में स्थापित कर रहा है। सीमेंट की मांग लगभग 10 प्रतिशत वार्षिक बढ़ जाने की आशा है।

ट्रैक्टरों की पुनर्बिक्री के बारे में प्रतिबंध

*493. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने, जैसा कि उन्होंने पिछले सत्र में प्रस्ताव रखा था यह निर्णय किया है कि ट्रैक्टर खरीदने के पश्चात् तीन वर्ष के भीतर उसे किसी दूसरे को नहीं बेचा जा सकता है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : ट्रैक्टरों को वितरण तथा बिक्री को नियमित करने की दृष्टि से नियंत्रण आदेश लगाने के मामले पर, जिसमें अन्य मामलों के साथ-साथ ट्रैक्टर खरीदने की तारीख में दो वर्षों की अवधि समाप्त होने के पहले ट्रैक्टरों की पुनः बिक्री पर रोक लगाने की व्यवस्था होगी, सम्बद्ध मंत्रालयों के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप से निर्णय किया जाना है।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विनियोजन में कमी

*494. **डा० प० मंडल** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विनियोजन कम होता जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ख) क्या यह सच है कि मजदूर नेताओं की नई नीति मजूरी बढ़वाने के लिये एक-एक करके उद्योगों में काम बन्द करने की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Ban on holding of Parade by Rashtriya Swayam Sewak Sangh on Government Land

*495. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a ban has been imposed on the holding of parade etc. by the Rashtriya Swayam Sewak Sangh on the Government land in Government Colonies ;

(b) if so, whether it is also a fact that the Rashtriya Swayam Sewak Sangh is continuing to hold parade in the Heavy Engineering Corporation, Hatia even after the Communal riots there ;

(c) if so, the reasons for allowing them to do so ; and

(d) the action proposed to be taken by Government in future in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) No such ban has been imposed.

(b) to (d). Do not arise.

मोदी पान लिमिटेड

*496. **श्री मधु लिमये :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "मोदीपान" के कार्य संचालन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है, जिसमें निदेशकों ने मूल्यों के "बहुत तेजी से गिरने" पर चिन्ता व्यक्त की है और फिर भी 7.61 करोड़ रुपये की बिक्री, 2.05 करोड़ रुपये का कुल लाभ, बिक्री पर 27 प्रतिशत का लाभ और अंश पूंजी पर 102 प्रतिशत का लाभ दिखाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस कम्पनी को वार्षिक क्षमता 1800 मीटर टन से बढ़ा कर 22000 मीटर टन करने की अनुमति दे दी थी ;

(ग) क्या इस कम्पनी ने कांग्रेस दल को 25000 रुपये का चन्दा तथा प्रतिभूत रहित ऋण के रूप में उतनी ही राशि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दी थी ;

(घ) क्या इस कम्पनी तथा अन्य कम्पनियों ने फरवरी, 1969 के बाद नाइलोन के धागे के मूल्य बढ़ा दिये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो फरवरी, 1969 के बाद नाइलोन के धागे के मूल्य बढ़ाने के कारण इस कम्पनी तथा अन्य कम्पनियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां। लेकिन मूल्य निर्धारक निकामों जैसे प्रशुल्क आयोग तथा सरकार की सामान्य पद्धति लाभ बताना है। विनियोजित पूंजी तथा वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लिखित आधार पर लगाई गई पूंजी पर 14 प्रतिशत लाभ निकलता है।

(ख) इस विस्तार के लिये 7 फरवरी, 1969 को एक आशय पत्र जारी किया गया था।

(ग) कम्पनी के 1968-69 के वार्षिक खातों में ऐसा बताया गया है।

(घ) और (ङ). अप्रैल 1968 में नाइलोन की कीमतें जो 15 दीनार के लिये 100 रु०/20 दीनार नोनोफिलोमेंट के लिये 94 रु० के औसत पर थी, फरवरी 1969 में वे घट कर क्रमशः 76 रुपये तथा 70 रुपये हो गई। तथा जब से सितम्बर, 1969 में क्रमशः 81 रुपये व 75 रुपये तक बढ़ गई। इस वृद्धि के बारे में सरकार चिन्तित है तथा उसने मनुष्य निर्मित रेशम उद्योग के संघ के प्रतिनिधियों से जो उपयोग कर्ता भी हैं, बुनकरों से तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों से इस पर विचार-विमर्श किया है। अब तक निम्नलिखित कार्रवाई की जा चुकी है :—

(1) प्रशुल्क आयोग से, जिसे जुलाई, 1968 में मानव-निर्मित रेशों तथा धागे के उचित मूल्य पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध किया गया था, अपने प्रतिवेदन को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध किया गया है।

(2) एम० टी० सी० को नाइलोन धागे की कमी को कम करने के लिये इस वर्ष 750-1000 मी० टन नाइलोन धागा आयात करने की आज्ञा दी गई है। कलात्मक रेशम के रेशों के निर्यात की मांग को पूरा करने के लिये नाइलोन धागे के अग्रेतर आयात की आज्ञा देने के लिये आवर्ती निधि की बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(3) मामले में सलाह देने के लिये पेट्रोलियम तथा रसायन एवं खान और धातु मंत्रालयों द्वारा बुलाई गई बैठकों के परिपक्ष में, वस्त्र आयुक्त ने कताई करने वालों तथा बुनकारों से अग्रेतर विचार विनिमय किया था जिससे कि समुचित स्तर पर मूल्य बनाये रखने के संतोषजनक प्रबन्ध किये जा सकें तथा भ्रष्टाचार को हटा कर उपभोक्ताओं को एक रूप और समान वितरण का सुनिश्चय किया जा सके।

(4) (3) तथा (1) के संदर्भ में अग्रेतर कार्यवाही विचारित है। इसकी सूचना देना अभी जनहित में उचित नहीं होगा।

(5) नाइलोन के उत्पादन के लिये अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने तथा नाइलोन बुनकरों की सहकारिताओं को तथा राजकीय औद्योगिक निगमों को वरीयता देने का प्रस्ताव भी किया गया है। पिछड़े क्षेत्रों में अन्य पावर करघों को लगाने के लिये ऐसे क्षेत्र का चुनाव करने हेतु जहां इस प्रकार की क्षमता का निर्माण होना चाहिये अग्रेतर का पता लगाने के लिये विश्लेषण किया जा रहा है।

Ban on Recruitment to Class III and IV Posts

*497. **Shri Nathu Ram Ahirwar**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the categories of employees in which recruitment has been banned as per orders issued by Government in this behalf ;

(b) whether it is a fact that these orders are being applied only in the cases of Class III and Class IV employees and not in respect of the appointment to Class I and Class II officers ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Clerks, Stenographers, Record Sorters, Daftries, Peons and Farashes in offices.

(b) Yes, Sir.

(c) The ban on recruitment of non-gazetted staff has been imposed with a view to effect economy in administrative expenditure and to absorb surplus staff. In the case of Gazetted staff, only the barest minimum number of officers are being recruited for maintenance of the permanent cadres and no surpluses are anticipated.

Memorandum by Employees of Western Railway (Western Zone)

*498. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the employees of Western Railway (Western Zone) have sent any memorandum during the current year detailing their difficulties to the General Manager ;

(b) if so, whether he has collected any information in respect of the difficulties mentioned in this memorandum ; and

(c) the time by which the necessary decision will be taken to remove the said difficulties ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Tariff Commission Reports on Cost of manufacture of Motor Cars

*499. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two Tariff Commissions, one in 1957 and the other in 1966, were appointed to consider all aspects of the cost of manufacture of motor cars ;

(b) whether it is also a fact that both these Commissions have submitted their reports to Government ;

(c) if so, whether a copy of the said reports would be laid on the Table of the House ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The Tariff Commission was asked to enquire into and recommend the fair ex-works and selling prices of automobiles once in August, 1955 and again in May, 1966.

(b) Yes, Sir.

(c) The Report of the Tariff Commission submitted in October, 1956, was laid on the Table of the House on the 19th March, 1957 and the one submitted in August, 1968, was laid on the Table of the House on the 19th November, 1969.

(d) Does not arise.

इस्पात की निर्माण—लागत

*500. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में इस्पात की वस्तुओं की निर्माण लागत अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो अमरीका, रूस तथा जापान की तुलना में हमारे देश में प्रति 100 मीटरी टन इस्पात की निर्माण लागत कितनी कम या अधिक है ; और

(ग) 'हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' द्वारा इस्पात की निर्माण लागत घटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2303/69]**

निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण

*501. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने देश में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या इन नामावलियों में वे व्यक्ति भी शामिल किये जायेंगे, जो 1972 में होने वाले साधारण निर्वाचन की अर्हता की तारीख को वयस्क हो जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस समय किये जा रहे पुनरीक्षण के अधीन, ऐसे सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी, 1970 को 21 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे 1970 को पुनरीक्षित निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किये जाएंगे। चूंकि 1972 के देशव्यापी साधारण निर्वाचन फरवरी-मार्च 1972 में किये जाएंगे इसलिए जो व्यक्ति, 1 जनवरी, 1971 को, निर्वाचकों के रूप में रजिष्ट्रीकरण के लिये पात्र हो जाएंगे वे 1972 के साधारण निर्वाचन की निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किये जाएंगे। इस कार्य को सुगम बनाने के लिये उन पात्र व्यक्तियों के नामों का भी संग्रह जो 1 जनवरी, 1971 को या उससे पूर्व 21 वर्षों से कम आयु के नहीं होंगे, इस समय हो रहे पुनरीक्षण के लिये नियुक्त संगणकों द्वारा, पृथक सूची में किया जा रहा है। विद्यमान विधि के अधीन उन व्यक्तियों के नाम जो 1 जनवरी, 1972 को निर्वाचकों के रूप में पात्र हो जाएंगे, ऐसी निर्वाचन नामावलियों में सम्मिलित करना सम्भव नहीं होगा जिसका प्रयोग 1972 के साधारण निर्वाचन के लिए किया जायेगा।

गैर-सरकारी क्षेत्र में केबलों का निर्माण

*502. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन इलैक्ट्रिक्ल्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएसन, बम्बई ने यह घोषणा की है कि यदि गैर-सरकारी क्षेत्र को अपनी बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग करने की अनुमति दी जाये, तो देश में टेलीफोन केबलों की कोई कमी नहीं रहेगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चौथी पंच वर्षीय योजना में केबलों की कमी को पूरा करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों के विस्तार के लिये अनुमति देने सम्बन्धी प्रस्ताव के त्याग दिये जाने की सम्भावना है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या निर्णय करने से पूर्व गैर-सरकारी क्षेत्र केबल निर्माताओं के विचारों का पता लगाया गया था :

(ङ) सरकारी नीति में परिवर्तन के फलस्वरूप गैर-सरकारी क्षेत्र के केबल निर्माताओं को कितनी हानि होगी : और

(च) केबलों की कमी को किस प्रकार पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इण्डियन इलेक्ट्रिकल मैन्यूफैक्चरिंग एसोसियेशन, बम्बई ने निजी क्षेत्र में उत्पादन क्षमता के अनुपयुक्त पड़े रहने के कारण तथा दूर संचार केबलों के सम्मानित आयात के संदर्भ में निजी क्षेत्र के उद्योगों को इन केबलों के उत्पादन की अनुमति दिये जाने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए लिखा है।

(ख) और (ग). निजी क्षेत्र के केबल एककों को दूर संचार केबल के उत्पादन के लिए इजाजत देने के प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

(च) पूर्णतम देशीय उत्पादन के बाद यदि कोई कमी हुई तो इसे उपलब्ध विदेशी मुद्रा के अनुरूप आयात से पूरा किया जाएगा।

Hind Sweeper Sewak Samaj

*503. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the annual grant given to the Hind Sweeper Sewak Samaj ;

(b) whether it is a fact that this grant is utilised for securing employment for the unemployed sweepers and for helping the widows and poor people ; and

(c) the date on which the aforesaid Samaj has been established, the main objects for which it had been established as also the names of its founders ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) The annual grants released during the years 1966-67, 1967-68, 1968-69 are Rs. 27,392/–, Rs. 52,412/–, and Rs. 82,521/–, respectively. The amount released so far during 1969-70 is Rs. 60,453/–.

(b) The grant is made for running 10 Social Welfare and Educational Centres, running of Basket Making Centres, Safai Pradarshan, and appointment of Social Workers for welfare work among sweepers and scavengers in 10 districts and other administrative expenses of the Samaj.

(c) The Samaj was founded by the Late Pt. Govind Ballabh Pant and is registered under Societies Registration Act of 1860. Its main objects are economic, educational and social development of the Sweepers and Scavengers to make them self-sufficient and self-supporting, and enable them to contribute their share in nation building work.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और इस्पात कारखानों के प्रबन्धकों के बीच मतभेद

*504. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और इस्पात कारखानों के प्रबन्धकों के बीच इस्पात के कारखानों के कार्यकरण के बारे में बार-बार मतभेद होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कारखानों के महाप्रबन्धक अधिक स्वायत्तता के लिये जोर दे रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सहयोग की इस कमी के कारण उत्पादन आदि का बहुत नुकसान हो रहा है ;

(घ) यदि हां, तो इस मतभेद और उसके परिणामस्वरूप होने वाली हानि को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) समय-समय पर पैदा होने वाले मतभेद संचालक-मंडल की बैठकों में दूर कर लिये जाते हैं। कारखानों के महा प्रबन्धक भी संचालक मंडल के सदस्य हैं।

(ख) और (ग). जी नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एक दूसरे के उत्पादों को खरीदने के बारे में समझौता

*505. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अधीन काम कर रहे उपक्रमों ने पारस्परिक रूप से यह निश्चय किया है कि वे अपनी आवश्यकता की वस्तुएं एक दूसरे से खरीदेंगे चाहे उनका स्तर और मूल्य कुछ भी हो ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से एक ओर अध्यक्षता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तथा दूसरी ओर यह गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों के प्रति घोर भेदभाव नहीं होगा; और

(ग) क्या सरकार उपरोक्त निर्णय के कानूनी पहलू पर भारत के महान्यायवादी की राय लेगी और उसे सभा-पटल पर रखेगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

लखनऊ तथा गोरखपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच दोहरी रेलवे लाइन

*506. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़े हुये यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पूर्वोत्तर रेलवे में लखनऊ और गोरखपुर के बीच रेलवे लाइन को दोहरी करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). जी नहीं । परन्तु बाराबंकी और गोंडा के बीच अलग बड़ी लाइन बनाने के प्रस्ताव को तथा गोंडा गोरखपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के काम को आमान-परिवर्तन की संभावित योजना में शामिल किया गया है । इस प्रस्ताव के लिये इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और रेलवे बोर्ड सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच कर रहा है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में रेलवे के लिये विदेशी मुद्रा

*507. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में रेलवे के विस्तार कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दे दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) कार्यक्रमों की अनुमानित लागत क्या है तथा उसमें विदेशी मुद्रा का कितना अंश होगा ; और

(घ) कार्यक्रमों के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे-मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां,

(ख) और (ग). **रेलवे की चौथी योजना की मुख्य बातें और विदेशी मुद्रा का अंश:**

रेलों की चौथी पंचवर्षीय योजना में अनुमान लगाया गया है कि 1973-74 में कुल 26.5 करोड़ प्रारम्भिक मीटरिक टन माल यातायात होगा और अनुपनगरीय यात्री यातायात के लिए 5 वर्षों की अवधि में वाहन किलोमीटर में 23.06 प्रतिशत वृद्धि होगी । इसके लिये योजना में कुल 1700 करोड़ रु० के परिव्यय का अनुमान लगाया गया था । साधनों की कठिन स्थिति को देखते हुए योजना आयोग के साथ विचार विमर्श करके परिव्यय घटा कर 1525 करोड़ रु० कर दिया गया । इस राशि से रेलें केवल 25.5 करोड़ मीटरिक टन माल यातायात और अनुपनगरीय यात्री यातायात के लिये वाहन किलोमीटर में 19.8 प्रतिशत वृद्धि कर सकेंगी । इतने माल यातायात और वाहन किलोमीटर में वृद्धि तथा वस्तुतः प्रत्याशित यातायात के बीच के अन्तर को जहां तक आवश्यक होगा गतायु चल स्टाक को काम में लगाये रख कर पूरा करने का विचार है । यह विचार भी किया गया है कि स्थिति की लगातार समीक्षा की जाये ताकि यदि आवश्यक हो तो आगे समायोजन किये जा सकें ।

विदेशी मुद्रा का अंश 180 करोड़ रु० (लगभग 11.8 प्रतिशत) होने का अनुमान है।

उपर्युक्त 1525 करोड़ रु० के आवंटन के अलावा योजना आयोग ने रेलों को महानगर परविहन योजनाओं के लिये अलग से 50 करोड़ रुपया दिये हैं।

(घ) विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये पूरे किये गए उपाय:

पहले दो वर्षों (अर्थात 1969-70 और 1970-71) में विदेशी मुद्रा व्यय के बड़े भाग को पूरा करने के लिये विश्व बैंक सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 5.5 करोड़ अमरीकी डालर (41.25 करोड़ रु०) का ऋण लिया गया है और लगभग 22 करोड़ रु० की राशि द्विपक्षीय ऋण से पूरा करने की व्यवस्था पहले से की गई है और की जा रही है। शेष तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा व्यय पूरा करने के लिये, उपयुक्त अवसर पर उपाय किये जाएंगे।

Permission for Expansion of Birla Industries

*508. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the dates when licences were issued and permission for expansion of work granted to the Birla Industries viz., Hyderabad Asbestos Cement Products, Orient Paper Mills, Rayon Grade Pulp (M/s. Kesho Ram Industries), Century Chemicals and Hindustan Aluminium Co. ;

(b) the details of the production in the said industries during the last three years, year-wise ; and

(c) the capital invested in each of the said industries ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Details of licences issued under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, to the firms, in the Birla Group of concerns, mentioned in the Question, for effecting Substantial Expansion to their industrial undertakings is given below :

1. M/s. Hyderabad Asbestos Cement Products

They were granted a licence for carrying on the business of their Sanatnagar (Hyderabad) unit on 25–11–1968, for the manufacture of Asbestos Sheets/Moulded Goods, Pipes and Fittings. Subsequently two licences were granted, one on the 12th October, 1959 and another on the 12th February, 1964, for effecting substantial expansion to the capacity.

They were also granted a licence on 2–5–1964 for the setting up of a new industrial undertaking in Haryana (Ballabhgarh) for the manufacture of Asbestos Sheets and Pressure Pipes. Two licences were subsequently issued for the expansion of this unit on the 14–9–1965 and 9–12–1965.

2. M/s. Orient Paper Mills

A licence was issued on the 12–6–1956 for the establishment of a New Industrial Undertaking at Sahabad, (M.P.) for the manufacture of Paper and Boards and subsequently another licence on 15–7–1960 for expansion of Paper and Board capacity.

This unit was also granted a licence for the manufacture of Caustic Soda and Chlorine as New Articles on the 16–11–1956 and a licence for expansion of capacity on 2–2–1961.

For their Brajraj Nagar (Orissa) unit a licence was issued on 24-2-1964 for expansion of Paper/Board and Pulp capacity; a licence on 19-6-1954 for expansion of Caustic Soda and Chlorine capacity and another licence on 1-7-1954 for expansion of Plastic/Resin Coated Paper and Board capacity.

3. M/s. Kesho Ram Industries (Rayon Grade Pulp)

No licence has been issued to this unit for Rayon Grade Pulp.

4. M/s. Century Chemicals

No licence has been issued to this company. However, two letters of intent were issued one on 22-2-1967 and the other on 25-3-1967, but both these have since been cancelled.

5. M/s. Hindustan Aluminium Co.

A licence was issued on 26-9-1959 for the establishment of a New Industrial Undertaking at Renukut (U. P.) for Aluminium Ingots and a licence for manufacture of Aluminium Conductor Re-Draw Rods and Rolled Products, as new articles on the 19-7-1960. Subsequently, three licences were issued on 1-1-1963, 26-12-1963 and 6-12-1966 for expansion of capacity of this unit.

(b) and (c). The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

Manfacture of High-powered Motors by Bharat Heavy Electricals Ltd.

*509. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state whether it is a fact that it has been decided to manufacture high-powered motors in the Bharat Heavy Electricals Ltd. and, if so, details thereof?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : The Heavy Electrical Equipment Plant, Hardwar, a unit of Bharat Heavy Electricals Ltd. has been designed to undertake manufacture of medium and large sized electrical machines of the following ranges :

Medium size electrical machines		Total capacity 0·515 million Kw per year.
AC Motors	100 Kw to 700 Kw	
DC Motors	20 Kw to 225 Kw	
Large size electrical machines		
AC Motors	700 Kw to 10,000 Kw	
DC Motors	225 Kw to 8,000 Kw	

संघ राज्य क्षेत्रों में मद्यनिषेध

*510. **श्री श्रद्धाकार सूपकार :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी शताब्दी समारोहों के अवसर पर सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों में मद्य-निषेध के क्षेत्र का विस्तार करने के लिये कोई उपाय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रेल की पटरियों की आवश्यकता

3201. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में आगामी पांच वर्षों में रेल पटरियों की संभावित आवश्यकताओं के बारे में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ख) इस समय रेल पटरियों के निर्यात के लिये कितने क्रयादेश आये हुये हैं और आगामी पांच वर्षों में इसकी स्थिति क्या होने वाली हैं ; और

(ग) भिलाई कारखाने की रेल पटरी बनाने वाले मिल को वास्तविक क्षमता कितनी है और उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तरों को देखते हुये आगामी पांच वर्षों में इसका कहां तक उपयोग किये जाने की संभावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) कर्णधार समिति के अनुसार 1973-74 में रेल की पटरियों की देशीय मांग 270,000 टन होने की अनुमान है। वर्तमान संकेतों के अनुसार मांग 150,000 टन से 200,000 टन तक होने की आशा है।

(ख) 1 अक्तूबर, 1969 को हिन्दुस्तान स्टील लि० के पास निर्यात के लिये 91,500 टन के क्रयादेश थे। चालू वर्ष में रेल की पटरियों के दूसरे उत्पादक, टिस्को ने 25,000 टन रेल की पटरियां निर्यात करने का वायदा किया है। कर्णधार समिति का अनुमान है कि वर्तमान 162,000 टन की निर्यात की तुलना में 1973-74 में प्रतिवर्ष 200,000 टन रेल की पटरियों का निर्यात करना संभव हो सकेगा।

(ग) भिलाई के रेल मिल की निर्धारित क्षमता 50,000 टन है। चूंकि वास्तविक प्रयोग में कारखाने को निर्यात क्रयादेशों के लिये विभिन्न आकार एवं रूप रेखा की रेल की पटरियां बनानी पड़ती हैं, अतः वास्तविक क्षमता कम है। रेल मिल की उस क्षमता का, जिसकी रेल की पटरियां बनाने के लिये आवश्यकता नहीं होगी, बिलेट के उत्पादन जैसे अन्य कार्यों के लिये प्रयोग करने पर विचार किया जायेगा।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा इस्पात पिण्डों का निर्यात

3202. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड इस्पात पिण्डों का निर्यात कर रहा है और यदि हां, तो 1969-70 में अब तक ऐसे इस्पात पिण्डों का कुल कितना निर्यात किया गया और कितने निर्यात के लिये करार किये हुये हैं;

(ख) क्या देश में इस्पात की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इस्पात पिण्डों को देश में ही तैयार किया जाएं ; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में इस्पात पिण्डों का निर्यात रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० ने सितम्बर, 1969 में 50,000 टन इस्पात पिण्ड निर्यात करने का एक समझौता किया था। अभी तक पिण्डों का कोई निर्यात नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील लि० को 50,000 टन इस्पात पिण्ड निर्यात करने की आज्ञा दी है, क्योंकि वह उनकी अपनी आवश्यकता से फालतू था और उस रूप में अन्य उत्पादकों की भी आवश्यकता से फालतू था।

पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि में इस्पात कारखाने की स्थापना

3203. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना में इस्पात कारखाने स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कारखाने सरकारी क्षेत्र में होंगे या गैर-सरकारी क्षेत्र में; और

(ग) ये कारखाने किस-किस राज्य में स्थापित किये जाएंगे ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार के 1948 और 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्तावों के अनुसार देश में इस्पात उद्योग का विस्तार अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र में ही किया जाना है।

(ग) जहां तक स्थानों का सम्बन्ध है अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

Cottage Industries in Kumaun Division (Uttar Pradesh)

3204. **Shri J. B. S. Bist :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the replies given to Unstarred Question No. 9 on the 18th February, 1969 and to Unstarred Question No. 4909 on the 26th August, 1969 and state :

(a) whether the information regarding the inadequacy of cottage industries in Kumaun Division (Uttar Pradesh) has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) . A note furnishing necessary information is attached. **[Placed in the Library. See No. LT-2304/69]**

(c) Do not arise.

बीकानेर तथा जयपुर के बीच शयन-यान

3205. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बीकानेर के सभी वर्गों के लोगों की यह मांग है कि बीकानेर तथा जयपुर के बीच शयन-यान चलाये जायें और इस सम्बन्ध में कई अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या उपरोक्त मार्गों पर शीघ्र शयन-यान चलाये जाने की कोई संभावना है ?

विधि तथा समाज-कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) जी हां। कुछ मांगें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग). बीकानेर और जयपुर के बीच 95 अप मारवाड़ डाकगाड़ी/208 डाउन आगरा एक्सप्रेस और 207 अप आगरा एक्सप्रेस गाड़ी/96 डाउन मारवाड़ डाक गाड़ियों के साथ पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे का एक सीधा मिला-जुला सवारी डिब्बा चलता है। इस किस्म के सवारी डिब्बे का अभिकल्प ऐसा नहीं है कि उसके तीसरे दर्जे के कक्ष में सोने के स्थान की व्यवस्था की जा सके।

तीन दर्जों वाले इस मिले-जुले सवारी डिब्बे की जगह तीसरे दर्जे का एक पूरा सवारी डिब्बा लगाना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि ऐसा करने से वर्तमान सीधे सवारी डिब्बे की सुविधा का उपयोग करने वाले पहले और दूसरे दर्जे के यात्रियों को असुविधा होगी। बीकानेर और जयपुर के बीच वर्तमान पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बे के अलावा तीसरे दर्जे के एक शयन-यान की व्यवस्था करना भी व्यावहारिक नहीं है क्योंकि फुलेरा और जयपुर के बीच 208 डाउन/207 अप आगरा एक्सप्रेस गाड़ियों में उनकी क्षमता के अनुसार अधिकतम डिब्बे चल रहे हैं। फिर भी, जयपुर के रास्ते बीकानेर और आगरा, फोर्ट के बीच 208 डाउन/207 अप आगरा एक्सप्रेस गाड़ियों में उस समय एक शयन-यान लगाने का प्रस्ताव है, जब शयन-यान उपलब्ध होने लगेंगे।

बीकानेर नगर में रेल फाटकों पर 'यू' आकार के पुल

3206. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बीकानेर के लोगों को होने वाली अत्यधिक कठिनाई को देखते हुये उनके मंत्रालय ने यह सिफारिश की थी कि बीकानेर नगर के के० ई० एम० रोड के रेल के फाटक पर 'यू' आकार के पुल बनाया जाये, किन्तु उस क्षेत्र की जनता मुख्य रूप से व्यापारियों ने इस योजना को पसन्द नहीं किया है; और

(ख) क्या सरकार के लिये इन फाटकों के समीप रेलवे लाइन को भूमि के नीचे करना संभव होगा, जिसका उस क्षेत्र की जनता और व्यापारियों ने स्वागत किया है ?

विधि तथा समाज-कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) संभवत: प्रश्न में समपार पर रेलवे लाइन की सतह नीची करने का उल्लेख किया गया है ताकि सड़क की वर्तमान सतह पर ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था की जा सके । अत्यधिक लागत के सिवाय ऐसा करना संभव नहीं है ।

विशेष रेलगाड़ियों का देरी से चलना

3207. **श्री सुब्रावेलू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केले ढोने वाली विशेष रेलगाड़ियां प्राय: देरी से दिल्ली पहुंचती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलगाड़ियों के विलम्ब से पहुंचने के कारण व्यापारियों को सैकड़ों रुपयों की हानि होती है;

(ग) क्या रेलवे को व्यापारियों की ओर से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और सरकार ने उस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज-कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) और (ख). 1 सितम्बर से 10 नवम्बर, 1969 की अवधि में नई दिल्ली स्टेशन पर आये केले से लदे 4930 माल डिब्बों में से लगभग 97 प्रतिशत माल डिब्बे निर्धारित समय पर पहुंचे । पिछले वर्ष जितने माल डिब्बों में केलों का लदान हुआ था उसकी तुलना में सितम्बर में 29 प्रतिशत, अक्तूबर में 56 प्रतिशत और नवम्बर, 69 (11-11-69 तक) में 81 प्रतिशत अधिक माल डिब्बों में केलों का लदान हुआ । लेकिन रास्ते के, भीड़-भाड़ पूर्ण इकहरी लाइन खण्ड पर गाड़ियों के क्रासिंग विस्थापित हो जाने और डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों को अग्रता दिये जाने और संचार व्यवस्था के भंग हो जाने के कारण कुछ अवसरों पर केलों से लदे माल डिब्बों को ले जाने वाली कोचिंग स्पेशल/पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियों के चालन पर असर पड़ा ।

(ग) कुछ शिकायत मिली हैं, लेकिन कुल मिलाकर व्यापारीगण रेल प्रशासनों द्वारा इस दिशा में की गई बेहतर व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं ।

(घ) केलों से लदे माल डिब्बों को ले जाने वाली ये कोचिंग स्पेशल/पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियां ठीक समय पर चला करें, यह सुनिश्चित करने के लिये सभी स्तरों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ।

दिल्ली से मद्रास तक तमिलनाडु एक्सप्रेस रेलगाड़ी

3208. **श्री सुब्रावेलू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली से मद्रास तक तमिलनाडु एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की कोई योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विधि तथा समाज-कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

रेलगाड़ियों में भीड़

3209. **श्री न० रा० देवघरे : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में भीड़ कम करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि तथा समाज-कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) और (ख). रेल प्रशासन विभिन्न खण्डों पर विभिन्न गाड़ियों में भीड़-भाड़ की मात्रा पर निगाह रख सके इसके लिये अक्तूबर से दिसम्बर तक की अवधि में रेलों पर सवारी ले जाने वाली सभी गाड़ियों में जगह के उपयोग की संगणना की जाती है।

हर छमाही समय सारणी लागू करने से पहले एक अन्तर्रेलवे बैठक की जाती है जिसमें संगणना के परिणामों, जनता की मांगों, यातायात में वृद्धि के आधार पर तथा लाइन / पर्यन्त क्षमता, चलस्टाक आदि के रूप में आवश्यक साधनों के उपलब्ध होने पर अतिरिक्त गाड़ियां चलाने के लिये कार्यक्रम बनाये जाते हैं। तदनुसार 1 अप्रैल, 1969 से 15 नवम्बर, 1969 तक की अवधि में 130 गाड़ियां शुरू की गई हैं। गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया है।

बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों पर रेल दुर्घटनाएं

3210. **श्री न० रा० देवघरे : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने रेल फाटकों पर विशेष रूप से बिना चौकीदार वाले फाटकों पर रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज-कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : चूंकि रेल कर्मचारियों की गलती दुर्घटनाओं का अकेला सबसे बड़ा कारण है, इसलिये रेलों के संरक्षा संगठन गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों में संरक्षा की भावना जगाने और यह सुनिश्चित करने में लगे हुये हैं कि ये कर्मचारी संरक्षा के निर्धारित नियमों को भली-भांति समझते हैं। इसके अलावा यह देखने के लिये स्थानिक जांच की जाती है कि कर्मचारी संरक्षा नियमों का उल्लंघन न करें और संक्षिप्त विधि न अपनाएं। सभी दुर्घटनाओं की जांच की जाती है और जो कर्मचारी जिम्मेदार पाये जाते हैं उनको निवारक दण्ड दिया जाता है। इनके अलावा, यदि किसी जांच से कोई त्रुटि या चूक प्रकाश में आती है तो उनकी आवृत्ति रोकने के लिये कार्रवाई की जाती है। सुधरी हुई सिगनल व्यवस्था और अन्तर्पास, रेल-पथ परिपथन आदि के रूप में यथा संभव अधिकाधिक प्रौद्योगिक सुधार भी किये गये हैं।

बिना चौकीदार वाले समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं पर, जो लगभग सभी-की-सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की गलती के कारण होती हैं, केवल जनता के सहयोग से ही काबू पाया जा

सकता है। समपारों की असावधानी से पार करने के परिणामों के बारे में सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से रेल अपनी ओर से प्रचार के सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग कर रही हैं जैसे रेडियो प्रसारण, सिनेमा एलाइडों का प्रदर्शन, इश्तहार, फोल्डर, पुस्तिकाएं जारी करना, जहां दुर्घटनाएं हुई है वहां के समपारों के निकट गांवों में बाजार के दिनों में लाउड स्पीकरों द्वारा घोषणा करना, आटोमोबाइल एसोसिएशनों और ग्राम पंचायतों के प्रधानों आदि से संपर्क स्थापित करना। राज्य सरकारों ने भी मोटर वाहन अधिनियम में एक व्यवस्था की है जिसके अनुसार यात्री बसों के ड्राइवरों के लिये यह अनिवार्य हो गया है कि वे बिना चौकीदार वाले समपारों से कुछ पहले बस को रोक लें और तभी आगे बढ़ें जब यह सुनिश्चित हो जाये कि रास्ता साफ है।

समपारों के दोनों ओर सीटी-पट्ट भी लगाये गये हैं जहां से ड्राइवर आती हुई गाड़ी के बारे में सड़क उपयोगकर्ताओं को सावधान करने के लिये लगातार सीटी बजाना शुरू कर देते हैं।

स्कूटरों तथा मोटरकारों के मूल्य में कर का अंश

3211. **श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 18 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3411 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्न के भाग (क) में पूछी गई जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम 1951 के अधीन फर्मों को लाइसेंस

3212. **श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निम्नलिखित फर्मों को औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस दिया है :

(1) उत्कल मशीनरी लिमिटेड, कंसबहल, उड़ीसा।

(2) लारसेन एण्ड टूबरो, बम्बई।

(3) अनूप इन्जीनियरिंग वर्क्स, अहमदाबाद।

(4) टेक्स मार्का, कलकत्ता।

(5) ए० पी० वी० इन्जीनियरिंग कम्पनी, कलकत्ता : और

(ख) यदि हां, तो दिये गये लाइसेंसों का ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी हां, मैसर्स अनूप इन्जीनियरिंग वर्क्स, अहमदाबाद के सिवाय अभी तक कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जारी किये गये सभी लाइसेंसों का ब्योरा कई पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है जैसे साप्ताहिक "बुलेटिन आफ इन्डस्ट्रियल लाइससेज इम्पोर्ट लाइसेंसेज तथा एक्सपोर्ट लाइसेंसेज" तथा "इण्डियन ट्रेड जर्नल" तथा मासिक "जनरल आफ इन्डस्ट्री एण्ड ट्रेड।" इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

तकनीकी विकास महानिदेशक के विरुद्ध जांच

3213. **श्री वंशनारायण सिंह :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को तकनीकी विकास के महानिदेशक श्री बी० डी० कालेलकर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें यह लिखा गया है कि श्री कालेलकर की आस्तियां उसकी आय की तुलना में बहुत अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके अपने नाम में और आश्रितों के नाम में जो सम्पत्ति है उनका ब्योरा क्या है;

(ग) इस शिकायत पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) इसके विरुद्ध पहले से की गई भ्रष्टाचार तथा पक्षपात की शिकायत के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उसके विरुद्ध जांच पूरी क्यों नहीं की ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) लोक सभा के एक सदस्य ने औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री को भेजे गये पत्र में ज्योति स्वीच गीयर एण्ड एशियन केवल्स के विषय में लगाई गई कतिपय अनियमितताओं के मामलों के दौरान, जिक्र किया था कि तकनीकी विकास के महा-निदेशक डा० कालेलकर के पास उनकी आमदनी के जाहिर श्रोतों से कहीं अधिक आस्तियां हैं। मंत्री महोदय ने संसद् में एक वक्तव्य देकर बताया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की अनियमितताएं नहीं बरती गई है।

(ख) सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति के विवरण गुप्त समझे जाते हैं तथा उनके ब्योरे बताये नहीं जाते।

डाक्टर कालेलकर नियमानुसार विवरण नियमित रूप से सरकार को देते रहे हैं।

(ग) और (घ). मामले पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो जो इसकी छानबीन कर रहे हैं के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

इस्पात के लिए दिल्ली प्रशासन की मांग

3214. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नंद कुमार सोमानी :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने इस्पात मंत्रालय से मांग की है कि देश के इस्पात कारखानों से उनके लिये इस्पात की सप्लाई सीधी करने की व्यवस्था की जाये ;

(ख) क्या निर्माण कार्य में रुकावट आने के कारण हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ग) सरकार की इस मांग के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ग). जी, नहीं। दिल्ली प्रशासन ने हाल में इस मंत्रालय को कुछ संरचनात्मक इस्पात की सप्लाई के बारे में लिखा है ताकि वे शुरू की गई कुछ परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कर सके हमने उत्पादकों से कहा है कि वे अपने गोदामों से यथा सम्भव मात्रा में माल भेज दे, ताकि जहां तक हो सके इन परियोजनाओं का निर्माण-कार्य निर्विधन चलता रहे। संयुक्त सन्यन्त्र समिति ने भी प्रमुख उत्पादकों को शीघ्र माल भेजने के लिये कह दिया है।

(ख) सरकार को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

Problems of Adivasis in North Bihar

3215. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the problems of Adivasis in North Bihar are still not solved and the funds allocated during the last three Five Year Plans for Adivasis have not been utilised fully and properly ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr.(Smt.) Phulrenu Guha) : (a) and (b). The information is being collected from the State Government of Bihar and will be laid on the table of the Sabha as soon as it is received.

Assistance for Bee-keeping

3216. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the bee-keeping during the last three years ; the number of bee-hives being maintained at present and the annual production of honey therefrom; and

(b) the kind and extent of assistance (loans, grants, technical know-how and training) being provided to farmers for the bee-keeping ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) . Information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

कृषि उद्योग समूह की स्थापना के लिये उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

3217. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में कृषि उद्योग समूह तथा एकक की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश को कितनी सहायता देगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में अनाज तथा दालों के परिष्करण, फलों तथा सब्जियों के परिरक्षण, डिब्बों में बन्द करना, दूध तथा डेरी उत्पादों आदि के कृषि पर आधारित औद्योगिक कृत तथा एककों की स्थापना की काफी गुंजाइश है । इन क्षेत्रों में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये पंजीयन, कच्चे माल की वसूली तथा मशीनों आदि के आयात के लिये केन्द्र सहायता करेगा ।

लघु उद्योग क्षेत्र में लघु उद्योग सेवा संस्थान तथा उत्तर प्रदेश में विद्यमान लघु उद्योग विकास संगठन के अन्य संस्थान राज्य में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे और इनके उत्पादों के विपणन, ऋण प्राप्त करने, मशीनों आदि को किराया खरीद के आधार पर प्राप्त करने में सहायता करेंगे ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा रेलवे को ऋण

3218. **श्री कं० हाल्दर :** **श्री गणेश घोष :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री भगवान दास :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री अदिचन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारतीय रेलवे को अब तक कुल कितनी राशि के ऋण दिये हैं ;

(ख) भारतीय रेलवे को दिये गये कुल ऋणों में से कितना धन नकद था और कितना धन नकदी से भिन्न था ;

(ग) जिन मदों की सप्लाई की गई है उनका ब्योरा क्या है ;

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने ऐसे ऋण किन शर्तों पर दिये हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारतीय रेलों को अब तक चार विकास ऋण दिये हैं जिनका कुल जोड़ 2525 लाख अमरीकी डालर के बराबर है ।

(ख) ये ऋण बिलकुल नकद रूप में हैं और संघ के सदस्य देशों और स्विट्जरलैंड से की गयी खरीद के लिये उपयुक्त विदेशी मुद्राओं में नकद भुगतान करने के लिए उपलब्ध हैं।

(ग) इन ऋणों की रकमों का इस्तेमाल डीजल और बिजली के रेल इन्जनों और बिजली के बहु-एकक डिब्बों के निर्माण के लिए आवश्यक पुर्जों और सामानों तथा ऊपरी विद्युतीकरण, सिगनलिंग और दूर संचार योजनाओं के लिए उपस्करों, पुर्जों और कच्चे माल के आयात के लिये अधिकांश विदेशी विनिमय व्यय को पूरा करने के लिए किया गया है।

(घ) इन ऋणों पर केवल $\frac{3}{4}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष सेवा प्रभार के अतिरिक्त कोई व्याज देय नहीं है और इनकी वापसी 50 वर्षों की अवधि तक (जिसमें 10 वर्ष की छूट अवधि शामिल है) छमाही किश्तों में करनी होगी।

सुहागे के मूल्य

3219. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई के बोरेक्स मोरारजी लिमिटेड द्वारा देश में उत्पादित सुहागे की सूची दर्ज मूल्य तथा बाजार मूल्यों के बीच भारी अन्तर की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि जहां तक स्वदेशी उत्पादन का सम्बन्ध है इस कारखाने का उस पर पूर्णतः एकाधिकार है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को इस रसायन की सूची दर्ज मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि सरकार ने कार मूल्यों के मामले में हस्तक्षेप करना उचित समझा है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). मैसर्स बारेक्स मोरारजी लिमिटेड जो कि देश में सोहागा निर्माण का एकमात्र एकक है, ने मई 1969 में एक विज्ञापन दिया था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ सुहागे की भिन्न भिन्न किस्मों के कारखाने से निकलते समय के मूल्य दिखाये गये हैं तथा सुहागा उनके अधिकृत वितरकों से मिल जाता है। इस विज्ञापन के प्रकाशन के पश्चात् सरकार को कोई शिकायत नहीं हुई है।

Madhya Pradesh State Adivasi Development Corporation

3220. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have sanctioned the additional

amount asked for by the Madhya Pradesh Government to meet the needs of the State Adivasi Development Corporation ;

(b) whether it is also a fact that the Corporation has suffered a loss of Rs. 89 lakhs during the last six years ;

(c) whether it is further a fact that a large portion of the capital of the said Corporation has been contributed by the Central Government and whether the Adivasis are getting more price for their products as a result of the setting up of the said Corporation ;

(d) whether it is also a fact that the Adivasis are free now from the exploitation by the contractors and businessmen and the Adivasis got facilities in respect of food and clothes ; and

(e) if so, whether Government propose to give more aid for the said useful work ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) No, Sir.

(b) to (d). Yes, Sir.

(e) The allocations for the Fourth Plan were finalised after taking into consideration all these factors.

सिगरेट और सिगार बनाने के उद्योग का विकास

3221. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिये कोई ऐसी योजना विचाराधीन है, जिसके अन्तर्गत ऐसी सिगरेटों और सिगारों का, जिनका इस समय आयात किया जाता है, उत्पादन बढ़ाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इससे प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत की सम्भावना है ; और

(ग) इस योजना का ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) वर्तमान आयात नीति के अनुसार सिगार तथा सिगरेटों का आयात प्रतिबन्धित है। अत: उनके आयात पर विदेशी मुद्रा का कोई व्यय नहीं हो रहा है।

(ख) और (ग). उपरोक्त (क) भाग के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठते ।

Achievement of Scheduled Tribes Research Institutes

3222. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the main findings of, and the achievements made by the Scheduled Tribes Research Institutes ; and

(b) the progress made so far in this connection by the Study Team appointed by the Planning Commission ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr.(Smt.) Phulrenu Guha): (a) and (b). In order to coordinate the research work of the regional Institutes purposefully it is proposed to set up a Central Institute of Research and Training during the IV Plan. To examine this proposal in all its aspects, the Planning Commission constituted a Study Team in October, 1969. The Team has yet to start its work.

कलकत्ता नगर का विकास

3223. **श्री देवेन सेन** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने कलकत्ता नगर की 100 मील की परिधि के अन्दर अग्रेतर उद्योगीकरण को निरुत्साहित करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने उक्त सुझाव का विरोध किया है ; और

(घ) क्या यह सच है कि हल्दिया, जहां राज्य सरकार की एक औद्योगिक समूह स्थापित करने की परियोजना है, कलकत्ता के 37 मील के क्षेत्र के अन्दर है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). अन्य बातों सहित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिए वित्तीय तथा आर्थिक प्रोत्साहन वाले कार्यकारी समूह (वांचू समिति) ने पहले से ही विकसित क्षेत्रों में उद्योगों की सघनता को हतोत्साहित करने के लिये कुछ सिफारिशें की हैं। इस सम्बन्ध में अन्य सिफारिश यह थी कि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास के कुछ नियत क्षेत्रों में नए एककों की स्थापना के लिये तथा विशेष कर बम्बई एवं कलकत्ता के सघन क्षेत्रों में विद्यमान एककों के विस्तार के लिए भी कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाना चाहिए। सितम्बर, 1969 में राष्ट्रीय विकास परिषद की मुख्य मन्त्रियों की बैठक में जब यह मामला विचारार्थ प्रस्तुत किया गया तो योजना आयोग का विचार था कि बम्बई आदि के कुछ नियत क्षेत्रों में नए एककों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है। सामान्तया विद्यमान एककों के प्रसार अथवा नए एककों की स्थापना को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। पश्चिमी बंगाल के योजना तथा विकास मंत्री ने 'वाचू समिति' की मूलभूत सिफारिशों का विरोध किया था। इस सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया था।

(घ) जी, हां।

फोटो बनाने के काम आने वाला ब्रोमाइट कागज की मांग का उत्पादन

3224. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फोटो बनाने में काम आने वाले ब्रोमाइट कागज की कुल कितनी मांग है ;

(ख) इसमें से कितना विदेशों से आयात किया जाता है और कितना अपने देश में ही बनाया जाता है ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उटकमंड में इस कागज का उत्पादन होता है ;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस कागज का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ङ) क्या सरकार ने दिल्ली प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स एसोसिएशन से इस विषय पर कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है ; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) ब्रोमाइट कागज की चालू अनुमानित वार्षिक मांग 30.50 लाख वर्ग मीटर है।

(ख) संशोधित इण्डियन ट्रेड क्लैशीफिकेशन में ब्रोमाइट फोटोग्रैफिक पेपर का अलग से वर्गीकरण नहीं किया गया है जिसके आधार पर व्यापार सांख्यिकियों तैयार की जाती हैं। अतः इसकी आयातित मात्रा उपलब्ध नहीं है। देश के अन्दर संगठित क्षेत्र में हुआ फोटोग्रैफिक कागज का उत्पादन निम्न प्रकार है :

1968 — 20.30 लाख वर्ग मीटर

(ग) जी हां, फरवरी 1968 से।
1967 — कुछ नहीं।

(घ) 1968 — 49720 वर्ग मीटर
1969 (जनवरी-सितम्बर तक)—84980 वर्ग मीटर

(ङ) और (च). जी हां, यह विचाराधीन है।

Allotment of Wagons for Loading of Wood in Hoshangabad District

3225. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway wagons are not made available in adequate number for loading of the wood in Hoshangabad District of Madhya Pradesh, due to which the output of wood there could not be increased and thus wood worth lakhs of Rupees is going waste ; and

(b) if so, the action being taken to improve this situation ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) No. During the current year upto November, 1969, 2916 wagons were loaded with wood from stations in Hoshangabad District. Traffic is being cleared currently.

(b) Does not arise.

दिल्ली में भिक्षा-वृत्ति को समाप्त किया जाना

3226. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में भिक्षावृत्ति को समाप्त करने का सरकार का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राजधानी में इस अभिशाप को समाप्त करने के लिए दिल्ली प्रशासन को कोई सहायता दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और राजधानी में भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन के प्रस्ताव के प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जायेगा ।

नेत्रहीनों के लिये बृहद् योजना

3227. **श्री रा० बरुआ :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री मयावन : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने नेत्रहीनों के लिये एक वृहद् योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उक्त योजना के क्रियान्वयन पर कितना धन खर्च आयेगा ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं है ।

Charges against Deputy Chief Commercial Superintendent, Gorakhpur

3228. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state

(a) whether it is a fact that there were complaints against the Deputy Chief Commercial Superintendent of the North Eastern Railway, who was previously posted at Gorakhpur, to the effect that he had joined Anand Marg Organisation ;

(b) whether these complaints have been looked into and, if so, the findings in regard thereto ; and

(c) whether it is also a fact that the said person is again being transferred from Calcutta to Gorakhpur ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) and (b). A complaint was received about the membership and active participation of this officer in Anand Marg Organisation. Although instructions were issued by Government in May 1969 that membership or participation in the activities of the movement known as Anand Marg or any of its organisations by a Government servant would attract the provisions of the Conduct Rules, these have been held in abeyance, following a Writ Petition and a notice for motion for Stay, filed before the Supreme Court, who have issued orders restraining the Government from giving effect to the instructions of May 1969 referred to above, until final disposal of the notice of motion for Stay.

(c) The officer was transferred on promotion from Calcutta to Gorakhpur in May, 1969.

आनन्द पर्वत (नई दिल्ली) पर 'सुधार गृह' (आफ्टर केयर होम)

3229. **श्री ईश्वर रेड्डी : श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री इसहाक साम्भली : श्री जि० मो० बिश्वास :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन का आनन्द पर्वत नई दिल्ली पर स्थित 'सुधार गृह' (आफ्टर केयर होम) अभी तक तम्बुओं में है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये तम्बू पुराने हो गये हैं और इनमें पानी और बिजली की कोई सुविधा नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस 'गृह' के लिए भवन की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गृह के लिये एक किराए के भवन की व्यवस्था की गई है ।

एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग द्वारा रेलवे पर चर्चा

3230. **श्री सु० कु० तापड़िया : श्री सीताराम केसरी :**
श्री रामावतार शास्त्री : श्री वासुदेवन नायर :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1969 में नई दिल्ली में एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग की एक बैठक हुई थी ;

(ख) क्या उन्नत तकनीकी विज्ञान का अधिक प्रयोग करके और ट्रांस-एशियन रेलवे

नेट वर्क की दिशा में प्रगति करके भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के बारे में किसी योजना पर भी चर्चा की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग). जी हां। एशिया और सुदूर-पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक आयोग ने अपनी रेलवे उप-समिति का दसवां अधिवेशन 13 से 21 नवम्बर, 1969 तक नयी दिल्ली में किया था। इकैफे क्षेत्र में रेल परिचालन और रेलवे अनुसंधान से सम्बन्धित समस्याओं और एशिया के आर-पार रेलवे का जाल बिछाने से सम्बन्धित परियोजना के सुझाव पर विचार-विमर्श किया गया। आयोग की इन बैठकों में जो विचार प्रकट किये गये, उनका विस्तृत ब्योरा बैंकाक स्थित इकैफे सचिवालय हमें यथासमय भेजेगा।

धर्मनगर रेलवे स्टेशन के गोदाम से खोई गई वस्तुएं

3231. **श्री विश्वनाथ मेनन** : **श्री वि० कु० मोडक** : **श्री गणेश घोष** : **श्री मुहम्मद इस्माइल** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में त्रिपुरा में धर्मनगर रेलवे स्टेशन के गोदाम से खोई गई वस्तुओं का कुल मूल्य कितना है ;

(ख) उक्त अवधि में इस रेलवे स्टेशन से लाने तथा ले जाने में कुल कितने मूल्य की वस्तुएं खोई गई ;

(ग) यदि खोई गई वस्तुओं की राशि असाधारण रूप से बहुत अधिक है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह जो हानि हुई है इसके लिये जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) कुछ नहीं।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

हावड़ा में कालका मेल गाड़ी का देरी से आना

3232. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से चलने वाली कालका मेल गाड़ी को 6 नवम्बर, 1969 को मिर्जापुर स्टेशन तथा कुछ अन्य स्टेशनों पर रोका गया जिससे यह गाड़ी हावड़ा स्टेशन पर 3 घंटे देरी से पहुंची ;

(ख) गाड़ी रोकी जाने के क्या कारण थे ;

(ग) अक्तूबर में कितने दिन यह गाड़ी हावड़ा स्टेशन पर ठीक समय पर या ठीक समय के बाद आध घंटे के अन्दर पहुंची ; और

(घ) 6 नवम्बर को इस गाड़ी के देर से आने के कारण क्या किसी कर्मचारी को समयोपरि भत्ता देना पड़ेगा और यदि हां, तो कितना ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). 2 डाउन कालका-हावड़ा डाकगाड़ी मिर्जापुर स्टेशन पर रुकी नहीं रही बल्कि उत्तर रेलवे के डगमगपुर, चुनार और कैलाहट स्टेशनों पर रुकी रही क्योंकि इससे आगे आने वाली एक मालगाड़ी में इस खंड पर चोरी हो गयी थी। खतरे की जंजीर खींची जाने के कारण भी 2 डाउन डाक गाड़ी रुकी रही और हावड़ा क्षेत्र में भीड़भाड़ के समय उपनगरीय स्थानीय गाड़ियों के चलने के कारण इसे नियंत्रित करना पड़ा और अन्ततोगत्वा यह गाड़ी 170 मिनट देर से हावड़ा पहुंची ।

(ग) अक्तूबर, 1969 में 2 डाउन कालका-दिल्ली-हावड़ा डाकगाड़ी 19 दिन ठीक समय पर हावड़ा पहुंची और बाकी दिन आधे घन्टे से अधिक देर से हावड़ा पहुंची ।

(घ) 6-11-69 को इस गाड़ी के देर से चलने के कारण किसी कर्मचारी को कोई समयोपरि भत्ता नहीं दिया गया ।

शिव सेना द्वारा रेलवे को क्षति

3233. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरनाथ तथा बम्बई के बीच अक्तूबर, 1969 को शिव सेना द्वारा की गई क्षति का ब्योरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): कल्याण-बम्बई वी० टी० खण्ड पर स्थित स्टेशनों पर एक चलती हुई स्थानीय गाड़ी से पत्थर फेंके जाने के परिणामस्वरूप कैबिनों के और चाय के स्टालों के शीशों को क्षति पहुंची थी । रेल सम्पत्ति और निजी सम्पत्ति को अनुमानतः क्रमशः 300 रुपये और 700 रुपये की क्षति पहुंची ।

अचाल्दा से मथुरा को चावल के माल डिब्बों का गल्ती से मथुरा भेजा जाना

3234. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री अचाल्दा से मथुरा को चावल के माल डिब्बे के भेजे जाने के बारे में 22 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 379 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल के माल डिब्बे को गलती से भजने के मामले के कुछ पहलुओं की जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके जिम्मेदार पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) पूर्व रेलवे में एक गाड़ी क्लर्क को जिम्मेदार ठहराया गया और उसे एक वर्ष की वेतन वृद्धि बन्द कर देने की सजा दी गयी है। उत्तर रेलवे में जिन कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया गया उनके विरुद्ध उपयुक्त अनुशासन की कार्रवाई की जा रही है।

इतर रेलवे यातायात लेखा कार्यालय (पश्चिम रेलवे) दिल्ली तथा यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर में मौन धारण रखना

3235. **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री नम्बियार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अजमेर के इतर यातायात लेखा कार्यालय पश्चिम रेलवे, दिल्ली तथा यातायात लेखा कार्यालय अजमेर में मौन धारण करने के सम्बन्ध में कुछ आदेश जारी किये गये हैं ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय में भी मौन धारण करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उपरोक्त कार्यालयों के लिये ऐसे आदेश जारी करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने ऐसे आदेशों को वापिस लेने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (घ). दक्षता सुनिश्चित करने के लिये और कर्मचारियों की सुविधा के विचार से, दिल्ली और अजमेर स्थित इतर यातायात कार्यालय सहित कुछ रेल कार्यालयों में, लेकिन रेल मंत्रालय में नहीं, लगभग दो घंटे के लिए आवा-जाही सीमित करने के आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों के कारण कर्मचारियों को असुविधा न हो, इसके लिए उपाय किये गये हैं।

Transfer of Third Division Clerks in Bikaner Division (Northern Railway)

3236. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of applications for transfer received from the Third Division Clerks or persons employed on Class III technical posts in the Bikaner Division (Northern Railway) during the last two years and the number of persons who have been transferred and also the basis thereof ; and

(b) whether Government would lay on the Table details in regard to names and designations of the employees transferred in the Bikaner Division during the above period and also about the basis of transfer ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) The number of applications for transfer received from 3rd Division Clerks and persons employed on class III Technical posts of the Bikaner Divison of the Northern Railway during the last 2 years is 64 and 36 respectively. The number out of them who were transferred during the period is 23 and 19 respectively.

The basis for transfer of these employees was generally their domestic circumstances and personal reasons.

(b) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT.-2305/69]**

Appointment to Class III and IV Posts in Bikaner Division (Northern Railway)

3237. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Class III and Class IV posts filled up directly and through the Employment Exchange in the various Dapartments of Bikaner Division during the last two years (up to 31st October 1969) ; and

(b) the number of permanent posts as well as casual posts filled up out of them ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Complaints against Establishment Officers of Bikaner Division (Northern Railway)

3238. **Shri Yashpal Singh :**

Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of complaints received against the Establishment Officers of the Bikaner Division during the last two years and the nature thereof; and

(b) the names and designations of the officers against whom complaints were received and the nature of action taken thereon ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) None.

(b) Does not arise.

Posting of Railway Employees as Ticket Collectors and Travelling Ticket Examiners on Western Railway on Medical Grounds

3239. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Singh :
Shri S. S. Kothari :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway employees of various departments of the Western Railway

who have been posted as Ticket Collectors and Travelling Ticket Examiners on health grounds during the last three years ;

(b) whether Government have got these employees thoroughly examined to verify the ailments or disabilities they suffer from ;

(c) whether it is a fact that the employees who are so posted as Ticket Collectors and Travelling Ticket Examiners demand promotions according to the pay-scales ;

(d) whether it is also a fact that consequent upon their posting in this Branch, the promotions of Ticket Collectors and Travelling Ticket Examiners are adversely affected ;

(e) whether it is also a fact that these employees are not transferred to their own departments on their becoming physically fit ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) 10.

(b) Yes.

(c) and (d). On being posted to that cadre, their seniority is fixed therein and they become eligible for consideration for further promotion along with the other staff of the cadre.

(e) and (f). On absorption in the cadre, they sever connetion with their original categories. The question of retransfer does not arise in the normal course.

Quarters for Ticket Collectors and Travelling Ticket Examiners on Western Railway

3240. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Singh :
Shri S. S. Kothari :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7980 on the 29th April, 1969 and state :

(a) the total number of Ticket Collectors and Travelling Ticket Examiners working at present in the Western Railway and the number of them residing in Railway quarters ;

(b) the number of employees belonging to the above-mentioned categories, who have applied for Railways quarters ;

(c) the percentage of Railway accommodation reserved by Government for the Ticket Collectors and Travelling Ticket Examiners ;

(d) whether the said reserved accommodation is bening allotted fully to the concerned persons ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) 2454, out of which 249 are residing in railway quarters.

(b) 367.

(c) No percentage has been reserved.

(d) and (e). Do not arise.

Looting of Kanpur-Farrukhabad Passenger Train Between Gursahaiganj and Khudaganj Railway Stations

3241. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Shri Chand Goyal :** **Shri Baush Narain Singh :** **Shri Ram Avtar Sharma :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Third Class compartment of the Kanpur-Farrukhabad Passenger Train bound for Farrukhahad was looted between the Gursahaiganj and Khudaganj Railway Stations ;

(b) the estimated amount of cash and the value of property looted according to information received by Government ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to check such incidents in future ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Yes.

(b) Property worth Rs. 4,300 approximately, including cash, was looted in this case.

(c) (i) A case has been registered at Government Railway Police Station, Farrukhabad in this connection and is under investigation.

(ii) Apart from tightening up the normal Police arrangements by Government Railway Police, such as keeping watch at important stations and periodical raids to deal with the criminals and anti-social elements, the State Government of U. P. have taken additional security measures by way of escorting important night passenger trains, introducing armed patrolling setting up of special pickets in affected areas.

(iii) Strict instructions have also been issued to the Railway Protection Force Staff, on duty in yards or station platforms for guarding railway property, to rush to the scene of crime in case of violent attacks on railway staff or passengers etc., and render all possible help to the victims.

रेलवे के "कमर्शल लिपिकों" का "कमर्शल निरीक्षकों" के पदों पर पदोन्नति

3242. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री चंद्रिका प्रसाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में "कमर्शल क्लर्क" अपने संवर्ग से वाणिज्य निरीक्षकों के पदों में पदोन्नत किस प्रकार होते हैं ;

(ख) क्या विभिन्न रेलों में "कमर्शल लिपिकों" की पदोन्नति का माध्यम भिन्न है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक रेलवे में पदोन्नत का माध्यम क्या है ; और

(घ) क्या सरकार सभी रेलों में समान नीति अपनाने पर विचार करेगी ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के वाणिज्यिक क्लर्कों के पदों के ग्रेड बढ़ाया जाना

3243. **श्री ओंकार सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री अजमेर डिवीजन के वाणिज्यिक क्लर्कों के पदों का ग्रेड बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में 29 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1235 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीजन के मंडलीय अधिकारियों द्वारा जारी किये गये 9 जनवरी, 1963 के पत्र संख्या ई टी /261/42 की एक प्रति तथा उसके साथ लगे विवरण और इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक क्लर्क संघ के महासचिव से प्राप्त अभ्यावेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ख) जब 1 अप्रैल, 1961 के इस संवर्ग का पुनर्विलोकन किया गया था तो इसे तत्काल क्रियान्वित न किये जाने तथा दो वर्ष का विलम्ब होने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या विलम्ब के लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ;

(घ) जब ग्रेड बढ़ाये जाने से सम्बन्धित आदेश प्रशासन ने दो वर्ष बाद जारी करके विलम्ब किया तो इससे कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसरों से वंचित करने के क्या कारण थे ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रभावित कर्मचारियों की पदोन्नति को नियमित करने का है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) अजमेर मण्डल के अधिकारियों द्वारा 9 जनवरी, 1963 को जारी पत्र सं० ई टी/261/42 के पत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2306/69]**

अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्य क्लर्क संघ के महासचिव के अभ्यावेदन की एक प्रतिलिपि प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों से मंडल लेखा कार्यालयों द्वारा विधिवत सत्यापित 1-4-61 को संवर्ग की प्रमाणित स्थिति की जानकारी प्राप्त करने जैसे अपरिहार्य कारणों से देरी हुई। समय-समय पर जिन पदों का ग्रेड बढ़ाया गया, किन्तु 1-4-1961 की संवर्ग-स्थिति में उन्हें नहीं दिखाया गया, उनसे सम्बन्धित आंकड़ों का मिलान करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को दुबारा लिखना पड़ा। अजमेर मण्डल ने महाप्रबन्धक कार्यालय से कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। अन्तिम स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर ग्रेड बढ़ाने से सम्बन्धित आदेशों को जनवरी, 1963 में लागू किया जा सका।

(ग) चूंकि देरी विभिन्न कारणों से हुई इसलिए इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व ठहराने का सवाल नहीं उठता।

(घ) पात्र कर्मचारियों को ऊंचे ग्रेडों की वास्तविक संख्या तय हो जाने के बाद

पदोन्नत किया जा सकता है और इस प्रकार पदोन्नत कर्मचारी उसी तारीख से ऊंचे ग्रेड के पदों का लाभ उठा सकते हैं, जिस तारीख को उन्होंने ऐसे पदों का कार्यभार ग्रहण किया हो, जिनका कि ग्रेड बढ़ाया गया है।

(ङ) ऊपर भाग (घ) में दिये गये उत्तर को देखते हुए उनकी पदोन्नति के पुनः नियमन का सवाल नहीं उठता।

III Class Railway Pass for Attendants of M. Ps.

3244. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have issued a III Class Railway pass to Members of Parliament for their Attendants ;

(b) if so, whether they are allowed to travel in III Class Sleeper and sitting coaches ;

(c) if not, whether Government have got such type of Ist Class coach in which the Attendants can also travel and help the members at the time of need ; and

(d) if not, whether Government propose to consider a proposal to attach an attendant's coach with the I Class compartment ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Yes.

(b) Yes, but only on payment of the prescribed additional charges for sleeping as well as reserved sitting accommodation.

(c) The standard design to which Ist Class coaches are manufactured at present does not provide accommodation for attendants. There are, however, some old Ist Class coaches with compartments for attendants but these are being gradually replaced by new coaches of standard design.

(d) No such proposal is under consideration.

Mosquito Menace is Loco Workshop Colony, Kota (Rajashthan)

3245. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a good deal of inconvenience is experienced by the Railway employees residing in the Loco Workshop Colony, Kota (Rajasthan) due to mosquito menace in the colony as it remains under water very often during rainy days ; and

(b) if so, the remedial measures adopted by Government to remove the inconvenience experienced by the employees during rainy days and also to relieve them from mosquito menace ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) and (b). Due to heavy rains this year the low-lying areas in and around the Railway colony were flooded. There is however not much mosquito nuisance in the Railway premises at present. Anti-Larvae and anti- adult mosquito measures are however, being carried out regularly. The low lying areas in the Railway colony have been filled up and construction of proper drains is also being done.

मालगाड़ी से सैनिक भंडारों तथा नमक का लूटा जाना

3246. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 नवम्बर, 1969 को सशस्त्र डाकुओं के एक दल द्वारा उत्तर रेलवे के मुरादाबाद-दिल्ली सेक्शन पर एक मालगाड़ी को रोका गया था तथा सैनिक भंडारों और नमक को लूटा गया था;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि की हानि हुई; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां। लेकिन सिर्फ सैनिक जूते ही लूटे गये थे।

(ख) 100 रुपये।

(ग) अभी तक एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है।

दक्षिण-मध्य रेलवे में सिकन्दराबाद द्रोणाचलम सेक्शन पर वनपरती रोड और गुरुमूर्ति स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी का पटरी से उतरना

3247. **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री रा० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 नवम्बर, 1969 को दक्षिण-मध्य रेलवे में सिकन्दरा बाद द्रोणाचलम सेक्शन में वनपरती रोड और गुरुमूर्ति स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के बीस डिब्बे पटरी से उतर गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का क्या कारण था; और

(ग) इससे कुल कितनी हानि हुई ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) दक्षिण-मध्य रेलवे के सिकन्दरा बाद मण्डल में गुरुमूर्ति और वनपरती स्टेशनों के बीच 159-6-10 किलो-मीटर पर नं० एम० डी० 2 डाउन मालगाड़ी के 17 माल डिब्बे 9-11-69 को पटरी से उतर कर उलट गये थे। 10-11-69 को नहीं।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) रेल सम्पत्ति को अनुमानतः लगभग 1,65,000 रुपये की क्षति हुई।

रेलवे स्टेशनों पर प्राकृतिक सौन्दर्य स्थलों और राष्ट्रीय उत्सवों को दर्शाने वाले पर्यटक मानचित्र

3248. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में रेलवे स्टेशनों पर प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों और राष्ट्रीय उत्सवों को दर्शाने वाले पर्यटक मानचित्र नहीं दिखाये जाते; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पर्यटन मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड को कोई निर्देश जारी किया है?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय पर्यटन सम्बन्धी पोस्टरों से है। रेलवे स्टेशनों पर पर्यटन सम्बन्धी पोस्टर निःशुल्क प्रदर्शित किये जा सकते हैं। लेकिन विज्ञापन पट्टों के लिये भुगतान करना होता है। यह व्यवस्था केवल केरल राज्य के स्टेशनों के लिये ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के स्टेशनों के लिये भी है।

(ख) जी नहीं।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक का पूर्वी देशों का दौरा

3249. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक ने हाल ही में फिलिपाइन सहित जापान और आस-पास के देशों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी के उत्पादों के लिये बाजार ढूंढ़ने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये कुछ पूर्वी देशों का दौरा किया ; और

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे की सफलता का व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक ने हांगकांग, जापान, न्यूजीलैण्ड तथा आस्ट्रेलिया का दौरा 21 अक्तूबर, 1969 से 15 नवम्बर, 1969 की अवधि में किया था। हांगकांग तथा जापान का दौरा करने का उद्देश्य एशियाई उत्पादित परिषद टोकियो द्वारा आयोजित की गई 'उच्च प्रबन्ध विचार गोष्ठी' में भारत की ओर से मुख्य प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना था। हांगकांग में अध्यक्ष ने अपने प्रवास के दौरान हांगकांग तथा सिंगापुर में एच० एम० टी० का प्रतिनिधित्व करने के लिये एजेन्टों का पता लगाया। जापान में अपने प्रवास के दौरान एच० एम० टी० द्वारा घड़ियों का उत्पादन बढ़ाने के मामलों मे सिटीजन वाच कं० लि० से बातचीत की। कम्पनी के एजेन्टों के कार्य को देखने और वर्ष 1970-71 के लिये इस क्षेत्र में एच० एम० टी० की बनी वस्तुओं का निर्यात करने के लिये प्रायोगिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिये अध्यक्ष ने न्यूजीलैण्ड और आस्ट्रेलिया का भी दौरा किया।

समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) में बिना टिकट यात्रा

3250. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर डिवीजन में 13 अक्तूबर से 16 अक्तूबर 1969 तक चार दिनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले लगभग 14,000 यात्री पकड़े गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनसे कुल कितना किराया और जुर्माना वसूल किया गया;

(ग) बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों और इससे भारतीय रेलों में अन्य डिवीजनों में हुई हानि के बारे में उनका क्या अनुमान है; और

(घ) सरकार के मतानुसार इस राष्ट्रीय बुराई को दूर करने का स्थायी इलाज क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां। इस मंडल में 13-10-1969 से 16-10-1969 तक चलाये गये विशेष अभियान में बिना टिकट या अनुचित टिकट पर यात्रा करने वाले 13,796 व्यक्ति पकड़े गये थे।

(ख) 60,260.90 रुपये।

(ग) भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा के आंकड़े हर रेलवे के हर मंडल के लिये अलग-अलग नहीं रखे गये हैं। 1967-68 के दौरान सभी रेलों पर चलाये गये विशेष अभियान के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय रेलों पर 5.2 प्रतिशत यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं और इसके फलस्वरूप मोटे तौर पर, प्रतिवर्ष 20 और 25 करोड़ रुपये के बीच हानि होती है।

(घ) जनता में उचित सामाजिक चेतना पैदा करने और अपराधियों के विरुद्ध दण्डात्मक उपाय बरतने से ही यह बुराई दूर की जा सकती है।

मंदरहिल स्टेशन (पूर्वी रेलवे) से रेलगाड़ी का छूटना

3251. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नयी समय-सारिणी के अनुसार पूर्वी रेलवे में भागलपुर-मंदरहिल शाखा-लाइन पर एक रेलगाड़ी मंदरहिल से लगभग 12 बजे अर्धरात्रि को छूटती हैं जो भागलपुर में सबेरे 3 बजे पहुंचती है;

(ख) यदि हां, तो उसमें अनुमानतः कितने यात्री जाते हैं और उनसे अनुमानतः कितना किराया वसूल किया जाता है;

(ग) क्या यह समय यात्रियों को इतना अधिक लाभदायक नहीं है जितना कि चोरों डाकुओं तथा गुंडों को लाभदायक है;

(घ) क्या इस रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों से मिलने वाला किराया कम हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां। लेकिन 1 बी० एम० मंदरहिल-भागलपुर मिश्रित गाड़ी के समय में 1-10-68 से संशोधन कर दिया गया है ताकि यह मुख्य लाइन गाड़ियों को मेल दे सके।

(ख) इस गाड़ी का उपयोग करने वाले यात्रियों की दैनिक औसत संख्या 110 है और इनसे प्राप्त किराये की औसत रकम प्रतिदिन 85 रुपया है।

(ग) समय में संशोधन यात्रियों की सुविधा के लिये किया गया है।

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह एक मिश्रित गाड़ी है जो न केवल यात्रियों को बल्कि माल डिब्बे भी ढोती है और खण्ड पर शंटिंग करती है, इस गाड़ी के यात्रियों से होने वाली आय, कम नहीं समझी जाती।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

Class III and IV Posts in Divisional Superintendent's Office, Samastipur

3252. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that consequent on the opening of a Divisional Office at Samastipur on the North Eastern Railway, a number of posts were created and filled up without obtaining any sanction ;

(b) whether it is also a fact that a number of class III and IV employees have not been appointed so far in this Office ;

(c) if not, the total number of class III and IV employees appointed so far and also the number of persons taken from amongst the casual labour ; and

(d) the total number of Class III and IV employees required for the Samastipur Divisional Office and the number of posts lying vacant ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Payment to employees of Divisional Office, Samastipur

3253. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that even after the setting up the Divisional Office of the North Eastern Railway at Samastipur, the employees transferred to Samastipur are still working in Varanasi and drawing their pay from Samastipur and some employees who are still working in Samastipur are drawing their pay from Varanasi and Katihar ;

(b) if so, the Section of the Indian Railways Act under which it is being done ;

(c) whether it is a fact that although the amended section should have been implemented with effect from the 1st May, 1969 to avoid the anomalies stated above yet it has not been implemented so far ; and

(d) if so, the extent to which the Railway Administration is responsible for the said anomaly and the time by which Government propose to remove it ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Building for Office of Divisional Superintendent, Samastipur (North-Eastern Railway)

3254. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the absence of buildings in Samastipur for the Divisional Superintendent's Office, North Eastern Railway, its departmental work is being done from Sonepur, Muzaffarpur, Mansi and Motihari ;

(b) if so, the extent to which Government have to bear the loss on this account every month ; and

(c) the reasons for not having the Divisional Superintendent's Office in Samastipur ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

Bifurcation of Jurisdiction of Divisional Superintendent, Samastipur

3255. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the area generally under the jurisdiction of a Divisional Superintendent in North Eastern Railway and other Railways ;

(b) whether it is a fact that the area under the jurisdiction of Divisional Superintendent, Samastipur of North Eastern Railway is the largest ;

(c) if so, whether Government are justified in placing such a large area under the jurisdiction of one Divisional Superintendent, thus ignoring the convenience of the public and the Railway employees ;

(d) if not, whether Government propose to bifurcate the division of Samastipur ; and

(e) if so, the time by which the said Division would be bifurcated and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) The route kilometrage which represents the area of a division, varies very widely. Majority of divisions on Indian Railways have route kilometrage falling in the range 1000 kilometres —1600 kilometres. On the North Eastern Railway it varies between 1008 kilometres and 1475 kilometres.

(b) It is not the largest on the Indian Railways.

(c) Does not arise.

(d) No.

(e) The North Eastern Railway has been divisionalised this year only and the number and size of divisions was determined taking into consideration all the relevant factors. There has been no change to warrant bifurcation of Samastipur division.

Licences to Companies and Donations to Political Parties by Companies

3256. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 310 on the 22nd July, 1969 regarding donations to Political parties by Companies, Banks and Commercial institutions and state :

(a) the value of the licences and the commodities for which these were granted during the last three years to the firms mentioned in the aforesaid question ; and

(b) whether Government are reconsidering the issue of making donations by companies to the political parties ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The information regarding Industrial Licences issued to companies is available in various publications viz. "Bulletin Industrial Licences, Import Licences and Export Licences", "Indian Trade Journal" and the Monthly "Journal of Industry and Trade".

(b) Companies are prohibited from making donations to political parties or for political purpose. The Government is not reconsidering the matter.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की वस्तु सूचियां

3257. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की कुल वस्तु सूचियां उत्पादन लागत के महीनों में 8.24 है;

(ख) गैर सरकारी क्षेत्र के कारखानों में उसी अवधि के आंकड़े क्या थे;

(ग) सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में कुल कच्चे माल के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(घ) स्टोर और फालतू पुर्जों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) तुलनात्मक आंकड़ों में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० की कुल वस्तु सूचियां वर्ष 1967-68 के अन्त में उत्पादन लागत के महीनों में 8.24 थी। वर्ष 1968-69 की तदनुरूप संख्या 8.07 है।

(ख) वाञ्छित सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि प्राइवेट कम्पनियां इनका प्रकाशन नहीं करती हैं।

(ग) और (घ). 31 मार्च, 1969 को पांच मुख्य उत्पादकों के कच्चे माल, स्टोर और फालतू पुर्जों का खाता निम्नलिखित तालिका में दिया गया है जो कि इस्पात कम्पनियों के प्रकाशित परीक्षित लेखा से प्राप्त की गई है।

(मिलियन रुपयों में)

कारखाना	**कच्चा माल कीमत पर तथा नीचे।**	**स्टोर तथा पुर्जे कीमत पर और नीचे।**
टिस्को	82.8	158.3
इस्को	31.1	124.8
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	20.1	196.1
भिलाई इस्पात कारखाना	72.3	354.1
राउरकेला इस्पात कारखाना	98.5	337.8

(ङ) विभिन्न इस्पात संयंत्रों में कच्चे माल, स्टोर और पुर्जों के कुल खातों की तुलना में विधि मान्य नहीं है क्योंकि उनकी आवश्यकताएं इस्पात संयंत्र की क्षमता, उत्पादन योजना रख रखाव की स्थिति आदि के अनुसार भिन्न होगी। फिर भी क्योंकि प्रकाशित खाते एक निश्चित तारीख की वस्तु सूची का वर्णन करते हैं उनमें उल्लिखित वस्तु सूची संख्या आवश्यक तौर पर वर्ष की औसत नहीं है।

भूमि सुधार कानून

3258. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य मंत्री द्वारा राज्यों के मुख्य मंत्रियों को दिये गये निदेशों को जैसा कि 16 सितम्बर, 1969 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है, ध्यान में रखते हुए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में दिये गये निर्णय के द्वारा वैध हुए भूमि सुधार कानूनों को संविधान में अपर संशोधन किये बिना ही अधिक व्यापक बनाया जा सकता है ;

(ख) क्या भूस्वामियों के बने रहने का अधिकार जैसा कि नवें अनुसूची में शामिल है रद्द किया जा सकता है ;

(ग) क्या नवीं अनुसूची में शामिल किये गये कानूनों द्वारा काश्तकारों को अभी तक नहीं दिये गये स्थायी तथा पैतृक अधिकारों को बिना भू-स्वामी को सम्पत्ति के दिया जा सकता है ; और

(घ) क्या सरकार भू-स्वामियों को स्वामित्व के अन्य अधिकार रखने देने को सहमत है जब कि काश्तकारों को उनके अधीन स्वामी बने रहने तथा भूमि के हस्तांतरण का अधिकार दे दिया जाये ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) से (घ). इस प्रश्न में ऐसे अमूर्ति विधि-प्रश्न और नीति विषयक मामले में राय देने को कहा गया है जो इतना विस्तीर्ण है कि प्रश्नोत्तर की सीमा में नहीं आ सकता है और इस प्रकार यह प्रश्न लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 41 (2) (IV) और (XI) के उपबन्धों के अन्तर्गत आता है ।

राज्यों में निर्यात संवर्द्धन विभाग

3259. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री मयावन :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योग विकास बोर्ड की स्थायी समिति ने केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार को निर्यात संवर्द्धन विभागों की स्थापना करने तथा उन विभागों द्वारा होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत भाग स्वयं वहन करके राज्यों की सहायता करनी चाहिए ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). निर्यात संवर्द्धन की स्थायी समिति के सुझावों पर लघु उद्योग बोर्ड द्वारा इसकी अगली बैठक में विचार किया जायेगा । तदुपरान्त सरकार उन पर यथोचित विचार करेगी ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा रेलवे भूमि के किराये का भुगतान न किया जाना

3260. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय को रेलवे भूमि पट्टे पर अथवा किराये पर दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भूमि के इस्तेमाल के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय ने कई वर्षों से किराये का भुगतान नहीं किया है तथा बकाया राशि लाखों रुपयों में है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिरक्षा मंत्रालय की ओर किराये की कुल राशि जिसमें ब्याज भी शामिल है कितनी बकाया है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) रेलवे के अनुमान के अनुसार लगभग 125.52 लाख रुपये । प्रत्येक प्लाट के लिये एक स्वीकार्य दर के सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय के साथ बातचीत चल रही है । एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के बीच लेन-देन की बकाया रकम पर ब्याज नहीं लिया जाता ।

ट्रैक्टरों का निर्माण

3261. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये अनुमान के अनुसार 1973-74 तक 90,000 ट्रैक्टरों की मांग हो जायेगी परन्तु स्वदेशी उत्पादन केवल 68,000 होगा ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस कमी को दृष्टि में रखते हुए ट्रैक्टरों के आयात के लक्ष्यों का कोई पुनरीक्षण किया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मशीनी उद्योगों के आयोजन दल ने 1973-74 के अन्त तक 68,000 कृषि ट्रैक्टरों की वार्षिक मांग का अनुमान लगाया था । किन्तु बाद में कृषि अनुभाग के अनुमानानुसार 1973-74 में कृषि ट्रैक्टरों की वार्षिक मांग 90,000 तक पहुंच सकती है । पूर्वानुमान है कि 1973-74 तक ट्रैक्टरों का उत्पादन 68,000 तक पहुंचने की आशा है ।

(ख) तथा (ग). देश में कृषि ट्रैक्टरों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित पग उठाये गये हैं :

(1) ट्रैक्टर उद्योग को आधार भूत उद्योग घोषित किया गया है और इस उद्योग के प्रत्येक एकक के प्रावस्थापद्ध उत्पादन कार्य क्रमानुसार उपकरणों तथा कच्चे माल के आयात के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को उपलब्ध विदेशी मुद्रा की परिधि में तथा सम्भव अधिकतम सीमा तक पूरा किया जा रहा है ।

(2) सभी ट्रैक्टर निर्माताओं को अपनी अनुज्ञापित क्षमता को प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त मशीनों अथवा पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिये आयात अनुज्ञापन जारी कर सहायता दी जाती है ।

(3) उद्योग के त्वरित विकास के सुनिश्चित करने के लिये इसे 7 फरवरी, 1968 से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है ।

(4) ट्रैक्टरों के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिये ट्रैक्टर निर्माताओं के पूरे ट्रैक्टर के बिना जुड़े पुर्जों के पैक्टों के आयात में कम कटौती की जाती है।

देश में ट्रैक्टरों की आवश्यकता तथा उपलब्धि की समीक्षा प्रतिवर्ष की जाती है और इस कमी को पूरा करने के लिये यथा सम्भव सीमा तक ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति दी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष 1969-70 में 35,000 ट्रैक्टरों के आयात की स्वीकृति दी गई।

सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों की बैठक

3262. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 अक्तूबर, 1969 को दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों की बैठक हुई थी ;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अप्रयुक्त क्षमता के प्रयोग और लाभ बढ़ाने के प्रश्नों पर भी विचार किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विभिन्न उपाय सुझाये गये हैं ; और

(घ) गत एक वर्ष में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ में कितनी कमी हुई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) क्षमता के और अधिक उपयोग करने के लिये कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जिन पर विचार किया गया था, वे निम्नलिखित हैं :

(1) मांग की बदलती प्रवृत्ति के संदर्भ में विद्यमान उत्पादन में विविधता लाना ;

(2) सरकारी क्षेत्र के एकक विदेशों में नई मण्डियों का विकास करें और इस हेतु मण्डियों का सर्वेक्षण, व्यापारिक सम्पर्कों का विकास कर और बाजार में घुसने के लिये उचिततम मार्गों की खोज करनी ;

(3) क्षमता का और अधिक प्रयोग करने के लिये और अधिक अन्तनिर्भरता का विकसित किया जाना।

(घ) उत्पादन करने वाले एककों के विगत दो वर्षों के परिणाम निम्नलिखित हैं :

लाभ हानि लाख रुपयों में

	1967-68		1968-69	
1. नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन	(+)	00.45	(+)	8.74
2. नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन	(—)	44.21	(—)	100.45
3. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	(—)	577.00	(—)	341.00
4. नेशनल इंनस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	(—)	27.02	(—)	54.87
5. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनु० कम्पनी लिमिटेड	(—)	150.34	(—)	204.42
6. नेशनल न्यूजप्रिन्ट और पेपर मिल्स	(+)	14.96	(+)	31.368
7. (अ) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	(—)	0.36	(—)	12.75
(ब) सांमभर साल्ट्स लिमिटेड	(+)	24.06	(+)	14.10
8. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	(+)	59.03	(+)	59.62
9. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	(—)	66.00	(—)	34.00
10. इन्स्ट्रमेन्टेशन लिमिटेड		——	(—)	132.04
11. हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड	(—)	569.01	(—)	497.89

नोट : (+) लाभ (—) हानि।

1966-67 तथा 1967-68 की अवधि 1 अक्तूबर से 30 सितम्बर तक।

Setting up of Pulp Factory at Mikir Hills

3263. **Shri Narain Swarup Sharma : Shri Om Prakash Tyagi : Shri Ranjeet Singh : Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that bamboos used for preparing paper pulp grow in large quantity in North Cachar and Mikir Hills and are sent from there to the Titagarh factories, Calcutta and other places for the purpose ;

(b) if so, whether Government propose to set up a pulp factory at Mikir Hills for the economic development of the residents of those areas ;

(c) if so, when ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Afiairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes Sir.

(b) to (d). A decision has been taken to set up a Paper Corporation in the Public Sector which would be responsible for the establishment of a paper mill in Assam.

पांडीचेरी में सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें

3264. **श्री सेझियान** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारको पांडीचेरी में कुछ सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पांडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). पांडीचेरी प्रशासन ने 1967 में भारत सरकार को (क) मशीनी औजार बनाने का एक संयंत्र, (ख) एक छोटे आकार का सीमेंट संयंत्र, तथा (ग) सरकारी क्षेत्र में यात्री कार बनाने की एक परियोजना अपने राज्य में स्थापित करने का आवेदन किया था। इन आवेदनों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :

मशीनी औजार बनाने का संयंत्र : पाण्डिचेरी प्रशासन को इस बात की सूचना भेज दी गई थी कि चौथी योजना की अवधि में मशीनी औजार का लक्ष्य कम कर देने के कारण चौथी योजना काल में पाण्डिचेरी में मशीनी औजार का कारखाना स्थापित करना सम्भव नहीं होगा।

छोटे आकार का सीमेंट संयंत्र : पाण्डिचेरी प्रशासन को इस बात की सूचना भेज दी गई थी कि पाण्डिचेरी जो दक्षिणी क्षेत्र में है जहां कि सीमेंट की अधिकता है, यदि वहां एक और सीमेंट का छोटा संयंत्र स्थापित किया जाता है तो उस क्षेत्र में पहले से ही स्टैंडर्ड क्षमता में उत्पादन करने वाले बड़े संयंत्रों से मुकाबिला करने में काफी कठिनाई उठानी पड़ेगी और इसका खोला जाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा।

छोटी कार परियोजना : पाण्डिचेरी प्रशासन को इस बात की सूचना भेज दी गई थी कि छोटी कार परियोजना पर अन्तिम रूप से निर्णय हो जाने के बाद ही पाण्डिचेरी में परियोजना स्थापित करने के बारे में किये गये उनके आवेदन पर अन्य राज्यों से प्राप्त इसी तरह के आवेदनों के साथ ही विचार किया जाएगा। अभी हाल ही में इस पर निर्णय किया जाना है। इसके अतिरिक्त, पाण्डिचेरी प्रशासन ने यह आवेदन किया था कि चौथी योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र में जिन परियोजनाओं के स्थापित किये जाने का विचार है और जिनके स्थान का अभी निर्धारण नहीं किया गया है, उनमें से कुछ को उनके संघीय राज्य क्षेत्र में स्थापित किया जाए।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के स्थान का निर्धारण करते समय विभिन्न प्रकार के तकनीकी आर्थिक पहलुओं जिनका सम्बन्ध औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को है, पर विचार किया जाता है। पाण्डिचेरी सरकार के आवेदन पर इसी प्रकार के प्राप्त अन्य आवेदनों के साथ, विचार किया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र में नये उद्योग

3265. **डा० प० मण्डल :** क्या औद्योगिक, विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के आंतरिक (कोर) क्षेत्र में उद्योगों के लेने के लिये सितम्बर, 1969 में हुई उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद की विशिष्ट बैठक में क्या निर्णय किया गया ;

(ख) क्या भविष्य में सभी नई परियोजनाएं सरकारी क्षेत्र में होंगी जिनके सम्बन्ध में अधिकांश लागत को वित्तीय संस्थानों द्वारा पूरा किया जाता है ; और

(ग) यदि अस्तित्व हों अथवा अस्तित्व में आने की संभावना हो तो तथा कथित संयुक्त क्षेत्र उद्योगों का स्वरूप क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 20 दिसम्बर, 1969 को हुई अपनी बैठक में उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद ने विभिन्न सिफारिशों पर विचार किया जिसमें महत्वपूर्ण (कोर) क्षेत्र से सम्बन्धित भी थी जिसे औद्योगिक लाइसेंस कार्य प्रणाली में औद्योगिक लाइसेन्स नीति जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में दिया है परन्तु इसने कोई निर्णय नहीं लिया क्योंकि यह केवल विमर्शकारी मण्डल था ।

(ख) समिति की विभिन्न सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ग) संयुक्त क्षेत्र के विचार की व्याख्या जिसे औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने दृष्टिगत किया है । समिति के प्रतिवेदन में की गई है । जिसकी प्रतियां सभा पटल पर पहले ही रख दी गई हैं ।

Construction of Sheds for Passengers at Chitrakot Station (Central Railway)

3266. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Chitrakot Station on the Jhansi-Manikpur Section of the Central Railway is one of the most important stations from the point of view of Pilgrims ;

(b) whether it is also a fact that there is movement of thousands of passengers at the said station during the fair organised on each "Amavasya Day" (last day of the Dark half of a month) and that the passengers also stay there on that day ;

(c) whether it is further a fact that the sheds over Platform which are very essential have not been provided there ; and

(d) whether Government would provide sheds on the said station ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Chitrakot is an important pilgrimage station.

(b) About 6,000 passengers are dealt with at Chitrakot and Karwi stations together during the fairs on Amavasya Days.

(c) and (d). A third class waiting hall is already provided at Chitrakot. A proposal to provide another waiting shed for Mela traffic is under examination.

Special Trains for Chitrakot Fair

3267. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that trains on the Jhansi-Manikpur and Kanpur-Banda-Chitrakot remain over-crowded with passengers going to attend the Chitrakot fair on every Amavasya and passengers have to travel on the roofs of the compartments; and

(b) if so, whether Government propose to run a special train on the aforesaid lines on the occasion of the said fair on every Amavasya and to open a Booking Office which may function two days before and two days after every Amavasya to obivate the inconvenience being caused to the passengers?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) and (b). The loads of Jhansi-Manikpur and Banda-Kanpur Passenger trains are adequately augmented to clear rush of passengers for Amavasya Fair at Chitrakoot. On special days like Shrawan, Mauni Amavasya etc., when the rush of passengers is heavy, special trains are run. During November, 1969, six special trains were run on these sections. On such occasions, additional booking windows are opened at Chitrakoot and Karvi, and the hours of booking extended round the clock. Rush is not heavy during every Amavasya justifying opening of a booking office two days before and two days after.

Duty Hours of Train Clerks of Banda Junction (Central Railway)

3268. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Train Clerks of Banda Junction (Central Railway) are required to perform duty for 12 hours daily;

(b) if so, the reasons therefor, while on other Railways they are required to perform only 8 hours duty;

(c) whether the above employees represented to the concerned Railway officers many times in this regard and consequently orders had been issued revising duty hours to 8 hours many a time and, if so, the number of times such orders were issued; and

(d) whether the Railway Administration sanctioned an additional post of Train Clerk for the above station in 1964 so that duty hours could be adhered to 8 hours and this post continued up to 1966 and, if so, the reasons for not adhering to 8 hours duty?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) Yes.

(b) Under the Hours of Employment Regulations, on the basis of their workload, the Trains Clerks at Banda have been classified as 'Essentially Intermittent' and rostered to 12 hours' daily duty which includes at least 6 hours of inaction. Trains Clerks on Railways are rostered to either 8 hours or 12 hours daily duty when classified as 'Continuous' or 'Essentially Intermittent', as the case may be, depending on the workload.

(c) These staff have been representing for 8 hours' duty but there is no justification to introduce 8 hours' duty shift. However, only once the Station Master, Banda, had wrongly introduced 8 hours' shift on his own initiative. This mistake was rectified when it was noticed.

(d) One post of Trains Clerk at Banda was created in 1964, on account of increase in traffic and not for change in classification. This post still continues. A job analysis was conducted into the workload of Trains Clerks in July 1969 but there is no justification for upgradation of classification from 'Essentially Intermittent' to 'Continuous'.

Special Welfare Work in Rural Areas

3269. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Department of Social Welfare in his Ministry exists in name but no progress seems to have been made by it in the villages in so far as social welfare is concerned ;

(b) the details of social welfare work done by the Department of Social Welfare since its inception, for the welfare of the rural populace ; and

(c) the nature of social welfare work done by the said Department to provide work to the unemployed persons ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): (a) No Sir, The programme of Social Welfare is being promoted systematically in rural areas.

(b) Most of the social welfare schemes have impact on rural population. The following are the major programmes implemented for the benefit of rural populace :

1. Family and Child Welfare Projects.
2. Co-ordinated Welfare Extension Projects.
3. Welfare programme through Mahila Mandals.
4. Condensed educational courses for women.
5. Pre-Vocational Training Programme.
6. Family and Child Welfare Training Centres.
7. Programme for the education, training and rehabilitation of the Handicapped.
8. Balsevika Training Programme.
9. Border camps for leadership training for women conducted by Bhartiya Grameen Mahila Sangh.

(c) (i) The social economic programme for women relates directly to the provision of facilities of earning a living for some of the women members of the society.

(ii) The programme of Employment Exchange provided for Handicapped helps them in finding employment.

(iii) Some of the other programme of Social Welfare helps in the preparation for work as well as of subsidiary income. They include :

(a) Condensed courses for women.

(b) Activities of Mahila Mandals,

(c) Activities of Griha Kalyan Kendra under Family and Child Welfare.

(iv) Some of the training programmes such as Bal Sevika Training and Family and Child Welfare training prepare women workers for work in the field of Social Welfare.

Production in Small Scale Industries

3270. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the extent to which the number and production of the small scale industries increased during the last three years ;

(b) the share of small industries in industrial production and export thereof ; and

(c) whether Government propose to increase or decrease the share of small industries in industrial production ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) From 1 lakh in 1965 the number of registered small scale industries increase by nearly 46000 during the three years ending 1968. The gross output during the same period rose by Rs. 577 crores to Rs. 3598 crores.

(b) The share of small scale industries in the total industrial producrion during 1968 is estimated to be a little over 33% while the share of exports is estimated to be less than 5%.

(c) Government of India are taking various measures for stimulating growth of small scale industries, such as reservation of several consumer industries for small scale sector, promotion of ancillary industries, ensuring supply of essential raw materials and components, and grant of credit on liberal terms.

Hunger strike by Harijan Railway Employees of Loco Shed, Tundla

3271. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain Harijan Railway employees went on hunger strike in the Loco Shed, Tundla in October, 1969 as a protest against corruption and victimisation ;

(b) if so, the details of their demands and the action taken by Government thereon ;

(c) whether it is also a fact that the striking Harijan employees were removed from service after the termination of hunger strike ;

(d) if so, the reasons therefor ;

(e) whether it is also a fact that a Harijan Officer was removed from service without an enquiry having been conducted ; and

(f) if so, the rcasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Yes, Sir.

(b) The grounds on which this Hunger Strike was resorted to are reported to be to protest against suspension of staff, rooting-out of corruption and transfer of certain staff. The matter has been looked into. Suspension of staff or transfer of individual employees is being decided by the Railway Authorities depending on the circumstances and merits of each case. Regarding corruption wherever specific cases are mentioned appropriate action is taken by the Railway.

(c) No. But one employee, against whom disciplinary action had been initiated long before the hunger strike was removed from service on 26. 10. 69.

(d) The charge against him was mis-conduct amounting to fraud in payment of Overtime to the staff.

(e) No, Sir.

(f) Does not asise.

Complaints against officers of Loco Shed, Tundla (Northern Railway)

3272. **Shri Ram Charan :** Will the Mnister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many Railway employees and public bodies have lodged

complaints within the last two years against the officer of the Loco Shed, Tundla Station, Northern Railway ;

(b) if so, the action taken thereon ; and

(c) whether Government would lay a detailed statement in this respect on the Table of the House ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (c). In a hand bill issued by some Railway Staff, it had been alleged that the Railway Officers were showing leniency against certain staff of Loco Shed, Tundla, who were corrupt. On the other hand, in another appeal issued by one "Bhrashtrachar Virodhi Committee" it had been alleged that these very staff were being victimised.

The Northern Railway have dealt with the case on its own merits and have removed one employee from service against whom charges of fraud were established in an enquiry.

स्यालदाह डिवीजन (पूर्व रेलवे) में क्लर्कों की तरक्की न होना

3273. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे की स्यालदाह डिवीजन में 110 रु० से 180 रुपये तक वेतन मान में कार्य कर रहे क्लर्क जो उसी वेतन मान में रुक गये हैं की संख्या जुलाई, 1969 तक 152 से 200 हो गई है तथा भविष्य में भी इस संख्या में इसी दर से वृद्धि होने की संभावना है ;

(ख) क्या इस मामले पर जोर डालने के लिये कर्मचारियों का असन्तोष 16 जून, 1969 के सायं 5 बजे से 72 घण्टे की सामूहिक भूख हड़ताल के रूप में प्रकट हुआ ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड को इस सम्बन्ध में समाचार पत्र की रिपोर्ट अथवा पूर्व रेलवे के जन सम्पर्क अधिकारी अथवा डिवीजनल अधिकारी की ओर से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को जिनकी तरक्की रुक गई है को पदोन्नत करने के लिये ऊंचे ग्रेडों में अधिसंख्यक पद बनाने सम्बन्धी कोई सिफारिश प्रशासन को प्राप्त हुई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) संख्या अब भी 152 है ।

(ख) यह बताया गया है कि स्यालदाह डिवीजन के 47 कर्मचारियों ने तीन टोलियों में 72 घण्टे के लिये 16 जून, 1969 के सायं 5 बजे से भूखहड़ताल की थी ।

(ग) जी हां, रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट मिली है ।

(घ) ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें अपने वेतन मान की अधिकतम राशि पर पहुंचे कुछ समय बीत चुका है, राहत देने का सामान्य प्रश्न विचाराधीन है ।

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को दिये गये क्वार्टरों के लिये बढ़ा हुआ किराया लेना

3274. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अधिकारियों की तुलना में तृतीय श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को उन्हें दिये गये रेलवे क्वार्टरों के लिये अधिक मकान किराया देना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्वी रेलवे के बटका-काना में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को दिये गये टाइप तीन रेलवे क्वार्टरों में सुविधाएं (दो कमरे, एक शौचालय, एक स्नानागार, एक रसोई के साथ लगा हुआ एक स्टोर कक्ष, एक अन्दरूनी नल, तथा दो बिजली के पंखे) होती हैं और अधिकारियों को दिये गये टाइप चार विशेष रेलवे क्वार्टरों में तीन कमरे, दो शौचालय, एक रसोई, एक स्टोर कक्ष, तीन अन्दरूनी नल जिनके ऊपर दिन रात पानी की सप्लाई जारी रखने के लिये टैंक होता है, तथा तीन बिजली के पंखे होते हैं तथा उन्हें इनके लिये प्रति मास क्रमश: 43.50 रुपये और 35.00 रुपये अदा करने होते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग). रेलवे क्वार्टर के लिये किसी रेल कर्मचारी द्वारा देय मकान-किराया क्वार्टर का निर्धारित किराया या उसकी उपलब्धियों का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, होता है। उपलब्धियों के 10 प्रतिशत की सीमा को देखते हुए, ऐसा हो सकता है कि किसी वरिष्ठ अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा दिया गया किराया, किसी अधिकारी द्वारा अपनी सेवा के शुरू के वर्षों में दिये गये किराये की अपेक्षा अधिक हो। बरकाकाना में, 1-10-1967 से पूर्व दो कमरे वाले टाइप III के क्वार्टर का किराया अनन्तिम रूप से 43 रुपये 62 पैसे नियत किया गया था, परन्तु 1-10-1967 से इसे संशोधित करके किराया 27 रुपये 73 पैसे कर दिया गया और वसूल किये गये अनन्तिम किराये तथा बाद में नियत संशोधित किराये का अन्तर कर्मचारियों को लौटाने का प्रस्ताव है। टाइप IV विशेष के क्वार्टर का निर्धारित किराया, जो अनन्तिम रूप से 35 रुपये नियत किया गया था, 1-10-1967 से संशोधित करके 46 रुपये कर दिया गया है।

पूर्वोत्तर रेलवे में गरहारा (बरौनी) तथा समस्तीपुर में काम करने वाले रेलवे कर्मचारी

3275. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में गरहारा, बरौनी और समस्तीपुर में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों की संख्या क्रमशः सात हजार और पांच हजार है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन दोनों स्थानों पर उन कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा देने के लिये कोई सरकारी स्कूल नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो क्या समस्तीपुर डिवीजन के डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट ने इस सम्बन्ध में सरकार को कोई योजना पेश की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिये मोदीपोन लिमिटेड द्वारा मांगी गई अनुमति

3276. **श्री मधु लिमये : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोदीपोन ने अपनी क्षमता में अग्रेतर वृद्धि के लिये अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या सरकार को नाइलोन निर्माण में एकाधिकार की परिस्थितियों के बारे में जानकारी है ; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि, मोदीपोन समेत विद्यमान एककों की अतिरिक्त क्षमता की मंजूरी देने की उनकी योजना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां । 7 जून, 1969 को उन्हें 400 मी० टन की क्षमता का विस्तार करने के लिये एक आशय पत्र जारी किया गया है ताकि वह 2200 मी० टन के न्यूनतम आर्थिक क्षमता को प्राप्त कर सकें ।

(ख) नाइलोन के उत्पादन में कोई एकाधिकार नहीं है क्योंकि 10 विभिन्न पार्टियों के पास अनुज्ञापन / आशय पत्र हैं । इसके अतिरिक्त सरकार ने किसी एक औद्योगिक समूह को सेल्थुलोज के कृत्रिम रेशों में से केवल एक ही किस्म के रेशे का लाइसेन्स देने का निर्णय किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ट्रकों के टायरों की चोर बाजारी

3277. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक संसद सदस्य ने ट्रकों के टायरों के संबंध में चोर बाजारी किये जाने के विरुद्ध एक अध्यावेदन दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ट्रक के प्रति नाइलोन टायर पर 600 रुपये प्रीमियम है और साधारण रेयन कार्ड टायर पर 100 से 300 रुपये तक ;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली प्रशासन तथा अन्य प्रशासनों को यह कहने का है कि वे टायरों को अनिवार्य वस्तुएं घोषित कर दें और सूची में दर्ज कीमतों को लागू करें ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के संदर्भ में आगे जांच की जा रही है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने अगस्त 28, 1969 को दिल्ली आटोमोबाइल टायर तथा ट्यूब नियंत्रण आदेश 1969 में जारी किया है जिसके अन्तर्गत अन्य टायरों सहित, मोटर गाड़ी के टायरों की सभी श्रेणियों की खुदरा बिक्री के लिये उच्चतम मूल्य निर्धारित करने के लिये भी एक धारा है । अन्य राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रशासकों को भी यदि वे स्थानीय स्थिति में ऐसा करना आवश्यक समझते हों तो ऐसे ही आदेश जारी करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर दी गई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीमेंट की कीमत पर आंशिक नियंत्रण हटाने के बाद सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि

3278. **श्री मधु लिमये** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सीमेंट निर्माता हित पोषक गुट के दबाव में आकर सीमेंट से नियंत्रण हटाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा कुछ वर्ष पूर्व आंशिक रूप में नियंत्रण हटाने संबंधी योजना को आरम्भ करने के पश्चात् सीमेंट की कीमतें बढ़ गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो फुटकर कीमतों में वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है ;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमेंट निर्माताओं ने अभी वितरण कम्पनियां आरम्भ कर दी हैं और छोटे सीमेंट वितरणकर्ताओं तथा विक्रेताओं द्वारा जमा की जाने वाली राशि और उनके द्वारा दिये जाने वाले अन्य खर्चों में अन्यथा वृद्धि कर दी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बड़े निर्माताओं और उनकी वितरण कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा तथा फुटकर विक्रेताओं के शोषण को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं । 1-1-70 से सीमेंट से नियंत्रण हटाने का कारण 14-4-69 को मैंने सदन में अपने वक्तव्य में बतलाए हैं ।'

(ख) तथा (ग). 1-1-66 से 1-1-68 तक सीमेंट विनियंत्रित किया गया था। तो भी उद्योग पर अनौपचारिक नियंत्रण था। उद्योग ने सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित मूल्य वृद्धियां कीं :

1-4-66	से प्रति मी० टन	0.70
1-4-67	से प्रति मी० टन	1.20
16-4-69	से प्रति मी० टन	3.60

(घ) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई वृद्धि नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों को वर्दी की सप्लाई

3279. **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उप रेल मंत्री ने दिनांक 1 अगस्त, 1969 के अपने पत्र संख्या इ (डब्ल्यू) 68 एल० जी० 3-18 के द्वारा यह आश्वासन दिया था कि रेलवे कर्मचारियों को वर्दी की सप्लाई करने के बारे में शीघ्र निर्णय किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) पत्र में यह लिखा गया था कि वर्दी समिति की सिफारिशें मालूम होने के तुरन्त बाद इस मामले में निर्णय लिया जायेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) वर्दी समिति ने अभी तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं। अगले वर्ष के आरम्भ में उनके मिलने की सम्भावना है। उन सिफारिशों पर विचार हो जाने के बाद सरकार निर्णय लेगी।

कांग्रेस दल का निर्वाचन प्रतीक

3280. **श्री बलराज मधोक :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांग्रेस दल अब दो दलों में विभाजित हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दोनों ही दल वास्तविक कांग्रेस होने का दावा कर रहे हैं तथा दो बैलों की जोड़ी को ही अपना निर्वाचन प्रतीक मानते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो निर्वाचन आयोग ने इस प्रतीक को देने के बारे में क्या निर्णय किया है तथा किस आधार पर किया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) और (ख). निर्वाचन आयोग के सामने किसी ने भी ऐसा अभ्यावेदन या ऐसी अर्जी पेश नहीं की है जिसमें कहा गया हो कि इण्डियन नेशनल कांग्रेस नामक राष्ट्रीय दल प्ररूपत: दो समूहों में विभाजित हो गया है और इस बात का दावा किया हो कि इण्डियन नेशनल कांग्रेस का आरक्षित प्रतीक इन दो समूहों में एक को आवंटित किया जाए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछड़ेपन का निश्चय करने के लिये माप-दंड

3281. **श्री बलराज मधोक** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े वर्ग में जन्म के आधार पर विधान सभाओं आदि में सुरक्षित स्थान सम्बन्धी नियम होने के कारण निहित स्वार्थ वाले लोग पिछड़े हुए बने रहना चाहते हैं ;

(ख) क्या किसी व्यक्ति को उसके जन्म के अलावा पिछड़ापन निश्चित करने के लिए कोई अन्य मापदंड निर्धारित करने हेतु कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो वह मापदंड क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) इस मामले पर अपनी-अपनी राय है।

(ख) और (ग). पिछड़ेपन का निश्चय करने के लिए आर्थिक जांचों को अपनाने की भारत सरकार ने राज्य सरकारों से सिफारिश की है।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Class I and II Officers in Railways

3282. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Class I and Class II officers as on the 31st March, 1967 (Zone-wise);

(b) the number out of them belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and

(c) the number of employees promoted category-wise ; upto 31st March, 1969 and the number out of them belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and their percentage to other employees ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Sale of old Rails to State Electricity Boards

3283. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the various State Electricity Boards have demanded old Rails for using them as electric poles ;,

(b) the amount which the said Electricity Boards propose to pay per tonne and the amount per tonne at which the Railways propose to sell ; and

(c) the difference between the price offered by the Electricity Boards and the price at which it is sold at present by the Railways ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) :

(a) Yes.

(b) and (c). Scrap rails are sold by Railways to State Electricity Boards at prices fixed by the Railway Board periodically. The current price is Rs. 485 per Metric Tonne for Rails below 50 lbs. per yard, and Rs. 461 per Metric Tonne for Rails 50 lbs. per yard and above, or the last auction/tender sale price whichever is higher. Five percent of the price is charged extra if the State Electricity Boards desire deferred payment terms.

Financial aid to Industrialise the Setting up of Industries in Backward areas of Rajasthan

3284. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to give certain other facilities in addition to financial aid to the Industrialists to set up industries in backward areas ;

(b) the names of such areas in Rajasthan ;

(c) the types of industries proposed to be set up by Government in such areas of Rajasthan ; and

(d) in case no industry is proposed to be set up, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) In lieu of the various financial incentives recommended by the Plan Working Group on Fiscal and Financial incentives for starting industries in backward areas, the Government propose to give an outright grant or subsidy amounting to one-tenth of the total fixed capital investment of new units, having a total fixed capital investment of not more than Rs. 50 lakhs each, in two selected districts, of each of the nine States identified as industrially backward by the Working Group on Identification of Backward Areas, and one district each of the other States and Union Territories. Schemes and projects for new units involving fixed capital investment of more than Rs. 50 lakhs are to be considered on merit. Certain other recommendations made by the Working Group pertaining to assistance in foreign exchange for import of capital equipment for industries located in the backward areas, Central organisations including DGTD and C.S.I.O., industrial licensing and transport subsidy are under active consideration of the Government.

(b) Criteria for selection of industrially backward areas of Rajasthan and other States and Union Territories are being evolved.

(c) and (d). The Working Group on Fiscal and Financial Incentives for starting industries in Backward Areas has not specified any particular industry to be set up in Backward Areas of Rajasthan and other States and Union Territories. Government has not so far formulated any proposals for establishment of industries in the areas of Rajasthan referred to.

Wearing of Black Gown by Advocates

3285. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Advocates have still to wear black gown the memento of British rule in the various Indian courts ;

(b) whether Government have received certain suggestions or memorandum to change it ; and

(c) if so, the reasons for which necessary decision could not be taken so far in this connection ?

The Deputy Minister in Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) As the dress of advocates is prescribed by the High Courts and the Supreme Court, the Central Government is not in a position under the existing law to issue any order in the matter.

हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल द्वारा न्युक्लियर टर्बाइनों का निर्माण

3286. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल ने अपने निर्माण कार्यक्रम में न्युक्लियर टर्बाइनों का निर्माण शुरू कर दिया है ;

(ख) ऐसी टर्बाइनों के निर्माण के लिये उन्हें कितने क्रयादेश प्राप्त हुए हैं या केवल मद्रास अणु शक्ति संयंत्र के लिये एक टर्बाइन का निर्माण किया जायेगा ;

(ग) क्या निर्माण लागत का अनुमान लगा लिया गया है और आयातित टर्बाइन की तुलना में यह कैसी होगी ; और

(घ) टर्बाइन को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा-समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल ने मद्रास परमाणु-शक्ति परियोजना के लिये न्यूक्लियर टर्बाइन के निर्माण की योजना को अपने अधिकार में ले लिया है। नमूना और उत्पादन 1970 में प्रारम्भ होगा।

(ख) हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०, को इस समय एक न्यूक्लियर टर्बाइन के लिये क्रयादेश मिला है किन्तु भविष्य में ऐसी टर्बाइनों की और अधिक मांग की सम्भावना है।

(ग) प्रारम्भिक नमूने और जानकारी की कीमत को छोड़ करके देशी टर्बाइन की कीमत 5 करोड़ रुपये होगी जबकि आयातित टर्बाइन लगभग 4.2 करोड़ रुपये में पड़ती है।

(घ) 50 सिप के टर्बाइन बनाने में $\frac{1}{2}$ से 4 वर्ष का समय लगेगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिये पूंजी परिव्यय

3287. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में कितना धन लगाने का लक्ष्य है ;

(ख) नये उद्योगों के लिये अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उद्योग किस प्रकार का है तथा प्रत्येक का पूंजी परिव्यय कितना है ; और

(ग) अब तक कितने आवेदन पत्रों को मंजूरी दी गई है और उनका पूंजी परिव्यय कितना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में संगठित उद्योग एवम् खनन पर 2400 करोड़ रु० का विनियोजन करने का निश्चय किया गया है। इसमें 250 करोड़ रुपये की वह राशि भी शामिल है जिसे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों को स्थानांतरित किया जाना है।

(ख) और (ग). उद्योगवार प्राप्त आवेदनों और उस पर किये जाने वाले पूंजी विनियोजन के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। वर्ष वार प्राप्त आवेदनों की संख्या बताने वाला एक विवरण, जिसमें अनिर्णीत पड़े आवेदनों की संख्या और 1964-1969 की अवधि में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या दी गई है, संलग्न है।

विवरण

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	अनिर्णीत आवेदनों की संख्या	जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या
1964	2191	13	761
1965	2274	31	527
1966	1259	25	415
1967	849	54	292
1968	905	149	218
1969	1162	887	172
	(31-10-69 तक)	(31-10-69 तक)	(30-9-69 तक)

चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में उत्पादन लक्ष्य

3288. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल-अक्तूबर, 1969 में औद्योगिक उत्पादन गत वर्ष में इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में कैसा है ;

(ख) किन मदों का उत्पादन बढ़ा है और कितनी मात्रा तथा मूल्य में ;

(ग) किन मदों का उत्पादन कम हुआ है और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिये विभिन्न मदों के उत्पादन के कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और यदि हां, तो अब तक प्राप्त हुई सफलता निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कैसी है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

निर्वाचन विधि में संशोधन

3289. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान ने निर्वाचन विधि में संशोधन करने के कुछ सुझाव सरकार को दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिये आवास

3290. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति 15-20 वर्ष पहले की गई थी, आवास के लिये अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे के 95 प्रतिशत अधिकारियों के लिये बड़े शहरों में आवास की व्यवस्था की गई है लेकिन 80 प्रतिशत से भी अधिक अराजपत्रित कर्मचारियों के पास कोई सरकारी मकान नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी दशा सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर दी जायेगी ।

उत्तर रेलवे में इंजीनियरिंग सबार्डिनेटों की पदोन्नति

3291. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 335-485 रुपये वेतन मान वाले इंजीनियरिंग सबार्डिनेटों के 25 प्रतिशत पद इंजीनियरी स्नातकों से सीधी भर्ती के लिये आरक्षित किये जाते हैं ;

(ख) क्या उत्तर रेलवे में निम्न वेतनमानों में बहुत से इंजीनियरी स्नातक काम कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें सीधा भर्ती से लिया गया करार देकर और रेलवे में उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए "सीधी भर्ती" के कोटे में खपाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां, रेल-पथ निरीक्षकों और पुल निरीक्षकों की कोटियों को छोड़कर ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). भर्ती, रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से की जाती है। पदों के विज्ञापित होने पर पात्र उम्मीदवारों को आयोग के पास आवेदन करना चाहिए ।

अन्य रेलवे यातायात कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम रेलवे) के कर्मचारियों को मानदेय भत्ता

3292. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय (पश्चिम रेलवे) दिल्ली के कर्मचारियों को शाखा लाइन आय को निकालने के लिये दिये जाने वाले मानदेय की राशि उप वित्तीय सलाहकार, चर्चगेट, बम्बई द्वारा मनमाने ढंग से माप दण्ड (प्रति व्यक्ति प्रति दिन काम) बढ़ा करके कम कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में ऐसे ही काम के लिये स्वीकृत मापदण्ड की तुलना में इस मामले में मापदंड बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मनमाने ढंग से की गई कमी के विरोध में 11 नवम्बर, 1969 को कर्मचारियों ने राशि स्वीकार नहीं की थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) मानदेय की राशि घटायी गयी है, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं ।

(ख) पहले जो मापदण्ड अपनाया गया था, वह छान-बीन के दौरान बहुत निम्न स्तर का पाया गया ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

नांगल-भाखड़ा लाइन (उत्तर रेलवे) को अपने हाथ में लेना

3293. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री 26 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4956 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा नांगल-भाखड़ा लाइन को अपने हाथ में लेने के प्रस्ताव की जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड के परामर्श से अभी तक मामले पर विचार किया जा रहा है ।

Expenditure Incurred on Tour of Kangra Valley by Deputy Minister of Railways

3294. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Deputy Minister of Railways had made a tour of the Kangra Valley on the 5th October, 1969 ;

(b) if so, the purpose of the tour ;

(c) whether it is also a fact that a special train was sent from Pathankot to Jawalamukhi Road for his tour ; and

(d) if so, the expenditure incurred in sending the train and the number of staff sent with him from Delhi and Pathankot and the amount of allowances paid to them, category-wise?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Yes.

(b) To study the Pathankot-Jogindernagar section, along with the Uneconomic Branch Lines Committee, of which he is the Chairman.

(c) No.

(d) Does not arise.

मिश्रित इस्पात की मांग तथा उत्पादन

3295. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मिश्रित इस्पात की वर्तमान वार्षिक मांग क्या है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में इसकी अनुमानित आवश्यकता कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों में कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के मिश्रित इस्पात का आयात किया गया है और किन देशों से किया गया ;

(ग) सरकार इस आयात को पूर्णरूप से बन्द करने के लिये तथा भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना से सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितना-कितना उत्पादन होने की संभावना है ; और

(ङ) इस समय देश में कौन सी कम्पनियां मिश्रित इस्पात का निर्माण कर रही हैं और किन नयी फर्मों को चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके निर्माण के लिये लाइसेंस दिये हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) सरकार द्वारा नियुक्त कर्णधार समिति ने 1969-70 के लिये औजारी, मिश्र एवं विशेष इस्पातों की 162,000 टन मांग का अनुमान किया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में लगभग 294,000 टन की मांग होने का अनुमान है।

(ख) पिछले तीन सालों में आयातित औजारी, मिश्र एवं विशेष इस्पातों की मात्रा एवं मूल्य इस तरह रहा :

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (हजार रुपयों में)
1966-67	85,552	235,084
1967-68	81,704	271,353
1968-69	68,283	218,920

औजारी/मिश्र एवं विशेष इस्पातों का आयात मुख्यतः जापान, इंगलैण्ड, अमरीका, रूस, पूर्वी जर्मनी एवं पश्चिमी जर्मनी से किया गया है।

(ग) इस्पात का आयात उन्हीं श्रेणियों तक सीमित है जिनका कि या तो उत्पादन नहीं होता या यदि उत्पादन होता है तो मात्रा या क्वालिटी, मांग पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। आयात का बिल्कुल ही बन्द कर देना सम्भव नहीं है क्योंकि मिश्र इस्पात की आवश्यकता कई मापों और विशिष्ट विवरणों की है और प्रत्येक माप और विशिष्ट विवरण का कम मात्रा में देश में उत्पादन लाभप्रद नहीं होगा। फिर भी, दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने की क्षमता के विस्तार के कार्यक्रम के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इस तरह के विस्तार से आयात का कम होना सम्भव है।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता क्रमशः 137,000 टन और 93,600 टन होगी। यह दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने के विस्तार के अलावा होगी।

(ङ) देश में उत्पादन कर रहे मुख्य मिश्र इस्पात कारखाने निम्नलिखित हैं :

1. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का मिश्र इस्पात कारखाना, दुर्गापुर, प० बंगाल।
2. मैसूर आइरन एण्ड स्टील लि० भद्रावती, मैसूर।
3. गेस्ट कीन विलियम्स लि०, कलकत्ता, प० बंगाल।
4. महिन्द्रा यूजीन स्टील लि०, बम्बई, महाराष्ट्र।
5. कैनारा वर्कशाप्स लि०, मंगलोर, मैसूर।

हिन्दुस्तान स्टील लि० के मुख्य कारखाने और टिस्को भी मिश्र संरचनात्मक एवं विशेष

इस्पातों के उत्पादन करते हैं। मिश्र एवं विशेष इस्पातों के उत्पादन के लिए निम्नलिखित पार्टियों के पास लाइसेंस हैं :

1. लास्का स्टील्स, कोयम्बटूर, } इनमें आंशिक उत्पादन
2. मान इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, जयपुर } हो रहा है।
3. मद्रास एलाए एण्ड स्टेनलेस स्टील्स लि०, मद्रास।

कुछ अन्य पार्टियों के लाइसेंस रद हो गए हैं। चौथी योजना अवधि में मिश्र एवं विशेष इस्पातों के उत्पादन के लिए अभी तक कोई नए लाइसेंस नहीं दिए गए हैं।

धारित्र (केपेसिटर) उद्योग की फालतू क्षमता का उपयोग

3296. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धारित्र उद्योग के पास बिजली के धारित्र बनाने की फालतू क्षमता है ;

(ख) क्या यह सच है कि धारित्र उद्योग, जो इस समय 33 मेगावाट क्षमता के बिजली के धारित्र बना रहा है, कोई संतुलन कारक उपकरण के साथ 132 किलोवाट तक धारित्र बना सकता है ;

(ग) क्या यह सच है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल के पास फालतू क्षमता है और सरकारी उपभोक्ताओं से क्रयादेश प्राप्त करने में उन्हें अधिमान मिलने के बावजूद उनके पास पर्याप्त क्रयादेश नहीं हैं ; और

(घ) यदि, उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर हां हों तो 132 किलोवाट तक की क्षमता के धारित्र बनाने के लिए इस कारखाने की फालतू क्षमता के प्रयोग के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). 132 किलोवाट तक के केपिसिटर (धारित्र) बनाने के लिये मैसर्स हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल के अतिरिक्त अन्य एककों को मूल्यवान परीक्षण उपकरणों तथा अन्य संतुलन उपकरणों के आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी। मैसर्स हैवी इलैक्ट्रिकल्स (भारत) भूपाल के पास 132 किलोवाट तथा 220 किलोवाट जैसे अधिक परास वाले केपिसिटर (धारित्र) बनाने के लिये आवश्यक उपकरण तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है एवं हाल ही में उन्होंने इस परास वाले केपेसिटरों (धारित्रों) का क्रयादेश भी स्वीकार किया है। हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, के पास देश की 132 किलोवाट तथा 220 किलोवाट केपेसिटर (धारित्र) की आवश्यकताओं को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।

(ग) हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) भोपाल के पास चालू वर्ष के लिए काफी क्रयादेश हैं परन्तु अगले वर्ष में अदायगी किये जाने वाले क्रयादेश और भी स्वीकार किये जा सकते हैं। हैवी इलैक्ट्रिकल, भोपाल द्वारा प्राप्त क्रयादेश अन्य निर्माताओं से पूर्ण प्रतिस्पर्धा करने पर प्राप्त होते हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कालोल तथा दानगरवा स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के बीच रेलगाड़ी पर हमला

3297. **श्री रा० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक हिंसक भीड़ ने पश्चिम रेलवे में कालोल तथा दानगरवा स्टेशनों के बीच एक स्थान पर स्थानीय रेलगाड़ी पर हमला किया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने यात्री घायल हुए तथा मारे गये ; और क्या उन्हें कोई मुआवजा दिया गया था ; और

(ग) रेलवे को कुल कितनी हानि हुई ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां, 25-9-69 को डंगवाड़ा स्टेशन पर।

(ख) एक यात्री मारा गया और एक अन्य घायल हो गया। कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

(ग) रेल सम्पत्ति की कोई हानि नहीं हुई।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के उपोत्पाद एककों में हुई हानि

3298. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने को अपने उपोत्पाद बेचने पर 1964-65 में 36 लाख रुपये की हानि हुई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपोत्पाद-एकक के कार्य के सम्बन्ध में जांच के लिये एक विशिष्ट दल की नियुक्ति की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या दल की सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया था और उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) वर्ष 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में इन एककों का कार्य कैसा रहा है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पाण्डे कमेटी की सिफारिशों के अनुसार हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अपने उपोत्पाद कारखानों के काम की समीक्षा करने और उनकी कार्यक्षमता को सुधारने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति नियुक्ति की थी। इस समिति ने कई सिफारिशें की थीं जिनमें से कुछ क्रियान्वित की जा चुकी हैं और कुछ क्रियान्वित की जा रही हैं। आशा है कि इस कार्यवाही के फलस्वरूप दुर्गापुर उपोत्पाद कारखाने के काम में सुधार होगा।

(घ) अपरिष्कृत तारकोल और बेंजोल का उत्पादन इस प्रकार है :

	अपरिष्कृत तारकोल (टन)	**अपरिष्कृत बेंजोल** (किलो लि०)
1965-66	53,539	9219
1966-67	32,845	5841
1967-68	34,688	4576

इस्पात कारखानों का कार्य संचालन

3299. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात कारखानों के काम के मानदण्डों के बारे में गम्भीर आशंकाएं व्यक्त की गई हैं और समुचित जनशक्ति आयोजन की आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि औद्योगिक इंजीनियरी विभाग द्वारा 1967 में इस प्रयोजन के लिये अध्ययन करने का आदेश दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी इस्पात कारखानों के सम्बन्ध में इन अध्ययनों के परिणाम भी उपलब्ध हो गये हैं ;

(घ) क्या यह त्रुटियां प्रकाश में आई हैं और इन सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) आरम्भ से ही ऐसा अध्ययन न किये जाने के क्या कारण थे ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ). उत्पादन आरम्भ होने के समय श्रम-शक्ति का प्रबन्ध, जैसा कि सामान्य है, स्वीकृत योजना प्रतिवेदनों की व्यवस्था पर आधारित था, जिसके लिए देश में वर्तमान कारखानों में अपनाए गए मापदण्डों और मानकों को ध्यान में रखा जाता है। बाद में, प्राथमिक चरणों के अनुभव के आधार पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अप्रैल, 1968 से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालिज आफ इण्डिया की कन्सलटेन्सी एण्ड एप्लाइड रिसर्च डिवीजन के साथ मिल कर अपनी प्रोत्साहन प्रणाली को अधिक वैज्ञानिक बनाने और उसे सम्भावित छोटे से छोटे ग्रुप के कार्य पर आधारित करने के लिए विस्तृत औद्योगिक इन्जीनियरी अध्ययन शुरू किया। इन अध्ययनों से उसे अपने बहुत से कार्य-विभागों में स्टाफ की आवश्यकता को वैज्ञानिक ढंग से जानने में सहायता मिलने की आशा है। ये अध्ययन अभी भी जारी हैं।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की इस्पात पिण्डों को तैयार करने की क्षमता

3300. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के पास अपनी "आर्क-भट्टियों' में इस्पात पिण्ड तैयार करने की क्षमता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में इस्पात की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए इन आर्क-भट्टियों में इस्पात तैयार करने के सम्बन्ध में अब तक कोई प्रयत्न किये गये हैं और यदि हां, तो उनका व्योरा क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या इस्पात पिण्ड तैयार करने के सम्बन्ध में प्रयत्न किये जायेंगे ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के फाऊन्ड्री फोर्ज प्लांट की इस समय इस्पात-पिण्ड बनाने की कुछ क्षमता है और यह प्लांट ये इस्पात-पिण्ड बना रहा है। वर्ष 1968-69 में इस्पात पिण्ड का वास्तविक उत्पादन 3695 टन और वर्ष 1969-70 में (अप्रैल से नवम्बर तक) 5786 टन का उत्पादन हुआ ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Arrangements for Hindi translation Work in Official Language Commission and Department of Legal Affairs

3301. **Shri Yamuna Prasad Mandal :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the primary function of the Official Language (Legislative) Commission is to prepare Hindi drafts and to translate the Acts in English into Hindi ;

(b) if so, the reasons for which the Commission is assigned the work of translating several Hindi contracts into English and the translation of non-statutory work ;

(c) whether it is also a fact that there is not a single person for doing Hindi work in the Department of Legal Affairs ; and

(d) if so, the arrangements being made in that Departments for disposing of Hindi work ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : (a) The main functions of the Official Language (Legislative) Commission are :—

(i) to prepare and publish a standard legal terminology for use, as far as possible, in all official languages ;

(ii) to prepare authoritative texts in Hindi of all Central Acts and Ordinances and Regulations promulgated by the President ; and

(iii) te prepare authoritative texts in Hindi of all rules, regulations and orders made by the Central Government under any Central Act or any such Ordinance or Regulation.

(b) The Commission is also expected to perform such other duties as may be assigned to it by the Government of India from time to time. It is, therefore, in order to assign to the Commission the work of translation of Hindi contracts into English and also the translation into Hindi of non-statutory material.

(c) No, Sir. The Hindi work of the Legislative Department and the Department of Legal Affairs of the Ministry of Law which cannot be got done by the staff of the said Departments, is got done through the office of the Official Language (Legislative) Commission. The Commission has been provided with sufficient staff to enable it to attend to this additional work.

(d) Does not arise.

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा परमाणु टर्बाइन का निर्माण

3302. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु टर्बाइन के निर्माण के लिए कलापक्कम अणु-शक्ति परियोजना द्वारा दिये गये क्रयादेश के कारण भोपाल स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल्स प्लांट को भारी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) इस टर्बाइन का आकार तथा भार क्या है ;

(ग) क्या मूल विवरण ऐसे हैं कि भोपाल से मद्रास तक रेलवे लाइन तथा सभी पुलों को मजबूत किये बिना इस टर्बाइन को मद्रास नहीं ले जाया जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कुल कितना धन व्यय होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) टर्बाइन के समग्र आयात :

लम्बाई	13.5 मीटर
चौड़ाई	6.2 मीटर
अधिकतम ऊंचाई	6.2 मीटर
कुल वजन	425 मी० टन

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

New Trains and Additional Travelling Facilities

3303. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some new trains have been introduced since 1st October, 1969 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the extent of additional travelling facilities made available as a result thereof ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (c). 63 passenger carrying trains have been introduced/extended in the time table which came in force from 1-10-69 providing appreciable relief. Details regarding these services are given in the statement attached. **[Placed in Library, See No. LT-2307/69]**

Training Centres for Railway Officers

3304. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of places where training centres for the Railway Officers have been set up and the number of trainees getting training there every year; and

(b) the qualifications laid down for selection for the said training and the persons who select the candidates for the training ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) :

(a)

Names of training institutions and places.	Number of officers trained in 1968-69.
(1) Railway Staff College, Baroda.	625
(2) Indian Railways School of Advanced Permanent Way Engineering, Poona.	210
(3) Indian Railways School of Singal Engineering and Telecommunications, Secunderabad.	71
(4) Indian Railways School of Mechanical and Electrical Engineering, Jamalpur.	85

Probationers of different Class I Services are imparted Centralised training at the following places besides training in the above institutions :

(1) Probationers of Indian Railway Traffic Service.	Asansol	31
(2) Probationers of Indian Railway Service of Mechanical Engineers.	Kharagpur	15
(3) Probationers of Indian Railway Service of Electrical Engineers.	Bombay	6
(4) Probationers of Indian Railway Service of Signal Engineers.	Calcutta	4

The number of trainees varies from year to year depending upon the nature of the courses conducted in the training institutions at Baroda, Poona, Secunderabad and Jamalpur. The number of probationers at the training places at Asansol, Kharagpur, Bombay and Calcutta also varies depending on the annual intake of probationers in the Railway Service.

(b) Probationers to Class I Railway Services recruited on the basis of combined competitive examinations conducted by the Union Public Service Commission, possess the minimum academic qualification of a degree and are imparted thorough training at the above mentioned training institutions and places before they are given independent assignments. In-service officers viz. Class II and Class I officers are given training in the training institutions in order to bring their knowledge on various subjects up-to-date.

No minimum academic qualification has been laid down for them for the purpose of selection for training at the above training institutions. The officers for training at these institutes are deputed by the Railway Administrations with the approval of the Ministry of Railways (Railway Board).

Opening of Additional Development Blocks in Tribal Areas in Madhya Pradesh

3305. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government have emphasized the need for opening of 66 additional Development Blocks by the Central Government in the tribal areas of Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the reaction of the Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): (a) The State Government proposed the opening of 65 new T. D. Blocks during the Fourth Five Year Plan.

(b) The State Government sent detailed proposals for the opening of 11 new T. D. Blocks during 1969-70. These could not be agreed to because the proposed Blocks did not have the required 66-2/3% concentration of tribal population.

Provision of Amenities to Workers of Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal

3306. **Shri Yashwant Singh Kushwah**: Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it has been agreed recently to provide further amenities to the workers of the Heavy Electricals Ltd., Bhopal ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b). Yes, Sir. An agreement was arrived at between the Management of Heavy Electricals (India) Ltd., and Heavy Electricals Employees Union, representative union of the company, on the 16th August, 1969. Amenities like retirement gratuity, liberalisation of Casual/Sick leave for the industrial employees, liberalisation of leave travel concession rules, incentive for acquiring higher qualifications, liberalisation of overtime rates for staff car drivers, improve-ments of amenities in the labour colonies etc. have been provided to workers of Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal.

चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उपक्रमों का विकास

3307. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में किन-किन बड़े औद्योगिक उपक्रमों का विकास करने का विचार है ; और

(ख) औद्योगिक क्षमता वाले पिछड़े क्षेत्रों का शीघ्र औद्योगीकरण करने से क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्थापित होने वाली परियोजनाएं तथा उन पर होने वाला विनियोजन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रतिवेदन प्रारूप के पृष्ठ 253 से 260 पर दिया गया है। ऐसी परियोजनाओं के बारे में जिनके स्थान का अभी निश्चय नहीं किया गया है अभी यह बताना संभव नहीं है कि किस राज्य (राज्यों) में किस परियोजना को स्थापित किया जायेगा।

(ख) देश में विभिन्न भागों का संतुलित विकास, कम विकसित क्षेत्रों में आर्थिक उन्नति के लाभों का प्रसार तथा उद्योगों का चहुमुखी विस्तार करना सुनियोजित विकास के उद्देश्य हैं। अभी हाल ही में, दो अधिकारी समूह बनाए गए हैं— एक दल पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने की सिफारिश करने तथा दूसरा पिछड़े इलाकों में उद्योग प्रारम्भ करने के लिए वित्तीय तथा आर्थिक प्रोत्साहन की सिफारिशें करने के लिए हैं। 26 सितम्बर, 1969 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की राज्यों के मुख्य मंत्रियों की समिति की बैठक में इन दोनों कार्यकारी दलों के प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श किया गया था। समिति द्वारा किए गए मुख्य निर्णयों का एक संक्षिप्त विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2308/69]**

औद्योगिक विकास कार्यक्रम

3308. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक राष्ट्रीयकरण को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित विकास कार्यक्रमों पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में फेरो वैनेडियम कारखाना स्थापित करना

3309. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

श्री स० कुन्दू :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार का विचार उड़ीसा में एक फेरो वैनेडियम का कारखाना स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार को आशय पत्र तथा अपेक्षित लाइसेंस दे दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) औद्योगिक विकास निगम, उडीसा ने, जो कि उड़ीसा सरकार का एक उपक्रम है, उड़ीसा में एक फेरो-वैनेडियम प्लांट लगाने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन किया है ।

(ख) और (ग). इस निगम को आशय-पत्र देने का प्रश्न अभी विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा ।

भारतीय इस्पात की किस्म

3310. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश, अमरीकी तथा रूसी इस्पात की तुलना में भारतीय इस्पात की किस्म घटिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसे सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि उसमें कोई सफलता मिली है तो क्या ; और

(ग) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो सरकार की इस्पात सम्बन्धी खास नीति विशेषकर किस्म की दृष्टि से क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं । भारतीय इस्पात उतना ही अच्छा है जितना कि विश्व का कोई अन्य इस्पात ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में और अधिक जनता रेलगाड़ियां चालू करना

3311. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी रेलों में और अधिक जनता रेलगाड़ियां चालू करने के लिये और आगे क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में ऐसी कितनी गाड़ियां चालू किए जाने की सम्भावना है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) एक दीर्घकालीन नीति के रूप में, यदि अपेक्षित साधन उपलब्ध हों, सभी भारतीय रेलों के महत्वपूर्ण ट्रंक मार्गों पर क्रमशः जनता एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने का विचार किया जा रहा है। अभी तक विभिन्न मार्गों पर कुल 32 जनता गाड़ियां चलायी गई हैं।

(ख) प्रतिवर्ष अप्रैल और अक्तूबर से प्रभावी नयी समय सारणियां लागू करने से पहले विभिन्न क्षेत्रीय रेलें जनता की मांग, यातायात में वृद्धि और अपनी अपनी रेलों पर भीड़-भाड़ के आधार पर नयी गाड़ियां चलाने और वर्तमान गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाने के लिये अपने प्रस्ताव भेजती हैं। प्रत्येक छमाही समय सारणी के लागू करने से पहले एक अन्तर रेलवे समन्वय बैठक की जाती है जिसमें लाइन पर्यन्त क्षमता, चलस्टाक आदि जैसे अपेक्षित साधनों का ध्यान रखते हुए अतिरिक्त गाड़ियां चलाने के लिये कार्यक्रम बनाया जाता है।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड भोपाल में बर्खास्त किये गये कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर रखना

3312. **श्री स०मो० बनर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल में कुछ कार्मिक संघ कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उत्पीड़न के विरुद्ध व्यापक असन्तोष फैल रहा है ; और

(ग) उन कर्मचारियों को वापस लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नियमित प्रक्रियाओं के पश्चात हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि० के तीन कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

(ख) कोई उत्पीड़न नहीं है अतः ऐसे उत्पीड़न से उत्पन्न किसी असन्तोष का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह मामला कम्पनी के प्रशासनिक न्याय क्षेत्र के अन्तर्गत है।

पश्चिम बंगाल में चलती रेलगाड़ियों में छापे तथा डकैतियां

3313. **श्री समर गुह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त नवम्बर, 1969 की अवधि में पश्चिम बंगाल में चलती रेलगाड़ियों में कई बड़े छापे तथा डाके पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं का व्योरा क्या है, यात्रियों को कितनी हानि हुई और ऐसी घटनाएं रोकने तथा छापे मारों और डाकुओं को पकड़ने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाहीकी है ?

विधि तथा समाज कल्याण औरं रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है, जिसमें अगस्त, 1969 से नवम्बर, 1969 के दौरान, पश्चिम बंगाल में लूटपाट और डकैती के मामलों का संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2309/69]**

सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा सामान्य पुलिस व्यवस्था को कड़ा करने, जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर निगरानी रखने और अपराधियों तथा समाज-विरोधी तत्वों से निपटने के लिये आवधिक छापे मारने, के अलावा निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं :

(i) रात की सभी महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों में पहरेदार रखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकारी रेलवे पुलिस को, अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, रेलवे सुरक्षा दल की कुमक भी दी गई है।

(ii) पश्चिम बंगाल में, राज्य के खुफिया विभाग और रेल सुरक्षा दल की अपराध आसूचना शाखा की मदद से एक विशेष अपराध कक्ष भी खोला गया है ताकि उस क्षेत्र में जघन्य अपराधों की घटनाओं से सम्बद्ध अपराधियों पर निगरानी रखी जा सके और उनका पता लगाया जा सके।

(iii) यार्डों या स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर रेल सम्पत्ति की रक्षा के लिए तैनात रेल सुरक्षा दल के कर्मचारियों को इस बात की कड़ी हिदायतें भी दी गयी हैं कि रेल कर्मचारियों अथवा यात्रियों आदि पर हिंसात्मक हमले होने की स्थिति में तुरन्त अपराध-स्थल पर पहुंचे और पीड़ित व्यक्तियों को सभी सम्भव मदद दें।

साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में सांविधानिक पेचीदगियां

3314. **श्री समर गुह : श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री वंश नारायण सिंह : श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने के मामले में संविधान में निहित उपबन्ध बाधा डालते हैं ;

(ख) क्या साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने के मार्ग में सांविधानिक पेचीदगियों के बारे में सरकार ने कोई अध्ययन किया है ;

(ग) क्या इस मामले पर गृह-कार्य मंत्रालय ने उनके मंत्रालय की राय मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में उनके मंत्रालय ने क्या सलाह दी है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) यह तो विधिक निर्वचन का प्रश्न है और उसका उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि किसी विशिष्ट साम्प्रदायिक दल पर अधिरोपित किये जाने वाले निर्बन्धन किस प्रकार के हैं।

(ख) से (घ). इस प्रश्न की परीक्षा, समय समय पर, जैसे जैसे और जब जब कोई अवसर आता है, हर मामले के तथ्यों के प्रति निर्देश के साथ, की जाती है और जो सलाह विधि मंत्रालय ने दी है उसे प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

Amenities in Refreshment Rooms at Itarsi Railway Station

3315. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are two separate Refreshment Rooms, one vegetarian and the other non-vegetarian, at Itarsi Station;

(b) whether it is also a fact that the vegetarian Refreshment Room has now been converted into a non-vegetarian Refreshment Room and the old non-vegetarian Refreshment Room converted into a vegetarian Refreshment Room;

(c) whether this has resulted in any inconvenience to the passengers and, if so, the reasons for this change;

(d) whether it is also a fact that the amenities provided in the vegetarian Refreshment Room are not available in the non-vegetarian Refreshment Room, i. e. there are two separate store rooms in the vegetarian Refreshment Room but there is no store room in the non-vegetarian Refreshment Room;

(e) whether Government realise the difficulty in the absence of a store-room; and

(f) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) No inconvenience to the passengers has been reported. The shifting was done to provide larger accommodation for the Vegetarian Refreshment Room at Itarsi.

(d) Amenities like water, electricity, furniture, etc. are provided equally in both Vegetarian and Non-vegetarian Refreshment Rooms at Itarsi but the Non-vegetarian Refreshment Room has no separate Store Room at present.

(e) and (f). No difficulty is being experienced. However a representation from the Refreshment Room Contractor is under consideration.

Equipment Stolen in Central Railway

3316. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state;

(a) the value of equipment stolen in the Central Railway during the last two years;

(b) whether it is a fact that the Railway employees have a hand behind these thefts; and

(c) if so, the action being taken to prevent such thefts?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) The value of equipment (electrical, mechanical fittings and workshop and stores material) stolen during 1967 amounted to Rs. 3.00 lakhs and during 1968 Rs. 2.52 lakhs approximately.

(b) Yes. In some cases they were found to be involved.

(c) Deterrent action is taken against the Railway employees involved in thefts. Some of them are prosecuted in courts while others are punished departmentally. With the implementation of Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966, most of the Railway employees found involved are now being prosecuted under this Act.

Working Results of Nepa Mills

3317. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Nepa Mills suffered loss or earned profit during the last three years;

(b) the detailed account year-wise;

(c) in case it suffered loss, the time by which such situation is expected to be improved; and

(d) the action Government propose to take to improve the working of this Mill?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b). Profit after taxation:

1969 — Rs. 20.97 lakhs

1968 — Rs. 19.48 ,,

1967 — Rs. 16.39 ,,

(c) and (d). Does not arise.

Industrial Atmosphere in Madhya Pradesh

3318. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been an improvement in the Industrial atmosphere in Madhya Pradesh during the last eight to ten months;

(b) whether the workers are co-operating and the production in the industries increasing steadily; and

(c) if not, the extent to which the industrial output has fallen in Madhya Pradesh and the part of installed capacity which is not being utilized as a result of bad relations with the workers?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) to (c). The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

Loss incurred in Bhilai Steel Plant

3319. **Shri Deven Sen:**
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the General Manager, Bhilai Steel Plant told the Press that the Plant had incurred a loss of Rs. 11 crores during 1968-69; and

(b) if so, the reasons of the said loss and the action proposed to be taken for future progress of the Plant?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant): (a) It is a fact that the Bhilai Steel Plant incurred a loss of Rs. 11.35 crores during 1968-69

(b) The various factors responsible for the losses of Hindustan Steel Ltd. were indicated in the Pamphlet "Performance of Hindustan Steel Limited" laid on the Table of the House on 5th April, 1968. The various measures undertaken to contain and reduce the losses and to improve the efficiency of the Steel Plants were also mentioned therein. These measures are being pursued.

मैसूर में कम आय वालों को छात्रवृत्तियां

3320. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में कम आय वाले ऐसे छात्रों की क्या संख्या है जिन्हें केन्द्र सरकार ने वर्ष 1967-68 में छात्रवृत्तियां दी थीं तथा दी गई छात्रवृत्तियों की कुल धन राशि कितनी थी ;

(ख) उन छात्रों के अभिभावकों का आय वर्ग क्या है जिन्हें ये छात्रवृत्तियां दी गई हैं ; और

(ग) मैसूर राज्य सरकार ने बिना आय सीमा पर जोर दिया है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) विद्यार्थियों की संख्या	—	963
खर्च	—	6,21,590 रुपए ।

(ख) 360 रुपए प्रति वर्ष तक ।

(ग) भारत सरकार द्वारा विहित की गई आय-सीमाएं सभी राज्यों में समान रूप से लागू होती हैं :

तकनीकी पाठ्यक्रमों में	..	2,400 रुपए प्रति वर्ष ।
गैर-तकनीकी पाठ्यक्रमों में	..	2,000 रुपए प्रति वर्ष ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को विधि मंत्रालय की सलाह

3321. **श्री शशि भूषण :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 1966 में सलाह दी थी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में दी गयी परिभाषा के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक 'उद्योग' है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने, जिन्हें बाद में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में विधि सलाहकारों के रूप में पुर्ननियुक्त किया गया था, विधि मंत्रालय की पहली सलाह में फेर बदल किया था और यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । विधि मंत्रालय के किसी भी पदधारी/अधिकारी की विधि सलाहकार के रूप में पुनर्नियुक्ति, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नहीं की गई है ।

(ग) विधि मंत्रालय द्वारा दी गई यह सलाह कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 'उद्योग' नहीं है, इस विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित किये गये अद्यतन न्यायिक मतों के प्रकाश में, इस मामले की विधिक स्थिति पर सम्यक रूप से गौर करने के बाद ही दी गई है ।

Legal Action against Sahu-Jain Group of Concerns

3322. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of cases concerning the Sahu-Jain Group of concerns forwarded by the Ministry of Home Affairs to his Ministry in which they had sought advice for taking legal action against those concerns ;

(b) the nature of allegations levelled against those concerns by the Ministry of Home Affairs and the reaction of his Ministry thereto ; and

(c) the number of cases in regard to which his Ministry have furnished their opinion and the number of cases that are still pending ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : (a) Two.

(b) Since both the cases are sub-judice, it is not in the public interest to divulge the information relating to inter-Departmental consultations.

(c) No reference is pending in the Ministry of Law.

दूसरे औजार कारखाने की स्थापना

3323. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूसरा औजार कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है; और

(ख) क्या पालघाट कारखाना अब भी काम कर रहा है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० के पालघाट एकक के कार्यान्वयन को स्थगित करने तथा कोटा एकक में उपांतिक अतिरिक्त विनियोजन द्वारा पालघाट स्तर के यंत्रों के निर्माण का निश्चय किया गया है ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मांग के रुख तथा उपभोक्ता उद्योगों के विकास को देखने के पश्चात् पालघाट में मैकेनिकल इन्स्ट्रूमेंट्स प्लांट स्थापित करने की स्थिति पर पुनः विचार किया जायेगा ।

उद्योगों की क्षमता बढ़ाने के लिये लाइसेंस देना

3334. **श्री सीता राम केसरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ उद्योगों की क्षमता बढ़ाने के लिये लाइसस देने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). आवेदकों के आवेदन प्राप्त होने पर सरकार विद्यमान उद्योगों में पर्याप्त विस्तार की अनुमति देती रही है । विद्यमान मशीनों तथा संयंत्र के और अधिक प्रयोग के लिये सरकार अनुज्ञापित तथा पंजीयित औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेंस प्राप्त करने की औपचारिकता के बिना निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपने उत्पादन में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि करने की अनुमति दे दी है :

(1) कुछ देशीय हल्के संतुलन उपकरणों के सिवाय कोई अतिरिक्त मशीनें अथवा संयंत्र नहीं लगाये जाएंगे ।

(2) इसमें विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त व्यय न हो ।

(3) कमी वाले कच्चे माल की कोई अतिरिक्त मांग न हो ।

ऐसे औद्योगिक एककों अथवा उत्पादन की मदों, जो कि देश के निर्यात के विकास तथा उसे बनाये रखने के लिये आवश्यक हैं निर्धारण का प्रश्न विचाराधीन है और इस हेतु क्षमता के विस्तार के कुछ आवेदनों की प्रारंभिक जांच विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा की जा रही है और तत्पश्चात् इसे उन्हें अनुज्ञापन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।

भारी इंजीनियरिंग निगम

3325. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों से भारी इन्जीनियरिंग निगम का उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि खर्च का अनुपात भी इन वर्षो में घटता रहा है; और यदि हां, तो उसका ब्योरा तथा वर्षवार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अच्छा उत्पादन होने पर भी मजदूरों का न्यायोचित बोनस नहीं मिल रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं। भारी इन्जीनियरी निगम के तीनों कारखानों का पिछले तीन वर्षों के उत्पादन का ब्योरा इस प्रकार है :

	भारी मशीनें बनाने का कारखाना	फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट	भारी उपमंत्री का कारखाना
1966-67	14309.2 टन	5058.26 टन	7 मशीनें
1967-68	14611.0 टन	9003.13 टन	15 मशीनें
1968-69	23852.5 टन	16641.82 टन	8 मशीनें*

(ख) प्रश्न का यह भाग स्पष्ट नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के उत्पादों का स्तर

3326. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में निर्मित उत्पादों की किस्म प्रामाणिक स्तर की नहीं है और इसी कारण पिछले तीन वर्षों में अनेक क्रयादेश रद्द कर दिये गये हैं जिससे कारपोरेशन को भारी हानि हुई है और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों में वर्षवार कारपोरेशन को कुल कितनी आय हुई ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) कम्पनी कई प्रकार का सामान तैयार करती है। कुछ विशिष्ट उत्पादों के बारे में शिकायतें हो सकती हैं, परन्तु कम्पनी के उत्पादों की क्वालिटी के बारे में कोई आम शिकायत नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में कम्पनी की कुल आय प्रति वर्ष इस प्रकार रही :

(लाख रुपयों में)

	1966-67	**1967-68**	**1968-69**
(i) विक्रय और सेवाओं से आय	335.84	441.70	1061.39
(ii) विविध-आय	20.14	12.54	11.27
(iii) टाउनशिप से आय	34.38	37.24	49.02
योग :	390.36	491.48	1121.68

* इसके अतिरिक्त दो सेंटर लेथो की बैड की लम्बाई 5 मीटर से बढ़ाकर 9 मीटर की गई जिससे इनका भार 6 टन बढ़ गया। 1968-69 में 7.87 लाख रुपये का 121.8 टन सहायक साज सामान और विविध आन्तरिक कार्य किया गया।

शकूर बस्ती (उत्तर रेलवे) डिपो के गैर-अनुसचिवीय कर्मचारी

3327. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शकूर बस्ती (उत्तर रेलवे) के डिपो के गैर-अनुसचिवीय कर्मचारियों द्वारा दिये गये विकल्प अखण्डनीय हैं;

(ख) क्या यह सच है कि डिपो के कुछ कर्मचारियों द्वारा 1957 में दिये गये विकल्प उत्तर रेलवे के प्रशासन ने स्वेच्छा से रद्द कर दिये थे;

(ग) यदि हां, तो क्या यह इस सिद्धान्त का उल्लंघन था कि एक बार दिये गये विकल्प अखण्डनीय तथा अन्तिम होते हैं; और

(घ) क्या प्रशासन के इस स्वेच्छित निर्णय के परिणामस्वरूप जिन कर्मचारियों को हानि हुई थी, उन्होंने कोई शिकायत की थी और यदि हां, तो क्या वह शिकायत दूर की गई ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में खराब मशीनरी के प्रयोग, घेराव तथा तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों से हानि

3328. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रांची को पिछले तीन वर्षों में खराब तथा पुरानी मशीनरी के प्रयोग से तथा विध्वंसात्मक शक्तियों द्वारा की गई घेराव तथा तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के फलस्वरूप काफी हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्णचंद्र पन्त) : (क) और (ख). खराब और पुरानी मशीनों के उपयोग से या विध्वंसात्मक कार्य के कारण कोई हानि नहीं हुई है । भारी मशीनी औजार बनाने के कारखाने में 31-3-69 को हुये घेराव के कारण लगभग 11,000 रुपये की हानि हुई थी ।

मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम्स एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई

3329. **श्री जार्ज फरनेण्डीज** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम्स एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई, के बारे में 29 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1273 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित समस्त जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्णचंद्र पन्त) : (क) जी, हां । आवश्यक सूचना सभा को 1-12-69 को दी जा चुकी है ।

(ख) जून, 1961 में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने उत्पादकों से सर्वश्री स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई की आपूर्ति बन्द करने के लिये कहा था क्योंकि उसे यह पता चला था कि सिवरी की फर्म को दी जाने वाली चादरें उनकी ट्राम्बे की फैक्ट्री द्वारा प्रयोग की जा रही थीं । लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने प्रायोजक प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक तकनीकी विकास को भी इसकी सूचना दे दी थी । क्योंकि सिवरी तथा ट्राम्बे की दोनों मान्यता प्राप्त इस्पात प्रक्रिया फैक्ट्रियां उसी स्वामित्व में हैं तथा सिवरी फैक्ट्री को आवंटित इस्पात वास्तव में ट्राम्बे फैक्ट्री में प्रयोग किया गया जो कि बम्बई की नगर सीमा में ही है और तकनीकी विकास महानिदेशक ने आपूर्ति जारी रखने के लिये सिफारिश की अतः अगस्त, 1961 में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक को निलम्बन आदेश वापिस लेने को कह दिया गया था ।

Immoral Traffic in Women in Delhi

3330. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Police Officer of Uttarkashi rescued 30 kidnapped girls of the hill areas of Almora from the brotheles at G. B. Road, Delhi with the help of the Delhi Police, as reported in the newspapers of 15-16th August, 1969 ;

(b) whether it is a fact that according to the statements made by the said girls, they had been forcibly subjected to lead an immoral life ;

(c) whether it is also a fact that immoral traffic in women has been legally banned in Delhi ;

(d) if so, the reasons for immoral traffic in women on such a high scale in Delhi ; and

(e) whether Government would look into the indifference on the part of the Delhi Police and their doubtful conduct ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) Yes, Sir.

(b) No such statement has been made by any of the recovered girls.

(c) to (e). Supression of Immoral Traffic Act is enforced in Delhi. Any infringement of the Act is dealt with according to the law. The police is vigilant in this matter.

स्कूटरों तथा कारों के लिये संसद् सदस्यों/सरकारी कर्मचारियों से आवेदन पत्र

3331. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में स्कूटरों तथा कारों के आवंटन के लिये संसद् सदस्यों तथा सरकारी कर्मचारियों के कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) प्रत्येक मामले में कार/स्कूटर के आवंटन में औसतन कितना समय लगता है ; और

(ग) इन मोटरगाड़ियों की खरीद के लिये संसद् सदस्यों/सरकारी कर्मचारियों को कितना ऋण/अग्रिम धन दिया जाता है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) ऐसे संसद् सदस्यों जो अन्यथा आवंटन के अधिकारी हैं, का कोई आवेदन पत्र कार अथवा स्कूटर के आवंटन के लिये इस मंत्रालय में अनिर्णीत नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों के कारों के लिए लगभग 4200 तथा स्कूटरों के लिये लगभग 40,000 आवेदन पत्र पर इस मंत्रालय में अनिर्णीत पड़े हैं।

(ख) जहां तक संसद् सदस्यों का संबंध है, अधिकतर उनके आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात तत्काल ही उनको कारें/स्कूटरें आवन्टित कर दिये जाते हैं बशर्ते कि वे अन्यथा आवंटन के योग्य हों।

स्कूटरों के मामले में केन्द्रीय सरकारी कोटे से सरकारी कर्मचारियों को आवंटन करने की अवधि में जो समय लगता है वह आवेदक के वेतन तथा उसके कार्य के स्वभाव पर निर्भर करता है। साधारणतया यह समय 1 वर्ष से 5 वर्ष तक का होता है।

सरकारी कर्मचारियों को एम्बेसेडर तथा स्टैन्डर्ड हैराल्ड कारों के आवंटन में आजकल कोई समय नहीं लगता है। फिएट कारों के मामले में अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वेतन के अनुसार प्रतीक्षा समय में अन्तर रहता है। 1800 रु० या इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले को अधिकांशतः आजकल फिएट कारें आवंटित कर दी जाती हैं, यदि वे अन्यथा योग्य हैं। अन्य मामलों में प्रतीक्षा अवधि दो से चार वर्ष होती है।

(ग) संसद् सदस्यों को कारें अथवा स्कूटर खरीदने के लिये कोई ऋण नहीं दिया जाता है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उन्हें ऋण/अग्रिम धन इस प्रकार दिया जाता है :

(i) स्कूटर के लिये 10 मास का वेतन अथवा 3000 रु० जो कम हो तथा

(ii) 16 मास का वेतन अथवा 16000 रु० या कार का पूर्वानुमानित मूल्य जो भी कम हो।

भारतीय रेलों के ईंधन पर व्यय में बचत

3332. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 से 1968-69 तक भारतीय रेलों द्वारा ईंधन पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) ईंधन पर व्यय में निरन्तर वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) बचत करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) 1966-67 से 1968-69 तक भारतीय रेलवे का ईंधन पर कुल व्यय इस प्रकार रहा :

वर्ष	ईंधन पर व्यय (करोड़ रुपयों में)
1966-67	122.5
1967-68	141.2
1968-69	152.8

(ख) ईंधन व्यय में वृद्धि के प्रमुख कारण ये हैं :

(i) खपत हुए यूनिट ईंधन के मूल्य में समग्र वृद्धि ; और

(ii) कर्षित कुल मीटरिक टन किलोमीटर में वृद्धि ।

(ग) ईंधन की बचत पर रेल प्रशासन कड़ी निगरानी रखते हैं। ईंधन की खपत में अधिकतम किफायत के लिये सभी क्षेत्रीय रेलों में ईंधन नियंत्रण संगठन मौजूद हैं ।

भारतीय रेलवे में आशुलिपिकों को वेतन वृद्धि देना

3333. **श्री विद्याधर बाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 में भारतीय रेलों में काम कर रहे आशुलिपिकों को, जिनका सेवा काल चार वर्ष के बीच का है, 130-300 रुपये के वेतनमान में, आरम्भ में 150 रुपये मूल वेतन देकर वेतन में 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक (एक से लेकर चार वेतन वृद्धि तक) का आर्थिक लाभ देना मंजूर किया गया जबकि चार वर्ष से अधिक नौकरी वाले आशुलिपिकों को इस वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको लाभ न देना भेदभावपूर्ण व्यवहार है ; जहां तक उनकी परिलब्धियों का सम्बन्ध है एक दिन की नौकरी वाले एक आशुलिपिक को चार वर्ष की नौकरी वाले आशुलिपिक के सामान ठहराया गया है ; और

(ग) क्या सरकार "प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट" वेतन का निर्धारण करके इस वेतन वृद्धि का लाभ उनको भी पहुंचाने के बारे में प्रयत्न कर रही है जिनको उसी श्रेणी में इस लाभ से वंचित रखा गया है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्दमेनन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). वेतनमान में कोई संशोधन नहीं हुआ है इसलिये 'पाइन्ट टू पाइन्ट' आधार पर वेतन-निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय रेलवे में सीनियर स्केल अधिकारियों के साथ कार्य कर रहे आशुलिपिक

3334. **श्री विद्याधर बाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलवे में दिनांक 1 जुलाई, 1969 को सीनियर स्केल अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के अधिकारियों के साथ 130-300 के वेतन में कार्य कर रहे आशुलिपिकों की जोन-वार, मुख्यालय-वार तथा डिवीजन-वार कुल संख्या क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

वाराणसी डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) में कोच-अटेंडेंट्स

3335. **श्री सूरज भान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी डिवीजन में कुल कितने कोच-अटेंडेंट्स काम कर रहे हैं ;

(ख) कोच-अटेंन्डेन्ट्स के कुल कितने पद खाली हैं तथा किस तारीख से खाली पड़े हैं ;

(ग) वाराणसी डिवीजन में कुल कितने कोच-अटेंडेंट्स (लीव रिजर्व) काम कर रहे हैं ;

(घ) रेलवे प्रशासन द्वारा कोच-अटेंडेंट्स तथा उनके लिये लीव रिजर्व की भर्ती करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाये गये हैं ; और

(ङ) उचित चुनाव कब होने जा रहा है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्वोत्तर रेलवे के टेलीग्राफ रेलवे (एस० टी० आर०) में अधीक्षक का पद

3336. **श्री सूरजभान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिवीजनल स्कीम के चालू होने पर पूर्वोत्तर रेलवे में अधीक्षक टेलीग्राफ (एस० टी० आर०) के पद को भरा जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रबन्ध के लिये कौन सी अन्तिम तारीख निर्धारित की गई है ; और

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे में आपरेटिंग डिपार्टमेंट के अधीन टेलीग्राफ शाखा में कुशलता तथा अच्छे कार्य की देखभाल करने के लिए कौन सा अधिकारी उत्तरदायी है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सीनियर सिग्नल तथा टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर (टेलीकम्यूनिकेशन) ।

पूर्वोत्तर रेलवे में सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को वेतन की बकाया राशि का भुगतान न किया जाना

3337. **श्री सूरजभान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण निलम्बित किये गये तथा नौकरी से हटाये गये कर्मचारियों को, सरकार द्वारा उन्हें सादर दोषमुक्त किये जाने पर भी, बकाया वेतन राशि नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनको बकाया वेतन राशि किस तारीख तक दे दी जायेगी ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग). इन कर्मचारियों के मामले की जांच की गयी है और जहां कहीं वे ड्यूटी पर वापस लिये गये हैं उन्हें देय बकाया रकमों का भुगतान यथा सम्भव शीघ्र कर दिया जायेगा ।

भटनी (पूर्वोत्तर रेलवे) पर मजिस्ट्रेट युक्त जांच दल

3338. **श्री सूरजभान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक मजिस्ट्रेट-युक्त जांच दल ने भटनी (पूर्वोत्तर रेलवे) पर कार्य कर रहे कुछ रेलवे कर्मचारियों पर आरोप लगाये, उन्हें दण्ड दिया तथा उनके विरुद्ध सरकारी रेलवे पुलिस में झूठी रिपोर्ट की ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त कम आय वाले कर्मचारियों को ऐसी अनुचित परेशानियों से बचने के लिए प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग). भारतीय दण्ड संहिता की धारा 224, 225, 323 और 332 के अन्तर्गत भटनी की सरकारी रेलवे पुलिस के पास एक मामला दर्ज किया गया था और टिकट परीक्षक दल के एक कर्मचारी को उसकी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने तथा वहां एकत्रित जनता की सहायता से रेलवे सुरक्षा दल के सैनिक पर हमला करके तथा उसकी कमीज फाड़कर, उसके कब्जे से बिना टिकट यात्रियों में से एक को जबर्दस्ती छुड़ा ले जाने के लिये भटनी स्टेशन के केबिन मैन के विरुद्ध एक अभियोग पत्र पेश किया गया था । यह मामला न्यायाधीन है ।

संसद तथा राज्य विधान सभाओं के उप-निर्वाचनों का मुलतवी किया जाना

3340. **श्री रामावतार शर्मा** : **श्री श्रीचन्द गोयल** :
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री **श्री मयावन** :
श्री दण्डपाणि : **श्री जि० ब० सिंह** :
श्री रा० बरुआ :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसदीय और विधान सभा स्थानों के लिए समस्त उप-निर्वाचन अनिश्चित समय के लिए मुल्तवी कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) और (ख) : जी, नहीं। चूंकि मुल्तवी करने का प्रश्न केवल उसी निर्वाचन के बारे में ही पैदा होता है जिसकी अपेक्षा तथा अधिसूचना प्ररूपतः हो चुकी हो इसलिए कोई भी निर्वाचन इस प्रकार मुल्तवी नहीं किया गया है। छः निर्वाचन, जिनकी अपेक्षा तथा अधिसूचना प्ररूपतः हो चुकी है या तो पूरे हो चुके हैं या हो रहे हैं। किन्तु निर्वाचन नामावलियों के हो रहे पुनरीक्षण को ध्यान में रखते हुए आयोग ने कुछ उप-निर्वाचन ऐसे पुनरीक्षण के दौरान न कराने का विनिश्चय किया है।

उत्तर रेलवे यातायात लेखा वरिष्ठता यूनिट में ग्रेड एक के क्लर्क तथा सब हैंड

3341. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **रेलवे** मंत्री 22 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7204 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सब हैडों तथा ग्रेड एक के क्लर्कों के 30 दिन से अधिक की छुट्टी पर चले जाने के कारण रिक्त होने वाले स्थानों पर ग्रेड दो के अर्हता प्राप्त तथा अनर्ह क्लर्कों को पदोन्नत न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) 1-4-68 से 7-4-69 तक की अवधि के बीच एपेंडिक्स II में अर्हता प्राप्त दो कर्मचारियों को क्लर्क ग्रेड I के रूप में पदोन्नत किया गया था। बाकी खाली जगहें छुट्टी से लौटने वाले सब-हेडों/क्लर्क ग्रेड I द्वारा भरी गयी थीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

तीसरी तथा चौथी श्रेणी में रेलवे कर्मचारियों को मानार्थ पास

3342. **श्री नम्बियार :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **रेलवे** मंत्री तीसरी तथा चौथी श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को मानार्थ पास दिये जाने के बारे में 23 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8197 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में सरकार को 21 अगस्त, 1968 को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) सेवा निवृत्ति के बाद मानार्थ पास देने के मामले में चतुर्थ श्रेणी के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को तीसरी श्रेणी के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के समकक्ष लाने के लिए वर्तमान पास नियमों को उदार बनाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

उत्तर रेलवे में विभिन्न डाक्टरों द्वारा किये गये रोग निदान की सत्यता

3343. **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के चिकित्सा विभाग में यह सुनिश्चित करने के लिये कोई व्यवस्था है कि विभिन्न डाक्टरों द्वारा (विशेषकर औषधालयों में एसिस्टेंट मैडिकल अफसरों द्वारा) किया गया रोग निदान सही है और वे चिकित्सा विज्ञान में नवीनतम खोजों से सुपरिचित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसको किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). जी हां । अस्पतालों और स्वास्थय यूनिटों में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जांच पड़ताल तथा पर्यवेक्षण करते हैं और निदान और उपचार के सम्बन्ध में सहायक चिकित्सा अधिकारियों को परामर्श देते हैं तथा उनका मार्गदर्शन करते हैं । सहायक चिकित्सा अधिकारियों को व्यावसायिक पत्र-पत्रिकाएं (जर्नल) दी जाती हैं ताकि वे नवीनतम प्रगति से अवगत रहें । उन्हें पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए भेजने की भी व्यवस्था की गयी है । रेलवे डाक्टरों को प्रशिक्षण के लिए रेलवेतर संस्थानों में भी भेजा जाता है ताकि वे अतिरिक्त योग्यता और अपने-अपने क्षेत्र में आधुनिकतम अनुभव प्राप्त करें । इसके अलावा वे रेलवे और रेलवेतर संस्थानों द्वारा आयोजित विचार-गोष्ठियों, परिसंवादों, तथा क्लिनिक बैठकों में भी शामिल होते हैं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली (उत्तर रेलवे) में ग्रेड एक के क्लर्कों की पदोन्नति

3344. **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1966 से आज तक दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय में ग्रेड एक के कितने क्लर्कों को किस किस तारीख को सब हैड तथा टी० आई० ए० के पदों पर पदोन्नत किया गया ; और

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित ग्रेड एक के क्लर्कों के सब हैड तथा टी० आई० ए० के पदों पर पदोन्नत हो जाने के फलस्वरूप रिक्त हुए स्थानों पर ग्रेड दो के कुल कितने क्लर्कों को किस किस तारीख को पदोन्नत किया गया ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) अनुबन्ध एक के अनुसार 74 **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2310/69]**

(ख) अनुबन्ध दो के अनुसार 44 **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2310/69]**

दिल्ली और नई दिल्ली के स्टेशनों (उत्तर रेलवे) पर खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं की डाक्टरी जांच

3345. **श्रीमती सुशीला गोपालन** :

श्री गणेश घोष :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे स्टेशनों पर खाद्य पदार्थों के समस्त विक्रेताओं को रेलवे के डाक्टरों द्वारा डाक्टरी जांच करानी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली मेन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) उनमें से कितने विक्रेताओं की रेलवे डाक्टरों द्वारा डाक्टरी जांच हो चुकी है ;

(घ) इनमें से कितने विक्रेताओं की रेलवे डाक्टरों द्वारा डाक्टरी जांच नहीं हुई है ; और इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली स्टेशन पर 124 और नयी दिल्ली पर 19।

(ग) सभी विक्रेताओं की रेलवे डाक्टरों द्वारा डाक्टरी जांच की गयी है।

(घ) कुछ नहीं।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

उत्तर रेलवे में औषधालय तथा प्रयोगशाला

3346. **श्रीमती सुशीला गोपालन** :

श्री के० रमानी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के किन स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(ख) किन औषधालयों में नमूने लेने के लिए (रक्त, पेशाब, मल आदि के) प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं ;

(ग) जनवरी, 1969 से अक्तूबर, 1969 तक प्रत्येक प्रयोगशाला में कितने कितने नमूने एकत्र किये गये;

(घ) इस कार्य के लिये प्रत्येक औषधालय में कितने प्रयोगशाला सहायक हैं ; और

(ङ) जिन औषधालय में इन सुविधाओं का उपलब्ध किया जाना आवश्यक है उनमें इन सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में रेल कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं सेंट्रल अस्पताल नयी दिल्ली और मंडलीय अस्पताल, दिल्ली के अलावा स्वास्थ्य केन्द्रों से दी जाती हैं जो नीचे लिखे स्थानों में है :- दिल्ली, अम्बाला, दिल्ली-किशनगंज, दिल्ली-शाहदरा, धूरी, गाजियाबाद, जगाधरी कारखाना, जींद, कालका, खानआलमपुरा, मेरठ सिटी, पानीपत, सहारनपुर, शकूरबस्ती, शिमला, तुगलकाबाद और भटिंडा ।

(क) दिल्ली और अम्बाला कैन्ट । इसके अलावा सहारनपुर और जगाधरी के स्वास्थ्य केन्द्रों में इस समय केवल पेशाब की जांच की सुविधाएं हैं ।

(ग) दिल्ली - 21,966 अम्बाला कैन्ट - 4,407

(घ) दो दिल्ली में और एक अम्बाला कैन्ट में ।

(ङ) इस समस्या के प्रति सरकार जागरूक है और जहां कहीं आवश्यक है इन सुविधाओं की व्यवस्था करने की यथासंभव कोशिश की जाती है ।

दिल्ली स्थित अन्य रेलवे यातायात खाता कार्यालय, (पश्चिम रेलवे) के कर्मचारियों को क्वार्टर

3347. **श्री उमा नाथ :**
श्री प० गोपलन :

क्या **रेलवे** मंत्री 18 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3467 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के उस समय के उप महाप्रबन्धक के साथ रेलवे क्लीनिंग खाता कार्यालय में उस समय के निदेशक के (जो इस समय रेलवे बोर्ड के कार्यालय में वित्त निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं) हुए करार की प्रति सरकार को 18 अगस्त, 1969 को प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो गत 16 वर्षों में करार के अनुसार दिल्ली स्थित पश्चिमी रेलवे के अन्य रेलवे यातायात खाता कार्यालय के कर्मचारियों को क्वार्टर न दिये जाने के कारण क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग). 18-8-1969 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह इस विषय में, रेल, लेखा समजंन कार्यालय के तत्कालीन निदेशक द्वारा उत्तर रेलवे के महा प्रबंधक के नाम 7-7-1953 के अर्ध सरकारी पत्र सं० 121 एडमिन/153/437 के पैरा 1 की प्रतिलिपि भेजते हुए लिखा गया था। लेकिन दिल्ली क्षेत्र में मकानों की भारी कमी के कारण उत्तर रेलवे द्वारा यह विनिश्चय किया गया कि दिल्ली में तैनात पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों के लिए अलग से कोई कोटा निर्धारित करना सम्भव नहीं है, लेकिन ऐसे कर्मचारियों के साथ मकानों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर रेलवे के अस्पतालों में कान, नाक तथा गले के विशेषज्ञ

3348. **श्री भगवान दास :**

श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के प्रत्येक डिवीजन के अस्पतालों में कान, नाक तथा गले के कितने-कितने विशेषज्ञ नियुक्त हैं ;

(ख) क्या इन विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग करने हेतु प्रत्येक डिवीजन में कान, नाक तथा गले के विशेषीकृत उपचार हेतु आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की गई है तथा प्रबन्ध किये गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन विशेषज्ञों की सेवाओं का अन्य कार्यों हेतु लाभ उठाया जाता है ; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है कि उनकी विशेषीकृत व्यावसायिक क्षमता का अपव्यय न हो ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर रेलवे में अस्पतालों में रोगियों के लिये स्थान

3349. **श्री के० रमानी :**

श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में बाहर के औषधालयों से नई दिल्ली स्थित डिवीजनल अस्पतालों और केन्द्रीय अस्पताल को भेजे गये रोगियों के लिये तब तक ठहरने की कोई व्यवस्था है जब तक कि वे अस्पताल में दाखिल न हों अथवा उन्हें उनके मुख्यालयों को वापस न भेजा जाय ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इसकी व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). मण्डलीय अस्पतालों के अन्तरंग विभागों में या उत्तर रेलवे नयी दिल्ली के केन्द्रीय अस्पताल में बाहर के स्टेशनों से भेजे गये भर्ती करने लायक सभी रोगियों को फौरन भर्ती कर लिया जाता है और जिन्हें भर्ती करना जरूरी नहीं होता, उन्हें आवश्यक देखभाल और सलाह के बाद वापस उनके मुख्यालय भेज दिया जाता है ।

दिल्ली स्थित अन्य रेलवे यातायात खाता कार्यालय (पश्चिमी रेलवे) के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा रिकार्ड खलासियों की वरिष्ठता

3350. **श्री के० रमानी :**

श्री ई० के० नायनार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित पश्चिमी रेलवे के अन्य रेलवे यातायात खाता कार्यालय के रिकार्ड खलासियों की वरिष्ठता को चतुर्थ श्रेणी के अन्य कर्मचारियों से पृथक रखा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एक रिकार्ड खलासी को 40-60 रुपये के वेतनमान में सीधे रिकार्ड सार्टर पदोन्नत कर दिया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके बाद किसी तिथि को चतुर्थ श्रेणी के सारे कर्मचारियों की वरिष्ठता को इकट्ठा कर दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो चतुर्थ श्रेणी के सारे कर्मचारियों की वरिष्ठता को किस वर्ष में इकट्ठा किया गया था और इसके आदेश देने वाले सक्षम प्राधिकारी का पदनाम क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (घ). शुरू में वरिष्ठ लेखा अधिकारी (एफ० टी० ए०) के कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तीन विभिन्न वरिष्ठता कोटियों में थे । पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक के आदेश के अनुसार 1961 और 1965 के बीच उन्हें धीरे-धीरे एक संयुक्त वरिष्ठता इकाई में रख दिया गया । 1959 में रिकार्ड खलासी के पद का ग्रेड बढ़ने पर वरिष्ठतम कर्मचारी को 40-60 रु० के अधिकृत वेतनमान में रिकार्ड सार्टर के रूप में पदोन्नति दे दी गयी थी ।

Contract to Vendor at Narkatiaganj, Raxaul, Sagauli, Laheria Sarai and Sakri Railway Stations, on North Eastern Railway

3351. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at Narkatiaganj, Raxaul, Sagauli, Laheria-Sarai and Sakri Railway Stations of North Eastern Railway, contract is given to the vendor direct and he deposits the money in the Railway treasury direct ;

(b) if so, the reasons for which the practice of giving contracts to big contractors has been done away with ;

(c) whether it is also a fact that at Darbhanga and other stations on the same Railway, contracts are given to big contractors who in their turn give contracts to the vendors ;

(d) whether it is further a fact that certain retail vendors have applied for contracts of dry-fruits etc. at Darbhanga station which would increase the income in the Railway treasury; and

(e) if so, the names of these applicants and the difficulty being faced in giving contracts direct to these persons, abolishing this system of intermediaries ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) Yes.

(b) In proved cases of subletting, the contracts are awarded to the sublessees actually doing the work. Vending contracts at Narkatiaganj, Raxaul, Sagauli, Laheria-Sarai and Sakri have accordingly been given to vendors direct. The vendors to whom such contracts have been awarded deposit the licence fees, etc. with Station Masters, who in turn remit the money to the Cash Office.

(c) No.

(d) and (e). One of the erstwhile employees of the Catering and Vending Contractors at Muzaffarpur station named Shri Suraj Mahto had applied for a contract for sale of dry fruits at Darbhanga station. As contract for fruits is already held by another contractor at Darbhanga his request could not be considered.

Camps Organised by Social Welfare Department with UNICEF Aid

3352. **Shri Yashpal Singh:**
Shri P. L. Barupal:

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Department of Social Welfare in his Ministry organises various camps every year with the help of United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) keeping in view the welfare of women and children;

(b) if so, the number of such types of Programmes organised in Uttar Pradesh during the last three years; and

(c) the total number of such camps organised throughout the country during the aforesaid period ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Pay Scales of Employees of Private Companies

3353. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the employees of Private Limited Companies are not given the grades fixed by Government even now but are given the grades fixed by the owners of the respective companies;

(b) if so, whether Government have issued any orders to the companies to give to their employees the grades fixed by Government ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) The regulatory provisions of the Companies Act, 1956 govern the terms of remuneration only of Directors or Managers in public limited companies and there is no regulation of remuneration in private limited companies under the Act.

(b) and (c). Do not arise.

Construction of Sonai Halt Station

3354. **Shri Shiv Charan Lal :**
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Starred Questi on No. 53 on the 18th November, 1969 and state :

(a) whether it is a fact that about 20 crores of land belonging to the farmers would have to be acquired if the Sonai Halt Station is constructed at a distance of one kilometre from the present Halt station and only about 5 acres of land would have to be acquired in case it is constructed at a distance of two furlongs ;

(b) the reasons for which Government have not ascertained from the District Magistrate, Mathura whether the place at a distance of one kilometre is a flood-affected and deserted area and people are looted there ; and

(c) whether Government propose to review their decision in respect of the construction of the crossing station keeping in view the above factors ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Memon): (a) Only 12.09 acres of land are proposed to be aquired in connection with the crossing station between Raya and Mursan at a distance of one kilometre from the present Sonai halt station towards Raya side. As it is not feasible to locate the crossing station at a distance of 2 furlongs, the extent of land required has not been assessed.

(b) It was not considered necessary to ascertain from the District Magistrate, Mathura whether the place at a distance of one kilometre is a flood-affected area, as Railway has its own ways and means to verify it and the site selected is suitable from Railway point of view. As regards looting of the public in the selected site, that is a Law and Order problem, which is general to the whole section and it makes no difference whether the station is at the seclected site one kilometre from the present halt or at the present Sonai halt station.

(c) No.

Construction of Haldwani-Tanakpur-Bageshwar (Almora) Railway Line

3355. **Shri J. B. S. Bist :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received any proposal for the construction of Haldwani-Tanakpur-Bageshwar (Almora) Railway line ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether the hill public in the region has been demanding the construction of the proposed Railway line since 1918 ;

(d) if so, whether Government would accord it special priority in implementing the proposal in order to maintain the security of the hill areas in the Northern border and to remove backwardness of these areas ; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) to (c). Representations for the construction of this rail link have been received from the people of the area from time to time. With the present day high cost of construction as well as operation only those new lines on which a large volume of traffic is likely to materialise, such as movement of ores, minerals and industrial products, are likely to prove economically viable. On this basis prima facie, the Haldwani-Tanakpur-Bageshwar line is not likely to be remunerative.

(d) and (e) No suggestion has been received from the Ministry of Defence for construction of this rail link on strategic grounds. There can be no question of ignoring the needs of these areas and due consideration to this will be given.

Termination of Services of Class IV Employees of Ferozepore Division, Northern Railway

3356. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of those class IV employees of the Ferozepore Division of the Northern Railway whose services were terminated during the period from August, 1968 to April, 1969 on account of their prolonged illness and who later on expired ;

(b) the number among them of Refreshment Room Bearers, Watermen, Peons etc ;

(c) whether any financial assistance had been given to them at the time of terminating their services and, if not, the reasons therefor ; and

(d) the number among them of those who have not been granted family pension as also the number out of them of those whose dependents applied to the Ferozepore Division for family pension, and the reasons for not taking any action on their applications so far ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Part Payment of Overtime Allowance to Assistant Station Masters of Allahabad Division (Northern Railway)

3357. **Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Assistant Station Masters of the Allahabad Division of the Northern Railway have received only part-payment of their overtime allowance for the years 1962 and 1963 and the rate at which they were paid overtime allowance during 1962 was lower than that of 1963 ;

(b) if so, the reasons therefor and the details of the Overtime Allowance of these Assistant Station Masters for the years 1962 and 1963 vis-a-vis its payment ; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the details regarding the Overtime Allowance admissible to the Assistant Station Masters working at Kanpur Station and Yard for the years 1962, 1963 and 1964 and regarding the payment made on that account so far together with the amounts of overtime allowance paid and the dates on which paid ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Officiating Allowance to Assistant Station Masters of Allahabad Division (Northern Railway)

3358. **Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the junior Assistant Station Masters of G. M. C. yard officiating as Senior Assistant Station Masters have not been getting officiating allowance since April, 1961 in the Allahabad Division ;

(b) if so, the reasons therefor and the details of the steps taken in this regard ; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the details of the actual position in this regard ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

दक्षिण रेलवे में श्रम कल्याण निरीक्षकों और पर्सनल इंसपेक्टरों के पद

3359. **श्री ई० के० नायनार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य बड़ी रेलों की तुलना में दक्षिण रेलवे में श्रम कल्याण निरीक्षकों की संख्या तथा ऊंचे पदों की प्रतिशतता बहुत कम है और यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पदों के कम होने के बावजूद, अनेक पदों को मितव्ययता के नाम पर लम्बी अवधि से भरा नहीं गया है और यदि हां, तो क्या इन पदों को भरने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अन्य रेलों की भांति दक्षिण रेलवे में पर्सनल इंस्पैक्टरों के पद नहीं हैं और यदि हां, तो क्या इन पदों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं । कुछ रेलों पर कल्याण निरीक्षकों के पदों की कुल संख्या दक्षिण रेलवे के कल्याण निरीक्षकों की संख्या से कम हैं और कुछ रेलों पर अधिक है ।

(ख) और (ग). सूचना मंगाई जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिण रेलवे में काम के घण्टे सम्बन्धी विनियम के अन्तर्गत अनियमिततायें

3360. **श्री ई० के० नायनार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दक्षिण रेलवे में काम के घण्टे सम्बन्धी विनियमों के अन्तर्गत अनियमितताओं की घटनायें बहुत अधिक होती हैं और क्या इसका सम्बन्ध श्रम कल्याण निरीक्षकों तथा पर्सनल निरीक्षकों की कमी से है और यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र के अधिकारियों ने दक्षिण रेलवे पर काम के घण्टे विनियमों के अन्तर्गत बहुत सी अनियमितताओं की रिपोर्ट की है लेकिन यह कल्याण निरीक्षकों या कार्मिक निरीक्षकों की संख्या से सम्बन्धित नहीं है। रेल प्रशासन ने अनियमितताओं का विश्लेषण किया है और अगली आवृत्ति रोकने के लिये यथासम्भव पर्याप्त निवारक कार्रवाई की है ।

ट्रैक्टरों का आयात स्थानापन्न कार्यक्रम

3361. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ट्रैक्टर उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्ति के

अनुसार वर्तमान कारखानों द्वारा आयात स्थानापन्न कार्यक्रम पूरे किये जाने तक किसान को उनके उत्पादों की कीमत समान आयातित ट्रैक्टरों की तुलना में लगभग दुगुनी देनी पड़ेगी ;

(ख) आयातित मशीन का अधिकृत फुटकर मूल्य कितना है और इस समय देश में बने ट्रैक्टरों का मूल्य कितना है और उसमें आयातित पुर्जों का प्रतिशत कितना है और देश में ही सभी पुर्जों के निर्मित होने के कार्यक्रम के पूरे होने पर उनकी संभाव्य कीमत कितनी होगी ; और

(ग) इतनी अधिक उत्पादन लागत होने के क्या कारण हैं और ट्रैक्टरों के मूल्य कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सामान्यतः देश में निर्मित पुर्जों की लागत आयात किये जाने की स्थिति में उसी प्रकार के पुर्जों की तुलना में अधिक होती है । अतः आयात स्थानापन्न कार्यक्रम पूरा हो जाने पर देश में निर्मित ट्रैक्टरों के मूल्य बढ़ जाने की संभावना है । किन्तु इस समय यह कठिन है कि क्या अन्ततः ट्रैक्टरों की निर्माण लागत वर्तमान लागत से लगभग दुगुनी हो जायेगी ।

देश में निर्मित ट्रैक्टरों और अन्य देशों से आयात किये जाने की स्थिति में उसी के ट्रैक्टरों के विक्रय मूल्य तथा विभिन्न 'मार्क' के ट्रैक्टरों में प्रयुक्त होने वाले पुर्जों में से देश में निर्मित होने वाले पुर्जों से सम्बन्धित जानकारी इस प्रकार है :—

निर्माता फर्म का नाम	ट्रैक्टर का मार्क	आयातित ट्रैक्टर का प्रयोक्ताओं से लिया जाने वाला मूल्य रुपये	देश में निर्मित ट्रैक्टरों के वर्तमान विक्रय मूल्य (रेल के अंतिम स्टेशन तक निष्प्रभार) रुपये	देश में अब तक निर्मित किये जाने वाले पुर्जे
1. मसर्स ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, मद्रास	एम० एफ०-1035 (35 एच० पी०)	19,840	21,140	83%
2. मैसर्स इण्टर नेशनल ट्रैक्टर्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई	इण्टरनेशनल बी-275 (35 एच० पी०)	17,140	19,570	73%
3. मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड बड़ौदा	हिन्दुस्तान 50 एच० पी०	19,500*	22,350	85%
	35 एच० पी०	13,400*	15,710	75%
4. मैसर्स एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, फरीदाबाद	एस्कॉर्ट 37 (34.5 एच० पी०)	15,970	17,910	78.5%
	27 (28.0 एच० पी०)	13,400	13,840	(निर्माण नहीं होता है)
5. मैसर्स ईचर ट्रैक्टर्स इण्डिया लिमिटेड, फरीदाबाद	ईचर 26.5 एच० पी०	13,700*	17,480	82%

* यह मूल्य लागत, भाड़ा बीमा समेत है और इसी फुटकर मूल्य पर यह प्रयोक्ताओं को बेचा जायेगा । यह इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ग) आयातित पुर्जों और कच्चे माल के अधिक मूल्य, देश में निर्मित पुर्जों और कच्चे माल के अधिक मूल्य, कम उत्पादन, कुछ पुर्जों और कच्चे माल पर देय सीमा शुल्क/उत्पादन शुल्क के भार आदि अनेक कारणों से देश में निर्मित ट्रैक्टरों की निर्माण लागत अपेक्षाकृत अधिक है।

ट्रैक्टर निर्माताओं को कम व्यय पर उत्पादन करने तथा यथासम्भव अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वे उत्पादन लागत को कम कर सकें। इसके साथ-साथ सहायक पुर्जे उपकरण निर्माताओं को भी लाभप्रद स्तर तक उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वे ट्रैक्टर निर्माताओं को कम मूल्यों पर पुर्जे सप्लाई कर सकें। ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये नई योजनाओं पर भी तेजी से विचार किया जा रहा है तथा उन्हें मंजूर किया जा रहा है।

New Railway Line from Sakari to Hasanpur via Kusheshwar in Darbhanga District

3362. **Shri Kedar Paswan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct a Railway line from Sakari to Hasanpur via Kusheshwar in Darbhanga District of Bihar ;

(b) if so, the time by which Government propose to complete construction of the Railway line ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Due to financial stringency it is not possible to consider the proposal for construction of this rail link at present, and this proposal may have to await better times for consideration.

Promotion of Scheduled Castes Employees against Reserved Posts of Chief Reservation Supervisor and Chief Reservation Clerk on Northern Railway

3363. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of posts of Chief Reservation Supervisor and Chief Reservation Clerk in the Northern Railway ;

(b) the number of posts reserved for the Scheduled Castes employees in each grade ;

(c) the actual number of Scheduled Castes employee working against posts reserved for the Scheduled Castes as on the 31st October, 1969 and number of other employees (other than Scheduled Castes) working there ; and

(d) the officers responsible for not filling up the reserved posts by the Scheduled Castes candidates and the action taken against them ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Promotion of Scheduled Castes Employees as Enquiry and Reservation Clerks of Kanpur Central Station (Northern Railway)

3364. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for not issuing promotion orders of the Enquiry and Reservation Clerks, belonging to the Scheduled Castes, of Kanpur Central Station on the Northern Railway despite the decisions of the Administration ;

(b) the nature of punishment awarded to the defaulting officers ; and

(c) whether the seniority of the said employees would be fixed from the date on which the department had taken decisions for their promotion ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

सीमेंट की कमी

3365. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सीमेंट की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उपांतिक तथा नगण्य कमियों का पता लगा है ।

(ख) और (ग). उपांतिक कमी 1968 की तुलना में 1969की मांग में हुई अप्रत्याशित वृद्धि तथा परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों के परिणाम स्वरूप हुई है । ऐसी आशा की जाती है कि 1970 से 1972 के दौरान प्राप्त होने वाली अतिरिक्त क्षमता से बढ़ी हुई मांग की अधिक हद तक पूर्ति की जा सकेगी ।

Promotion of Scheduled Castes Employees Against Reserved Posts of Chief Enquiry and Reservation Clerks on Northern Railways

3366. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the officers responsible for not giving proper representation to the Scheduled Castes candidates, which ought to have been given according to the directions issued by the Ministry of Home Affairs, in the selections made during the year 1966-68 for the post of Chief Enquiry and Reservation Clerks in the Northern Railway ;

(b) the number of such post still lying vacant according to the prescribed quota of reservation and the the time by which they would be filled ;

(c) the reasons for delay in appointing on the posts mentioned in part (a) above those Scheduled Castes candidates the decision for whose promotion has already been taken ; and

(d) the action taken so far to give orders for the promotion of such employees ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Change in Policy for Allotment of Railway Land on Lease

3367. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have made any changes recently in the policy regarding the allotment of land, belonging to the Railways, on lease through the State Governments for agricultural purposes under "Grow More Food Campaign" ;

(b) the reasons for withdrawing the land, allotted on lease by the Railway Administration before the expiry of lease, in view of the fact that the Railway Administration is not getting these lands evicted for its own use ;

(c) the justification in withdrawing the land, which was allotted on lease for 10 years at Jaswantnagar Railway Station (Allahabad Division) on the Northern Railway before the expiry of the term of lease ;

(d) whether Government have received any protest against it ; and

(e) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) and (b). On the suggestion made by the Public Accounts Committee in their 32nd Report (4th Lok Sabha) in the context of huge accumulation of arrears of rent for the railway land handed over to the State Governments for Grow More Food purposes, the matter was examined in May, 1969 in the Chief Engineer's Conference and it was felt that it would be better to withdraw such railway lands from State Governments and to licences the same directly to the cultivators for 'Grow More Food' purposes.

(c) An area of 5.274 acres of railway land near Jaswant Nagar Railway Station (Allahabad Division) handed over to the State Government was licensed by the Collector, Etawah, to a private cultivator in February 1966, for a period of 5 years only on payment of rent @ Rs. 39/- per year for the whole area. The Collector, Etawah was accordingly requested in July 1969 to restore the land to the Railway. The Collector served a notice on the party to vacate the land.

(d) Yes.

(e) The party was replied that his request for cancellation of the notice to vacate the land could not be accused to.

नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता

3368. **श्री रवि राय : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता की समस्या के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ बातचीत करने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ की खुरदा रोड में सामान्य सभा तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठकें करने की अनुमति देने से इन्कार किया जाना

3369. **श्री रविराय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ की सामान्य बैठक तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठकें 29 से 31 अक्तूबर तक खुरदा रोड में करने की अनुमति रेल अधिकारियों द्वारा नहीं दी गई थी ;

(ख) क्या इस संघ के पदाधिकारियों ने ऐसी अनुमति मांगी थी और क्या यह भी सच है कि अधिकारियों को पता था कि कुछ संसद सदस्य उस सम्मेलन में भाग लेने वाले थे ; और

(ग) अधिकारियों द्वारा ऐसा निदेश जारी किए जाने के क्या कारण थे और इसका ब्योरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां। इंस्टीट्यूट के अहाते में सभा करने के लिये प्रार्थना की गयी थी।

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ एक मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है, इसलिये मांगी गयी अनुमति इस मामले से सम्बन्धित विनियमों के अनुसार मंजूर की गई थी।

स्टेशन मास्टर तथा सहायक स्टेशन मास्टर के प्रवर-पदों को भरने का तरीका

3370. **श्री रवि राय** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 205-280 रुपये के वेतन मान में स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के पद प्रवर पद हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदों को सरकार किस तरह भरती है ;

(ग) क्या कुछ जोनों, जैसे पूर्व रेलवे तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे में, विभिन्न रेल पदाधिकारी ऐसे वेतनमान में पदोन्नति करने से पहले कर्मचारियों की लिखित परीक्षा पर जोर दे रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) जी नहीं। ये गैर सेलेक्शन पद हैं।

(ख) वर्तमान अनुदेशों के अन्तर्गत, गैर सेलेक्शन पदों को वरिष्ठतम उपयुक्त रेल कर्मचारियों को पदोन्नति देकर भरा जाता है, आवश्यक होने पर, ऐसे पदों को भरने के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा सेवा अभिलेख/या विभागीय परीक्षा के आधार पर उपयुक्ता की परख कर ली जाती है। इस प्रकार, जब पदों को निचले पद-क्रमों से पदोन्नति द्वारा भरा जाना हो तो रेल प्रशासन लिखित परीक्षा निर्धारित कर सकता है। कुछ समय पहले यह मामला नोटिस में आया था कि 205-280 रुपये के वेतनमान में एक सहायक स्टेशन मास्टर को उसी वेतनमान में स्टेशन के रूप में तैनात करते समय पूर्व रेलवे ने परीक्षा ली थी। उस रेलवे को यह परिपाटी छोड़ देने के लिये कह दिया गया था।

(ग) कुछ रेलों ने लिखित परीक्षा निर्धारित की है।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मैसर्स आइडियल जावा, मैसूर और एसकार्ट्स लिमिटेड नई दिल्ली को स्कूटर बनाने के लिये लाइसेंस

3371. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स आइडियल जावा, मैसूर और मैसर्स एसकार्टस लिमिटेड, नई दिल्ली ने, जिनको स्कूटर बनाने के लिये अगस्त, 1961 में लाइसेंस दिये गये थे, गत 8 वर्षों में कोई स्कूटर नहीं बनाया है ;

(ख) इस प्रकार की फर्मों को बेकार में लाइसेंस दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि अन्य निर्माता स्कूटर बनाने के लिये लाइसेंसों की जोर दार मांग कर रहे हैं ; और

(ग) इन दो फर्मों को स्कूटर बनाने के लिये अगस्त, 1961 में दी गई अनुमति अब तक वापिस न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसूर के मे० आइडियल जावा लिमिटेड ने स्कूटरों के उत्पादन के लिये कोई कदम नहीं उठाया है। नई दिल्ली के मे० एस्कार्ट्स लिमिटेड ने यह बताया है कि उन्होंने पहले ही देश में स्कूटर का एक नमूना तैयार किया है और इस वर्ष के अक्तूबर से मार्ग दर्शक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। उन्हें आशा है कि आगामी कुछ महीनों में बाजार में उनका स्कूटर आ जायगा।

(ख) मैसूर के मे० आइडियल जावा लिमिटेड और नई दिल्ली के मे० एस्कार्ट्स लिये दोनों को मोटर साइकिल बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया है। अगस्त, 1961 में उन्हें अपने उत्पादन में विविधता लाकर के उसे सक्षम बनाने के उद्देश्य मोटर साइकिल की समूची लाइसेंस प्राप्त क्षमता में से स्कूटरों के निर्माण की अनुमति दी गई थी।

(ग) मैसूर के मै० आइडियल जावा लिमिटेड अपने औद्योगिक लाइसेंस से 'स्कूटर' वस्तु को हटा देने की बात पर सहमत हो गये हैं और अपने औद्योगिक लाइसेंस में संशोधन करने के बारे में कार्रवाई की है।

क्या मैसर्स एस्कार्ट्स लिमिटेड को स्कूटरों के निर्माण के लिए दी गई मंजूरी को वापस ले लिया जाये इस प्रश्न पर इस क्षेत्र में उनकी पहले की प्रगति को ध्यान में रख करके विचार किया जा रहा है।

New Railway Line connecting Chanaka in District Yeotmal

3372. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a demand has been made that Chanaka in District Yeotmal should be connected by Rail as a big cement factory is proposed to be set up there;

(b) if so, the action taken by Government on the demand;

(c) whether a survey of this line was conducted; and

(d) the date by which work on this new Railway line would be completed?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) to (d). As suggested by the Maharashtra Government, Engineering and Traffic Surveys have been recently sanctioned for a new line from Chanaka to Wani in the Yeotmal district of Maharashtra. A decision regarding the construction of the line will be taken after the surveys are completed and the results thereof known.

Running of Janta Express Train between Bombay and Howrah via Nagpur

3373. **Shri Devrao Patil:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is a demand for introducing an additional train as Janta Express between Bombay and Howrah via Nagpur;

(b) the reasons for not introducing the Janta Express train on the same route;

(c) whether it is a fact that Government have accepted this demand in principle; and

(d) if so, when this proposal would be taken up for consideration?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a). Yes.

(b) to (d). Introduction of an additional through train between Bombay and Howrah via Nagpur is not operationally feasible at present for want of requisite coaching stock, line capacity etc. enroute. It is, however, proposed to provide 3 additional coaches by 1 Dn/2Up Bombay—Howrah (via Nagpur) Mails by dieseling these trains with effect from 1-1-1970.

Running of Bombay-Howrah Mail and Express Trains via Nagpur by Diesel Engines.

3374. **Shri Deorao Patil:** Will the Mininter of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the question of running the Bombay-Howrah mail and Express trains via Nagpur by diesel engines has been considered;

(b) if so, the time by which these trains would run by diesel engines; and

(c) the reasons for which no train is presently being run by diesel engine on this route?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) to (c). 1 Dn/2 Up Bombay-Howrah (via Nagpur) Mails are being dieselised with effect from 1-1-1970.

Non-Stoppage of G. T. and Southern Express Trains at Wardha.

3375. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it has been decided not to have a halt of the G. T. and Southern Express Trains at Wardha;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) the arrangements being made for the facilities of passengers going to and coming from Wardha?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) and (b). With a view to eliminating the existing long halts of 15 Dn/16 Up G.T./AC Express and 21 Dn/22 Up Dakshin Express for reversal of the locomotives, it is proposed to divert these trains via the Bhugaon-Sewagram chord line (under construction) by-passing Wardha station.

(c) For the convenience of Wardha passengers, it is proposed to construct a new station at Wardha East between Bhugaon and Sewagram. These diverted trains will be scheduled to stop at the new station, which will be about 2 Kms. from Wardha town.

Inadequate Facilities to Passengers by C. P. Railway Company and its Purchase by Government

3376. **Shri Deorao Patil :** Will the **Minister of Railways** be pleased to state

(a) whether it is a fact that the C. P. Railway Company has expressed its inability to provide adequate facilities to the passengers ;

(b) whether it is also a fact that due to the lack of facilities and the slow speed of the trains, this Railway is not making any financial gain ;

(c) whether Government are reconsidering the purchase of this line and about its financial position ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon): (a) Yes.

(b) The growing competition from road-hauliers is the major reason for this Railway not making financial gain. The slow speed of trains etc. may, however, be a contributory factor.

(c) No.

(d) The purchase of these lines is normally considered with reference to the financial prospects wheneven the purchase-option falls due under the agreement; the next option will fall due in 1977.

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिये समाज कल्याण योजनाएं

3377. **श्री दे० वि० सिंह : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के

लिये शिक्षा, कृषि तथा अन्य समाज कल्याण योजनाओं पर अब तक योजना-वार कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण कार्यों पर देश में अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है ; उसमें से कितनी प्रतिशत राशि मध्य प्रदेश में व्यय की गई और उस राज्य में देश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता की तुलना में इस राशि का अनुपात कैसा है ; और

(ग) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों की कल्याण योजनाओं का ब्योरा तथा लागत क्या है जो 1969-70 में कार्यान्वित की जा रही है और 1970-71 में कार्यान्वित की जाने वाली है ?

विधि तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). विवरण एकत्रित किया जा रहा है और शीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :

वर्ग	**1969-70 के लिये किया गया नियतन**		
	राज्य-क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	कुल
(क) अनुसूचित आदिम जातियां	77.00 लाख रुपये	190.80 लाख रुपये	267.80 लाख रुपये
(ख) अनुसूचित जातियां	28.00 लाख रुपये	11.50 लाख रुपये	39.50 लाख रुपये
कुल	105.00 लाख रुपये	202.30 लाख रुपये	307.30 लाख रुपये

केन्द्र द्वारा चलाये गये कार्यक्रम का योजना वार विवरण इस प्रकार है :

वर्ग/योजना	**1969-70 के लिए स्वीकृत नियतन** (रुपये लाख में)
(क) **अनुसूचित आदिम जातियां**	
(1) मैट्रिक उपरान्त छात्रवृतियां	2.50
(2) लड़कियों के होस्टल	3.00
(3) आदिम जातीय विकास खंड	172.00
(4) सहकारिता	12.00
(5) आदिम जातीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण	1.30
कुल अनुसूचित आदिम जातियां	190.80

(ख) **अनुसूचित जातियां**

1. मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां	2.00
2. लड़कियों के होस्टल	3.00
3. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	1.50
4. सफाई कर्मचारियों तथा मेहतरों के कार्य रहन-सहन की स्थिति में सुधार	5.00
कुल अनुसूचित जातियां	11.50
कुल जोड़	202.30

स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्य क्षेत्र के योजना वार विवरण के सम्बन्ध में निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है।

1970-71 के लिये नियतन के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

ओलावाकोट डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में पारली उपरि पुल का निर्माण कार्य पूरा किया जाना

3378. **श्री ई० के० नायनार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पारली उपरि पुल (ओलावाकोट डिवीजन) को कम खर्च पर तथा कम अवधि में पूरा करने के बारे में केरल के इन्जीनियरों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) इस कार्य को सरकार कब तक पूरा कर देगी ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) सड़क ऊपरी-पुल पर रेलवे के हिस्से का काम अगस्त, 1970 के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

बोकारों इस्पात परियोजना में निर्माण कार्य का ऊपरी ढांचा गिर जाना

3379. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1968 में बोकारो इस्पात परियोजना के निर्माण कार्य का ऊपरी ढांचा अकस्मात् गिर गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम स्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए ; और

(ग) इस दुर्घटना के क्या कारण थे और इससे कितनी क्षति हुई ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). एक अस्थायी संरचना और सीढ़ी जो कि बोकारो स्टील कारखाने की एक जोन में कुछ नीवों को ठोस बनाने के लिये बनाई गई थी उसका एक हिस्सा 7 अक्तूबर, 1969 को, जबकि कंक्रीटिंग का काम जारी था, धंस गया और इसके परिणाम स्वरूप लगभग 60 मजदूरों को चोटें आयीं। उनको अस्पताल ले जाया गया तथा उनमें से लगभग 50 मजदूरों को प्राथमिक-चिकित्सा के बाद तुरन्त छोड़ दिया गया। इस दुर्घटना के कारणों और स्थिति की जांच-पड़ताल की जा रही है।

तीसरी योजना के दौरान केरल में औद्योगिक विकास योजनाएं

3380. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में केरल में सरकारी क्षेत्र में क्रियान्वित की गई औद्योगिक विकास, योजनाओं का व्यौरा क्या है; और

(ख) तीसरी योजना की अवधि के प्रारम्भ से सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत केरल में स्वीकार की गई औद्योगिक विकास योजनाओं का व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2311/69]**

स्विटजरलैंड द्वारा विद्युत चालित कलाई घड़ियों का निर्माण

3381. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्विटजरलैंड की एक फर्म ने विश्व की सर्वप्रथम विद्युतचालित क्लाई घड़ी तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत में इस प्रकार की घड़ियां बनाने का है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य भारत में इस प्रकार की घड़ियां बनाने के बारे में सरकार विचार करेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). विश्व की सर्वप्रथम इलैक्ट्रोनिक हाथ घड़ी जिसे स्विस फर्म ने निर्मित किया है, का विवरण प्राप्त नहीं है। वर्तमान में भारत में ऐसी घड़ी के उत्पादन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मोटर गाड़ियों के पुर्जे बनाने के नये कारखानों की स्थापना पर से प्रतिबन्ध समाप्त करना

3382. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटर गाड़ियों के पुर्जे बनाने के नये कारखाने स्थापित करने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का निर्णय किया है;

(ख) किस प्रकार के पुर्जे बनाने की अनुमति दी जायेगी ;

(ग) ये पुर्जे किस किस प्रकार की मोटर गाड़ियों के काम आयेंगे ; और

(घ) इस प्रकार के कारखाने स्थापित करने के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और आवेदकों के नाम क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी हां । 25 अक्तूबर 1969 को सरकार ने एक प्रेस विज्ञाप्ति जारी करके रेडियेटर जो खासतौर से लघु क्षेत्र के लिये रक्षित है, को छोड़कर स्वचालित सहायक उद्योगों से सम्बन्धित सभी वस्तुओं के लिये नये एककों की स्थापना पर से नियंत्रण उठा लिया है ।

(ग) व्यापारिक शाड़ियां, मोटर कारें, जीप, स्कूटर, मोटर साइकिलें तीन पहिये वाले स्कूटर, झोपड़े ट्रैक्टर शक्ति चालित हल, डीजल इन्जिन आदि ।

(घ) प्रेस विज्ञाप्ति के उत्तर स्वरूप अभी तक कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

ढांचा निर्माण उद्योग में संकट

3383. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ढांचा निर्माण उद्योग को, जो भारत में सबसे प्राचीन एवं बड़ा इंजीनियरी उद्योग है, संकट का सामना करना पड़ रहा है और वह बन्द होने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) ढांचा निर्माण उद्योग की क्षमता का बहुत कम उपयोग हो रहा है ।

(ख) अन्य इंजीनियरी उद्योगों की भांति, इस उद्योग को भी सामान्य मन्दी के कारण हानि उठानी पड़ी । उद्योग में क्षमता की कम उपयोगिता का मूल कारण पर्याप्त क्रयादेशों की कमी तथा कुछ मामलों में श्रमिक कठिनाइयां भी हैं ।

(ग) उद्योग के सहायतार्थ उठाये कदम इस प्रकार हैं :—

(1) इस उद्योग के एककों को निर्धारित शर्तों के अधीन अपने उत्पादन में विविधता लाने की अनुमति दे दी गई है।

(2) बने बनाये इस्पात के ढांचे जैसे क्रेनें, ट्रांसमीशन टावरें, पेन स्टाक आदि के आयात की आज्ञा नहीं दी जाती है।

(3) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बने बनाये ढांचों की अपनी आवश्यकताओं के आदेश देशी निर्माताओं को दे रहे हैं।

(4) प्राथमिता प्राप्त उद्योगों को कच्चे मालों के आयात के लिये अधिकतम सहयोग दिया जाता है।

(5) बाजार का पता लगाने के लिये इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद की संरक्षता के अन्तर्गत ढांचों के निर्यातार्थ विदेशी बाजारों के प्रमाण की सुविधाएं स्वीकृत की जाती हैं।

(6) गत दो वर्षों में निर्यात उद्देश्यों के लिये इंजीनियरी सामान के बनाने वालों को इस्पात के घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के मध्य अन्तर की प्रतिपूर्ति करने के लिये संयुक्त संयंत्र समिति योजना लागू थी तथा ढांचा निर्माणकर्ता इस सुविधा का लाभ उठाते रहे हैं। 1 दिसम्बर, 1969 से मूल्य छूट योजना लागू नहीं है क्योंकि इस्पात ढांचों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर्याप्त ऊंचे हो गये हैं।

रेलवे पुस्तकालयों के लिये विदेशी तकनीकी पत्र-पत्रिकाएं

3384. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड विदेशों से तकनीकी पत्र-पत्रिकायें, डिजाइन पुस्तकें तथा विदेशों से नमूने की पुस्तकें, रेलवे डिजाइन और मानक संगठन तथा रेलवे बोर्ड के पुस्तकालय में उपयोग किए जाने के लिये प्राप्त करता है, तथा वह उनका नियमित ग्राहक है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इनमें से ग्रन्थालय में उपलब्ध पुस्तकों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या ये तकनीकी संदर्भ पुस्तकें भारत में माल डिब्बे बनाने वालों को भी उपलब्ध की जाती हैं यदि नहीं, तो क्या निर्यात का कार्य करने वाली माल-डिब्बे बनाने वाली फर्मों को इनके उपलब्ध करने के बारे में अनुदेश जारी किये जायेंगे ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) एक सूची संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2312/69]**

(ग) विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर माल डिब्बा निर्माताओं को पुस्तकालय के तकनीकी निर्देश पुस्तकें देखने के लिये उपलब्ध करायी जा सकती हैं।

रेलवे स्टाक एक्सपोर्ट एसोसिएशन का कार्यक्रम

3385. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टाक एक्सपोर्ट एसोसिएशन की गतिविधियां, कार्य तथा कार्यक्रम क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार निर्यात बढ़ाने के लिये इस एसोसिएशन के साथ राज्य व्यापार निगम को अधिक सक्रिय रूप से सम्बद्ध करने पर विचार करेगी ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) रोलिंग स्टाक एक्सपोर्ट एसोसिएशन गारंटी द्वारा एक लिमिटेड कम्पनी है और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है। एसोसिएशन के मुख्य उद्देश्य हैं, रेलवे चल स्टाक के निर्यात का समर्थन करना, कमी होने से रोकना, बनाये रखना, बढ़ाना और प्रोत्साहित करना।

(ख) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का इस एसोसिएशन से पहले ही निकट सम्बन्ध है।

रेलवे डिजाइन तथा मानक संगठन द्वारा तैयार किये गये डिजाइनों के लिये माल-डिब्बे निर्माताओं द्वारा दी गई अधिक धन-राशि

3386. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे डिजाइन तथा मानक संगठन लखनऊ ने दक्षिण कोरिया की सरकार से प्राप्त क्रयादेश के लिये डिजाइन तैयार करने हेतु एक लाख रुपया प्रति डिजाइन लिया है जबकि डिजाइन तैयार करने की लागत कम थी; और

(ख) क्या सरकार निर्यात कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिये माल-डिब्बे निर्माताओं द्वारा दी गई अधिक धन-राशि को वापिस कर देगी ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Lever Brothers

3387. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the amounts of foreign and Indian capital invested in the industrial and commercial establishments of Lever Brothers in India, separately ;

(b) the commodities produced by each of these establishments of M/s. Lever Brothers, separately ;

(c) the quantity of goods exported by M/s. Lever Brothers annually ; and

(d) the number of concerns and branches of M/s. Lever Brothers throughout the country as also the names of the directors of each of them ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) Reference is presumably to Hindustan Lever Ltd. As on 31st December, 1968, the paid-up capital of Hindustan Lever Ltd. was Rs. 11.56 crores of which Rs. 9.83 crores is foreign capital and Rs. 1.73 crores Indian capital. Hindustan Lever Ltd. has four subsidiaries. Their aggregate paid-up capital of Rs. 1.03 lakhs is entirely held by Hindustan Lever Ltd., the Indian company.

(b) commodities produced by each unit of Hindustan Lever Ltd. are as follows:

Unit	Main Products
Sewri, Bombay	Soap, toilet preparations, glycerine, Vanaspati, margarine, oil cake and animal feeding stuffs.
Garden Reach, Calcutta	Soaps, toilet preparations and glycerine.
Shamnagar, West Bengal	Vanaspati
Ghaziabad (U. P.)	Vanaspati, dehydrated Vegetables and animal feeding stuffs.
Tiruchirapalli, Tamil Nadu	Vanaspati
Etah, U. P.	Skimmed milk powder, ghee, infant food.
Andheri, Bombay	Perfumery chemicals.

The four subsidiaries of Hindustan Lever Ltd. are not engaged in manufacturing activities.

(c) On the basis of information furnished to the Ministry of Foreign Trade by M/s. INDEXPORT Ltd., a subsidiary of Hindustan Lever Ltd. which handles their exports, is as under:—

Year	Value of Exports (in lakhs of Rs.)
1967	29.95
1968	69.79
Up to 30-9-1969	120.53

(d) Hindustan Lever Ltd. had 4 wholly owned subsidiaries and 4 branches as on 31st December, 1968.

The names of directors of Hindustan Lever Ltd. and those of the subsidiaries are given below:

Hindustan Lever Ltd.

1. Mr. V. G. Rajadhyaksha, Chairman
2. Mr. R. W. Archer, Vice-chairman
3. Mr. M. Mathias
4. Mr. A. D. Moddie
5. Mr. T. Thomas
6. Dr. S. Varadarajan
7. Mr. D. F. Webb

Directors of Subsidiaries

1. **Indexport Ltd.**
   (i) Mr. V. G. Rajadhyaksha
   (ii) Mr. R. W. Archer

2. **Levers Association Trust Ltd.**
   (i) Mr. R. W. Archer
   (ii) Mr. M. Mathias

3. **Levindra Trust Ltd.**
   (i) Mr. A. S. Dharamraj
   (ii) Mr. A. S. Natrajan

4. **Hind Lever Trust Ltd.**
   (i) Mr. R. Banerjee
   (ii) Mr. S. N. Gursahani

Employment for Relatives of Local Railway Employees in Jamalpur Workshop (Eastern Railway)

3388. **Shri Lakhan Lal Kapoor :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that educated sons and relatives of the local Railway employees have not been recruited for several years in the Jamalpur Workshop in the Eastern Railway in the absence of a new type of work-scheme ;

(b) whether it is also a fact that the law and order is breaking in the society due to unemployment ; and

(c) if so, whether Government propose to implement an immediate scheme to recruit unemyloyed sons and relatives of the local employees by providing modern type of work in the Jamalpur Workshop ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (c). The practice of giving some preferential consideration to sons of Railway employees in the matter of recruitment to Railway had to be discontinued in 1950 as it was held to be ultra vires of the Constitution.

(d) No complaint has been received by the Government in this regard.

केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद

3389. **श्री हरदयाल देवगुण : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय अधिनियमों आदि के अनुवाद के लिये एक क्रमबद्ध योजना तैयार की है; और यदि हां तो उक्त कार्य को पूरा करने के लिये नियत समय-सीमा क्या है ।

(ख) क्या यह सच है कि उक्त कार्य, कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो रहा है क्योंकि अनुवादकों के वर्तमान वेतनमान बहुत कम है और इस कारण योग्य और अनुभवी व्यक्ति इस काम के लिये आगे नहीं आ रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुवादकों, सम्पादकों आदि के वेतनमानों में संशोधन करने का है ताकि काम को समय के अन्दर पूरा कराने के लिये इन वेतनमानों को अधिक आकर्षक बनाया जा सके ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) जी हां । केन्द्रीय सरकार का विचार 5 वर्ष में केन्द्रीय विधियों का हिन्दी अनुवाद करा लेने का है ।

सभी केन्द्रीय विधियों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद की एक स्कीम पहले से ही चल रही है । केन्द्रीय विधियों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद, केन्द्र के तत्वावधान में, अर्थात्, राज्य स्तर पर समुचित अभिकरण के निकट सहयोग से, राज भाषा (विधायी) आयोग के माध्यम में कराया जायेगा । इस व्यवस्था के अधीन, अनुवाद कार्य, राजभाषा (विधायी) आयोग में हर एक भाषा के लिये गठित छोटी सी इकाई के साथ समन्वय स्थापित करके, राज्य

अभिकरण के माध्यम से (जो केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमितियों के उस राज्य की राजभाषा में अनुवाद तैयार कराने के लिये आयोग या समिति हो सकती है) कराया जायेगा। इस समय यह बताना कठिन है कि केन्द्रीय अधिनियमों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कब तक पूरा हो जायेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Construction of Railway Bridges and Over-Bridges on Kangra Valley Railway Line

3390. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway bridges, Road-cum-Railway Bridges and over-bridges that would be constructed on account of a new survey of the Kangra Valley Railway-line which is being diverted due to the construction of the Beas Dam ;

(b) the names of places which have been selected for constructing over-bridges ; and

(c) the estimated expenditure to be incurred on the construction of the said over-bridges ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) :

(a) (i)	Total No. of Railway Bridges	..	135
(ii)	Total No. of road-cum-rail Bridges	..	Nil
(iii)	Total No. of over-bridges	..	1

(b) The road over-bridge is proposed to be constructed at Ch. 61100 (mile 11.572) between the proposed railway stations of Harsar and Nagrota Surian for the road leading to Ghaggal.

(c) The cost of the over-bridge is approximately Rs. 62,000.

Review of Steel Production Targets

3391. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state whether in view of the increasing demand of steel in the world and unutilized production capacity of plants of the Heavy Engineering Corporation, Ranchi Government propose to review the targets of steel production ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : Consistent with the resources available, both financial and technical, Government propose to adopt a development programme for steel in the Fourth Plan, which takes into account the increasing export possibilities of steel as well as the capacity available with the Heavy Engineering Corporation, Ranchi, for the supply of plant and machinery for steel plants.

Natural Gas-operated Car

3392. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that natural gas-operated car which does not pollute the air and is less expensive has been developed in America ; and

(b) if so, whether Government propose to introduce the said car in India in view of the fact that gas worth lakhs of rupees goes waste in Assam ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). A development in America in this direction has been reported.

The introduction of such cars in India would require considerable investigation in the context of availability of gas in adequate volume and other relevant factors. There is presently no proposal to intoduce this type of cars in India.

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा ढली वस्तुओं की सप्लाई में कमी

3393. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन रांची के भारी मशीन निर्माण कारखाने द्वारा सप्लाई की जाने वाली ढली वस्तुओं के निर्माण में भारी कमी होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1968-69 में इस कारखाने की उत्पादन दर क्या थी और 1969-70 में इसका उत्पादन कितना होने का अनुमान है ;

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और इसमें पूरी क्षमता से कब तक उत्पादन शुरू हो जायेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) कारखाने को अपने उत्पादन के लिए आवश्यक ढली वस्तुओं की आपूर्ति में कमी का सामना करना पड़ा है ।

(ख) 1968-69 में भारी मशीनें बनाने वाले कारखाने का उत्पादन 23,852.5 टन था और 1969-70 में 27,000 टन उत्पादन होने का अनुमान है ।

(ग) इस कमी के कारण ये हैं :

(i) ढली और गढ़ी वस्तुओं की आपूर्ति पर्याप्त न होना ;

(ii) बाहर से खरीदे जाने वाले सामान जैसे इलैक्ट्रिक्स, बीयरिंग्स आदि की अनुपलब्धि ;

(iii) आयात की जाने वाली वस्तुओं की अनुपलब्धि ;

(iv) उत्पादित वस्तुओं में से बहुतों का निर्माण पहली बार देश में किया जा रहा है और इस काम के लिये आवश्यक अनुभव अभी तक पूर्णरूप से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(i) कारखाने और केन्द्रीय शिक्षण संस्थान में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना ;

(ii) उत्पादन आयोजन, नियंत्रण, संगठन तथा दूसरी सेवाओं को दोष रहित बनाना ;

(iii) आयात को सुव्यवस्थित करना ;

(iv) जब उत्पादन निर्धारित निम्न स्तर तक होने लगेगा और कुछ मानक/माप आदि निश्चित कर दिये जायेंगे तब प्रस्तावित प्रोत्साहन-प्रणाली का लागू करना ;

(v) कार्मिक संगठन को सुव्यवस्थित बनाने के लिये विशेष प्रयत्न करना ।

आशा है कि 1974-75 तक कारखाना अपनी 80,000 टन प्रतिवर्ष की निर्धारित क्षमता प्राप्त कर लेगा ।

राजस्थान में सीमेंट का कारखाना

3394. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पास गैर-सरकारी क्षेत्र में एक नये सीमेंट कारखाने की स्थापना की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या होगी और योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यह कारखाना कब तक बन जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मेसर्स उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर के निकट 4 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता वाली एक सीमेंट फैक्टरी स्थापित कर रहे हैं । फैक्टरी दो दो लाख मी० टन उत्पादन के दो चरणों क्रमश: 1970 तथा 1975 में पूरी होगी ।

आंध्र प्रदेश में श्री काकुलम जिले में जनजातियों में असन्तोष

3395. **श्री नरेन्द कुमार साल्वे :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में जनजातियों के असन्तोष के कारणों की जांच करने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ख) क्या श्रीकाकुलम जिले में राज्य सरकार के सहयोग से घटनास्थल पर जांच करने के लिये केन्द्रीय सरकार के कोई अधिकारी भेजे गये हैं ; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश के उत्तरी जिले के जनजातियों की बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में एक उच्च शक्ति प्राप्त प्रतिनिधि मण्डल भेजने का सरकार का विचार है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश में उग्रवादियों की कार्यवाहियों से उत्पन्न समस्या का राज्य सरकार के पदाधिकारियों की एक उच्च स्तर समिति द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए है।

मध्य प्रदेश के बेतूल और छिंदवाड़ा जिले में अनुसूचित आदिम जातियां

3396. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में बेतूल और छिंदवाड़ा के जिलों में अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के घोर गरीबी और अत्याधिक पिछड़ेपन का पता है ;

(ख) क्या इन लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये इन क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों तथा हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का विचार कुछ योजनायें चालू करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में आदिवासी जनता के रहन-सहन के स्तरों में सुधार करने के लिये सरकार का विचार मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता मंजूर करने का है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). सरकार को आदिम जातियों के लोगों की समस्याओं का पता है और वह उन्हें हल करने के लिये कारगर उपाय कर रही है। उनके विकास के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श से योजनाएं बनाई जाती हैं। केन्द्रीय सरकार अलग-अलग जिलों के लिए योजनाएं नहीं बनाती है।

अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये योजना कार्यक्रम दो वर्गों के अन्तर्गत आते हैं—"केन्द्र से सहायता पाने वाले" तथा "केन्द्र द्वारा प्रवर्तित"। पूर्व के कार्यक्रम के अधीन बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो साधारणतया तीन वर्गों के अन्तर्गत आती हैं : (1) शैक्षणिक विकास के लिये योजनाएं ; (2) आर्थिक विकास के लिये योजनाएं ; तथा (3) स्वास्थ्य, आवास, इत्यादि की सुविधाओं के लिये योजनाएं। इनके लिये अतिरिक्त बाद के कार्यक्रम के अधीन पूरी केन्द्रीय सहायता के साथ ऊंची देशव्यापी अग्रता की कार्यवाही की जाती हैं।

आदिम जाति विकास खण्ड निश्चित रूप से क्षेत्र विकास संकल्पना है, जिसमें अधिकतर आदिम जातियों के लोगों की आबादी वाले क्षेत्र के गहन विकास पर ध्यान दिया जाता है। बेतूल में ऐसे 5 तथा छिंदबाड़ में 4 खण्ड हैं।

आन्ध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के आदिवासी क्षेत्र में विद्रोह की घटनायें

3397. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के आदिवासी क्षेत्र में, जहां यह बताया

जाता है कि नक्सलवादी हिंसात्मक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, हाल ही में हुई विद्रोह की घटनाओं की उनके मंत्रालय ने कोई जांच कराई है ।

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश सशस्त्र नक्सलवादी अनुसूचित जातियों के हैं ; और

(ग) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में इस क्षेत्र में आदिवासियों में असन्तोष के कारणों की जांच करने के लिये उनके विभाग का कोई प्रस्ताव है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (**डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह**) : (क) से (ग). गृह मंत्री द्वारा 22 अगस्त, 1969 को दिए गए लोक सभा तारांकित प्रश्न 698 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) में नई गाड़ियां चलाना और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था

3398. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में सामान्यतया और इसके समस्तीपुर डिवीजन में विशेष रूप से 1 अक्तूबर, 1969 से नई गाड़ियां चलाई गई हैं और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (**श्री गोविन्द मेनन**) : (क) और (ख). 1-10-69 से लागू होने वाली समय सारणी में पूर्वोत्तर रेलवे पर 4 जोड़ी अतिरिक्त गाड़ियां (अर्थात् 17 अप/18 डाउन कटिहार-लखनऊ-वैशाली एक्सप्रेस 39 अप/40 डाउन चम्पारन एक्सप्रेस, 330 डाउन /329 अप निर्मली-जयनगर सवारी गाड़ियां और 395/अप/396डाउन समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर सवारी गाड़ियां) चलायी गयी हैं या उनका चालन क्षेत्र बढ़ाया गया है और ये सभी गाड़ियां समस्तीपुर मंडल के कुछ भाग पर चलती हैं । इसके अलावा इलाहाबाद सिटी और गोरखपुर के बीच तीसरे दर्जे के सीधे जाने वाले तीन डिब्बे और 39अप/40डाउन पहलेजाघाट-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस गाड़ियों का चालन क्षेत्र नरकटियागंज तक बढ़ा दिए जाने के परिणामस्वरूप मुजफ्फरपुर और पहलेजाघाट के बीच 5 खण्डीय डिब्बे चलाये गये हैं और 13 गाड़ियों को 9 अतिरिक्त स्टेशनों पर ठहराने की व्यवस्था की गयी है ।

मैसर्स फास्फेट (इंडिया) लिमिटेड

3399. **श्री वेधर बेहरा** :
श्री जे० अहमद :
श्री स० कुन्दू :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तकनीकी विकास के महानिदेशक को मामला भेजे बिना

मैसर्स फास्फेट (इन्डिया) लिमिटेड को एक लाइसेंस दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस के लिये यह प्रार्थना-पत्र, इसके दिये जाने की तारीख से कितने दिन के अन्दर स्वीकार किया गया था ; और

(ग) इस प्रार्थना-पत्र के इतने शीघ्र निपटाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (**श्री फखरुद्दीन अली अहमद**) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). मैसर्स फास्फेट (इण्डिया लि० का दिनांक 31 मार्च, 1961 का फोस्फेटिक एसिड बनाने के लिये आवेदन पत्र 5 अगस्त, 1961 को प्राप्त हुआ था। 25 मई, 1961 को एक औद्योगिक अनुज्ञापन जारी किया गया था।

भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड विशाखापतनम

3400. **श्री मि० सू० मूर्ति : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम में कितने अधिकारी कार्य करते हैं ;

(ख) उनमें से कुछ अधिकारियों के पदनामों में कितनी बार परिवर्तन किये गये और उनके वेतन में कितनी बार वृद्धि की गई तथा पदनामों में परिवर्तन किये जाने वाले अधिकारियों के नाम क्या है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कुछ अधिकारियों के पदनामों में पुनः परिवर्तन करने तथा उनके वेतन पुन: बढ़ाने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय अथवा निदेशक बोर्ड के विचाराधीन है ;

(घ) यदि हां, तो पदनामों में क्या-क्या परिवर्तन करने का प्रस्ताव है तथा उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या यह सच है कि जिन अधिकारियों के पदनामों में ये परिवर्तन किये गये हैं, वे देश के किसी विशेष क्षेत्र के निवासी हैं ; और

(च) पदनामों में इस प्रकार का परिवर्तन करने से कम्पनी को कितना अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त**) : (क) 1 नवम्बर, 1969 को 400-950 रुपये और उससे अधिक के वेतन-मान में 86 अधिकारी थे।

(ख) जिन अधिकारियों के पद-नामों में परिवर्तन किया गया था उनमें से किसी के भी वेतनमान में वृद्धि नहीं की गई है। वेतनमान में परिशोधन के बिना किए गए अधिकारियों के पदनामों में परिवर्तन के 13 मामले हैं। जिनमें 14 अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं। बहुत से मामलों में ये परिवर्तन इसलिए किए गए हैं क्योंकि मूल-पद नाम निर्माण-कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाये गए थे। परिवर्तित-पदनाम उत्पादन-संगठन के परन्तुकों के अनुरूप हैं। कुछ

मामलों में पदनामों को दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों के पदनामों के अनुरूप बनाने के लिए, परिवर्तित किया गया है। इन परिवर्तनों की तफसील का विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं। सम्बद्ध अधिकारी तीन भिन्न-भिन्न प्रान्तों के हैं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वेतन-मान में कोई परिशोधन नहीं हुआ है।

विवरण

परिवर्तन किये गये पदनामों के पदों का विवरण

क्रम संख्या	वह पद जिस पर नियुक्ति की गई थी	अधिकारियों की संख्या	वर्तमान पदनाम
1.	सहायक मुख्य क्रयअधिकारी	1	वरिष्ठ क्रय अधिकारी
2.	सहायक कार्मिक प्रबन्धक	1	वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक
3.	वरिष्ठ निरीक्षण इंजीनियर	1	सुपरिन्टेंडेंट (निरीक्षण)
4.	जनरल फोरमैन	2	सुपरिन्टेंडेंट
5.	वरिष्ठ प्राक्कलन तथा आयोजन इंजीनियर	1 1	सुपरिन्टेंडेंट (उत्पादन आयोजक नियंत्रण)
6.	सहायक सचिव	1	सचिव (समवाय विधि)
7.	चीफ डिजायन इन्जीनियर	1	चीफ इन्जीनियर
8.	एक्जिक्यूटिव इन्जीनियर (मेकेनिकल)	1	असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट (एम एम)
9.	एक्जिक्यूटिव इन्जीनियर (इलेक्ट्रिकल)	1	असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट (इलेक्ट्रिकल एम)
10.	सहायक इन्जीनियर (मेकेनिकल)	1	फोरमैन (एम एम)
11.	सहायक इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)	1	फोरमैन (इ एम)
12.	प्लांट इंजीनियर	1	असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर (अनुरक्षण)
13.	विक्रय अधिकारी	1	विक्रय इंजीनियर

अतारांकित प्रश्न संख्या 3526 के उत्तर में शुद्धि

Correction of Answer to Unstarred Qustion No 3526.

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : 18 मार्च, 1969 को अतारांकित प्रश्न सं० 3526 के भाग (घ) के उत्तर में भारतीयों तथा विदेशियों को मन्जूर किये गये पेटेंटों की संख्या के बारे में दी गई जानकारी में मैंने 1954 में भारतीयों की स्वीकृत पेटेंटों की संख्या 501 बतलाई है। मन्जूर किये गये पेटेंटों की शुद्ध संख्या 301 है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मलयेशिया से भारत मूलक व्यक्तियों के बड़े पैमाने पर मलयेशिया छोड़कर भारत आने का समाचार

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : Sir, I call the attention of Minister of External Affairs to the following matter of Urgent Public Importance and request him to make a statement thereon :

"Reported exodus of about 60,000 people of Indian origin from Malaysia to India."

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : सरकार उन अखबारी खबरों से अवगत है, जिनमें यह कहा गया है कि भारतीय मूल के बहुत से लोगों ने भारत जाने के लिये आवेदन किया है। कुआलालम्पुर स्थित हमारे उच्चायोग से पूछताछ की गई है और सरकार यह समझती है कि इन खबरों को बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है। वर्तमान सेवा में जितने स्थान सुलभ हैं वे अपर्याप्त हैं और प्रतिवर्ष जनवरी से जून के बीच जाने वाले जहाजों के लिये इन्हीं दिनों के आसपास जो बुकिंग होती है उसमें साधारणतः ऐसा ही होता है। गत कई वर्षों में ऐसा हुआ है जब कि बुकिंग खुलने के पहले दिन ही हजारों सीटें बुक हो गई हैं।

इस वर्ष, गैर-नागरिकों पर मलयेशिया द्वारा लगाये गये नियोजन संबंधी नवीन प्रतिबन्धों से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण, और भी मांग बढ़ गई है। जब प्रतिबन्ध लगाने से संबंधित नवीन प्रस्ताव रखा जा रहा था, उसी समय से सरकार मलयेशिया सरकार के साथ संपर्क स्थापित किये हैं। हमारे उच्चायुक्त मलयेशिया के उपप्रधान मंत्री से मिले हैं और मलयेशिया सरकार ने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि नये कानून न्यायपूर्ण रूप से और बिना किसी भेदभाव के लागू किये जायेंगे।

Shri O. P. Tyagi : I regret to say that the Hon. Minister has deliberately tried to mislead the House. The politics of Malaysia is rapidly changing and the stay of Indians there has become almost impossible. The Indians abroad are not safe there.

About 10 lakh Indians are living in Malaysia and 5 lakhs of them do not have the voting right. About 80,000 are stateless and rest are living there for generations together. The Government of Malaysia has decided to drive out the Indians from that country. Whether Government have made any attempt to secure citizenship of Malaysia to the people of Indian origin living there. I want to know the details of steps taken to remove the misunderstanding in the minds of the people and Government of Malaysia against the Indians living there and what were the results ?

Whether it is a fact that the Government of that Country has framed a new policy of work Permit System. On the basis of this policy, permit will be issued for two years only. Whether Government has made any effort to get this system changed so that the Indians living there for generations may continue there and they are in a position to get work ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मलयेशिया की सरकार के सामने बेरोजगारी की समस्या है जो कुछ समय से जटिल हो गई है। इसलिये वे अपने नागरिकों के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये

कुछ कदम उठा रहे हैं। ऐसा करने के लिये उन्हें गैर-नागरिकों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने पड़े। मलयेशिया की सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि उनकी नीति में भेदभाव की कोई बात नहीं है।

जहां तक भारत के मूल के 85,000 राष्ट्रिकताहीन लोगों का संबंध है, वे काफी समय से वहां रह रहे हैं। वे उनकी अर्थव्यवस्था तथा विकास में योगदान देते रहे हैं तथा बहुत उपयोगी कार्य कर रहे हैं। उनमें से अनेकों ने नागरिकता के लिये प्रार्थना-पत्र दे दिया है। वहां की सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि उनके आवेदन-पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : हमने अपनी कमजोर नीतियों के द्वारा ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि विदेशों से भारतीयों को भगाया जा रहा है। अफ्रीका में भारतीय मूलक लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसी तरह हमारे पड़ोसी, श्रीलंका, बर्मा, हांगकांग तथा मलयेशिया को देखें।

मलयेशिया में भारतीयों का आदर ही नहीं होता था बल्कि चीनी आक्रमण के समय मलयेशिया की सरकार ने हमारा पूरा समर्थन किया। भारत की कमजोर नीतियों के कारण इस समय भारतीयों को मलयेशिया से निकाला जा रहा है। कुछ समय पूर्व मलयेशिया की सरकार ने आधुनिकतम तकनीकी जानकारी के उपयोग द्वारा आर्थिक विकास में सहयोग देने के लिये भारत को आमंत्रित किया लेकिन भारत ने उपेक्षा की। जब तक स्थिति खराब नहीं हो जाती, हमारे दूतावास विदेशों में रहने वाले भारतीयों की समस्याओं को हल नहीं करते। मलयेशिया में भारतीयों के साथ इस तरह के व्यवहार का क्या कारण है। लगता है मलयेशिया की नीति भारतीयों के विरुद्ध हो गई है और चीन या पाकिस्तान के पक्ष में हो गई है। मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालें।

विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। क्या इस बात को देखते हुये भारत सरकार किसी अन्य देश की तरह विदेशों में रहने वाले भारतीयों की समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिये एक अलग मंत्री नियुक्त करने का विचार रखती है?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मलयेशिया की हाल की घटनाओं का रबात के मामले के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। मलयेशिया के साथ हमारे संबंध बहुत ही मैत्रीपूर्ण हैं। यह कहना सही नहीं है कि मलयेशिया अब हमारा मित्र नहीं रहा।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : महोदय, जब 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण किया तो मलयेशिया ने सबसे पहले भारत का बिना किसी शर्त के समर्थन किया क्योंकि वे आक्रामक चीन के खतरे से भिज्ञ थे।

जहां तक मलयेशिया की सरकार के वहां के भारत मूलक लोगों के प्रति रवैये में परिवर्तन का संबंध है, क्या इसका कारण यह है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की विदेश नीति में परिवर्तन हुआ है या इसका कोई और कारण है?

दूसरे, मंत्री महोदय ने कहा है कि आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताये गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि निकाले जाने वाले भारतीयों की संख्या क्या है ? क्या अन्य देशों से वापस आने पर इस देश में भारतीयों को पुनः बसाने के बारे में भारत सरकार की कोई नीति है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : भारत मूलक लोगों के साथ मलयेशिया सरकार द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाता। प्रतिबन्ध सम्बन्धी कदम गैर-नागरिकों के विरुद्ध उठाये गये हैं। इनमें भारतीय भी शामिल हैं।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The reports about exodus of Indians from different countries are continuously coming for some time back. First the report came that Indians are being driven out of Burma. Then the reports come that Indians are being driven out from Ceylon, Kenya etc. Now there is a report of exodus of Indians from Malaysia in large number. I want to know whether it is an indication of the failure of our foreign policy or those countries have changed their policies towards India ? Whether it is the result of the bad policy of Government of Malaysia or the Chinese and Pakistani living there have created such a situation ? Whether the Foreign Minister himself would go to Malaysia and have talks with Malaysian Government with a view to ensure that a situation of tension does not develop there and the Indians are not forced to leave that country in large numbers ?

The number of Indians who have come to India between January and June is larger this time. I want to know the ratio of persons who had booked their seats during the last few years and the ratio of seats booked this time ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : किसी को भी नहीं निकाला जा रहा है, अपितु लोग बाहर जा रहे हैं।

I was stating that the laws of Malaysia are liberal enough which would enable the people of Indian origin to get the citizenship of this country others will have to come back to India and naturally we would have to take them back because they are Indian citizens.

So far as the rehabilitation of those persons is concerned, we do not consider it necessary to provide them any rehabilitation facilities because that will only give an impetus to their exodus. They have some property also and we hope that when they come to India they will start a new life.

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, Sir, As stated by the Deputy Minister that some people get their passages booked to come to India between January and June. I would like to know the number of passages which are booked every year and the number of those booked this year.

Shri Dinesh Singh : There are about 35 thousand passages for the people to come from there in a year. I came to know that this year 5 thousand more persons have got the passages booked.

श्री कमलनाथन (कृष्णगिरि) : वर्तमान परमिट प्रणाली से प्रभावित होने वाले 60,000 लोग मलयेशिया चले गये हैं और वे वहां कई दशकों तक रहे। अब वे मलयेशिया के लोग हैं और उन्हें वहां की नागरिकता दी जानी चाहिये। जो लोग वहां की नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हैं, सरकार ने उनको नागरिकता प्राप्त करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि भारतीय मूल के अधिकांश लोग, जो मलयेशिया और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में हैं,

तमिल भाषी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन सभी देशों में राजदूतों और उच्चायुक्तों के रूप में तमिल भाषी लोगों को नियुक्त करना चाहेगी, ताकि वे वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की शिकायतों को समझ सकें और उनका पता लगा सकें ?

श्री दिनेश सिंह : मैं नहीं समझता कि इन भाषायी मतभेदों को विदेश सेवा में भी ले जाना एक अच्छी बात होगी । निस्सन्देह हम उन देशों में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे जो इन देशों में हमारे हितों का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे ।

जहां तक लोगों को नागरिकता प्राप्त करने में सहायता देने का सम्बन्ध है, नागरिकता प्रदान करना सम्बन्धित राज्य का कार्य है । इसमें हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होगा । निस्सन्देह हम मलयेशिया सरकार से कह रहे हैं कि वह कुछ सुविधाएं प्रदान करे, ताकि जो लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं या जिन्हें इन परिवर्तनों की जानकारी नहीं है, उन्हें बिना किसी कठिनाई के नागरिकता प्राप्त हो सके । इस दिशा में जो कुछ भी आवश्यक होगा, हम करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले विषय को लेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): मैं सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951, की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण तथा लाइसेंस देना (संशोधन) नियम, 1968 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2187 में प्रकाशित हुये थे ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों का एक विवरण । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2298/69]**

वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : मैं श्री रघुनाथ रेड्डी की ओर से वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 27 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4665 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 22 नवम्बर, 1969, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2299/69]**

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति
दूसरा प्रतिवेदन

श्री बसुमतारी (कोकराझार) : मैं वित्त मंत्रालय (सरकारी उद्यम ब्यूरो) तथा गृह-कार्य मंत्रालय सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षण के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन
ELECTION OF DEPUTY-SPEAKER

Shri Tenneti Vishwanatham (Visakhapatnam): Mr. Speaker, Sir, I beg to move that Shri G. G. Swell, a member of the House, be chosen as the Deputy-Speaker of the House.

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि श्री जी० जी० स्वैल को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। अत: मैं श्री जी० जी० स्वैल को उपाध्यक्ष चुना गया घोषित करता हूं।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं अपनी ओर से और सभा की ओर से श्री स्वैल को बधाई देती हूं। प्रो० स्वैल 1962 से सभा के सम्मानित सदस्य रहे हैं और वह उन प्रभावशाली संसद-शास्त्रियों में से हैं, जिन्होंने संसद में आते ही ख्याति अर्जित की। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर और विद्वान के रूप में उनकी ख्याति सर्वविदित है।

हम श्री स्वैल की सज्जनता, सौम्यता तथा दूरदर्शिता का आदर करते हैं। हमें इसकी छाप इस सभा में उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचारों में मिलती है। निस्सन्देह प्रो० स्वैल उपाध्यक्ष पद को ग्रहण करके उसे सम्मानित करेंगे और वह सभा की कठिन कार्यवाही को उचित ढंग से और पूर्ण निष्पक्षता से तथा साथ ही आवश्यक कड़ाई से चलायेंगे।

प्रोफेसर स्वैल एक योग्य भारतीय हैं, लेकिन साथ ही हमें इस बात से भी हार्दिक सन्तोष है कि वह उन जनजातीय समुदायों के सदस्य हैं जो महान भारत के महत्वपूर्ण और मूल्यवान अंग हैं। हम आश्वासन देते हैं कि हम उन्हें पूर्ण सहयोग देंगे।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से प्रो० स्वैल को बधाई देता हूं। श्री स्वैल का शैक्षणिक जीवन अत्यन्त प्रभावशाली रहा है और एक दक्ष

संसद शास्त्री के रूप में उन्होंने सबका स्नेह प्राप्त किया। उनका निर्वाचन भी हमारे लोकतन्त्र की धर्मनिरपेक्षता का जीता जागता उदाहरण है। उपाध्यक्ष पद के लिये वह पर्याप्त रूप से उपयुक्त व्यक्ति हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से प्रो० स्वैल को उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। यह हर्ष का विषय है कि विरोधी दल के एक सदस्य को उपाध्यक्ष पद के लिये चुना गया है।

प्रोफेसर स्वैल न केवल मधुरभाषी हैं, अपितु शालीन भी हैं। यह बात और भी महत्वपूर्ण है कि वह असम के पहाड़ी क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। उनके निर्वाचन से राष्ट्रीय एकता लाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रो० स्वैल को उनके सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। प्रोफेसर स्वैल सुशील और सज्जन व्यक्ति हैं। उनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वह निष्पक्षता से अपने उत्तरदायित्व को निष्ठापूर्वक निभा सकेंगे।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : अध्यक्ष महोदय, यह ऐतिहासिक महत्व का अवसर है कि विरोधी दल का एक सदस्य उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित हैं। तीसरी बात यह है कि वह देश के ऐसे भाग से सम्बन्धित हैं, जिसकी प्रायः उपेक्षा होती रही है और उनके निर्वाचन से देश की एकता में योगदान मिलेगा। यह बड़े सन्तोष का विषय है कि हमने उपाध्यक्ष पद के लिये निर्दलीय सदस्य को चुना है।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : हम में से कुछ लोग प्रो० स्वैल को कई वर्षों से जानते हैं। प्रो० स्वैल संयुक्त निर्दलीय संसदीय दल के अत्यन्त महत्वपूण सदस्य हैं। वह उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी योग्यता द्वारा अपने व्यक्तित्व को महान् बनाया है। जैसा कि प्रधान मंत्री ने बताया है कि वह कभी भी संकीर्ण राजनीतिज्ञ नहीं रहे। उनमें शैक्षणिक तथा अन्य विशिष्ट गुण हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह अपने गुणों द्वारा अत्यन्त उपयुक्त और सम्मानीय उपाध्यक्ष सिद्ध होंगे।

हम उन्हें बधाई देते हैं और उनके लिए शुभ कामना करते हैं।

श्री एम० मुहम्मद इस्माइल (मंजरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे डा० स्वैल को इस महान् सभा के उपाध्यक्ष के उच्च पद के लिये निर्वाचित होने पर बधाई देने के लिए कहा है। प्रो० स्वैल प्रत्येक दृष्टि से इस उच्च पद के लिए अत्यन्त उपयुक्त हैं। वह एक विद्वान, सुशील, सौम्य और गम्भीर व्यक्ति हैं। उनमें दक्षता कूट-कूट कर भरी हुई है और वह सभा में उठने वाले विभिन्न मामलों को अच्छी तरह समझते हैं।

मुझे विश्वास है कि श्री स्वैल वह व्यक्ति हैं जो प्रत्येक दल के बीच संतुलन बनाये रखेंगे, चाहे वह उनके विचारों से सहमत होंगे या नहीं। इसलिए अध्यक्ष के पद की निष्पक्षता और गरिमा को बनाये रखने में अध्यक्ष महोदय के लिए प्रभावकारी और योग्य सहायक सिद्ध होंगे।

मैं इनकी प्रत्येक सफलता के लिए कामना करता हूं। यह बड़े संतोष की बात है कि अल्पसंख्यक जाति के सदस्य को इस पद के लिए निर्वाचित किया गया है।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम् (विशाखापतनम) : मैं भी प्रो० स्वैल को बधाई देता हूं। उनके बारे में जो कुछ भी कहना चाहिये था, वह कहा गया है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि वह अवश्य ही स्वतंत्र रूप से, औचित्य और निष्पक्षता को ध्यान में रखकर काम करेंगे। यद्यपि वह कम आयु के हैं किन्तु उनके युवा कंधों पर विद्वान मस्तिष्क हैं। हमें इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह सभा की कार्यवाही संतोषप्रद ढंग से चलायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मुझे अति प्रसन्नता है कि मैं भी प्रधान मंत्री और अन्य दलों तथा गुटों के नेताओं के साथ प्रो० स्वैल को बधाई दे रहा हूं। सभा ने मुझे प्रो० स्वैल के रूप में सबसे मूल्यवान उपहार दिया है। प्रो० स्वैल को मैं कई वर्षों से जानता हूं। सज्जन, अत्यन्त योग्य सौम्य और परिव्यक्त पुरुष हैं। वह अत्यन्त संतुलित व्यक्ति हैं। यह वह गुण है जो इस पद को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिये अत्यन्त अनिवार्य है। आजकल सभा की अध्यक्षता का कार्य अत्यन्त थका देने वाला और परेशान करने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री स्वैल में इस कार्य का सामना करने के लिये पर्याप्त साहस और संतुलन है।

हम काफी कठिन समय से गुजर रहे हैं। देश सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों में गुजर रहा है और हमारे नवयुवक तथा प्रतिनिधि संसद में अपने विचार रखने के लिये बड़े इच्छुक होते हैं। इस बारे में अध्यक्ष का कार्य यह होता है कि वह उन्हें अवसर दें ताकि बाहर की जनता को वे इस सभा में अपने चुनाव और स्थान को उचित सिद्ध कर सकें। मुझे विश्वास है कि प्रो० स्वैल अपने अनुभव और स्वभाव से इन सदस्यों को अवसर देंगे।

इनमें और मुझ में कई बातें समान है। हम दोनों अल्प संख्यक समुदाय के हैं और दोनों शैक्षणिक व्यवसाय से आये हैं। इस लिये हम दोनों सज्जन हैं। परन्तु हम दोनों में एक वैभिन्य है। वह देश के एक कोने से आये हैं और मैं दूसरे कोने से। मेरे विचार में हम दोनों युद्धस्तरीय स्थलों पर बैठे हैं और इस लिये किसी भी ओर से लोकतंत्र को खतरा नहीं हो सकता।

मैं प्रो० स्वैल को सच्ची स्नेह पूर्वक बहुत-बहुत बधाई देता हूं और यही कामना करता हूं कि वह इस पद पर सफल हों। इनसे अनुरोध करता हूं कि वह उपाध्यक्ष के स्थान को ग्रहण करें और अपने कुछ विचार सभा के सम्मुख रखें।

इसके पश्चात श्री फ्रैंक एन्थनी और श्री नि० चं० चटर्जी श्री स्वैल को अगली पंक्ति में उपाध्यक्ष की सीट तक ले गये

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : अध्यक्ष महोदय, आप से प्रधान मन्त्री ने और सभी दलों के नेताओं ने मेरे प्रति जो स्नेह तथा विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिये आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है।

महोदय, मेरे प्रति की गई यह प्रशंसा इतनी अप्रत्याशित है इस लिये मेरे लिये अत्यन्त मूल्यवान है। मैं स्वयं यह प्रार्थना और आशा करता हूं कि मैं अपने सहयोगियों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूर्ण कर सकूं। मैं अपने उत्तरदायित्व को निष्पक्षता और दृढ़ता से जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है, इस तरह निभा सकूं जिससे सारी सभा को संतोष हो।

इस सभा के बुजुर्ग सदस्यों से मैं यही कहूंगा कि वे मुझे अपने स्नेह, सम्मान और कभी-कभी अपना अनुग्रह प्रदान करते रहें। और युवक सदस्यों से, जिनके साथ मैं सम्बन्धित हूं, मैं कहूंगा कि यह नवयुवकों के लिये चुनौती है। अतः वे मुझे अपना सहयोग देते रहें ताकि इस पद पर नवयुवकों की आशाओं पर पानी न फिर जाये। मेरा सदैव यह विचार रहा है कि यह संसद शान्तिपूर्ण तथा व्यवस्थित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जब तक इस महान राष्ट्र के लोगों को, जिनका हम यहां प्रतिनिधित्व करते हैं, इस संसद में आशय और विश्वास रहेगा, हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा।

सभा ने मुझे यह जो उच्च पद प्रदान किया है उससे विश्व को ज्ञात हो गया है कि विपरीत परिस्थितियों और कठिनाइयों के बावजूद भारत का दृष्टिकोण विशाल और उसका हृदय महान राष्ट्रों वाला है, और यहां के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उनकी संख्या कितनी ही कम हो, या भौगोलिक स्थिति से वे चाहे जितने भी सुदूरवर्ती प्रदेश के हों, उन्हें राष्ट्र में सम्मानीय स्थान प्राप्त है इस देश में सबको स्नेह तथा प्रशंसा मिलती है। धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : सभा को स्थगित करने से पहले मैं श्री बनर्जी को एक शुभ सूचना देता हूं कि श्री खाडिलकर एक वक्तव्य देंगे।

जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खाडिलकर) : महोदय, मैं जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2300/69]**

अध्यक्ष महोदय : सभा की जानकारी के लिये वैधानिक संशोधन विधेयक के मतदान का समय 4.45 बजे सांय होगा।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुयी।
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 3 मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at three minutes past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

संविधान (तेईसवां संशोधन) विधेयक–जारी
CONSTITUTION (TWENTY-THIRD AMENDMENT) BILL—Contd.

Shri B. P. Mandal (Madhipura): Mr. Deputy Speaker, Sir, I was stating that the provision of reservation has existed for so long, but their condition has not improved. In the high offices of the country, there is hardly any harijan.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अब अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। उन्होंने 3 मिनट से अधिक समय ले लिया है।

Shri B. P. Mandal: Those harijans who have left Hindustan and adopted Buddhism due to social disabilities must not be deprived of the safeguards which are provided for the Scheduled Castes and Tribes as mere change of religion does not improve their condition.

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अटल बिहारी बाजपेई बोलेंगे। वे कृपया 10 मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): यहां कोई भी मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं जिससे मालूम पड़ता है कि वे कितनी गम्भीरता से इसे ले रहे हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेई (बलरामपुर): यह गम्भीर मामला है। पिछली बार गृह मंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पन्त ने इसे प्रस्तुत किया था। विधि मंत्री भी उपस्थित नहीं हैं। मंत्री महोदय को सभा में उपस्थित होने के लिये कहा जाय।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय के आने तक सभा स्थगित की जाय। सरकार का अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो-इंडियन के प्रति इस प्रकार का व्यवहार है।

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य मंत्री यहां हैं और कार्यवाही जारी रहे। जो भी यहां कहा जायगा वे उसे मंत्री महोदय से कहेंगी और वे उसका उत्तर देंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Mr. Deputy Speaker, Sir, this is my point of order. This is question of the dignity and propriety of the House even if it is right according to the law and at least some Minister of that Ministry must be present in the House.

Shri Atal Bihari Vajpayee: This bill has been introduced for extension of the period of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for another ten years. When this provision of reservation was made in the Constitution at the time of its framing it was hoped that the Scheduled castes and Scheduled Tribes would be able to stand on their own feet within this

time but we have not been able to achieve this during the past twenty years and now this is the second time when we are extending this period. In fact reservation is necessary. But the real problem will not be solved by providing representation in the Pakistan Assemblies only. It is, therefore, necessary that alongwith the reservation, by abolishing untouchability by giving economic facilities, they should be uplifted so that they may come up to the standard of rest of the society. We have said in the Constitution that we would abolish untouchability. In fact, due to spread of education and industrialisation untouchability has been reduced. It is a matter of regret that after independence no movement has been launched on all India level against untouchability. In the last Session Home Minister had assured he would do something with the co-operation of all the parties. But nothing has been done in that direction. Our party is against this practice. These communities should be given facilities in the economic field and facilities for getting employment. The quota fixed for these communities should be adhered to and implemented.

In so far as this bill is concerned with the Anglo-Indians I want to oppose it. Shri Frank Anthony had himself admitted that no minority can always work, under communal label. Sardar Patel had also said that the period of ten years being given to the Anglo-Indians is a notice. Because Anglo-Indians had been given sufficient facilities during the English regime. One could understand nominations to Rajya Sabha but not to Lok Sabha. Now there is, therefore, no justification for the continuance of the reservation.

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I support this bill for the amendment of the Constitution. The question now arises as to why the Condition of Harijans and Scheduled Tribes has not improved when this hope was expressed in the constitution that by 1971 their condition would improve. The failure has been due to the fact that after independence the reconstruction of the country was based on capitalism, with the result that the strong became stronger and the weak became weaker. This capitalism helps in increasing the disparity. With the result that today we have to make special provision for reservation for Harijans and Scheduled Tribes against the hopes in the Constitution. If in the next ten years we do not change the basis of reconstruction of the country this will remain a thing on the papers only. The problems of Harijan and Scheduled Tribes can be solved only by means of socialism or on a socialistic pattern.

We have supported the bill because we wanted that in the coming 10 years we should bring about such social, economic and cultural changes as would facilitate the upliftment of the backward people. We do not favour any extension in that period as suggested in some amendments because we want these backward people to come up to the standard of other people within 10 years.

श्रीमती सुधा वी० रेड्डी (मधुगिरी) : इस विधेयक के पीछे जो भावना है वह प्रशंसनीय है। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक सदस्य को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की जानी चाहिये। इतना ही कहने से इन लोगों के प्रति उदारता नहीं दिखाई जा सकती है कि उनकी छात्र-वृत्ति पर पिछले वर्ष के 238.87 लाख रुपये के मुकाबले इस वर्ष 356.95 लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं। यह तो वास्तव में उनकी मदद करने का प्रश्न है जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हों।

इन लोगों के लिये पीने के पानी के कुओं की गांवों में नितांत आवश्यकता है। उनकी

आवास व्यवस्था में जितनी प्रगति होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। जिन क्षेत्रों में वे रहते हैं उन्हें वहां वनरोपण के कामों में लगाना चाहिए।

निरन्तर सतर्कता स्वतंत्रता का मूल्य है। अतः जो धन इन लोगों पर खर्च किया जाता है उसे अच्छी तरह से खर्च किया जाना चाहिये। इसके लिये राज्य के विभागों को इसके अनुकूल बनना चाहिए। हो सकता है कि केन्द्र इस मामले में ठीक हो लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि राज्य का सरकारी तंत्र वस्तुतः मानवोचित पहलू के अनुकूल नहीं होता है और जो धन उसके लिए रखा जाता है उसका समुचित रूप से कार्यान्वियन नहीं होता है।

इन जन जातियों के कल्याण की ओर भी अधिकाधिक ध्यान देना होगा। हमने उनके रीति-रिवाजों को समाप्त कर दिया है और इस प्रकार उन्हें खोखला छोड़ दिया है कि उनके लिये कोई भी सुविधा नहीं है। संचार व्यवस्था भी बहुत खराब है और जो कानून उनके संरक्षण के लिये बनाये गये हैं उनका ठीक ढंग से कार्यान्वियन नहीं होता है। अतः उग्रवादियों द्वारा उनके भोलेपन का लाभ उठाया जा रहा है और वे उनका शोषण कर रहे हैं।

जहां तक एंग्लो इण्डियन का सम्बन्ध है, इसमें सन्देह नहीं है कि वे कर्तव्य परायण, शान्तिशील और कानून का पालन करने वाले अल्पसंख्यक हैं और उनके हितों का संरक्षण किया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी कार्य-कुशलता और वायु सेना, स्थल सेना, नौसेना आदि में उनकी क्षमता का सम्मान किया जाना चाहिए।

श्री सी० के० चक्रपाणि (पोन्नाणि) : हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान आरक्षित करने की अवधि बढ़ाई गयी है।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हरिजनों और आदिवासियों का उद्धार करना एक विशेष जिम्मेदारी मानी जाती थी, लेकिन इन लोगों के उत्थान के लिये पिछले 20 वर्षों के दौरान क्या कार्य किया गया है ? 1960-69 के दौरान हरिजनों पर जो अत्याचार किये गये हैं, उनकी संख्या बढ़ गयी है। इसका कारण इन जातियों की समस्या के प्रति संरक्षण का रवैया और दृष्टिकोण है। यह रवैया समाप्त होना चाहिए। केवल तभी इन लोगों के लिये कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं।

हरिजनों के सामने वास्तविक समस्याएं भूमि, श्रम और रोजगार सम्बन्धी हैं। निर्धन अनुसूचिन जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भूमि नहीं दी गई है। "भूमि, जोतने वालों को" सम्बन्धी नारा क्रियान्वित नहीं किया गया है। दूसरी ओर शताब्दियों से श्रम सम्बन्धी उनकी साधन-क्षमता का शोषण किया गया है।

उनके रोजगार के सम्बन्ध में जहां तक केरल राज्य का सम्बन्ध है, पिछले तीन वर्षों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से किसी को भी भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में नहीं लिया गया है। मंत्री महोदय को इस मामले में छानबीन करनी चाहिये।

जहां तक छुआछूत का सम्बन्ध है, संविधान के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और इसको किसी रूप में अपनाने की मनाही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि असम, राजस्थान और अन्य स्थानों में हरिजन मन्दिरों में भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं और वे सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं खींच सकते। हरिजनों की यह दयनीय स्थिति है। अतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को इनसे मुक्ति पाने के लिये विद्रोह करना चाहिये।

Shri Rabi Ray (Puri) : The Harijans and other backward classes have not been treated well during the last 20 years. Our attitude towards these people would be clear from the statement of one of the Ministers of Andhra Pradesh that every Harijan was a thief. So long as this type of attitude is there, how could there be any improvement in the condition of those people ?

I have to say that the attitude adopted by us towards Harijan needs change and revolution. The S. S. P. believe that the atrocities which are being perpetrated on the Harijans and other backward people cannot be ended by any sort of a revolution. We want that a Harijan should have been our President but we did not get success in this regard. Therefore, now the least that should be done with regard to these people is to give them special representation in higher services and it should be strictly implemented.

As regards the Bill we support it so far as the provision regarding extension of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is concerned. But so far as the provision regarding nomination of Anglo-Indian is concerned, we do not want any nomination to be made in Lok Sabha as it is an elected body. The system of nomination of Anglo-Indians should go and Government should do so today itself.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण की अवधि 10 वर्षों तक और बढ़ाने का है, उसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी है, क्योंकि सरकार इन लोगों की स्थिति सुधारने में असफल रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को यह बताने के लिये तैयार रहना चाहिये कि यह कैसी बात है कि 20 वर्षों के बाद भी वह कुछ नहीं कर सकी है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। मैं इस विधेयक का विरोध नहीं करता हूं, परन्तु मैं यह सोच कर प्रसन्न नहीं हूं कि आखिरकार इससे समाज का और विखण्डन हो जायेगा। वस्तुतः इस विधेयक से ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होने वाली है कि ये लोग समूचे समाज में मिलाये जायेंगे।

अनुसूचित जनजातियां बिल्कुल भिन्न हैं। जहां अनुसूचित जातियां हिन्दू समाज में मिलायी गई हैं वहां अनुसूचित जनजातियां नहीं मिलायी गई हैं। चूंकि अनुसूचित जनजातियां देश के विभिन्न भागों में बिखरी हुई हैं और वे कुछ ऐसी बस्तियों में रहती हैं और कुछ ऐसे स्थानों में एकत्रित हैं जहां अनुसूचित जातियों द्वारा अपेक्षित इस तरह का आरक्षण उनके लिये उपयुक्त नहीं हो सकता। वे समाज में अनुसूचित जातियों की तरह अछूत नहीं मानी जाती हैं। उनमें से अधिकांश लोग ईसाई बन गये हैं। अतः उनकी समस्या लगभग उनके क्षेत्रों के आर्थिक विकास की समस्या है। जैसा कि नागालैण्ड ने बताया है, ये लोग किसी प्रकार का आरक्षण नहीं चाहते हैं। यदि सरकार के पास उन समुदायों और उन क्षेत्रों, जहां अनुसूचित जनजातियां

अधिक संख्या में रहती हैं, के विकास का कोई कार्यक्रम है, तो सम्भवतः दस वर्षों के अन्दर यह कहने को तैयार होंगी कि वे किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं चाहती हैं। परन्तु मेरा यह विचार नहीं है कि शायद ऐसा होने वाला है। सरकार इस दृष्टि से समस्या पर विचार नहीं कर रही है। अतः अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

जहां तक एंग्लो इण्डियन का सम्बन्ध है, मुझे खेद है कि मैं इस समस्या को स्वीकार नहीं कर सकता। ये लोग काफी उन्नत हैं और उन्हें पिछड़े तथा अछूत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ नहीं जोड़ना चाहिये। किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि एंग्लो इंडियन देश में पिछड़ी और अविकसित जाति है। यह भी गलत है कि आर्थिक दृष्टि से भी यह जाति पिछड़ी हुई है। एंग्लो इण्डियन को स्वयं इस बात का विरोध करना चाहिये कि वे किसी पद के लिये अथवा लोक सभा अथवा राज्य विधान सभाओं में स्थान के लिये बहुत इच्छुक है। मेरे विचार में मतोनीत करने की प्रथा एक काल दोष है। लोक तंत्रीय प्रणाली में मनोनीत करने का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिये। यदि सरकार यह चाहती है कि एंग्लो-इण्डियन समुदाय को कुछ आरक्षण और कुछ संरक्षण दिया जाये, वह अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र की तरह एंग्लो-इण्डियन निर्वाचन क्षेत्र नाम से एक निर्वाचन क्षेत्र बना सकती हैं, ताकि उन्हें राज्य सभा या राज्य विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व मिल सके। लेकिन यह ठीक नहीं है कि लोक सभा जैसी एक प्रतिनिधि निकाय में किसी समुदाय को मनोनीत करने का अधिकार दिया जाये।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : आरक्षण प्रणाली का वास्तविक उद्देश्य यह है कि जो लोग निरक्षरता, पिछड़ेपन या अन्य कारणों से विधान सम्बन्धी निकायों में पर्याप्त संख्या में स्थान नहीं प्राप्त कर सकते जिसे कि उन्हें अपनी जन संख्या के अनुसार प्राप्त करने का अधिकार है, उन्हें अपनी देखभाल करने में मदद की जाये। चूंकि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन-जातियां हमारे देश में पिछड़ी हुई हैं, इसलिये हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें आरक्षण सम्बन्धी उपबन्ध को शामिल किया था। लेकिन यह उपबन्ध केवल दस वर्षों के लिये किया गया था, क्योंकि यह आशा थी कि इस अवधि के दौरान वे समुचित स्तर तक पहुंच सकेंगे। लेकिन यह आशा गलत सिद्ध हुई है। वर्तमान दर से तो सम्भवतः अनुसूचित जातियों की स्थिति सुधारने में 106 वर्ष और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति सुधारने में लगभग 329 वर्ष लग जायेंगे। इसलिये आरक्षण जारी रखने की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन यह आरक्षण 10 वर्षों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये। आरक्षण प्रणाली उस समय तक रखी जानी चाहिए, जब तक कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां उस स्तर तक न पहुंच जायें जिस स्तर तक अन्य लोग आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक दृष्टि से पहुंच गये हैं।

यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि केवल आरक्षण की अवधि बढ़ाना ही कोई चीज नहीं है। हम जिन लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनकी मदद सभी तरह से की जानी चाहिये। आरक्षण की अवधि बढ़ाने का यह मुख्य उद्देश्य है। अन्यथा यदि हम बिना किसी योजना के इसकी अवधि बढ़ाते जायेंगे, तो यह निरर्थक बात होगी।

अब मैं मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां देने का मामला लेता हूं। अधिकांश छात्रवृत्तियां ईसाइयों को मिली हैं जो इस सम्बन्ध में बहुत ही भाग्यवान हैं। उसके बाद समुद्र पार छात्रवृत्तियां देने का मामला आता है। 4 प्रतिशत ईसाई समुद्र पार की छात्रवृत्तियों में से 60 प्रतिशत छात्रवृत्तियां ले रहे हैं। इस सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति उचित व्यवहार नहीं किया गया है। मैं फिर सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित वास्तविक स्थिति का जायजा ले। अब समय आ गया है कि इन लोगों के साथ न्याय बरता जाये।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा के सभी पक्षों के सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एंग्लो-इण्डियन के लिये विशेष प्रतिनिधित्व की अवधि बढ़ाने सहित इस संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन किया है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं।

संविधान सभा ने एंग्लो-इन्डियन समुदाय के मामले पर विस्तृत चर्चा की थी। वास्तव में कुछ विशेष कारणों से अन्य सभी अल्पसंख्यकों के मामले की अपेक्षा इनके मामले में अधिक समय लगा है। इसके लिये एक विशेष उप समिति नियुक्त की गई थी। पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त श्री के० एम० मुन्शी श्रीमती हन्सा मेहता और मेरे एक साथी इस समिति के कुछ महीनों के लिये सदस्य रहे। मेरे समुदाय की विशेष कठिनाइयों सम्बन्धी समूचे मामले पर बारीकी से विचार किया गया था। वास्तव में मुझे सरदार पटेल से जोरदार समर्थन प्राप्त हुआ।

पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल दोनों ने यह कहा था कि एंग्लो-इंडियन का मामला विशेष कठिनाइयां इस कारण से पेश नहीं करता है कि वे पिछड़े हुये हैं अपितु इसके कुछ एतिहासिक तथा अन्य कई कारण हैं और इस लिये उनके विशेष संरक्षण और अनुसूचित जातियों के संरक्षण ऐसे ही बने रहें। यहां तक कि गांधी जी ने भी उनके हितों का समर्थन किया था और यह आश्वासन दिया था कि वह संविधान सभा में एंग्लो इन्डियन के लिये न एक और न दो अपितु तीन स्थानों के लिये सिफारिश करेंगे। गांधी जी, जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल तथा अन्य महान नेताओं के समर्थन के कारण ही हमारे लिये यह विशेष व्यवस्था की गई है।

1947 में अन्तर्राष्ट्रीय बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया था। इसके पहले स्कूल वातावरण ठीक नहीं था। तबसे मेरे ऊपर बहुत अधिक उत्तरदायित्व है। हमने नवभारत के बच्चों की आवश्यकताओं और मानसिक स्थिति के अनुसार पाठयक्रम अपनाया है। ये स्कूल उन बहुत से थोड़े स्कूलों में से है जिन्होंने तीन भाषा फार्मूला अपनाया है। मैं अपने मित्रों को जो ये समझते हैं कि मैं हिन्दू विरोधी हूं, यह बताना चाहता हूं कि मैं हिन्दी विरोधी नहीं हूं बल्कि मैं हिन्दी सामाज्यवाद का विरोधी हूं।

श्री अटल बिहारी बाजपेई (बलरामपुर) : मैंने यह नहीं कहा है कि आप हिन्दी विरोधी हैं।

श्री फैंक एन्थनी : हमने हिन्दी और अन्य प्रान्तीय भाषाओं में ऐसी पाठ्य पुस्तकें निकाली हैं जो और कोई नहीं निकाल सकता। हमारे यहां अखिल भारतीय स्कूल ही नहीं हैं बल्कि राष्ट्रीय स्कूल भी हैं।

निस्सन्देह एंग्लो-इन्डियन एक पिछड़ा हुआ समुदाय नहीं है। लेकिन हमें अन्य समुदायों के साथ जोड़ दिया गया है। कुछ कारणवश इस समुदाय के कई वर्ग अशिक्षित हैं। यदि हमें यह प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तो हमें निर्धनों को मिलने वाला अनुदान न मिल सकेगा और इस अनुदान के बिना हमारे दस हजार अनाथ और दरिद्र बच्चे अशिक्षित ही नहीं रह जाएंगे, अपितु उन्हें भोजन भी नहीं मिलेगा और उनकी बुरी हालत हो जायेगी।

इसके अतिरिक्त बेरोजगारी का प्रश्न है। हमारे समुदाय ने बड़ी विकट स्थिति का सामना किया है। 18 वीं शताब्दी में हमें अंग्रेजों ने सेवाओं से निकाल दिया था इसके बाद 19 वीं शताब्दी के मध्य में हमें रोजगार दिया गया था, लेकिन रेलवे, रीतिरिवाज और टेलीग्राफ के विकास कार्य के अधीनस्थ पदों पर लगाया गया था, क्योंकि उन दिनों अन्य समुदाय इस कार्य को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं थे। आधा समुदाय इन सेवाओं में लगाया गया था। हमारा कोटा नष्ट करने के साथ आज बेरोजगारी की स्थिति अधिक खराब हो गई है।

अन्त में मुझे यह कहना है कि हमारे समुदाय को जो संरक्षण दिये गये हैं, उनका हमारे समुदाय ने पूर्ण यथा समर्थन किया है। उसने इनका शक्ति और साहस के साथ समर्थन किया है। काश्मीर के मोर्चे पर लड़ाकू विमानों के चालकों को वीरता के लिये आधे से अधिक पुरस्कार एंग्लो-इन्डियन समुदाय को दिये गये थे।

अन्त में, आपको याद होगा कि भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के राष्ट्रपति ने स्थल सेना और वायुसेना के 63 वीरों को पुरस्कार दिये थे। इनमें 7 पुरस्कार एंग्लो इन्डियन समुदाय के वीरों को मिले हैं। अतः इन उपबन्धों को जारी रखा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम चरण। आपको तीन मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करना है।

Shri Ram Charan (Khurja) **:** Mr. Detputy Speaker, First of all I would like to say that we should not have got this reservation. Had Government improved our economic and social condition during the last 22 years, we would have not been in need of such reservation.

So far as Government services are concerned, we find that the number of posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes had never been filled up in any of the categories.

At present there are four lakh educated persons, who are unemployed. On one hand, this Government claim to make reservation provision for Scheduled Castes but on the other hand they do not make proper provision for their meals. Similar is the position in regard to agricultural and industrial fields. People in the villages neither have land for cultivation nor money to do some business. It is, therefore, necessary that our educated youth may be provided with employment. Landless people may be granted land.

Casteism is one of the main factors responsible for the pitiable condition of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Unless casteism is rooted out from the Indian Society, it will not be possible to bring in socialism in the country and to improve the economic and social conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Even 22 years have passed since Independence but there are still landlords, poor landless labourers, poor harijans. Reservations for Scheduled castes were provided for in the constitution 22 years back but it is a matter of regret that Government has not been able to do anything positive for improving the economic and social condition of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So far as the Government services are concerned, it is found that the number of posts reserved for them had never been filled up. Similar is the condition in the agricultural industrial sectors. It is, therefore, necessary that steps are taken to ensure that all the reserved vacancies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates are filled only by those persons who belong to these castes.

Shri Randhir Singh (Rohtak): It is a matter of regret that during the last 20 years we have not succeeded in improving the economic and social conditions of the scheduled castes and the Scheduled Tribes. That is why the Government have brought forward this Bill for extension of period of reservation for them. It is necessary that during the ensuing 10 years period, concrete steps are taken to improve their conditions.

Our social structure is based on casteism which is mainly responsible for the existing condition of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Steps should be taken to remove casteism from the society. Untouchability should be made a cognisable offence. No bail should be granted to the persons charged with the offence of practising untouchabilities. Offences of untouchability should be tried in the Sessions Courts and persons found guilty should be given a sentence of imprisonment for at least 7 years.

As far as the Anglo-Indian community is concerned, it has a special case. Appropriate concessions and safeguards should be given to them for another 10 years. The backwardness of all these communities should be removed as early as possible. I am a suppoter of right of vote on plural basis, so that separate electorate and reservations will not be needed for these communities.

श्री आर० एस० अरुमुगम (टेंकासी) : हमारे देश के संविधान में यह व्यवस्था रखी गई है कि छुआछूत को जड़ से मिटाया जाये और इसे किसी प्रकार से मानने की मनाही है। लेकिन इस लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में छुआछूत को पूरी तरह अपनाया जा रहा है। हरिजनों को मार डालने या जला देने की अनेक घटनाएं देश के कई भागों में हुई हैं। जिन कुओं से सवर्ण हिन्दू पानी लेते हैं उनसे हरिजन पानी नहीं ले सकते।

देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों साक्षरता केवल 10 प्रतिशत ही है। अतः सरकार का यह दावा भरना कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये काफी काम किया गया है, निर्मूल सिद्ध होता है।

जहां तक रोजगार सम्बन्धी अवसरों का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को अनुपात के अनुसार रोजगार नहीं दिया गया है। यदि ऊंचे-ऊंचे सरकारी पदों की ओर देखें तो ज्ञात होगा कि उन पदों पर अनुसूचित जाति के किसी उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया गया क्या इसका अर्थ यह नहीं है। कि ऊंचे पदों पर नियुक्त करने के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में कोईभी व्यक्ति पर्याप्त रूप से योग्य नहीं है ?

1949 में हमारे देश की राष्ट्रीय आय 8000 करोड़ रुपये थी। आज यह आय बढ़कर 33,000 करोड़ रुपये हो गई है। इन लम्बे दावों के साथ अनुसूचित जातियों के लोगों की आर्थिक स्थिति में तनिक भी सुधार नहीं हुआ है। क्या देश के कल्याण कारी कार्यक्रमों में उनका कोई भाग नहीं है ? क्या पिछले 22 वर्षों में उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने के लिये कोई प्रयास किया गया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सहायता करने के लिये सरकार कुछ इच्छुक प्रतीत नहीं होती। सरकार चाहती है कि अनुसूचित जाति के लोग अछूत अशिक्षित निर्धन और दलित बने रहें। अतः यह आवश्यक है कि जब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोग आर्थिक सामाजिक राजनीतिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से देश के अन्य समुदायों के मुकाबले में इस स्तर पर न पहुंच जाएं तब तक आरक्षण बना रहना चाहिये ताकि उनके हितों को संरक्षण मिल सके।

Shri Rama Nand Shastri (Bijnor): I welcome this Bill. The Government deserves compliments for bringing forward this measure.

Untouchability is wide-spread in the rural areas. One of the most stricking features of the problem is that most of the officers incharge of Police stations are not aware that untouchability is now a punishable offence. Steps should be taken to familiarise them with the legal provisions in this connection, so that immediate punishment, can be awarded to the offenders.

In Government services, the officers discriminate against the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates. At the time of recruitment also, the officials discriminate against them, with the result that their percentage in the Government employment is not even as much as is reserved for them. Steps should be taken to punish the officials found guilty of discrimination against them.

The Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are not enamoured of reservation. What they want really is that schemes and programmes should be undertaken to improve their economic and social condition so that they can come to the average level of the society. In this context it will be better that not only the Government but also the social and political leaders come forward and work to achieve equality for them in the society.

Shri Meetha Lal Meena (Swai Madhopur): Mr. Deputy Speaker, it is most important that nothing worth the name has been done to improve the economic and social conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes during last twenty years. Had the Government taken case of these down-trodden people, there would have been no necessity for extending the reservations made for another ten years.

It is claimed so many times that much is being done for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes but it is not quite true. Welfare schemes for improving their con-

dition are there only on paper and they have not been implemented. In the rural areas, the condition of the Scheduled Castes is most pitiable. Untouchability was openly practised. They have not been given even agricultural land.

In regard to employment, very few persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes were selected in the Government service and in the public undertakings. It is most regrettable to note that even today the number of such persons in Government service is very low. The reason is that the official responsible for recruitment discriminate against them.

The present Bill seeks to extend the period of reservation for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for another ten years. The Government should formulate and implement such schemes and programmes which result in the economic and social upliftment of these people and which bring them to the standard of the general community. For achieving this lend, it is necessary to visit the places where these people are living and see in what pitiable condition they are living.

श्री सोनावने (पंढरपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । बीस वर्ष की लम्बी अवधि बीत चुकी है परन्तु अभी भी अनुसूचित जाति, तथा अनुसूचित जनजाति के लोग अन्य समुदायों के लोगों के जीवन स्तर तक नहीं पहुंच पाये हैं । अतः आरक्षण की अवधि दस वर्ष बढ़ाना आवश्यक है ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग अपने लिये स्थान आरक्षण की मांग के पीछे नहीं पड़े हैं । परन्तु देश में स्थिति ही ऐसी है । इसलिये सभी इन समुदायों से सहानुभूति रखते हैं और आरक्षण को दस वर्षों के लिये और बढ़ाने को न्यायोचित समझते हैं । हम समझते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था जितनी जल्दी सम्भव हो समाप्त कर दी जाये, परन्तु यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इतनी स्थिति संतोषप्रद स्तर तक नहीं पहुंच जाती ।

यह कहा गया है कि धन का उचित विवरण किया जाना चाहिये । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोग ही धन का उत्पादन करते हैं । परन्तु जब उस धन का वितरण किया जाता है, तो उनकी उपेक्षा की जाती है । आरक्षण की व्यवस्था से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपने समुदाय में सुधार कर सकना चाहिए । उसके साथ ही सरकार को भी इन समुदायों की सहायता के लिये तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए और इन लोगों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों में विकास करना चाहिए ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन का कारण यह है कि उन्हें रोजगार शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में समान अवसर नहीं दिये गये । जहां तक रोजगार और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का सम्बन्ध है सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति कोई भेद-भाव न किया जाये । इस संदर्भ में अच्छा यह होगा कि राजनीतिक दलों तथा विभिन्न समुदायों के नेता अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक उत्थान की योजना को कार्यान्वित करने में सरकार को सहयोग दें ।

इन शब्दों के साथ मैं यह अपील करता हूं कि भारत का हित इस बात में है कि गरीब समुदाय का उत्थान हो और यह उद्देश्य पूरा करने के लिये सभी नेताओं तथा सभी दलों को प्रयास करना होगा ।

***श्री जी० कुचेलर** (वेल्लौर) : सभापति महोदय, जब आरम्भ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये दस वर्ष की अवधि के लिये स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी तो यह अनुभव किया गया था कि इस अवधि में इन जातियों का रहन-सहन का स्तर काफी ऊंचा हो जायेगा। किन्तु इस विषय में सरकार द्वारा कम रुचि लिये जाने अथवा इन जातियों की भलाई के लिए अपर्याप्त उपाय किये जाने के कारण इनके लिए स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था को और दस वर्ष के लिये बढ़ाया गया। पिछले बीस वर्षों में इन जातियों का रहन-सहन का स्तर ऊंचा नहीं उठा है। और यही कारण है कि सरकार ने इस व्यवस्था को दस वर्ष के लिये और बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

जब तक सरकार हिन्दू समाज की सभी जातियों को समाप्त करने के लिये एक विधान नहीं बनाती है तब तक अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक दृष्टि से कोई उन्नति नहीं हो सकती। हिन्दू समाज में जाति भेद-भाव समाप्त होना चाहिए।

देश की कुल जनसंख्या में 16 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जातियों की है। किन्तु इन बीस वर्षों में इनमें से एक प्रतिशत लोगों ने सरकार द्वारा इन जातियों के हितों के लिये क्रियान्वित की गई योजनाओं का कोई भी वास्तविक लाभ नहीं उठाया। इन्हें जो भी रियायतें दी गई हैं वे बिलकुल ही नगण्य हैं।

विधि और समाज कल्याण तथा रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई है कि क्या एंग्लो-इण्डियनों के नामांकन की अवधि को और दस वर्ष के लिये बढ़ाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 331 के अन्तर्गत एंग्लो-इण्डियनों के नामांकन की अनुमति हो सकती है, किन्तु इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 331 की भावना यह है कि एंग्लो-इण्डियन समुदाय के सदस्यों को साधारण निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने का प्रयास करना चाहिए और देश में उनकी विचित्र स्थिति होने के कारण यदि वे निर्वाचित नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति उनका नामांकन करेंगे। अनुच्छेद 331 में यह व्यवस्था है कि यदि इनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता तो नामांकन किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आदेशात्मक रूप से संविधान में कोई स्थायी व्यवस्था कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति नामांकन करते जायें। यदि अगले साधारण निर्वाचन में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कोई भी एंग्लो-इण्डियन चुनाव नहीं लड़ता है तो राष्ट्रपति के लिये यह कहना वैध होगा कि वह किसी को भी नामजद नहीं करेंगे क्योंकि प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।

संविधान-सभा के सदस्यों ने ऐंग्लो-इण्डियन समुदाय की नामांकन की प्रार्थना को स्वीकार करना उचित समझा था। यदि सरकार अनुच्छेद 331 के उपबन्धों को और दस वर्षों के लिये बढ़ाने का प्रस्ताव करती है तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है।

ऐसा कहा गया है कि सरकार ने गत बीस वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये कुछ भी नहीं किया गया। जब हमें आजादी मिली और हमारा संविधान

* मूल भाषण तमिल में।

बन गया तो उस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की हालत आज की अपेक्षा अधिक दयनीय थी। उदाहरणार्थ 1948-49 में अनुसूचित जातियों को केवल 647 छात्रवृत्तियां दी गई और 1967-68 में इनकी संख्या 1,03,129 थी। 1948-49 में अनुसूचित जन-जातियों को 84 छात्रवृत्तियां दी गयीं और 1967-68 में 19,830 छात्रवृत्तियां दी गईं। गत 20 वर्षों में कुछ न किये जाने के सम्बन्ध में जो आलोचना की गई है यह एक अतिशयोक्ति है। सरकार ने यह दावा नहीं किया है कि बहुत कुछ किया गया है। किन्तु स्थित की वास्तविकता को समझना आवश्यक है।

शिक्षा के सम्बन्ध में हमने अधिक जोर दिया क्योंकि शिक्षा के द्वारा हमें ऐसे उम्मीदवार मिल सकेंगे जिन्हें सरकार में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में भी हमें यह संतोष नहीं है कि हमने काफी काम किया है। अतः समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करने के लिये एक उच्चाधिकार-प्राप्त समिति नियुक्त की गई है जिसके अध्यक्ष गृह-कार्य मंत्री हैं तथा समाज-कल्याण मंत्री इसके सदस्य हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं से हमें मालूम हुआ है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के विद्यार्थी किसी न किसी कारण से बराबर स्तर पर नहीं आते हैं। इनकी बाधाओं को दूर करने के लिये हम ऐसे संस्थान स्थापित कर रहे हैं जहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को विशेष रूप से परीक्षा के लिये तैयार किया जायेगा। हमने पहले ही ऐसे दो संस्थान स्थापित किये हैं और हमारा ऐसे और भी संस्थान स्थापित करने का विचार है। 1950 और 1961 के बीच अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये जमीन की आवंटन सम्बन्धी योजना लोक प्रिय रही है और 11 वर्षों में अनुसूचित जातियों के लोगों को 36 लाख एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है।

अनुच्छेद 17 में यह कहा गया है कि छुआ-छूत को समाप्त कर दिया गया है तथा व्यवहार में किसी प्रकार की छुआ-छूत की अनुमति नहीं दी गई है। संविधान में की गई इस घोषणा का चाहे कुछ भी महत्व हो, किन्तु यह तथ्य है कि इतने वर्षों के बाद भी छुआ-छूत बनी हुई है। इस प्रकार की बुराई को एक दिन में दूर नहीं किया जा सकता। भारत में हिन्दू समुदाय जाति-भावना से पीड़ित है। यहां यह भावना पिछले हजारों वर्षों से है। जाति-भावना को भी हटाना है। हमें एक ऐसा आन्दोलन चलाना चाहिए जो हिन्दू समाज से जाति को मिटा सका क्योंकि यह एक सरल सी बात है कि जाति और प्रजातन्त्र साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। समय समय पर महाऋषियों परमहंस और अन्य महान् समाज सेवियों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया हैं और समाज को जात पात भूल जाने की शिक्षा दी। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पहली बार भारत में जातीयता के विद्रोह का झण्डा फहराया। राजा राम मोहन राय, केशव चन्द्र सेन आदि ने जात पात को हिन्दू समाज में दूर करने का प्रयत्न किया। फिर स्वामी विवेकानन्द आये केरल में की नारायण गुरुदेव ने जात पात का विरोध किया परन्तु किसी को भी पूरी सफलता नहीं मिली।

हमारे संविधान के निर्माता अत्यन्त आशावादी थे कि 10 वर्ष की अवधि में हम जात-पांत से उठने वाली समस्याओं से मुक्त हो जायंगे। परन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता कि अगले

दस वर्षों में भी यह समस्या पूरी तरह से हल हो पायेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ऊपर उठाने के लिये सबसे पहले उन्हें अधिक से अधिक शिक्षित करने की आवश्यकता है। उन्हें इतनी अधिक शिक्षा दी जाये कि वह शेष समुदाय के साथ प्रतियोगिता कर सकें। अनुसूचित जाति के शिक्षित लोगों को विधि में योग्यता दी जाये जिससे वे हमें संविधान देने की स्थिति में हों। शिक्षा के भूमि का सवाल आता है उन्हें भूमि जोतने लायक होना चाहिए अपने धन्धे में माहिर होना चाहिए। आज बीसवीं सदी में भी देश के अनेक भागों में इन लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। क्या इसके लिये सरकार उत्तरदायी है।

जातीयता हमारे खून में समायी हुई है। इसने देश में इस प्रकार तबाही मचा रखी है कि हमने पिछले समुदायों तथा अनुसूचित जातियों को उठाने के जितने भी प्रयत्न किये हैं वे सफल नहीं हुए हैं। अतः अभी कई और वर्षों तक हमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था जारी रखनी होगी। हमने दस वर्ष की अवधि रखी है।

प्रत्येक चुनाव में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को 33—1/3 प्रतिशत कम करने के सूत्र जिससे तीन चुनाओं के बाद कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा, ठीक नहीं होगा।

मुझ पर केन्द्रीय सरकार पर आरोप लगाया गया है। राज्य सरकारों को भी बहुत सा काम करना है। नौकरियों में भरती देने आदि का काम राज्य सरकारों का है।

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]**

इस मामले की पूरी तरह से निपटाना केन्द्रीय सरकार की क्षमता से बाहर है। हम किसी हद तक ही प्रयत्न कर सकते हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की हालत सुधारने के लिये निरंतर प्रयत्न करना है और इसलिये हमने संसद को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से सम्बद्ध एक समिति का चुनाव करने के लिये आग्रह किया। श्री बसुमतारी इस समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति का यह कर्त्तव्य है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की देखभाल करें ऐसी स्थिति में यह उचित ही है कि संविधान इस व्यवस्था को और दस वर्ष के लिये बढ़ाया जाये। यह देखना संसद का कर्त्तव्य है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जो हमारी कुल जनसंख्या का 20% भाग है, शेष जनसंख्या के ही स्तर तक उठे।

अध्यक्ष महोदय : श्री बि० प्र० मण्डल और श्री दार के दो प्रस्ताव है। क्या माननीय सदस्य को अपने संशोधन को वापस लेने की सभा की ओर से अनुमति है।

श्री बि० प्र० मण्डल : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The amendment was, by leave, withdrawn

अध्यक्ष महोदय : न्याय का सवाल ही नहीं उठता। यह कार्यवाही का प्रश्न है। मैं अब श्री अब्दुल गनी दार का प्रस्ताव रखता हूं। प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को 9 फरवरी, 1970 तक इस पर राय जानने के लिये परिचालित किया जाय।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 305 : विपक्ष में शून्य

उपस्थित—307

Ayes 305 : Noes Nil

Present——307

प्रस्ताव सभा के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से अन्यून स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted by a majority of total membership of the House and by a majority of not less than two-third of the members present and voting

खण्ड 2—अनुच्छेद 330 का संशोधन

(Amendment of Article 330)

श्री सूरज भान : मैं अपना संशोधन संख्या 18 पेश करता हूं।

श्री गोविन्द मेनन : मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय : द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया।

सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 136 : विपक्ष में 203

Ayes 136 : Noes 203

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 339 : विपक्ष में 1

Ayes 339 : Noes 1

सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा कुल उपस्थित और मत देने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-third of the members present and voting

खंड 2 विधेयक में जोड़ा गया खंड 3 (अनुच्छेद 332 का संशोधन)

Clause 2 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 343 विपक्ष में शून्य

Ayes 343 : Noes. Nil

सभा के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-third of the members present and voting

खंड 3 को विधेयक में जोड़ा गया

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्या 10, 11 और 12 पेश करता हूं।

Article 333 of the Constitution provides for special representation of the Anglo-Indian Community in the Legislative Assemblies of the States. This provision is not proper and should be scrapped. It is not correct to say that since the Anglo-Indian are in minority so they should be protected. If any community is economically or socially backward then the case for protection can be supported. But the Anglo-Indian Community is by no standards backward, either economically or socially. Therefore the provision for nomination should be scrapped and members of this community should also seek election. Let the Anglo-Indian merge themselves in the national current and not continue as a separate entity.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Speaker Sir, my amendment in Clause 4 is like this :

"Page 1, line 15,—**after** "member" "insert" from the working class"

"पृष्ठ 1, पंक्ति 15, "सदस्ये" के बाद "कर्मचारी वर्ग" जोड़ा जाना चाहिये।"

Mr. Speaker, Sir, The Anglo Indian Community is in no way a backward community now. The facilities, which this Community had, because of its being in power, no other community had. This is a basic thing that there is no need to provide nomination for this community because this is a forward community. If, however, it is thought desirable to give representation to this community then only persons from the working class in this community should be nominated.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I beg to move my amendment number 22. Harijans should be protected and their interests should be safe guarded because their social and economic condition is pitiable. But there is no point in giving protection to the Anglo Indian Community of India. They could in no way be categorised with the Harijans. The Hon. Minister Shri Govinda Menon had said yesterday in his speech that the Anglo-Indian have also contributed to the Parliament of this country. If they have their contribution then our people are not so ungrateful, they will certainly elect them again as their leaders. So let the Anglo Indians seek elections and this provision of their nomination should be scrapped from the Article 333 of Constitution.

It is quite strange that even after 22 years of Independence these people still call themselves Anglo-Indians. It is the most opportune time the prefix 'Anglo' is dropped and these people become Indians.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 10 और 11 का विरोध किया और कहा कि केवल यह व्यवस्था होनी चाहिये कि नामांकित सदस्यों के स्थान पर, चाहे कितने ही क्यों न हों, अब से राज्य विधान सभाओं में ऐंग्लो-इण्डियन समुदाय का केवल एक ही नाम जद सदस्य होगा। इससे राज्य विधान सभाओं अथवा संसद में अभी जो नामांकित सदस्य हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Put an appeal to his colleagues to withdraw the statements made against Smt. Indira Gandhi.

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : Clause 4 of the Bill is against the spirit of our Constitution. There is no place for special facilities on the basis of Caste or Creed under the secular State. So, the provisions for nomination of the Anglo-Indians should go and these people should also seek election like others.

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : The statements made in respect of Anglo-Indians should not be noted down.

Smt. Lakshmi Kanthamma (Khammam) : The contention of Shri Prakash Vir Shastri is wrong and as such should not form the record.

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम-निर्देशित-आंग्ल भारतीय) : ऐंग्लो-इण्डियन के नामांकन से सम्बन्धित उपबन्धों की आलोचना करने से कोई लाभ नहीं है। संविधान सभा ने इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार किया और उस समय के सभी नेताओं ने इसका समर्थन किया। गांधी जी ने भी संविधान सभा में ऐंग्लो-इंडियनों के लिये तीन स्थानों की सिफारिश की थी। ऐंग्लो-इंडियन शब्द पर आपत्ति शायद उचित सूचना न मिलने के कारण लगाई जाती है। यह एक कलात्मक शब्द है। जो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि अकेले इसी शब्द की परिभाषा से विधान में दी गई है। इसकी वजह यह है कि एक विशेष रूप से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। यह एक समुदाय का नाम है जो कि पूर्णतः भारतीय है।

Shri Ram Swarup Vidyarthi (Karol Bagh) : Mr. Speaker, Sir, I beg to move amendment No. 36.

Every time the Government declares that no one should have any special privilege, it is not understood why Article 333 of the Constitution providing for special nomination for the Anglo-Indians is being continued. It is time that provision is done away with.

विधि, समाज-कल्याण तथा रेल मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : "आंग्ल-भारतीय" शब्द का विशेष महत्व है । हमारे संविधान बनाने वालों ने इस शब्द की परिभाषा देना आवश्यक समझा । हम दक्षिण अफ्रीका के भारतीय अथवा श्रीलंका के भारतीय भी कहते हैं इसका मतलब है भारतीय मूलक दक्षिण अफ्रीका अथवा श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूलक । इसी प्रकार ऐंग्लो इंडियन भी एक कलात्मक शब्द है ।

जहां तक इस संशोधन का सवाल है कि केवल श्रमजीवी वर्ग में से ही ऐंग्लो इंडियनों को नामजद करने की व्यवस्था की जानी चाहिये, इसे स्वीकार करना कठिन है क्या श्रमजीवी एक बड़ा अनिश्चित शब्द है । अतः यह संविधान में नहीं रखा जा सकता ।

ऐंग्लो इंडियनों का नामांकन किया जाना चाहिये अथवा नहीं के प्रश्न के संबंध में जो विवाद है वह श्री द्विवेदी के भाषण से स्पष्ट हो गया होगा । यह अनिवार्य उपबन्ध नहीं है । यदि राष्ट्रपति यह अनुभव करते हैं कि एक निश्चित समय में जो परिस्थितियां होंगी उसमें, यदि ऐंग्लो इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व की अपेक्षा होगी और यदि उसे उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला होगा उसी स्थिति में यह उपबन्ध लागू होगा । इसके अतिरिक्त किसी भी सभा में नाम-निर्देशन की संख्या को कम करके केवल एक कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सब संशोधनों को एक साथ प्रस्तुत करूंगा ।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मेरा संशोधन अलग से रखा जाय ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । अब मैं श्री झा का संशोधन संख्या 3 सदन के सम्मुख रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया ।

सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 6 : विपक्ष में 279

Ayes 6 : Noes 279

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री कंवर लाल गुप्त का संशोधन संख्या 10, 11, 12, श्री प्रकाश वीर शास्त्री का संख्या 22, श्री विद्यार्थी का संख्या 36 तथा श्री ओमप्रकाश त्यागी का संशोधन संख्या 45 सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

सभी अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

All other amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने" ।

सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 323 : विपक्ष में 6

Ayes 323 : Noes 6

सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से दो तिहाई द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-third of members present and voting

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

खण्ड 5

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 5 में संशोधन प्रस्तुत किये जाने हैं । मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह एक-एक करके संशोधन प्रस्तुत करें ।

विधि, समाज-कल्याण तथा रेल मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 22,–

"प्रस्थापित किया जायेगा" **के स्थान पर**

1 "प्रस्थापित किया जायेगा तथा 25 जनवरी, 1970 को तथा से प्रस्थापित समझा जायेगा ।" **रखा जाये**

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रा० की० अमीन (ढ़ंढ़का) : मैं अपना संशोधन संख्या 5, 6 तथा 7 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं अपना संशोधन संख्या 13 तथा 17 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री आर० एस० अरुमुगम (टेंकासी) : मैं अपना संशोधन संख्या 16 तथा 27 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं अपना संशोधन संख्या 14, 15 तथा 40 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I beg to move my amendment No. 23.

श्री रवि राय (पुरी) : मैं अपना संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ओमप्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 43 तथा 46 प्रस्तुत करता हूं।

श्री जी० एस० रेड्डी (मिरियालागुडा) : मैं अपना संशोधन संख्या 44 प्रस्तुत करता हूं।

श्री गोविन्द मेनन : अब इसे कुल राज्यों में से आधे से अधिक राज्यों की पुष्टि की आवश्यकता होगी ? यदि किसी कारण 25 जनवरी, 1970 तक राज्यों को पुष्टि नहीं प्राप्त होती तो इसमें क्रम भंग होगा। अत: आकस्मिक क्रम भंग को दूर करने के लिये मैंने यह संशोधन रखा हैं।

Shri Shiva Chandra Jha : The period of reservation should be extended by 5 years for the present. If necessary, the period could be further extended after the laps of 5 years. If reservation is extended for longer period the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will not make progress.

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : वे व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुये कहा कि विधि मंत्री ने जो संशोधन किया है उससे वह विधेयक के उपबन्धों को पहले से भी अधिक प्रभावी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि शेष कार्यवाही विशेष कर राज्य विधान सभाओं द्वारा पुष्टि में कुछ सप्ताह लग सकते हैं। वे चाहते हैं कि वह कार्यवाही चाहे जब भी पूरी हो, संविधान संशोधन विधेयक 25 जनवरी, 1970 से लागू हो जाये। यह संशोधन संविधान के प्रतिकूल है। संविधान बताता है कि जब तक कुछ विशेष कार्यवाही नहीं की जाती वर्तमान स्थिति जारी रहती है। इसे संशोधन द्वारा कैसे हटाया जा सकता है ? संशोधन ठीक नहीं है। सरकार को चाहिये कि वह विधेयक को कुछ पहले प्रस्तुत करती, जिससे विधि मंत्री द्वारा बताई गई कठिनाइयों से बचा जा सकता।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Government should have brought forward the Bill earlier so that the requisite number of States could give their assent in time. If the amendment moved by the Law Minister is accepted it will be an encroachment on the rights of the States. The amendment should be ruled out of order.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इस संशोधन को राजनैतिक उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। सरकार का विचार है कि यदि मध्य विधि चुनाव हुये, तो यदि राज्यों की पुष्टि इसे नहीं भी हुई तब भी यह विधेयक उचित समय में लागू हो जायेगा।

Shri Rabi Ray : The Government want to by-pass the States through this amendment which is unconstitutional.

श्री अशोक मेहता (भण्डारा) : संविधान के अनुसार संवैधानिक संशोधन संसद् अकेले नहीं कर सकती। उसकी राज्य विधान सभाओं द्वारा भी पुष्टि होनी आवश्यक है। पुष्टि की प्रक्रिया संशोधन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। विधि मंत्री द्वारा किया गया संशोधन प्रत्यक्ष रूप से संविधान विरोधी है। विधेयक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान बार-बार दिलाया गया। परन्तु अभी तक सरकार मामले पर गौर नहीं किया और अब यह संशोधन ला दिया है।

यदि हम इस संशोधन को स्वीकार भी कर लेते हैं तो इस बात का क्या आश्वासन है कि यह संशोधन वैध होगा । संविधान के संशोधन को वैध होना चाहिये । वह बिल्कुल भी वैध नहीं होगा यदि हम इसे इस तरह पहले से अधिक प्रभावी बनाने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : संविधान में जो राज्यों को अधिकार दिये गये हैं, हम उनका उल्लंघन नहीं कर सकते । उच्च और उच्चतम न्यायालयों ने अपने कई निर्णयों में वैधता और संवैधानिक कमियों को इस आधार पर घोषित किया कि राज्यों की आवश्यक सहमति प्राप्त नहीं की गई । विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन अवैध है, अतः इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये । यह अनुसूचित जातियों / जन-जातियों के अपने हित में है कि ऐसा कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाये जो न्यायालय में सफल न रह सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मसानी के व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने संशोधन स्वीकृत कर लिया है ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : इसका यह तात्पर्य नहीं कि यह सांवैधानिक रूप से सही है ।

श्री गोविन्द मेनन : संसद् को अधिकार है कि वह विधान को समय से पहले प्रभावी बना सके । हम राज्यों के अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं । क्योंकि विधेयक को राज्यों द्वारा पुष्टि करने के लिये खण्ड 5 के साथ, जिसमें 25 जनवरी, 1970 से विधेयक लागू समझा जाएगा, की व्यवस्था है, भेजा जाएगा । राज्यों की पुष्टि के बाद विधेयक वैध होगा और उसमें संशोधित खण्ड 5 भी शामिल होगा ।

यह भी कहा गया है कि इस संशोधन के पीछे विशेष स्वार्थ निहित है, इसलिए, मैं संशोधन पर जोर नहीं दूंगा तथा संशोधन को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा उनको संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

माननीय सदस्य : हां ।

संशोधन अनुमति से वापस लिया गया

The amendment was, by leave, withdrawn

श्री रा० की० अमीन : एक धर्म-निरपेक्ष लोकतंत्र में सभा में स्थान आरक्षण करना आवश्यक नहीं है । इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें एक अवधि विशेष के अन्त में वह स्वतः समाप्त हो जाये । इसके लिए हमने यह सुझाव दिया है कि 10 वर्ष की बजाये 13 वर्ष कीअवधि कर दी जाये क्योंकि हमने यह प्रस्ताव किया है कि 1972 में आरक्षण स्थानों का $\frac{1}{3}$ भाग कम कर देना चाहिए और 1982 के आम चुनावों के बाद इसको बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिए।

जहां तक आरक्षण दिये जाने के तरीके का प्रश्न है, वर्तमान पद्धति में कुछ दोष हैं जैसे कि एक ही सीट निरन्तर चुनावों में आरक्षित रहती है । जिसके परिणामस्वरूप जिस व्यक्ति को वह सीट मिलती है, उसमें निहित स्वार्थ आ जाता है । उसे यह अच्छा नहीं लगता कि वह आरक्षित सीट औरों को भी बारी-बारी से प्राप्त हो । जिसकी वजह से अन्य हरिजनों को लोक-सभा या

विधान सभाओं का सदस्य बनने का मौका नहीं मिल पाता। विधेयक में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिन स्थानों में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या से 25 प्रतिशत से कम हो वहां आरक्षित सीट बारी-बारी से दी जायें, जिससे न केवल एक क्षेत्र के हरिजनों को अपितु अन्य क्षेत्रों के हरिजनों को भी विधान सभाओं तथा लोक-सभा में आने का अवसर मिले। विधान सभा तथा लोक-सभा दोनों के लिए एक ही निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के आरक्षण से विधान सभा या लोक-सभा में प्रतिनिधियों का चुनाव ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Nomination in respect of Anglo-Indian should cease. This will help in creating the atmosphere of integration.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon): The reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes should be extended for another twenty years instead of ten years as provided in the bill.

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be given representation in the legislature at least according to the percentage of their population.

In the matter of services the muslims have not been given a fair deal. Their representation is even less than that of the Harijans. The muslims are prepared to be included in the Scheduled Castes if they are extended the protection and safeguards available to the Scheduled Castes.

श्री छ० म० केदरिया (माण्डवी): हम अनुरोध करते हैं कि 30 वर्ष के बदले यह अवधि 40 वर्ष होनी चाहिये। पिछले 20 वर्षों में हमारा यह अनुभव रहा है कि हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान के लिये जो भी कार्यवाही की गई उससे उनकी दशा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। इसीलिये उन्हें विशेष सुविधा प्रदान करने के लिये प्रति दस वर्षों में अवधि बढ़ाने के लिये संसद् में यह प्रस्ताव रखना पड़ा। संविधान के अन्तर्गत प्रति पांचवें वर्ष राष्ट्रपति आयोग नियुक्त करता है और वह आयोग दो वर्ष में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और उस बीच में आरक्षण की अवधि समाप्त हो जाती है। इसलिये 10 वर्ष की जगह 20 वर्ष की अवधि के द्वारा समुदाय के कमजोर वर्ग हरिजन और आदिवासियों आदि के उद्धार का दीर्घकालीन कार्यक्रम किया जा सकेगा।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): There are other weaker sections of the community also who are socially, economically and politically backward, just like Harijans and Adivasis. That is why I had presented an amendment for their reservation also similar to the Harijans and Adivasis which was rejected earlier. Government has brought forward the amendment in regard to the extension of reservation for 30 years instead of 20 years, this proves that the Government has failed in bringing about any tangible improvement in the conditions of Harijans and Adivasis during last 20 years. The criteria of Harijans and Adivasis condition is not the increasing number of Harijans and Adivasis in the Lok Sabha, State Legislative Assemblies, Rajya Sabha or Legislative Councils. Their improved condition could only be estimated by the number of Harijans and Adivasis being employed in the reserved posts of Class I, Class II and Class III. Generally in the name of Administrative qualifications and qualities their reserved posts are left vacant and afterwards others are posted through the backdoors. The Government should look into this and take appropriate steps. Now the Government sought to extend the reservation period for ten years, instead of 10 years the period should be extended for 30 years.

Shri Rabi Ray : There should be no provision for nomination for the Anglo Indian community in the Lok Sabha and the State Assemblies. The principle of nomination to the Lok Sabha and the State Assemblies is against the spirit of democracy. Therefore Article 334 should be amended accordingly.

Shri Prakash Vir Shastri : The very fact that the Government has come with the proposal to extend the reservation for another 10 years shows that the Government has failed ameliorating the lot of the Seheduled Castes and Scheduled Tribes. It is doubtful if the Government will be able the to do needful for the Harijans during the next 10 years also. The reservation period should therefore, be extended by 15 years. The reservation should be progressinghy reduced in every election in future according to a specific time table so that after 15 years there is no reservation for these people. There should be rotation of reserved constituencies so that no constituency continues to be reserved for ever.

There should be no nomination of Anglo-Indians in Lok Sabha or State Assemblies because Membrrs of these Houses are elected by the people.

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : We have some minority communities in our society which needed protection. But we should not use such words or language which will spread casteism in the country.

श्री गोविन्द मेनन : श्री कंवरलाल गुप्त तथा श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने भी एंग्लो इण्डियन के नामनिर्देशन पर विपत्ति की है। मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि खण्ड 4 जो ऐंग्लो इण्डियन के नामनिर्देशन की व्यवस्था करता है, वह पहले ही पारित किया जा चुका है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री और श्री अर्मान ने यह सुझाव दिया है कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव में आरक्षित स्थानों में $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत की कमी की जानी चाहिये। इस प्रकार का प्रबन्ध करना सम्भव नहीं है।

यह भी सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में समय समय पर फेर बदल किया जाना चाहिए। संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। परन्तु यह "परिसीमन अधिनियम" में होनी चाहिये। एक सदस्य ने यह भी सुझाव दिया है कि मुसलमानों को अनुसूचित जातियों के बराबर मान लिया जाना चाहिये। शायद इस विचार का अन्य सदस्य समर्थन नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 17 मत-विभाजन के लिये रखा गया।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 22 : विपक्ष में 262
Ayes 22 : Noes 262

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The Motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5, 6 और 7 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 28 मतदान के लिये रखा गया।

सभा में मत-विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 23 : विपक्ष में 259
Ayes 23 : Noes 259

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The Motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 16 मतदान के लिये रखा गया ।

सभा में मत-विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 41 : विपक्ष में 230
Ayes 41 : Noes 230

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The Motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।
All other amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने"
"That Clause 5 stand part of the Bill."

सभा में मत-विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 287 : विपक्ष में 2
Ayes 287 : Noes 2

सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted by a majority of the total members of the House and by a majority of not less than two third of the members present and voting

खंड 5 से विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 5 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये ।
Clause 1, the Enacting Formula and title were added to the Bill.

श्री गोविन्द मेनन : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

श्री रंगा (श्री काकुलम) : हम सभी इस विधेयक का समर्थन करते हैं क्योंकि इसके द्वारा दलित हरिजन और आदिवासियों का उत्थान होगा। मुझे पूरी आशा है कि आगामी वर्षों में जो भी सरकार सत्ता पर आएगी वह समाज के इस पिछड़े समुदाय को अधिक सुरक्षा, अधिक सुविधाएं प्रदान करेगी। यदि मुझे और मेरे साथियों को सरकार बनाने का मौका मिला और देश में शासन करने का अवसर मिला तो हम समाज के पिछड़े वर्ग तथा समुदाय के अन्य कमजोर वर्गों के सुधार के लिये हर सम्भव प्रयत्न करेंगे। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधोक आप जानते हैं कि हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर ली है और अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे साथ सहयोग करें और मुझे प्रश्न रखने दें।

Shri Balraj Madhok (Delhi South) : I will take only two minutes. Now the Bill is going to be passed. When our Constitution was framed, this reservation was given for 10 years and it was hoped that within 10 years this provision of reservation would not be needed. But we see that even after 20 years the condition of Harijans has not been improved and still protection and special safeguards are necessary for them. What should now have been done is to carry out a scientific survey as to the improvement brought about in their condition during last 20 years. But there is no time left for this. We earnestly hope that during next 10 years, conditions will be created in which it will not be necessary to extend the period of reservation further. There should be some criteria for the reservation.

My second objection in this Bill is : that the privileges which were given to the Anglo Indians for 10 years, now they are being extended. The Law Minister has failed to give any justifications for the extension of the provision of nomination for the Anglo Indian community. The whole approach of the Government is communal.

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का यह रवैया भर्त्सनापूर्ण है और इससे देश की एकता को खतरा है। With these words I Support the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के बहुमत की इच्छा है कि मैं अब प्रश्न रखूं। परन्तु श्री अयरवाल यदि आप कुछ कहना ही चाहते हैं तो मैं आपको केवल दो मिनट दे सकता हूं।

Shri Ram Singh Ayarwal (Sagar) : The test of the honesty of all political parties in this matter is the number of Scheduled Castes and Sheduled Tribes candidates they put up on the general seats, and see to their success.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में काफी चर्चा हो चुकी है।

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, वित्त मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यदि सभी लोग 15 मिनट में चर्चा समाप्त कर दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री शिव नारायण से अनुरोध करता हूं कि वह दो मिनट तक ही अपने विचार व्यक्त करें।

Shri Sheo Narain (Basti) : Mr. Deputy Speaker, the condition of harijans is pitiable. Even the bare necessities of life are not available to them. Though reservations are made for them in various Departments, yet a few of them are appointed when educated harijans are available. The Government must come out with socialist programmes and implement them.

श्री क० अनिरुद्धन (चिरयन्कील) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरकार छुआछूत को समूल नष्ट करने के लिये चिन्तित है, तो मेरा सुझाव यह है कि हमारे संविधान में दिये गये निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39(एफ) के अन्तर्गत बच्चों और युवकों के शोषण के विरुद्ध जो संरक्षण दिया गया है, उसे इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भी शामिल किया जाना चाहिये, क्योंकि हम देखते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति करने के 22 वर्षों के बाद भी हमारे समाज के इन वर्गों का शोषण अक्षुण्ण रूप से जारी रहा।

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : Mr. Deputy Speaker, Sir the amendment which has been brought forward by the Government in the interest of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will certainly be very helpful and beneficial for these classes.

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : Mr. Deputy Speaker, Sir the bill, which has been brought forward by the Government to amend the Constitution, only shows the failure of the Government to take proper steps for the uplift of the harijans and Adivasis. The Elayaperumal Committee has made a number of suggestions for the economic, social and educational advancement of the backward classes. Inspite of repeated requests, the discussion on that report has not taken place in the House. Similarly the two reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have not been discussed.

The bureaucrats are not giving proper advice to the Government for the uplift of harijans and Adivasis.

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण की अवधि बढ़ाने की व्यवस्था का सभी को स्वागत करना चाहिये। लेकिन इसका तब तक कोई अर्थ नहीं होगा, जब तक कि देश के आर्थिक विकास से यह संगत न हो और जब तक अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां राष्ट्रीय उत्पादन में उचित हिस्सा न लें।

उन्हें वर्षों से समानता और आर्थिक न्याय नहीं दिया गया है। यदि हम चाहते हैं कि यह लोकतंत्र पनपे, तो हमें इन लोगों के आर्थिक विकास के लिये कदम उठाने होंगे। इन सभी वर्षों में इन लोगों को कुछ सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करना पड़ा है, लेकिन अब समय आ गया है, जबकि उन्हें इन सीमाओं से बाहर आकर अपने अधिकारों के दावे के लिये कोशिश करनी चाहिये।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Mr. Speaker, if we really want to improve the lot of the down-trodden people belonging to the Scheduled Castes and adivasis, we have to tackle the basic problem of land reforms in the country. Government should act with courage and

determination and take steps to see that those who actually till the land get the ownership of that land. The land of all those who do not work on their land should be distributed among those people who actually work and then we will see that the problem of high and low and casteism will automatically disappear.

श्री एस० कन्डप्पन (मैट्टूर) : हम सब छुआछूत को समूल समाप्त करने के लिये सहमत हैं और इसलिये जो कोई छुआछूत माने या जातिवाद के बारे में किसी तरह का उपदेश करे, उसे कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये और सार्वजनिक तौर पर उसे कोड़े लगाये जाने चाहिये।

पिछड़े लोगों का आर्थिक उत्थान करने के लिये तमिलनाडु राज्य में हमारे कुछ कार्यक्रम हैं। उदाहरण के तौर पर मार्गों पर बसें चलाने के लिये लाइसेंस देने के मामले में राज्य सरकार हरिजनों द्वारा निर्मित सहकारी समितियों को प्राथमिकता देती है। इस आधार पर कार्यवाही अन्य स्थानों में भी की जा सकती है।

सरकार को अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना चाहिये। जो अनुसूचित जाति के समुदाय से विवाह करे, उसे रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिये। यदि ऐसा किया जायेगा, तो जातिवाद और छुआछूत समूल समाप्त हो जायेंगे।

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : सभा ने आरक्षण की अवधि दस वर्ष और बढ़ाने में जो एक महान और अच्छा कदम उठाया है, उसके लिये मैं सभा के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। आशा है कि विधेयक सदस्यों के सर्वसम्मत समर्थन से पारित किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 302 : विपक्ष में शून्य

Ayes 302 : Noes Nil

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले कुल सदस्यों की संख्या के दो-तिहाई के अन्यून बहुमत द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

The motion was adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two third of the members present and voting

इसके पश्चात लोकसभा, बुधवार, 10 दिसम्बर, 1969/19 अग्रहायण, 1891 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 10th December, 1969/Agrahayana 19, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 7-3-70—340.